IDBI BANK

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report 2011-12

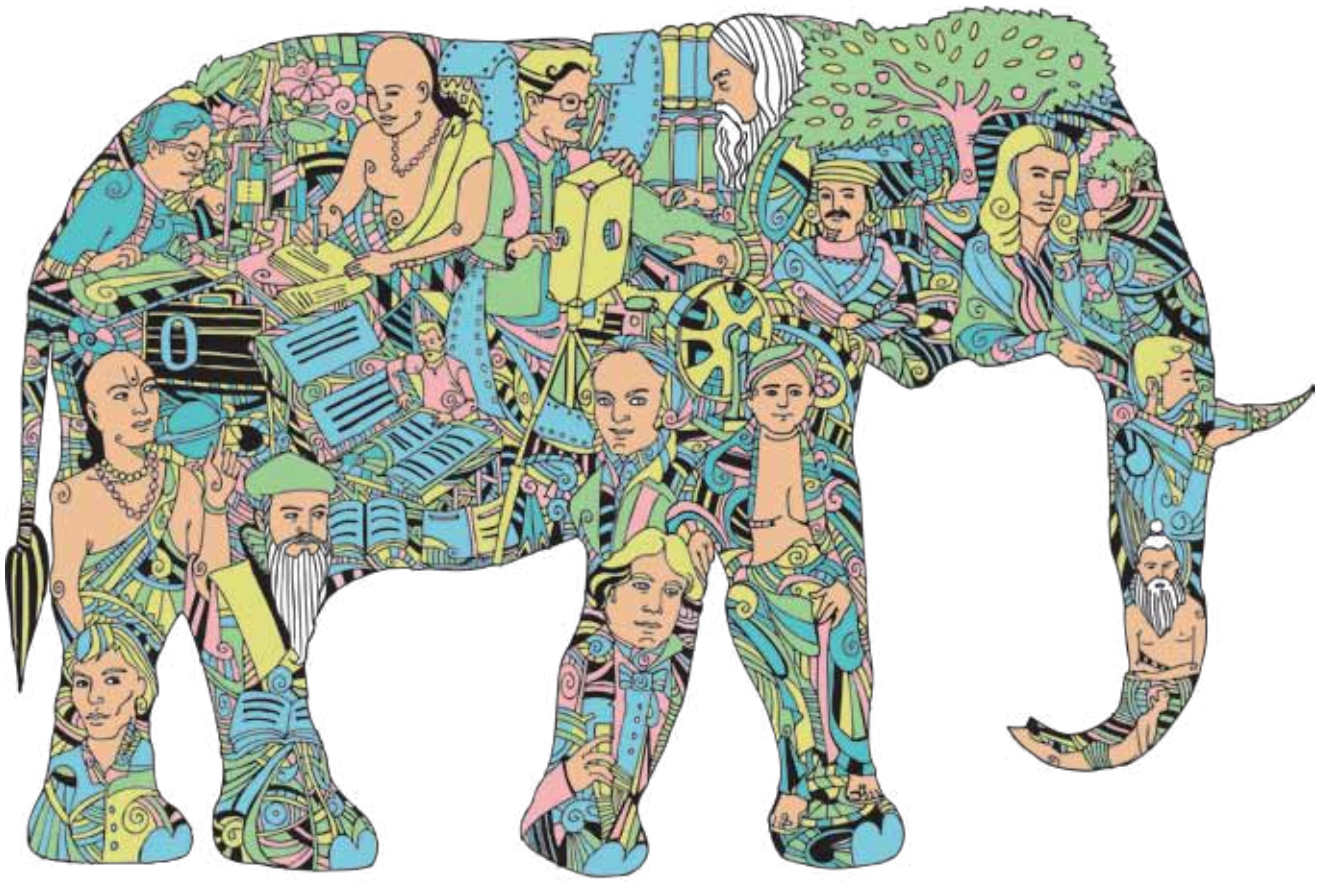

पहल करना वास्तव में एक सुखद अनुभूति है

GETTING THERE FIRST IS A TRULY SPECIAL FEELING

आईडीबीआई बैंक में नई पहलों से भरा वर्ष

आईडीबीआई एक ग्राहक-केंद्रित बैंक है. आपका बैंक जो कुछ भी करता है, ग्राहकों तक बेहतर उत्पाद पहुँचाने, चिरकालिक संबंध बनाने और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए करता है. इसलिए आपका बैंक जो भी कदम उठाता है, वह पथ-प्रदर्शक होता है और अपने किस्म का पहला कदम होने के नाते इसे इसका लाभ भी मिलता है. यूँ तो आपके बैंक द्वारा दी जा रही पेशकशों की सूची खासी लंबी और विशिष्ट है, फिर भी इनमें से कुछ नई इस प्रकार हैं:

- बैंकों में लॉकर व्यवस्था काफी लंबे समय से चली आ रही है लेकिन आपके बैंक ने इसे बारहों महीने - चौबीसों घंटे चलने वाली सुविधा के रूप में शुरू किया है, जो बॉयोमैट्रिक पहुँच के साथ रहेगी. आपकी कफ़ परेड, मुंबई शाखा इस मामले में दुनिया में पहली है.

- आपका बैंक लीक से हटकर सोचता है, यह आईडीबीआई बैंक की मैजिक कार्ड योजना से पता चलता है. मैजिक कार्ड एक ऐसा डेबिट कार्ड है, जिसमें क्रेडिट लिमिट भी दी गई है. यह अनुपम प्रोडक्ट भारत में अपने किस्म का पहला है.

- आपके बैंक द्वारा जारी डिम सुम बाँड भी उभरते बाज़ारों में पहला निर्गम था. यह निर्गम नियत आयवाले वैश्विक निवेशकों के आपके बैंक की ऋण साख के प्रति विश्वास का द्योतक है.

- आपका बैंक देशी बाज़ार में भारतीय कॉरपोरेट बाँडों में निहित ऋण जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए ऋण चूक स्वैप लेनदेन की हामीदारी करनेवाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बना.

- भारत का पहला ऑनलाइन रिटेल जी-सेक पोर्टल आईडीबीआई बैंक की एक और पेशकश है. इससे खुदरा निवेशकों को निवेश के वैकल्पिक साधन के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का मौका मिलता है.

- युवाओं के साथ जुड़ने के लिए आपके बैंक और इट्स कैश ने मास्टरकार्ड के साथ मिलकर फ्रीडम प्रीपेड कार्ड शुरू किया, जोकि युवाओं के लिए पुनः लोड किए जानेवाला अपने किस्म का पहला बहु उद्देश्यीय कार्ड है.

- आपके बैंक की ऋण समूहन टीम ने अपने गठन से लगभग 6 वर्ष के भीतर बिजली, दूरसंचार, सड़क, बंदरगाह, पेट्रो-रसायन, उर्वरक, इस्पात सरीखे विविध उद्योगों में कुल 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक ऋण राशि के 100 से भी अधिक सौदे संपन्न किए.

- आपका बैंक केंद्रीय करों का प्रमुख संग्रहणकर्ता है. जहाँ सरकार की ओर से कर संग्रहण के लिए कई बैंक प्राधिकृत किए गए हैं, आपका बैंक उन चुनिंदा बैंकों में से एक है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 100,000 करोड़ रुपये (20.50 बिलियन अमरीकी डॉलर) का आँकड़ा पार किया है, जोकि सरकार के प्रत्यक्ष कर संबंधी कुल संशोधित लक्ष्य के 16% से भी अधिक है.

- डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में ज्यादा बैंक नहीं हैं. आपका बैंक न सिर्फ इस क्षेत्र में है, बल्कि फेसबुक पर इसके पाँच लाख से अधिक और ट्विटर पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं. यह गूगल + पर जानेवाला भी पहला भारतीय बैंक है.

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report: 2011-12

विषय सूची

1	**निदेशकों की रिपोर्ट**
	प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण
11	कारोबार परिदृष्य
13	कारोबार समीक्षा
22	जोखिम प्रबंध
25	प्रबंध, नियंत्रण एवं प्रणालियां
33	सूचना प्रौद्योगिकी
35	कॉरपोरेट अभिशासन
	लेखे
83	बैंक के लेखे
155	समेकित लेखे

CONTENTS

5	**Directors' Report**
	Management Discussion & Analysis
49	Business Environment
51	Business Review
60	Risk Management
62	Management, Controls & Systems
69	Information Technology
70	Corporate Governance
	Accounts
83	Accounts of the Bank
155	Consolidated Accounts

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

(यथा 07 जुलाई 2012)/As on July 07, 2012)

कार्यपालक निदेशक	Executive Directors
श्री आर. एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**Shri R. M. Malla, CMD**
श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक	**Shri B. K. Batra, DMD**
सरकारी निदेशक	Government Directors
श्री सुनील सोनी	**Shri Sunil Soni**
श्री प्रदीप कुमार चौधरी	**Shri P. K. Chaudhery**
स्वतंत्र निदेशक	Independent Directors
श्री पी.एस. शेनॉय	**Shri P. S. Shenoy**
श्री सुभाष तुली	**Shri Subhash Tuli**
श्री एस. रवि	**Shri S. Ravi**
श्री निनाद कर्पे	**Shri Ninad Karpe**
सांविधिक लेखापरीक्षक	Statutory Auditors
चोकशी एंड चोकशी	**Chokshi & Chokshi**
सनदी लेखाकार, मुंबई	Chartered Accountants, Mumbai
एस.पी. चोपड़ा एंड कं.	**S. P. Chopra & Co.**
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली	Chartered Accountants, New Delhi
मुख्य वित्तीय अधिकारी	Chief Financial Officer
श्री पी. सीताराम	**Shri P. Sitaram**
कंपनी सचिव	Company Secretary
श्री पवन अग्रवाल	**Shri Pawan Agrawal**

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

श्री सुनील सोनी
Shri Sunil Soni

श्री प्रदीप कुमार चौधरी
Shri Pradeep Kumar Chaudhery

श्री सुभाष तुली
Shri Subhash Tuli

श्री पी. एस. शेनॉय
Shri P. S. Shenoy

श्री एस. रवि
Shri S. Ravi

श्री निनाद कर्पे
Shri Ninad Karpe

श्री आर. एम. मल्ला
Shri R. M. Malla

श्री बी. के. बत्रा
Shri B. K. Batra

श्री आर. एम. मल्ला Shri R. M. Malla

(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से / From the CMD's Desk

प्रिय शेयरधारको,

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से बैंक की वित्तीय वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है.

अभी-अभी गुज़रा यह साल आम तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर पर बैंकिंग जगत के लिए बड़ा कठिन रहा. यूरोपीय अर्थव्यवस्था में आए आर्थिक संकट और मंदी के कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य निराशाजनक हो गया, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष नई चुनौतियाँ उभर कर आईं. घरेलू मोर्चे पर भारत को बढ़ते स्फीतिकारी दबावों का सामना करना पड़ा और इन पर अंकुश लगाने के लिए कई बार नीतिगत दरें बढ़ानी पड़ीं. यही नहीं, सुस्त निर्यात माँग और नए आदेशों में मंद वृद्धि के चलते औद्योगिक उत्पादन में भी उल्लेखनीय गिरावट आई. बैंकिंग क्षेत्र के कारोबार पर सीधा असर डालने वाला निवेश माहौल भी ठंडा ही रहा.

इन हालातों के बावजूद आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान भी बेहतर कार्य-निष्पादन जारी रखा. विगत वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक ने कारोबार व लाभप्रदता संबंधी सभी मानदंडों में ज़ोरदार संवृद्धि दर्ज की और वित्तीय वर्ष 2012 में अब तक का सबसे अधिक मुनाफा हासिल किया. '**सभी के लिए बैंकिंग**' के मूल मंत्र पर अपने विश्वास के बूते हम इस महान देश के हर हिस्से तक अपनी पहुँच बढ़ा सके, साथ ही बैंकिंग उत्पादों व सेवाओं की समग्र श्रृंखला प्रदान कर सके. आपके बैंक के शाखा नेटवर्क का उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जिसके चलते हम अधिक से अधिक ग्राहकों की सेवा करने में समर्थ हो सके.

आपके बैंक की उपलब्धियों को देखते हुए इसे कई सम्मानों व पुरस्कारों से नवाज़ा गया. वर्तमान में आपका बैंक देश के उन सबसे बड़े बैंकों में से एक है,जिनके पास शाखाओं व एटीएमों का व्यापक नेटवर्क है. यहाँ तक कि प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर भी आपके बैंक ने बदलते समय के साथ चलते हुए कई ग्राहक अनुकूल पहल कार्य किए ताकि अपने ग्राहकों की और भी बेहतर ढंग से सेवा की जा सके.

आपके बैंक ने विगत वर्षों में अपने को शीर्ष विकास वित्तीय संस्था से यूनिवर्सल वाणिज्यिक बैंक के रूप में रूपांतरित करते हुए कई संरचनात्मक व संगठनात्मक परिवर्तन किए हैं. इसे देखते हुए ऐसे नए

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank, I am very happy to present the Bank's Annual Report for the Financial Year 2011-12.

The year just past has been a difficult year for the Indian Economy in general and for the banking sector in particular. The turbulent global economic conditions, induced by the economic crisis and recessionary conditions in the European economy presented fresh challenges to the Indian economy. On the domestic front, India was confronted with rising inflationary pressures – to contain which the policy rate had to be hiked several times. To add to the woes, there was a marked slowdown in the industrial production driven by the subdued overseas demand for exports and slow growth in new orders. The investment climate, which directly impinges on the business of the banking sector, also remained subdued.

Notwithstanding these concerns, your Bank continued to perform well in FY 2011-12. Your Bank witnessed healthy growth in all its business and profitability parameters during the last financial year including highest ever profit achieved in FY 2012. Our belief in ***"Banking for All"*** has seen us undertake various initiatives to expand our reach and presence across the expanse of this great country, as also across the entire range of banking products and services. The branch network of your Bank has significantly expanded allowing us to serve more customers.

A number of awards and recognitions have been bestowed on your Bank in cognizance of its achievements. Your Bank is currently one of the largest banks in the country with a broad network of branches and ATMs. Even on the technological front, your Bank has continued to keep pace with the changing times and introduced several customer friendly initiatives in a bid to serve our customers better.

Over the last few years, your Bank has undergone a number of structural and organizational changes in its transformation from an apex DFI into a universal commercial

संकल्प व ध्येय कथन बनाए जाने की ज़रूरत महसूस की गई, जिनसे बैंक की अपने सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करने की प्रतिबद्धता दिखलाई दे. इस दर्शन को बैंक के नए संकल्प कथन में बड़ी सरलता से बयां किया गया है: ''**सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करते हुए सबसे पसन्दीदा और विश्वसनीय बैंक बनना**.'' तद्नुसार नए ध्येय कथन की भी रचना की गई, जो संकल्प को हकीकत में बदलने के रणनीतिक लक्ष्य को प्रतिबिंबित करता है.

आपके बैंक के बढ़ते कारोबार का श्रेय विभिन्न वर्टिकलों और कार्यक्षेत्रों में रत मेरे सभी साथियों को जाता है, जिन्होंने हमारे ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया ताकि आपका बैंक एक ऐसे वित्तीय महासंगठन बनने का संकल्प पूरा कर सके जो सभी प्रकार के वित्तीय समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराते हुए अपने सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करे.

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सतत दबावों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का भावी विकास वास्तव में चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहा है. तथापि भारत अब भी दुनिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है. वित्तीय वर्ष 2012-13 केलिए भारत का मुख्य ध्यान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने के लिए उचित नीतिगत परिवर्तनों के जरिए उच्च विकास दर की राह पर लौटने की ओर केंद्रित होगा.

आने वाले वर्ष में आपका बैंक कारोबार वृद्धि और लाभप्रदता मानदंडों में रणनीतिक रूप से इष्टतम स्तर पर पहुँचना चाहता है ताकि समग्र आधार पर सुधार दिखाई दे सके. कम लागत वाली जमाराशियाँ प्राप्त करने, ऋण संवृद्धि को गति देने, शुल्क आधारित आय बढ़ाने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए लागत को कम करने की रणनीतियों पर ज़ोर दिया जा एगा. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उधारियों के लक्ष्यों व उप-लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सद्निष्ठ प्रयास किए जाएंगे. नेटवर्क को बढ़ाकर व शाखा बैंकिंग के कई विकल्पों का उपयोग करते हुए वित्तीय समावेशन पर ध्यान देना जारी रखा जाएगा. वैकल्पिक स्रोतों और परस्पर बिक्री के अवसरों का उपयोग करते हुए आपका बैंक अपनी शुल्क आधारित आय बढ़ाना चाहेगा. परिसंपत्तियों के मोर्चे पर आपका बैंक कॉरपोरेट व बुनियादी क्षेत्र वित्तपोषण के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखते हुए खुदरा पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए भी रणनीति बनाएगा. साथ ही नई चूकों को नियंत्रित करने व उच्चतर वसूली के लिए

bank. A need for a new Vision and Mission Statement was felt which would reflect the Bank's commitment towards enhancing value for all its stakeholders. The ethos is amply reflected by the new vision statement of your Bank ***"To be the most preferred and trusted bank enhancing value for all stakeholders".*** Accordingly, a new Mission Statement has been crafted which delineates the strategic goals for translating the vision into reality.

The credit for the growing business of your Bank goes to all my colleagues across various verticals and functions, who have committed themselves to deliver the best banking services to our customers, so that your Bank can achieve its vision of being a financial conglomerate that provides one-stop financial solutions and enhances value for all its stakeholders.

The outlook for growth of the Indian economy is indeed challenging owing to the continued stress in advanced economies. However, India remains one of the fastest growing economies in the world. For FY 2012-13, the main focus for India is to return to the high growth trajectory through appropriate policy changes to induce growth in various sectors of the economy, especially the industrial sector.

In the coming year, your Bank aims to strategically optimise business growth & profitability parameters to reflect improvement on overall basis. The focus of the strategies would be on raising low cost deposits, boost credit growth, enhance fee based income and minimize costs to enhance profitability. Concerted efforts will be undertaken to achieve Priority Sector Lending targets & sub targets. By enlarging our network and exploring various branch banking alternatives, we will continue to focus on financial inclusion. By exploring alternative sources and cross selling opportunities, your Bank would look towards enhancing its fee income. On the assets front, your Bank will adopt strategies to expand retail portfolio, while maintaining prominent position in corporate & infrastructure financing. Further, the focus would continue on improving asset

परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधारने हेतु ध्यान देना जारी रखेगा. परिचालनात्मक रणनीतियाँ कार्यान्वित करने के लिए उचित नीतिगत रणनीतियाँ बनाई जाएंगी ताकि त्वरित व व्यवस्थित तरीके से लक्ष्य हासिल किए जा सकें.

आपका बैंक यह मुकाम आपके सतत सहयोग व निष्ठा के चलते ही हासिल कर सका है. आशा है, बेहतर कल के निर्माण की दिशा में हमारे इस सफर में आगे भी आप साथ देते रहेंगे.

आपको व परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं.

आपका,

आर.एम. मल्ला

मुंबई
21 अप्रैल 2012

अध्यक्ष एवं प्रबंधनिदेशक

quality to control fresh slippages & higher recoveries. The operational strategies would be adequately backed by the policy strategies to ensure the objectives are met in a rapid and sustainable manner.

It has been possible for your Bank to attain this stature owing to your continued support and loyalty. We look forward to continuing this treasured relationship with you in our journey towards a better tomorrow.

With best wishes to you and your families,

Yours sincerely,

R.M. Malla

Mumbai
April 21, 2012

Chairman & Managing Director

हमारा संकल्प

- सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करते हुए सबसे पसन्दीदा और विश्वसनीय बैंक बनना

हमारा ध्येय

- उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन वित्तीय समाधानों की व्यापक श्रृंखला के साथ ग्राहकों को आनंदित करना
- कॉरपोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में उत्कृष्टता को बनाये रखते हुए रिटेल क्षेत्र में पहुंच बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों के जीवन से जुड़ना
- नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्य करते हुए कॉरपोरेट अभिशासन के लिए आदर्श मॉडल बनना
- कारोबार कार्यकुशलता में सुधार लाने और ग्राहक की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग करना
- कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने, विकसित करने और कर्मठ एवं प्रतिबद्ध मानव संसाधन तैयार करने के लिए सकारात्मक, सक्रिय एवं कार्य-निष्पादन आधारित कार्य-संस्कृति को प्रोत्साहित करना
- विश्व स्तर पर पहुंच को बढ़ाना
- हरित संरक्षी बैंक बनने के लिए निरंतर प्रयास करना

Our Vision

- To be the most preferred and trusted bank enhancing value for all stakeholders

Our Mission

- Delighting customers with our excellent service and comprehensive suite of best-in-class financial solutions
- Touching more people's lives with our expanding retail footprint while maintaining our excellence in corporate and infrastructure financing
- Continuing to act in an ethical, transparent and responsible manner, becoming the role model for corporate governance
- Deploying world class technology, systems and processes to improve business efficiency and exceed customers' expectations
- Encouraging a positive, dynamic and performance-driven work culture to nurture employees, grow them and build a passionate and committed work force
- Expanding our global presence
- Relentlessly striving to become a greener bank

टीम आईडीबीआई बैंक Team IDBI Bank

के.सी. जानी	एस. अनंतकृष्णन	विनय कुमार	टी.आर. बजालिया	आर.एम. मल्ला
K. C. Jani	S. Ananthakrishnan	V. Kumar	T. R. Bajalia	R. M. Malla

टीम आईडीबीआई बैंक Team IDBI Bank

बी.के. बत्रा B. K. Batra	बी. रविंद्रनाथ B. Ravindranath	आर.के. बंसल R. K. Bansal	एस.के.वी. श्रीनिवासन S. K. V. Srinivasan	एम.ओ. रेगो M. O. Rego

प्रमुख वित्तीय संकेतक... Key Financials...

आधुनिकतम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से युक्त एक चुस्त संस्था
परिणामस्वरूप आय की तुलना मे कम लागत अनुपात

Lean Organisation with Modern Technology Platform
Resulting in Low Cost-to-Income Ratio

कर्मचारी उत्पादकता (प्रति कर्मचारी लाभ)
Employee productivity (Profit Per Employee)

('000 रुपये)
(INR'000)

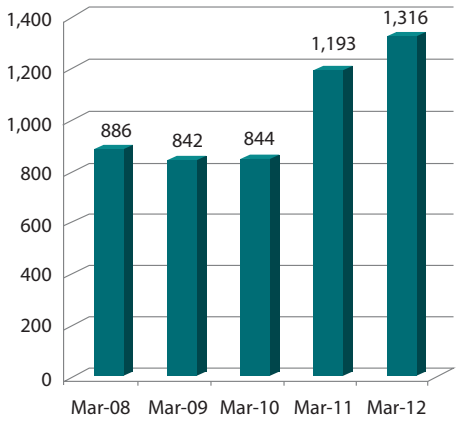

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष
Financial Year end: 31 Mar

आय की तुलना में लागत अनुपात में कमी
Low Cost-to-Income Ratio

(%)

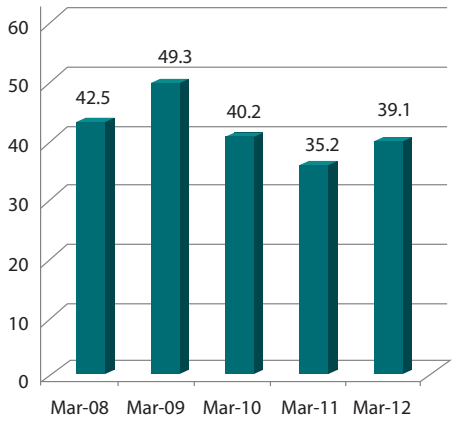

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष
Financial Year end: 31 Mar

कारोबार में जबर्दस्त वृद्धि...

Robust Growth in Business...

जमाराशियां और अग्रिम राशियां
Deposits and Advances

(बिलियन रुपये)
(INR Bn)

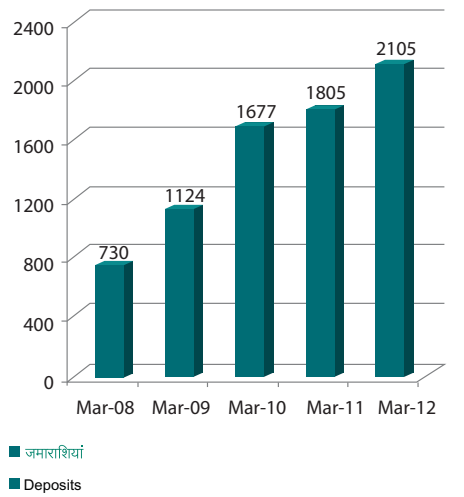

(बिलियन रुपये)
(INR Bn)

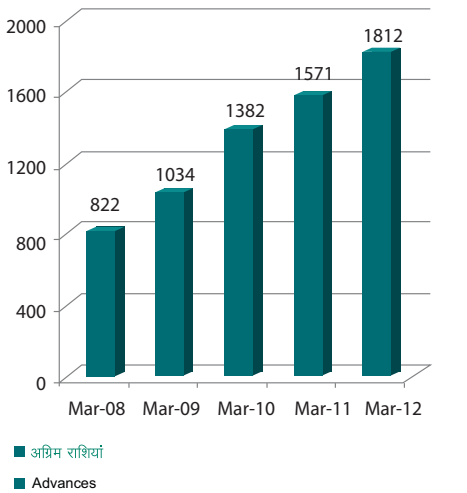

प्रमुख वित्तीय संकेतक... Key Financials...

...बढ़ती आय एवं लाभप्रदता
…Growing Income and Profitability…

कुल आय
Total Income

(बिलियन रुपये)
(INR Bn)

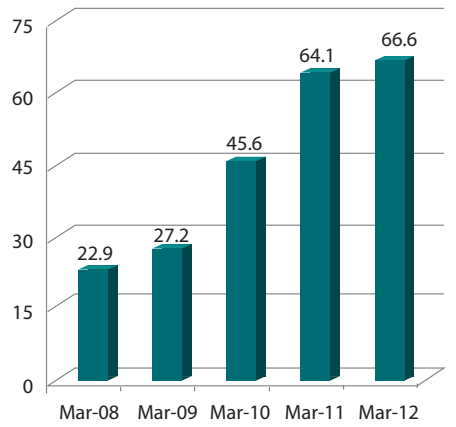

* निवल ब्याज आय+ अन्य आय
Net Interest Income + Other Income

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष
Financial Year end: 31 Mar

कर पश्चात लाभ
Profit After Tax

(बिलियन रुपये)
(INR Bn)

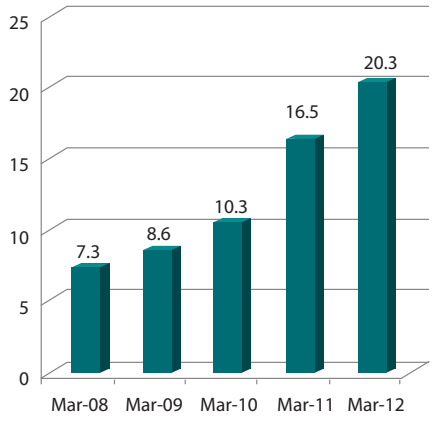

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष
Financial Year end: 31 Mar

...और सुधरते कार्य – निष्पादन सूचकांक
…and Improving Performance Indicators

निवल ब्याज मार्जिन
Net Interest Margin

(%)

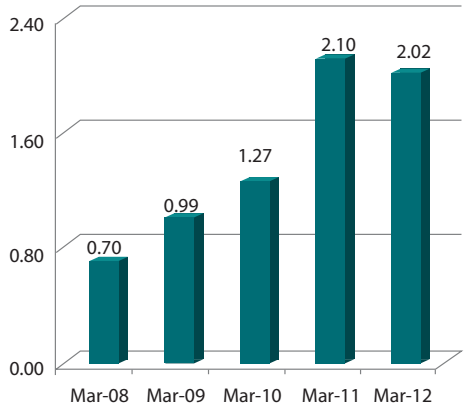

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष
Financial Year end: 31 Mar

ईक्विटी पर प्रतिलाभ
Return on Equity

(%)

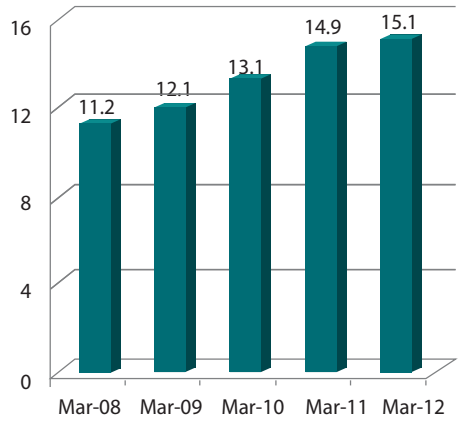

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष
Financial Year end: 31 Mar

बीता हुआ वर्ष... The year that was...

तत्कालीन माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी को अंतरिम लाभांश का चेक सौंपते हुए आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर. एम. मल्ला

Former Hon'ble Union Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee receiving the Interim Dividend Cheque from Shri R.M.Malla, CMD, IDBI Bank

आईडीबीआई बैंक और इट्जकैश द्वारा मास्टरकार्ड के साथ मिलकर फ्रीडम प्रीपेड कार्ड का शुभारंभ

IDBI Bank and ItzCash in association with MasterCard launched the Freedom Prepaid Card.

आईडीबीआई बैंक के कॉरपोरेट सेंटर में यूआईडीएआई आधार पंजीयन हेतु एक प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ

IDBI Bank launched a pilot project for UIDAI Aadhaar enrolment at the Corporate Centre.

बीता हुआ वर्ष... The year that was...

इस्तंबुल में आयोजित ऐडफिएप की 35वीं वार्षिक सभा में विकास वित्त–जनित गरीबी निवारण हेतु अवार्ड और साथ ही, सर्वोत्तम वेबसाईट अवॉर्ड प्राप्त करते हुए आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री बी. के. बत्रा

Shri B.K.Batra, DMD, IDBI Bank receiving the award for Development Finance-Led Poverty Reduction as also the Best Website Award at the 35th ADFIAP Annual Meeting in Istanbul.

कॉरपोरेट सेंटर में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह की एक झलक

Observance of Vigilance Awareness Week at Corporate Centre.

कॉरपोरेट सेंटर में आयोजित हिंदी दिवस समारोह की एक झलक

IDBI Bank celebrating Hindi Divas at the Corporate Centre

निदेशकों की रिपोर्ट
DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट : 2011-12

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के कारोबार तथा परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन में कई मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति देखी गई. सामरिक नीति में परिवर्तन करने, शाखा नेटवर्क का विस्तार करने, बेहतर ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित करने तथा विशिष्ट स्वरूप की योजनाएं तैयार करने जैसी बातों से प्रमुख लाभप्रदता संकेतकों में वृद्धि हुई. आपके बैंक ने अपनी भौगोलिक पहुँच बढ़ाकर और नवोन्मेषी योजनाएं व सेवाएं प्रदान करते हुए अपना ग्राहक आधार बढ़ाया. 31 मार्च 2012 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमशः 16.63% एवं 15.32% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,10,493 करोड़ एवं ₹ 1,81,158 करोड़ रहे. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं **तालिका 1** में प्रस्तुत की गई हैं.

तालिका 1 : वित्तीय विशेषताएं

विवरण		(₹ करोड़)
वर्ष के अंत में	**2010-11**	**2011-12**
पूंजी	984.6	1,278.4
रिज़र्व और अधिशेष	13,582.0	18,148.7
जमाराशियां	1,80,485.8	2,10,492.6
उधार राशियां	51,569.6	53,477.6
अन्य देयताएं और प्रावधान	6,754.8	7,439.9
कुल देयताएं	**2,53,376.8**	**2,90,837.2**
नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	19,559.0	15,090.2
बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय राशि	1,207.0	2,967.4
निवेश	68,269.2	83,175.4
अग्रिम	1,57,098.1	1,81,158.4
अचल और अन्य परिसंपत्तियां	7,243.5	8,445.8
कुल परिसंपत्तियां	**2,53,376.8**	**2,90,837.2**
इस अवधि में	**2010-11**	**2011-12**
कुल आय	20,684.5	25,488.7
कुल व्यय (प्रावधान छोड़कर)	16,526.6	21,432.5
प्रावधान (कर छोड़कर)	1,876.9	1,426.5
कर-पूर्व लाभ	2,281.0	2,629.7
कर के लिए प्रावधान	630.7	598.1
कर-पश्चात् लाभ	1,650.3	**2,031.6**

** वर्तमान आयकर और आस्थगित आयकर को घटाकर*

लाभ एवं विनियोग

वित्तीय वर्ष अप्रैल 2011-मार्च 2012 के दौरान आपके बैंक द्वारा अर्जित सकल आय ₹ 25,488.7 करोड़ रही, जिसमें ₹ 23,369.9 करोड़ की ब्याज आय तथा ₹ 2,118.8 करोड़ की अन्य आय शामिल है. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 18,825.1 करोड़ के ब्याज व्यय तथा ₹ 2,607.5 करोड़ के परिचालन व्यय के चलते प्रावधान व आकस्मिकताओं को छोड़कर कुल व्यय ₹ 21,432.5 करोड़ हो गया. वर्ष के दौरान कुल ₹ 2,024.6 करोड़ के प्रावधान किये गये, जिनमें अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और निवेश के लिए ₹ 591.9 करोड़, पुनर्संरचित परिसंपत्तियों के लिए ₹ 263.7 करोड, मानक परिसंपत्तियों के लिए वृद्धिशील विवेकपूर्ण प्रावधान हेतु ₹ 231.9 करोड़ तथा कर के लिए ₹ 598.1 करोड़ शामिल हैं. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपके बैंक का कर-पूर्व लाभ ₹ 2,629.7 करोड़ रहा. कराधान के लिए ₹ 598.1 करोड़ का प्रावधान करने के बाद कर-पश्चात् लाभ ₹ 2,031.6 करोड़ रहा. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर-पश्चात् लाभ का विनियोग **तालिका 2** में दिया गया है.

तालिका 2 : लाभ का विनियोग

विवरण		(₹ करोड़)
वर्ष के अंत में	**2010-11**	**2011-12**
वर्ष के लिए निवल लाभ	1,650.3	2031.6
आगे लाया गया लाभ	479.1	615.0
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	2,129.4	2646.6
विनियोग	**2010-11**	**2011-12**
सांविधिक रिज़र्व में अंतरित	413.0	507.9
पूंजी रिज़र्व में अंतरित	1.5	17.0
सामान्य रिज़र्व में अंतरित	600.0	750.0
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व में अंतरित	100.0	250.0
लाभांश		
- ईक्विटी शेयर *	344.6	388.7
- लाभांश पर कर **	55.3	60.3
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष लाभ	615.0	672.6

** ईक्विटी शेयरों पर लाभांश में 2011-12 के दौरान प्रति शेयर ₹ 2/- की दर से अदा किया गया अंतरिम लाभांश शामिल है.*

*** लाभांश पर कर में 2011-12 के दौरान अंतरिम लाभांश पर अदा किया गया कर शामिल है.*

वर्ष के दौरान ₹ 10 अंकित मूल्य के प्रत्येक शेयर के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹ 20.6 रही और मार्च 2012 के अंत में प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 137.24 रहा. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी पर 35% लाभांश (अंतरिम आधार पर अदा किए गए 20% लाभांश सहित) की सिफारिश की है.

पूंजी पर्याप्तता

आपका बैंक बासेल-II अनुपालक है और इसलिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुपालन में की जाती है. ऋण जोखिम की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है, बाजार जोखिम का निर्धारण अवधि मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति से किया जाता है और परिचालनगत जोखिम आकलन मूल संकेतक दृष्टिकोण पर आधारित है. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 810 करोड़ की नई ईक्विटी पूंजी लगाई तथा ₹ 2,130.5 करोड़ के टीयर I बाँडों को ईक्विटी में रूपांतरित किया, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2012 के अंत में सरकार की ईक्विटी धारिता बढ़कर 70.52% हो गई. रिज़र्व बैंक द्वारा कुल सीआरएआर के लिए निर्धारित 9% के मानदंड और मूल सीआरएआर के लिए निर्धारित 6% के मानदंड की तुलना में आपके बैंक का कुल सीआरएआर मार्च 2012 के अंत में 8.38% के टीयर-I सीआरएआर के साथ 14.58% रहा.

संकल्प एवं ध्येय कथन

आपके बैंक ने अपने को यूनिवर्सल वाणिज्यिक बैंक के रूप में रूपांतरित करते हुए विगत वर्षों में कई संरचनात्मक व संगठनात्मक परिवर्तन किए हैं. इस सफर में आपके बैंक ने हमेशा ही अपने अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि का ध्यान रखा है. आपके बैंक ने अपनी मौजूदा प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए नए संकल्प व ध्येय कथन निरूपित किए हैं. आपके बैंक का संकल्प कथन है ''**सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करते हुए सबसे पसन्दीदा और विश्वसनीय बैंक बनना**''. इस नए संकल्प कथन से आपके बैंक ने अपने सभी अंशधारकों के साथ एक साझा लक्ष्य निर्धारित कर लिया है.

पहले आपके बैंक का कोई अलग ध्येय कथन नहीं था, क्योंकि बैंक के संकल्प कथन में ही ध्येय अंतर्निहित था. संकल्प कथन में हुए परिवर्तन से सामंजस्य बिठाते हुए एक नए ध्येय कथन की रचना की गई, जोकि संस्था के दीर्घावधि व अल्पावधि लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. तद्नुसार आपके बैंक का ध्येय कथन है:

- **उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन वित्तीय समाधानों की व्यापक श्रृंखला के साथ ग्राहकों को आनंदित करना;**
- **कॉरपोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में उत्कृष्टता को बनाये रखते हुए रिटेल क्षेत्र में पहुंच बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों के जीवन से जुड़ना;**
- **नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्य करते हुए कॉरपोरेट अभिशासन के लिए आदर्श मॉडल बनना;**
- **कारोबार कार्यकुशलता में सुधार लाने और ग्राहक की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग करना;**
- **कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने, विकसित करने और कर्मठ एवं प्रतिबद्ध मानव संसाधन तैयार करने के लिए सकारात्मक, सक्रिय एवं कार्य-निष्पादन आधारित कार्य-संस्कृति को प्रोत्साहित करना;**
- **विश्व स्तर पर पहुंच को बढ़ाना;**
- **हरित संरक्षी बैंक बनने के लिए निरंतर प्रयास करना.**

ध्येय कथन में जो रास्ता बताया गया है उसमें सात ऐसे मूल तत्व हैं, जो इस नए संकल्प को मूर्त रूप देंगे. आपका बैंक श्रेष्ठ सेवाएं और समाधान प्रदान करने तथा नैतिक दृष्टि से उच्च स्तर बनाए रखने के लिए प्रयास करेगा. आपका बैंक एक ऐसा ज़िम्मेदार बैंक बनेगा जो अपनी सभी गतिविधियों द्वारा सामाजिक उत्थान में योगदान करता है. आपके बैंक का ध्यान सतत् प्रगति पर होगा और यह अपनी अनोखी व नवोन्मेषी योजनाओं एवं सेवाओं तथा पथ-प्रदर्शक प्रयासों के ज़रिए प्रत्येक ग्राहक को आह्लादित करना जारी रखेगा.

कारोबार रणनीति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक की रणनीति रिटेल उधारियों में आक्रामक वृद्धि करने और कासा जमाराशियाँ बढ़ाने के लिए सुपुर्दगी चैनलों को व्यवस्थित करने पर केंद्रित रही. साथ ही आपके बैंक ने कॉरपोरेट बैंकिंग और निवेश बैंकिंग के क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व कायम रखा ताकि कॉरपोरेट क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें. आपके बैंक की सभी योजनाओं व सेवाओं की हर वर्ग के ग्राहकों को परस्पर बिक्री भी की गई ताकि उनसे सुदीर्घ व स्थायी संबंध बनाए जा सकें. वर्ष के दौरान आपके बैंक की रणनीति के फलस्वरूप विभिन्न लाभप्रदता मानदंडों में सुधार हुआ. विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कारोबारी स्थिति को सुदृढ़ किया गया ताकि मौजूदा उद्योग मानदंडों पर खरा उतरा जा सके.

प्रमुख कारोबारी पहल कार्य

आपके बैंक ने नई पीढ़ी के पूर्ण सेवावाले वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्वयं को स्थापित करने के अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक अधिक संतुलित कारोबार संमिश्र सुगम बनाने के लिए उत्तरोत्तर एक

व्यापक खुदरा कारोबार पोर्टफोलियो के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा है. इसके अलावा दीर्घावधि आधार पर निरंतर संवृद्धि के लिए मजबूत नींव रखने तथा सांविधिक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से आपके बैंक ने अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उधारियों के लिए पोर्टफोलियो बनाने की दिशा में पहल की. आपका बैंक कॉरपोरेट वित्त के क्षेत्र में विगत लगभग पाँच दशकों से अग्रणी रहा है. आपके बैंक ने कॉरपोरेट बैंकिंग पर अपना ध्यान लगाए रखा और अपनी योजनाओं व सेवाओं की परस्पर बिक्री पर विशेष जोर दिया. आपके बैंक ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर वसूली को बढ़ाते हुए सरकारी कारोबार के क्षेत्र में अपनी पैठ और भी गहरी की.

आपका बैंक रिटेल बैंकिंग खंड के ग्राहकों की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देयता, परिसंपत्ति, पूँजी बाजार और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की विविध योजनाएं पेश करता है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने प्री-पेड कार्ड के क्षेत्र में कई नए प्रोडक्ट शुरू किए. आपके बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ मिलकर नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) नेटवर्क पर सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एटीएम नेटवर्क का उपयोग करने का एक प्रोजेक्ट आरंभ किया है. इससे सहकारी बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने खातेधारकों को एटीएम कार्ड जारी कर उन्हें एनएफएस से जोड़ सकेंगे और वे देश भर में 84,000 से अधिक एटीएमों का उपयोग कर सकेंगे.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने पात्र छात्रों को शैक्षणिक ऋण प्रदान करने के लिए देश भर की कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. आपका बैंक अजा / अजजा एवं अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को अतिरिक्त रियायत प्रदान करता है.

आपके बैंक ने अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं वर्षों पहले अक्टूबर 2001 में शुरू कर दी थीं. तबसे इस चैनल का दायरा उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया है और अब इसमें कई मूल्य-वर्धित सेवाएं जुड़ चुकी हैं. इंटरनेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से की जानेवाली ऑनलाइन ख़रीदारी / ई-वाणिज्य को फिशिंग से जुड़ी धोखाधड़ियों से बचाने के लिए दिसंबर 2011 में बैंक ने ऑनलाइन शॉपिंग पासवर्ड (ओएसपी) सुरक्षा फीचर शुरू किया. आपके बैंक ने रिटेल नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पासवर्ड-जनरेशन सुविधा शुरू की है ताकि वे अपनी ओर से तुरंत लॉगिन कर लेन-देन पासवर्ड सृजित कर सकें तथा अपनी एक्सिस प्रोफाइल भी सेट कर सकें.

गुजरात राज्य की चार तालुकाओं में वित्तीय समावेशन परियोजना के तहत आपके बैंक ने अन्य कार्यों के साथ-साथ 'रुपय' प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से बनाया गया को-ब्रांडेड फोटो एटीएम कार्ड प्रवर्तित किया. इस कार्ड का उपयोग आपके बैंक के अलावा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के सदस्य बैंकों के एटीएमों पर भी लेन-देन हेतु किया जा सकता है.

आपका बैंक एमएसई ग्राहकों की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सदैव प्रयासरत रहा है और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक उत्पाद विकसित किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपके बैंक ने एमएसई व्यापारियों की चलनिधि स्थिति बढ़ाने के लिए 'लाइन ऑफ क्रेडिट टू वेंडर्स ऑफ कॉरपोरेट्स' योजना शुरूकी. एमएसई ग्राहकों को अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने व व्यावसायिक अवसरों को हासिल करने के लिए वित्तीय संस्थाओं, बैंकों व कॉरपोरेटों से आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करने के लिए क्रेडिट रेटिंग के बढ़ते महत्व को देखते हुए आपके बैंक ने एमएसई ग्राहकों के लिए अधिमान्य दरों पर क्रेडिट रेटिंग देने के लिए क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि. (केयर)के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.

आपके बैंक ने कर वसूली क्षमता में बढ़ोत्तरी लाने और ई-गवर्नेंस लागू करने के सरकार के दोहरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म कार्यान्वित किया है. आपके बैंक ने देश भर के 103 इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) में सीमा शुल्क के संबंध में ऑनलाइन भुगतान की सेवा जनवरी 2012 में आरंभ की. इसके चलते अब करदाता अपने केंद्रीय कर व शुल्क संबंधी सभी भुगतान आईडीबीआई बैंक के जरिए करने लगे हैं. इस प्रकार ऑनलाइन कर भुगतान के जरिए राजकोष के कर अभिदान में वृद्धि करने के मामले में आपका बैंक भारत सरकार का महत्वपूर्ण एजेंट बन गया है.

आपका बैंक देश का ऐसा पहला बैंक है, जिसने सरकारी प्रतिभूतियों के रिटेल निवेशकों के लिए इंटरनेट आधारित पोर्टल शुरू किया है. 'आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक' नामक इस पोर्टल को निवेशक वर्ग से अच्छा प्रतिसाद मिला है. आपके बैंक की इस अनुसरणीय पहल से निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से मिलने वाले सुरक्षित, नकद और जोखिम रहित प्रतिलाभ प्राप्त करने का अवसर मिला है.

आपका बैंक डिम सुम मार्केट में प्रवेश करनेवाली भारत की ही नहीं, बल्कि अन्य उभरते बाजारों की भी पहली संस्था बन गई है. नवंबर 2011 में आपके बैंक ने 4.5% की नियत ब्याज दर पर 3 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले 650 मिलियन रेनमिन्बी (आरएमबी) राशि के डिम सुम बॉंड जारी किए. इस निर्गम से वैश्विक नियत आय निवेशकों का आपके बैंक के प्रति विश्वास प्रमाणित होता है.

संगठनात्मक संरचना

आपके बैंक ने संगठनात्मक संरचना को सुदढ़ करने पर जोर देना जारी रखा, जिसके तहत ग्राहक से संबंध और सेवा को ही बैंकिंग का सार माना जाता है. तद्नुसार आपका बैंक वर्तमान में ''ग्राहक संकेंद्रित वर्टिकल'' मॉडल के अनुरूप गठित है, जोकि बेहतर सेवाएं मुहैया कराने में सक्षम है. इस मॉडल से ग्राहक संपर्क प्रबंध बढ़ाने, ऋण वितरण में सुधार लाने और उपयुक्त व लाभदायक कारोबार की ओर ध्यान देने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है.

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान विशेष कॉरपोरेट शाखाओं सहित 157 नई शाखाएं खोली गईं जिससे 31 मार्च 2012 को देशी शाखाओं की संख्या 972 तक पहुँच गई. इसके अलावा डीआईएफसी, दुबई में एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा भी है. देशी शाखा नेटवर्क में 264 महानगरीय शाखाएं, 377 शहरी शाखाएं, 236 अर्ध-शहरी शाखाएं तथा 95 ग्रामीण शाखाएं हैं.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 1956 और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों से शासित होता है और यह स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार में वर्णित एक अच्छे कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं को पूरा करता है. बोर्ड स्वयं और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

31 मार्च 2012 को आपके बैंक के बोर्ड में छः निदेशक थे, जिनमें दो कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशक सहित), एक गैर-कार्यपालक निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक थे. आपके बैंक के बोर्ड का कोई भी निदेशक बैंक के बोर्ड के किसी अन्य निदेशक से किसी भी रूप में संबद्ध नहीं है.

शीर्ष समितियां

बोर्ड की कुल आठ समितियां अर्थात् कार्यपालक समिति, लेखापरीक्षा समिति, शेयरधारक/ निवेशक शिकायत निवारण समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, जोखिम प्रबंध समिति, ग्राहक सेवा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति और पारिश्रमिक समिति हैं, जो बैंक के कारोबार और परिचालन से संबद्ध विभिन्न कामकाजी पहलुओं का निरीक्षण करती है.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक की यह मान्यता है कि उचित कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ नियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बल्कि शेयरधारिता मूल्य में वृद्धि के लिए एक सुसाध्य कारक भी है. आपके बैंक में अपनाई जा रही कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत कथन

ऐसा कोई कार्मिक पूरे वर्ष बैंक की सेवा में नहीं रहा जिसे ₹ 60 लाख से अधिक वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष की किसी आंशिक अवधि के लिए ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे बैंक की सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह ₹ 5 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अपनाने से संबंधित अधिनियम की धारा 217 (1) (ई) के प्रावधान आपके बैंक पर लागू नहीं होते हैं.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्द्वारा यह घोषणा और पुष्टि करता है कि :

क) लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है. साथ ही तात्त्विक रूप से अनुसरण न किये गये मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें सुसंगत रूप से प्रयुक्त किया है तथा ऐसे निर्णय लिए एवं अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि लेखा वर्ष के अंत में आपके बैंक की स्थिति और इसी अवधि में आपके बैंक के लाभ अथवा हानि की सही एवं उचित तस्वीर पेश की जा सके;

ग) निदेशकों ने आपके बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए विनियामक प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ) निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर लेखे तैयार किये हैं.

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और अन्य सभी सांविधिक / विनियामक प्राधिकरणों को उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है. निदेशक मंडल राज्य सरकारों और अन्य बैंकिंग / वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतरर्राष्ट्रीय बैंकों / संस्थाओं से समय-समय पर मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. बोर्ड अपने सभी शेयरधारकों और ग्राहकों को भी वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आने वाले वर्षों में भी उनसे निरंतर सहयोग की आशा करता है. वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. बैंक के प्रयत्नों को मिली सराहना के लिए बोर्ड इन सभी संगठनों/ एजेंसियों का आभारी है. निदेशक मंडल अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और आपके बैंक के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता है.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 अप्रैल 2012

आर.एम. मल्ला
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Directors' Report : 2011-12

The Board of Directors of your Bank takes pleasure in presenting its Report on the business and operations of your Bank for the financial year ended March 31, 2012.

During the financial year 2011-12, the performance of your Bank has shown considerable growth on different fronts driven by strategic policy initiatives; expansion in branch network, focus on improved customer service delivery, superior product characteristics, which has resulted in improvement in key profitability indicators. Your Bank was able to widen its customer base both by expanding its outreach, as also by providing a range of innovative products and services. As on March 31, 2012 aggregate deposits and advances of your Bank touched ₹ 2,10,493 crore and ₹ 1,81,158 crore reflecting a growth of 16.63% and 15.32%. The Performance highlights of your Bank for the period under review are presented in **Table 1.**

Table 1 : Financial Highlights

Particulars		**(₹ in Crore)**
As at year-end	**2010-11**	**2011-12**
Capital	984.6	1,278.4
Reserves & Surplus	13,582.0	18,148.7
Deposits	1,80,485.8	2,10,492.6
Borrowings	51,569.6	53,477.6
Other Liabilities & Provisions	6,754.8	7,439.9
Total Liabilities	**2,53,376.8**	**2,90,837.2**
Cash & Balances with RBI	19,559.0	15,090.2
Balances with Banks and Money at Call & Short Notice	1,207.0	2,967.4
Investments	68,269.2	83,175.4
Advances	1,57,098.1	1,81,158.4
Fixed & Other Assets	7,243.5	8,445.8
Total Assets	**2,53,376.8**	**2,90,837.2**
For the period	**2010-11**	**2011-12**
Total Income	20,684.5	25,488.7
Total Expenses (other than provisions)	16,526.6	21,432.5
Provisions (other than tax)	1,876.9	1,426.5
Profit Before Tax	2,281.0	2,629.7
Provision for Tax*	630.7	598.1
Profit After Tax	1,650.3	**2,031.6**

** Net of Current Income Tax and Deferred Income Tax*

Profit and Appropriations

During the financial year April 2011 - March 2012, gross income of your Bank increased to ₹ 25,488.7 crore with contribution of interest income at ₹ 23,369.9 crore and other income at ₹ 2,118.8 crore. Interest expenses of ₹ 18,825.1 crore and operational expenses of ₹ 2,607.5 crore, led to total expenditure, excluding provisions and contingencies, of ₹ 21,432.5 crore during FY 2011-12. Total provisions during the year were at ₹ 2,024.6 crore, which includes ₹ 591.9 crore towards provision for bad & doubtful debts and investments, ₹ 263.7 crore towards restructured assets, ₹ 231.9 crore towards incremental prudential provisions for standard assets, and ₹ 598.1crore towards tax. The Profit before Tax (PBT) of your Bank during the FY 2011-12 stood at ₹ 2,629.7 crore. After making a provision of ₹ 598.1 crore towards taxation, Profit after Tax (PAT) amounted to ₹ 2,031.6 crore. The appropriation of PAT as approved by the Board of Directors is given in **Table 2**.

Table 2 : Appropriation of Profits

Particulars		**(₹ in Crore)**
As at year-end	**2010-11**	**2011-12**
Net Profit for the year	1,650.3	2,031.6
Profit brought forward	479.1	615.0
Profit available for Appropriations	2,129.4	2,646.6
Appropriations	**2010-11**	**2011-12**
Transferred to Statutory Reserve	413.0	507.9
Transferred to Capital Reserve	1.5	17.0
Transferred to General Reserve	600.0	750.0
Transferred to Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961	100.0	250.0
Dividend		
- Equity Shares*	344.6	388.7
- Tax on Dividend**	55.3	60.3
Balance of Profit carried to Balance Sheet	615.0	672.6

**Dividend on equity shares includes interim dividend of ₹ 2/- per share paid during 2011-12.*

***Tax on dividend includes tax on interim dividend paid during 2011-12.*

For each share with face value of ₹ 10, Earning Per Share (EPS) during the year stood at ₹ 20.6 and Book Value Per Share stood at ₹ 137.24 as at end-March 2012. The Directors have pleasure in recommending dividend at 35% (including 20% paid on interim basis) on the fully paid-up equity share capital for the financial year 2011-12.

Capital Adequacy

Your Bank is Basel-II compliant and the Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) is computed in adherence to norms prescribed by RBI in this regard. Credit Risk is computed using the Standardised Approach, Market Risk is measured by using Duration Standardised Approach and Operational Risk measure is Basic Indicator Approach. During FY 2011-12, the equity shareholding of Government of India has increased to 70.52% as at end-March 2012 through infusion of fresh equity capital to the extent of ₹ 810 crore and conversion of Tier I Bonds of ₹ 2,130.5 crore into equity. Against the stipulated RBI norm of 9% for total CRAR and 6% for core CRAR, your Bank's total CRAR worked out to 14.58 % with Tier-I CRAR of 8.38 % as at end-March 2012.

Vision and Mission Statement

Over the years, your Bank has undergone a number of structural and organizational changes while transforming itself into a universal commercial bank. The journey of your Bank has always encompassed enhancing value for all its stakeholders. In order to reflect of the current ethos of your Bank, new Vision and Mission Statement have been crafted. The new vision statement of your Bank is ***"To be the most preferred and trusted bank enhancing value for all stakeholders".*** With the new vision statement, your Bank has formalized a goal to share a common dream with all the stakeholders of the Bank.

Previously, there was no separate Mission statement as the Vision statement itself incorporated the mission of the Bank. Also, in consonance with the change in the Vision Statement, a new Mission statement was crafted, in line with the organization's long-term and short-term goals. Accordingly, the mission statement of your Bank is:

- ***Delighting customers with our excellent service and comprehensive suite of best-in-class financial solutions;***
- ***Touching more people's lives with our expanding retail footprint while maintaining our excellence in corporate and infrastructure financing;***
- ***Continuing to act in an ethical, transparent and responsible manner, becoming the role model for corporate governance;***
- ***Deploying world class technology, systems and processes to improve business efficiency and exceed customers' expectations;***
- ***Encouraging a positive, dynamic and performance-driven work culture to nurture employees, grow them and build a passionate and committed work force;***
- ***Expanding our global presence;***
- ***Relentlessly striving to become a greener bank.***

The mission statement which charts the route map has seven key elements which will make the new vision come to reality. Your Bank will strive to provide best in class services and solutions, and maintain high standards of ethical values. Your Bank will be a responsible bank that contributes to social sustainability in all its activities. The focus of your Bank would be on continuous growth and it will continue to delight every customer by its unique and innovative products and services and pioneering efforts.

Business Strategy

Your Bank's strategy during the year under review focused on aggressive growth in Retail lending and repositioning of delivery channels to realize higher CASA deposits. At the same time, your Bank sought to maintain its leadership position in the corporate banking and investment banking space, so as to meet the requirements of the corporate sector. Specific focus was laid on cross selling of your Bank's entire product and service offerings across the entire range of customers, so as to build sustainable and stable relationships. Your Bank's strategy during the year resulted in improvement in various profitability parameters and consolidated its business position across various benchmarks, so as to bring them more in line with the prevailing industry standards.

Key Business Initiatives

Your Bank continued to target a progressively larger retail business portfolio to facilitate a more balanced business mix, in keeping with its intended positioning as a full-service new generation commercial bank. Further, in order to build a strong foundation for sustainable growth on long term basis, as also ensure compliance with regulatory norms, your Bank took initiatives to build up its priority sector lending portfolio. Your Bank has been a pioneer in the field of Corporate Finance for the last nearly five decades. Your Bank has maintained its focus on corporate banking and laid specific emphasis on cross-selling of your Bank's diverse range of products and services. Your Bank increased substantially its presence in government business and enabled higher direct and indirect tax collections.

Your Bank offers a bouquet of Liability, Asset, Capital Market and Third Party products aimed at meeting the customized needs of customers in the Retail Banking segment. Your Bank introduced a number of products in the pre-paid cards arena during the year under review. Your Bank has initiated a project on facilitating usage of ATM network to Co-operative Banks and RRBs on National Financial Switch (NFS) network in association with National Payments Corporation of India (NPCI). This would enable Co-operative Banks and RRBs to issue ATM cards to their account holders and get connected to the NFS network to have access to more than 84,000 ATMs across India.

Your Bank entered into MOUs with several reputed educational institutions across India for granting educational loans to eligible students during the year. Your Bank is also offering additional concessions to girl students from SC/ST and Minority communities.

Your Bank had launched its Internet Banking services way back in October 2001. Since then, the ambit of this channel has progressively broadened to include several value-added services**.** Keeping in view the need to secure online shopping/e-commerce based transactions initiated through the internet banking channel from phishing related frauds, an Online Shopping Password (OSP) security feature has been introduced by the Bank from December 2011. Your Bank also introduced an online password-generation facility for the Retail Net Banking customer, to instantly create their own login and transaction password and also set their access profile.

As part of a Financial Inclusion project in four Talukas of Gujarat, your Bank has, *inter alia,* launched a specially designed Co-branded Photo ATM Card on 'Rupay' Platform. The Card can be used for ATM transactions at your own as well as other Bank ATMs that are members of National Payment Corporation of India (NPCI).

Your Bank has constantly endeavored to cater to the diverse needs of its MSE clients and has continuously been developing customized MSE products. During FY 2011-12, your Bank introduced a new product, viz., "Line of Credit to Vendors of Corporates" that augments the liquidity position of MSE vendors. Considering the growing importance of credit rating for MSE clients, which enhances the confidence in MSEs while dealing with financial institutions, banks and corporates for their financial needs and business opportunities, your Bank signed an MoU with Credit Analysis and Research Ltd. (CARE) for credit rating of the MSE customers at preferential rate.

Your Bank has put in place a state-of-the-art Technology Platform which is supporting the Government's dual objective of improvement of tax collection efficiency and e-governance. Your Bank had gone live in January 2012 in providing online duty payment services in respect of Customs Duty for all the 103 Electronic Data Interchange (EDI) locations across the country. With this development, taxpayers are now in a position to route all of their Central Taxes and Duties payments through IDBI Bank, making your Bank an important Agent in its pursuit of partnering the Government of India in enabling online tax payments and enhancing the tax contribution to the Exchequer.

Your Bank became the first ever Bank in the country to launch an internet based portal dedicated to retail investors in Government Securities. The portal, named "IDBI Samriddhi G-Sec" has been received favourably by the investor class. This trend setting initiative by your Bank offers retail investors the opportunity to benefit from the safety, liquidity and risk free returns that Government Securities offer.

Your Bank became the first entity from India as also other emerging markets to access foreign currency funds in the Dim Sum Market. In November 2011, your Bank raised Renminbi (RMB) 650 million 4.5% fixed rate Dim Sum Bonds for 3 year maturity. This issue provides testimony to the faith reposed by global fixed income investors in your Bank.

Organizational Structure

Your Bank has continued its thrust on improving organizational structure, which places customer relationship and service at the centre of all banking initiatives. Accordingly, your Bank is currently organized on the lines of "customer focused vertical" model, capable of delivering improved services. The model has achieved significant success in enhancing customer relationship management, improving credit delivery and bringing sharper focus to business lines which are sustainable and remunerative.

With the addition of 157 branches during FY 2011-12, including Specialized Corporate Branches, the total number of domestic branches went up to 972 as on March 31, 2012 in addition to one overseas branch at DIFC, Dubai. Of the domestic branch network, 264 are located in metropolitan centres, 377 in urban centres, 236 in semi-urban centres and 95 in rural centres.

Board of Directors

Your Bank's Board of Directors is broad based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 1956, the Articles of Association of the Bank and satisfies the requirements of good corporate governance as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges. The Board functions

directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in important functional areas of the Bank.

As on March 31, 2012, the Board of Directors of your Bank comprised of six Directors with two Executive Directors (including the Chairman & Managing Director and the Deputy Managing Director), one Non Executive Director and three Independent Directors. No Director on the Board of your Bank is in any way related to any other Director on the Board of the Bank.

Apex Committees

The Board has in all eight committees, viz., Executive Committee, Audit Committee, Shareholders'/Investors' Grievance Committee, Frauds Monitoring Committee, Risk Management Committee, Customer Service Committee, Information Technology Committee and Remuneration Committee, to oversee various functional aspects of the Bank's business and operations.

Corporate Governance

Your Bank is committed to adopting the best practices in the area of corporate governance. Your Bank believes that proper corporate governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for enhancement of stakeholders' value. The details of corporate governance practices followed in your Bank are given in this Annual Report as a separate section under the Management Discussion and Analysis.

Statement under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956

There were no personnel in the services of the Bank for the whole year, who were in receipt of remuneration of over ₹ 60 lakh per annum. Further, there were no personnel, who were in the service of the Bank for part of the year, received remuneration in excess of ₹ 5 lakh per month for the period they were in the service of the Bank.

The provisions of Section 217(1) (e) of the Act relating to conservation of energy and technology absorption do not apply to your Bank.

Directors' Responsibility Statement

The Board of Directors hereby declares and confirms that:

a. in the preparation of accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departure;

b. the Directors had adopted such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of your Bank at the end of accounting year and of the profit or loss of your Bank for that year;

c. the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the regulatory provisions, for safeguarding the assets of your Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d. the Directors had prepared the accounts on a going concern basis.

Acknowledgements

The Board of Directors of your Bank expresses its sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) and all other Statutory/ Regulatory Authorities for their valuable co-operation and guidance. The Board also acknowledges the co-operation and support rendered by various State Governments and other banking/financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their periodic support. The Board takes this opportunity to thank all its shareholders and customers for extending their support during the year and looks forward to their continued association in the years ahead. During the financial year, the Bank has received various recognitions and accolades for its excellence in banking domain. The Board indeed is thankful to all such organizations/agencies for their appreciation of the Bank's efforts. The Board appreciates the sincere and devoted services displayed by its entire staff and highly values their commitment in improving your Bank's performance.

Place : Mumbai
Date : April 21, 2012

R. M. Malla
Chairman & Managing Director

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेशण

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावनाएं आर्थिक पुनरुत्थान के नाजुक स्वरूप को प्रतिबिम्बित करते हुए गिरावट के पर्याप्त जोखिम के साथ मंद रहीं. हालांकि यूएसए तथा जापान में आर्थिक सुधारों को गति मिली, तथापि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उच्च स्तर का घाटा बना रहा. संप्रभु ऋण संकट में तेजी और यूरो जोन क्षेत्र में हल्की मंदी ने व्यापार, वित्त तथा विश्वास चैनलों के माध्यम से उन्नत तथा विकासशील, दोनों बाजारों की आर्थिक संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला. मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रीका में राजनीतिक हलचल से ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी आयी है जिससे खाद्य की वैश्विक कीमतों में वृद्धि हुई है. उभरते तथा विकासशील बाजारों में बढ़ते स्फीतिकारी दबावों के चलते उनकी वृद्धि की गति नरम पड़ गयी है.

ऋण दशाओं में कड़ाई, यूरोपीय बैंकों के साख विस्तार में कमी, पुनर्वित्तपोषण जोखिमों तथा वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिमों के आविर्भाव के परिणामस्वरूप वैश्विक वित्तीय बाजारों में मंदी व्याप्त रही. उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी अंतर्वाह में तीव्र उलटाव का सामना करना पड़ा, साथ ही स्फीतिकारी दबावों पर अंकुश लगाने की दिशा में मौद्रिक नीतिगत कड़ाई के चलते निधीयन लागतों में वृद्धि का भी सामना करना पड़ा. दीर्घकालिक सुधारों से विश्व व्यापार काफी प्रभावित हुआ. विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लागू किये गये राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों तथा राजकोषीय मितव्ययिता उपायों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने से भी मध्यम से दीर्घावधि में वृद्धि संभावनाओं पर और प्रभाव पड़ने की आशंका है.

देशी आर्थिक परिदृश्य

विगत दो वर्षों में 8.4% की जोरदार जीडीपी वृद्धि दर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान वास्तविक वृद्धि दर घटकर 6.5% हो गई. उच्च तथा सतत् स्फीतिकारी दबाव, जो एक हद तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सामान्य हो गए, उनके चलते मौद्रिक नीति में कड़ाई आवश्यक हो गयी जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश तथा औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. वृद्धि दर में सुधार की मंथर गति का प्रमुख कारक बचत तथा निवेश दरों में गिरावट है. चालू खाता शेष में वृद्धि और पूंजी प्रवाह में गिरावट के चलते रुपये का तीव्र मूल्यह्रास हुआ है. राजस्व व्यय और सब्सिडी भार में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% हो जाने से राजकोषीय स्थिति कमजोर हो गयी है.

संपदा क्षेत्र

सकल देशी उत्पाद (जीडीपी)

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के संशोधित अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि गति में मंदी दिखाई दे रही है, जोकि पिछले नौ वर्षों में दर्ज की गई सबसे धीमी वृद्धि है. पिछले दो वर्षों के दौरान जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.4 % थी, वह वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान संकुचित होकर 6.5% रह गई है. इस गिरावट की मुख्य वजह देशी संरचनात्मक तथा चक्रीय कारकों के साथ वैश्विक अनिश्चितता रही है. भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी के दौर में काफी समुत्थानशील रही, लेकिन गिरावट से स्वयं को पूरी तरह से बचा नहीं सकी. जीडीपी के क्षेत्र-वार अलग-अलग विवरण में विगत समय में काफी परिवर्तन आया है. चालू आंकड़े समग्र जीडीपी में सेवा क्षेत्र का बढ़ता योगदान दर्शाते हैं. सेवा क्षेत्र का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2010-11 के 58% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2011-12 में 59% हो गया. जबकि औद्योगिक उत्पादन का हिस्सा सिकुड़कर जीडीपी का 27% रह गया और कृषि क्षेत्र का हिस्सा 14% रहा. सेवा क्षेत्र, समग्र जीडीपी में बढ़ते हुए हिस्से के साथ वृद्धि का प्रमुख संवाहक रहा. तथापि, तेजी के बावजूद इस क्षेत्र में वृद्धि की रफ्तार धीमी रही. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गये कड़े मौद्रिक उपायों से आर्थिक वृद्धि मंद हुई है, घरेलू मांग कम हुई है और अर्थव्यवस्था में निवेश तथा औद्योगिक कार्यकलाप कम हुए हैं. तथापि, राजकोषीय स्थिति सुनिश्चित करने में नीति निर्माताओं का ध्यान अर्थव्यवस्था को संकट-पूर्व उच्च वृद्धि की पटरी पर वापस लाने पर होगा.

औद्योगिक परिदृश्य

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार आकलित औद्योगिक वृद्धि दर में संकटोत्तर अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्ज की गयी. अमेरिकी तथा यूरोपीय देशों में कमज़ोर आर्थिक सुधार और निष्क्रिय देशी कारोबारी धारणाओं से चालू वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि प्रभावित हुई. कड़े मौद्रिक उपायों, बढ़ती निविष्टि लागतों, विशेषकर खनन क्षेत्र में आपूर्ति - पक्ष की अड़चनों और निवेश मांग में नरमी के चलते औद्योगिक उत्पादन मंद रहा. समग्र रूप में अप्रैल - मार्च 2012 के दौरान वृद्धि दर विगत वर्ष की अनुरूपी अवधि की 8.2% की तुलना में 2.8% थी. उपयोग - आधारित श्रेणी में समग्र कार्य-निष्पादन कंपनियों द्वारा अर्थव्यवस्था में पूंजीगत माल क्षेत्र में निवेश दर्शाता है और साथ ही जैसाकि उपभोक्ता माल क्षेत्र द्वारा प्रतिबिम्बित होता है, उपभोक्ताओं की ओर से अनिच्छा के कारण अर्थव्यवस्था में मंद मांग भी दर्शाता है.

रेखाचित्र 1: आईआईपी की खंडवार वृद्धि (%)

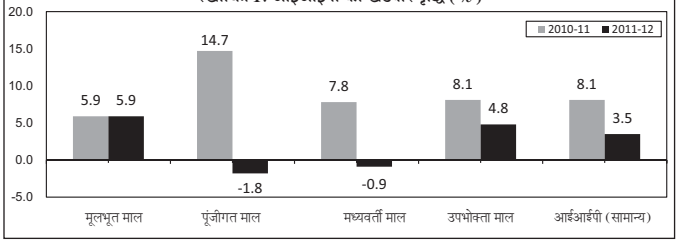

मुद्रास्फीति

भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले दो वर्षों से उच्च स्फीतिकारी दबावों से जूझ रही है. सभी प्रमुख नीतिगत उपाय मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की दिशा में तैयार किये गये हैं जो रिज़र्व बैंक के सुविधाजनक स्तर से काफी ऊंची रही है. वृद्धि तथा मुद्रास्फीति गति के बीच संतुलन बिठाना सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष अत्यंत कठिन कार्य रहा है. थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति मुख्यतः खाद्य मुद्रास्फीति द्वारा संचालित

रही जिसका कुल थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में 14.3% भार है. समस्या उस समय बढ़ गयी जब खाद्य मुद्रास्फीति खाद्येतर मुद्रास्फीति (मूल मुद्रास्फीति) तक फैल गयी जिसके लिए प्रमुख नीतिगत कार्रवाई आवश्यक हो गई. रिज़र्व बैंक ने प्रभावी मौद्रिक नीतिगत हस्तक्षेप द्वारा एक तत्पर भूमिका अदा की है. मार्च 2010 से तेरह बार मौद्रिक नीति में कड़ाई की गयी जिससे नीतिगत ब्याज दर में 375 आधार बिंदु की वृद्धि हुई है. मौद्रिक नीति में कड़ाई का विलंबकारी प्रभाव दिसंबर 2011 और जनवरी 2012 में महसूस किया गया जब थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति लगभग 24 महीने तक दो अंकों के आसपास बनी रहने के बाद घट गयी. प्रमुख मुद्रास्फीति भी मार्च 2012 महीने में घटकर 6.89% हो गयी जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष की अनुरूपी अवधि में यह 9.68% थी. तथापि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से जोखिम और रुपये के मूल्यह्रास के विलंबकारी पास - थ्रू के प्रभाव, ऊर्जा एवं उर्वरक में दमित मुद्रास्फीति और संभावित राजकोषीय फिसलन से भारी आशंका बनी हुई है. इसके अलावा, उत्पाद शुल्क और सेवा कर में वृद्धि और ईंधन एवं उर्वरक सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने से स्फीतिकारी दबाव पुनः उत्तेजित हो सकते हैं. कच्चे तेल की अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी घरेलू मुद्रास्फीति के लिए भारी जोखिम प्रस्तुत करती हैं.

चलनिधि और ब्याज दरें

भारतीय बैंकिंग प्रणाली पूरे वर्ष के दौरान चलनिधि के घाटे की स्थिति में रही. संरचनात्मक मुद्दों के चलते बैंकिंग प्रणाली में घाटा दिसंबर 2011 तक बढ़कर ₹ 1 लाख करोड़ हो गया और फिर 31 मार्च 2012 को बढ़कर ₹ 2 लाख करोड़ (लगभग) के चरम स्तर पर पहुंच गया. रिज़र्व बैंक ने चलनिधि पर दबाव को कम करने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खुले बाजार परिचालन (ओएमओ), नकदी प्रारक्षित अनुपात में कमी और बैंकों को उनकी आधिक्य सांविधिक चलनिधि अनुपात धारिताओं पर सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने की अनुमति देने जैसे उपाय शुरू किये. मुख्यतः उच्च मुद्रास्फीति के कारण प्रतिकूल बाजार दशाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाये गये परिणामी मौद्रिक कड़ाई उपायों, सरकार द्वारा घोषित अतिरिक्त बाजार उधारियों, यूरो क्षेत्र सॉवरिन संकट से उत्पन्न कारकों और चलनिधि की स्थिति बिगड़ने से बांड बाजार में अस्थिरता आयी और बांड प्रतिफल में वृद्धि हुई.

विदेशी मुद्रा भंडार और विनिमय दरें

31 मार्च 2012 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 294.4 बिलियन यूएस डालर रहा जो मार्च 2011 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में 10.4 बिलियन यूएस डालर कम है. विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये का तीव्र मूल्यह्रास और चालू खाता घाटे के बढ़ जाने तथा पूंजी अंतर्वाह में गिरावट के कारण भुगतान संतुलन पर दबाव है. विदेशी मुद्रा बाजार में बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से उत्पन्न काफी अस्थिरता देखी गयी. हालांकि यूएस डालर - भारतीय रुपये की विनिमय दर वर्ष के प्रारंभ में सामान्यतः स्थिर रही, लेकिन जब यूरो क्षेत्र का संकट गहराया और विदेशी निवेशकों में जोखिम से बचने की भावना उत्प्रेरित हुई तो भारतीय अर्थव्यवस्था से पूंजी निकालने की प्रवृत्ति देखी गयी. तेल की आपूर्ति में अनिश्चितता, निर्यात की मात्रा में गिरावट, कठोर मुद्रास्फीति और फैक्टरी उत्पादन में गिरावट के चलते रुपये का तीव्र मूल्यह्रास हुआ.

भावी संभावना

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति नवीकृत वैश्विक आर्थिक मंदी द्वारा तीव्र रूप से प्रभावित हुई. यूरो क्षेत्र संकट, मंद घरेलू आर्थिक स्थितियों के साथ अमेरिका में मंदी जैसे अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में तेजी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. मुद्रास्फीति का प्रबंधन सरकार के सभी नीतिगत उपायों का केंद्र-बिंदु रहा है. यह कठोर मौद्रिक परिदृश्य में परिणत हुआ और औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक प्रमुख आघात है जो ऊंची ब्याज दर और कच्चे माल की ऊंची कीमतों से पहले ही दबाव में था. खाद्य की ऊंची कीमत, आपूर्ति बाधाओं, ब्याज दरों में मजबूती, मूल कच्चे माल एवं तेल की लागत सहित बढ़ती निविष्टि लागत और कमजोर पूंजी बाजार से निवेश कार्यकलापों की गुंजाइश सीमित होने की आशंका है.

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निरंतर दबाव से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभावनाओं के और मंद पड़ने की आशंका है. बढ़ते राजकोषीय भार और राजस्व संग्रहण की सीमित संभावनाओं के कारण अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने की गुंजाइश भी सीमित है. केंद्रीय बजट 2012-13 में वर्धित कर और शुल्क के माध्यम से संसाधन संग्रहण बढ़ाकर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है. यद्यपि इससे सरकार के खजाने में वृद्धि हो सकती है, इसमें स्फीतिकारी दबावों को फिर से बढ़ाने की संभाव्यता है. परिणामतः अर्थव्यवस्था में बचत दर प्रभावित होगी जिसमें पिछले वर्ष गतिरोध देखने को मिला है. बजट-निर्धारित योजनाओं से किसी विचलन का अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

धुंधली संभावनाओं के साथ भारत अब भी विश्व में तेजी से बढ़ती एक अर्थव्यवस्था बना हुआ है. स्फीतिकारी दबावों को कम करने के लिए आपूर्ति पक्ष की अड़चनों को दूर करने के लिए किये जा रहे उपायों और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रगति से स्थितियां एक अधिक अनुकूल वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिकी में सहायक हो सकती हैं. तथापि, यदि जोखिम बढ़ता है तो स्फीतिकारी दबाव, जो कम हो रहा है, पुनः उभर सकता है. आगामी वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चिंता उच्च वृद्धि की राह पर लौटना है. यह कई आर्थिक कारकों पर निर्भर है. इन कारकों में अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबावों को कम करना, मुद्रास्फीति का प्रभावी आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. इन पहलुओं पर विशेष ध्यान से मौद्रिक नीति चक्र में उलटाव आयेगा और निवेश व्यय तथा कारोबार धारणा उन्नत होगी, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश तथा पूंजी अंतर्वाह आकर्षित होगा और इस प्रकार आर्थिक वृद्धि के पुनरुत्थान की नींव पड़ेगी.

खुदरा वित्त

आपके बैंक ने नई पीढ़ी के पूर्ण सेवावाले वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्वयं को स्थापित करने के अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक अधिक संतुलित कारोबार संमिश्र सुगम बनाने के लिए उत्तरोत्तर एक व्यापक खुदरा कारोबार पोर्टफोलियो के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा है. इसके अनुसरण में आपका बैंक वर्तमान में देयता, परिसंपत्ति, पूंजी बाजार तथा अन्य पक्षकार उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करता है. देयता उत्पादों में बचत खाते, चालू खाते, खुदरा मीयादी जमा, आवर्ती जमा आदि शामिल हैं. पेश किये जा रहे परिसंपत्ति उत्पादों में अन्य के साथ-साथ आवास ऋण, बंधक ऋण, वैयक्तिक ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण आदि शामिल हैं. आपका बैंक कई कार्ड उत्पाद जैसे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, कैश कार्ड तथा वर्ल्ड करेंसी कार्ड भी पेश करता है. पूंजी बाजार तथा अन्य पक्षकार उत्पाद / सेवाएं जैसे डिमैट खाता, म्यूचुअल फंड, बीमा उत्पाद (जीवन तथा सामान्य दोनों), सरकारी / रिज़र्व बैंक बांड, अवरुद्ध खाते द्वारा समर्थित आवेदन (असबा) प्रक्रिया के माध्यम से आईपीओ, निवेश सलाह, व्यापार अर्जन कारोबार, नई पेंशन योजना, लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और भारत सरकार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस) भी आपके बैंक के खुदरा बैंकिंग चैनल के माध्यम से मुहैया करायी जाती हैं. आपका बैंक अनिवासी भारतीयों के लिए अनन्य उत्पाद जैसे एनआरई / एनआरओ / एफसीएनआर बैंक खाते, विप्रेषण सेवाएं, पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) तथा निवेश सम्बद्ध उत्पाद भी उपलब्ध कराता है. उत्पादों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और मौजूदा उत्पादों में संशोधन / नवोन्मेषण / ग्राहकोन्मुखीकरण और साथ ही नये उत्पादों की शुरुआत भी नियमित आधार पर की जाती है.

खुदरा बैंकिंग क्षेत्र में कारोबारी पहलें शाखा नेटवर्क तथा कुशल श्रम-शक्ति की दृष्टि से समर्थनकारी बुनियादी सुविधाओं द्वारा उपयुक्त रूप से संपूरित हैं. राजकोषीय वर्ष के अंत में आपके बैंक की घरेलू पहुंच में 972 शाखाएं शामिल थीं, जिनमें महानगरीय केंद्रों में 264 शाखाएं, शहरी केंद्रों में 377, अर्द्धशहरी केंद्रों में 236 और ग्रामीण केंद्रों में 95 शाखाएं शामिल हैं. इसके अलावा, आपके बैंक के पास डीआईएफसी, दुबई में एक पूर्णतः परिचालनरत समुद्रपारीय शाखा है. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान 151 नई शाखाएं खोलीं.

ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने अपने वैकल्पिक वितरण चैनलों को बढ़ाना जारी रखा. आपके बैंक का एटीएम नेटवर्क जो 31 मार्च 2011 के अंत में 1351 था, वह 31 मार्च 2012 के अंत में बढ़कर 1542 हो गया.

खुदरा देयता उत्पाद खंड में आपके बैंक ने उभरती ग्राहक जरूरतों के मुताबिक नये उत्पाद तैयार करना और कम लागत वाली निधियों के सम्पूरक को बढ़ाना जारी रखा है. कासा श्रेणी में, आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान तीन नये उत्पादों अर्थात् "बीइंग मी", "रॉयल प्लस" तथा ''गैर-कृषक तथा भूमिहीन श्रमिक - बचत बैंक खाता एवं ओवरड्राफ्ट सुविधा'' की शुरुआत की. इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से युक्त युवा बचत खाता ''बीइंग मी'' की शुरुआत विश्व युवा दिवस के असवर पर की गई थी. इसका उद्देश्य आज के युवकों में वित्तीय स्वावलम्बन, वैयक्तिकता तथा जिम्मेदारी का भाव संपोषित करना था.

अपने बचत खाते में अपेक्षाकृत अधिक शेष रखने वाले ग्राहकों के प्रति आपके बैंक की ओर से आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से ₹ 5 लाख से अधिक औसत तिमाही शेष रखने वाले ग्राहकों के लिए व्यापक आईडीबीआई रॉयल खाता श्रेणी के भीतर अधिमान्य / मूल्य-योजक सुविधाओं से युक्त एक नया "रॉयल प्लस" बचत खाता सृजित किया गया.

अधिक समावेशी बैंकिंग के अनुसरण में आपके बैंक ने ''गैर-कृषक तथा भूमिहीन श्रमिक - बचत बैंक खाता एवं ओवरड्राफ्ट सुविधा'' नामक एक नये उत्पाद का शुभारंभ किया. इसके अंतर्गत समाज के अपेक्षाकृत असुविधायुक्त वर्गों को ऋण आवश्यकताओं तथा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए ₹ 10,000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बचत खाते के लाभ मिलते हैं.

मीयादी जमा खंड में आपके बैंक ने अपनी मौजूदा योजनाओं में तीन और नए उत्पाद शामिल किए, जो इस प्रकार हैं: मोटर एक्सिडेंट ट्रिब्युनल फिक्स्ड डिपॉज़िट, सुविधा सुरक्षा रेकरिंग डिपॉज़िट (एसएसआरडी) एवं गोधुली फिक्स्ड रिटेल टर्म डिपॉज़िट (जीआरटीडी).

मोटर एक्सिडेंट ट्रिब्युनल द्वारा मंजूर की गई राशियों को हासिल करने के लिए इस प्रकार की निधियों के लिए उच्चतम ब्याज दर पेश करते हुए मोटर एक्सिडेंट ट्रिब्युनल फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना शुरू की गई. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण व सुविधा के प्रति प्राथमिकता दर्शाते हुए ''गोधुली फिक्स्ड रिटेल टर्म डिपॉज़िट (जीआरटीडी)'' नामक नई योजना शुरू की गई. यह योजना 55 से 60 वर्ष की उम्र वाले भावी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिसके अंतर्गत जमाकर्ता की उम्र 60 वर्ष होते ही उनके द्वारा समय-पूर्व एफडी तुड़वाए बिना वरिष्ठ नागरिकों को देय अतिरिक्त दर से ब्याज मिलने लगेगा. इस खंड के अंतर्गत उन्हें आपके बैंक में आवर्ती जमा रखने पर सामान्य ब्याज दरों से 50 आधार बिंदु अधिक ब्याज भी मिलेगा.

आवर्ती जमा खंड के अंतर्गत ''सुविधा सुरक्षा रेकरिंग डिपॉज़िट'' नामक नई योजना शुरू की गई. इस योजना में मीयादी जमा के साथ जीवन बीमा सुरक्षा भी शामिल है.

आपका बैंक एनआरआई ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को ख़ासा महत्व देता है इसीलिए इसने इस खंड में अपना बाज़ार हिस्सा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाते हुए संबंधों को प्रगाढ़ बनाया और इस मामले में सफलता भी हासिल की. आपके बैंक ने वेस्टर्न यूनियन के साथ मिलकर विप्रेषण हेतु कतिपय विदेशी मुद्रा विनिमय प्रदाताओं के साथ व्यवस्था निर्मित की. आपके बैंक ने एनआरआई ग्राहकों को पोर्टफोलिओ निवेश योजना (पीआईएस) सेवाएं प्रदान करने हेतु पीआईएस के तहत कई

शीर्ष स्टॉकब्रोकरों के साथ समझौता करते हुए गठबंधन किया. आपके बैंक ने खाड़ी देशों से विप्रेषण करवाने के लिए विभिन्न एक्सचेंज केंद्रों से भी समझौता किया. आपके बैंक ने एनआरआई कारोबार हासिल करने के लिए जीसीसी देशों के एक्सचेंज हाउस में बैंक अधिकारी तैनात करने की योजना लागू की. एनआरई एफडी की ब्याज दरों पर से नियंत्रण हट जाने के फलस्वरूप आपके बैंक ने एनआरआई ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए एनआरई एफडी पर प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें तय कीं.

खुदरा वित्त के क्षेत्र में आपके बैंक ने अपने वितरण चैनल को विस्तार देते हुए वर्ष के दौरान टीयर-II व टीयर-III श्रेणी के शहरों में 13 नए खुदरा परिसंपत्ति केंद्र (आरएसी) खोले. वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक ने ग्राहकों की संवेदनाओं को तवज्जो देना जारी रखा. इस सिलसिले में अक्टूबर 2011 में आपके बैंक ने होम लोन व ऑटो लोन में फेस्टिव ऑफर पेश किए. इस फेस्टिव अवधि के दौरान ऋण के आकार के अनुसार ब्याज दर में 25 से 50 आधार बिंदु कम किए गए. बाद में यह अवधि 31 मार्च 2012 तक बढ़ा दी गई. इसके अलावा आपके बैंक के ग्राहकों को आंशिक स्थिर दर का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से 'फिक्स्ड फर्स्ट होम लोन' नामक योजना चालू की गई, जिसके तहत आवास ऋणों पर संयुक्त रूप से स्थिर व अस्थिर ब्याज दरें ऑफर की जाती हैं.

ऑटो लोन खंड में अपनी पकड़ मज़बूत करने व मौजूदा देयता ग्राहकों से प्रगाढ़ संबंध बनाने हेतु आपके बैंक ने अक्टूबर से दिसंबर 2011 के दौरान विशेष फेस्टिव अभियान चलाया. इसके तहत ऑटो लोन ग्राहकों को ब्याज दर में 100 आधार बिंदु की रियायत देते हुए कार्रवाई शुल्क माफ कर दिया गया.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने पात्र छात्रों को शैक्षणिक ऋण प्रदान करने के लिए देश भर की कई शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. आपका बैंक अजा / अजजा एवं अल्पसंख्यक समुदाय की महिला विद्यार्थियों को अतिरिक्त रियायत प्रदान करता है. आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत उसे सौंपे गए गांवों के छात्रों के लिए रियायती ब्याज दर और विशेष हामीदारी मानदंडों के साथ विशेष शैक्षणिक ऋण योजना तैयार की है.

आपके बैंक ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूह (एलआईजी) को रियायती आधार पर आवासीय व शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया कराने संबंधी सरकार की पहल के समर्थन में ठोस कार्रवाई करते हुए शहरी निर्धनों के लिए ब्याज उपदान योजना (ईशप), आवास ऋण हेतु 1% आर्थिक सहायता, राजीव गाँधी ग्रामीण निवारा योजना, शैक्षणिक ऋण हेतु केंद्रीय ब्याज उपदान योजना (आरजीजीएनवाय) जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं में भाग लिया.

आपके बैंक ने एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि जैसे वैकल्पिक बैंकिंग चैनलों को मजबूत करना जारी रखा ताकि ग्राहक को अपने परिचालनों के लिए शाखा पर कम निर्भर रहना पड़े और वह चौबीसों घंटे सेवाओं का लाभ उठा सके. बैंक के नज़रिये से देखें तो शाखा चैनल की अपेक्षा इस चैनल से लेन-देन करना किफायती होता है. वैकल्पिक चैनल एवं व्यापार अर्जन कारोबार से आपके बैंक को मौजूदा संबंधों को प्रगाढ़ करने व नए संबंध बनाने के अलावा शुल्क-आधारित आय बढ़ाने में भी मदद मिलती है.

आपके बैंक में इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं वर्षों पहले अक्टूबर 2001 में शुरूहुईं थीं, तभी से इस चैनल के ज़रिए इसका दायरा बढ़ता ही गया और इसमें निम्नलिखित सेवाएं जुड़ गईं: खाता जानकारी, एफडी व आरडी खोलना, खाते का विवरण, निधि अंतरण, ऑन-लाइन कर भुगतान, ऑनलाइन खरीदारी / बिल भुगतान, कार्ड से कार्ड धन अंतरण, मोबाइल रिचार्ज, वायुयान / रेल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन आईपीओ अस्बा, प्रतिभूतियों की ऑनलाइन ट्रेडिंग व डीमैट / भारत सरकार बांड परिचालन.

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान नेट बैंकिंग सुविधा उन अवयस्क खातों को भी दी गई जिनका संचालन नैसर्गिक संरक्षक करते हैं. अलबत्ता पॉवर किड्ज़ खातों के लिए यह सुविधा नहीं रखी गई, जहाँ खातों का परिचालन अवयस्क खुद करते हैं. इंटरनेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से की जानेवाली ऑनलाइन ख़रीदारी / ई-वाणिज्य को फिशिंग से जुड़ी धोखाधड़ियों से बचाने के लिए दिसंबर 2011 में बैंक ने ऑनलाइन शॉपिंग पासवर्ड (ओएसपी) सुरक्षा शुरू की. आपके बैंक ने रिटेल नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पासवर्ड-जनरेशन सुविधा शुरू की है ताकि वे अपनी ओर से तुरंत लॉगिन कर लेन-देन पासवर्ड सृजित कर सकें तथा अपनी एक्सिस प्रोफाइल भी सेट कर सकें. इस सुविधा से ग्राहकों को यह लाभ हुआ कि फिज़ीकल / प्रिंटेड पासवर्ड प्राप्त होने में लगने वाला वक्त खत्म हुआ और बैंक के स्टेशनरी, स्टाफ, कुरियर, प्रिंटिंग व प्रेषण जैसे अन्य बुनियादी व्यय कम हुए.

आपका बैंक उन चुनिंदा शुरुआती बैंकों में से है जिन्होंने 2001 में मोबाइल बैंकिंग सेवा के ज़रिए प्रश्न-आधारित सूचना सेवा शुरू की थी. इसके बाद अकाउंट अलर्ट सेवा आरंभ की गई ताकि बैंक के ग्राहक अपने खातों के संबंध में इच्छानुसार विभिन्न लेन-देनों / गतिविधियों के बारे में एसएमएस अलर्ट प्राप्त कर सकें. बैंक ने देश की प्रमुख एम-कॉमर्स संस्था पेमेट के साथ मिलकर दिसंबर 2008 में मोबाइल भुगतान सुविधा आरंभ की. इस मोबाइल भुगतान सुविधा के ज़रिए आपके बैंक के ग्राहक पेमेट की सरल, सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान सेवा का लाभ उठा सकते हैं. ग्राहक अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर उपयोगिता बिलों का भुगतान, वायुयान / रेल्वे टिकट की खरीद, रेस्त्रां बिलों का भुगतान कर सकते हैं तथा ऑनलाइन खरीदारी, मोबाइल रिचार्ज व पेमेट में पंजीकृत देश भर के 15,000 मर्चेंटों से खुदरा खरीदारी कर सकते हैं.

आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और संबंधित क्षेत्र के गांवों में बैंकिंग योजनाओं / सेवाओं की बिक्री हेतु वर्ष के दौरान एटीएम / आई-नेट बैंकिंग सुविधाओं से युक्त मोबाइल वैन सेवा शुरू की.

आपके बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ मिलकर नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) नेटवर्क पर सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एटीएम नेटवर्क का उपयोग करने का एक प्रोजेक्ट आरंभ किया है. इस मॉडल के तहत आपका बैंक एनएफएस पर सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एटीएम नेटवर्क का उपयोग करने के लिए प्रायोजक बैंक की भूमिका निभाएगा. इससे सहकारी बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने खातेधारकों को एटीएम कार्ड जारी कर उन्हें एनएफएस से जोड़ सकेंगे और वे देश भर में 84,000 एटीएमों का उपयोग कर सकेंगे.

समीक्षाधीन वर्ष में आपके बैंक ने कई प्री-पेड कार्ड प्रोडक्ट आरंभ किए. शुरुआत में अगस्त 2011 में बैंक के नए कॉरपोरेट वेतन खातों के लिए आईडीबीआई मैजिक कार्ड नामक लीक से हटकर प्रोडक्ट शुरू किया. इसके अंतर्गत क्रेडिट लिमिट के साथ डेबिट कार्ड के फीचर हैं, किंतु इसका शुल्क सामान्य क्रेडिट कार्ड से भी कम है. वर्ष के दौरान 18 से 25 वर्ष आयु समूह के युवाओं के लिए 'बीइंग मी डेबिट कार्ड' शुरू किया गया.

ग्राहक आह्लाद को ध्यान में रखकर सतत् अपने प्रोडक्टों का विकास करने का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए वैश्विक पर्यटकों के लिए मास्टरकार्ड प्लेटफॉर्म पर 'ग्लोबल करेंसी कार्ड' (जीसीसी) नामक एक नया विदेशी मुद्रा प्री-पेड ट्रेवल कार्ड शुरू किया गया. मौजूदा वर्ल्ड करेंसी कार्ड (डब्ल्यूसीसी) केवल वीज़ा प्लेटफॉर्म पर ही कार्य करता है. इस कार्ड का उपयोग 1.9 मिलियन मास्टरकार्ड / मास्ट्रो / सिरस एटीएमों पर नकदी आहरण व बैलेंस जानकारी के लिए किया जा सकता है. इस कार्ड को 210 देशों में कार्ड स्वीकारने वाले 32.9 मिलियन केंद्रों पर ऑनलाइन ख़रीदारी करने के लिए किया जा सकता है. इस कार्ड के साथ बीमा संबंधी लाभ भी जुड़े हुए हैं. शुरुआत में यह प्रोडक्ट केवल अमरीकी डॉलर में ही पेश किया जाएगा, बाद में इसे कई करेंसियों से जोड़ा जाएगा. डब्ल्यूसीसी और जीसीसी, दोनों ही कार्डधारकों को यात्री चेक की सुविधा, एटीएम कार्ड की सुरक्षा और क्रेडिट कार्ड की स्वीकारोक्ति, तीनों चीज़ें एकसाथ मुहैया कराते हैं. इन कार्डों का उपयोग विदेश में वीज़ा / मास्टरकार्ड स्वीकारनेवाले सभी एटीएमों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर किया जा सकता है.

आपके बैंक ने फरवरी 2012 में इट्ज़ कैश कार्ड्स लि. के साथ मिलकर 'फ्रीडम प्री-पेड कार्ड' नामक को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड शुरू किया. इसे मास्टरकार्ड प्लेटफॉर्म पर सामान्य प्रयोजन के लिए रिलोड किया जा सकता है. यह कार्ड एटीएमों पर नकदी आहरण करने, भौतिक रूप से उपस्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पीओएस पर खरीदारी करने तथा द्वितीय कारक अधिप्रमाणन की अतिरिक्त सुरक्षा वाली ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है. इस कार्ड की शुरुआत समाज के वर्ग विशेष ख़ास तौर पर युवा वर्ग के लिए की गई थी, जो नकद भुगतान कर सामान व सेवाएं हासिल करना चाहता है.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने वीज़ा / मास्टरकार्ड के सहयोग से विनिर्दिष्ट विक्रय बिंदु (पीओएस) आउटलेट पर डेबिट कार्ड के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कैश बैक ऑफर जैसी कई प्रोत्साहन गतिविधियाँ शुरू कीं.

गुजरात राज्य की चार तालुकाओं में वित्तीय समावेशन योजना के तहत आपके बैंक ने अन्य कार्यों के साथ-साथ 'रुपय' प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से बनाया गया को-ब्रांडेड फोटो एटीएम कार्ड शुरू किया. इस कार्ड का उपयोग आपके बैंक के अलावा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के सदस्य बैंकों के एटीएमों पर भी किया जा सकता है.

आपका बैंक अपने ग्राहकों को उनके जोखिम प्रोफाइल व वित्तीय लक्ष्यों के मद्देनज़र मूल्य-योजित सेवाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयत्न करता है. आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को विविध वित्तीय उत्पाद प्रदान करने के लिए आईडीबीआई म्यूचुअल फंड सहित 35 असेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के साथ गठजोड़ किया है. आपका बैंक पूंजी अभिलाभ, भारत सरकार के बांड और विभिन्न करमुक्त एवं कर बचत बांड जैसी नियत आय प्रतिभूतियों का भी वितरक है. आपका बैंक पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के पंजीकृत पॉइंट ऑफ प्रज़ेंस (पीओपी) के रूप में सूचीबद्ध है. यह योजना सुरक्षित और लचीली है. इसे भारत सरकार द्वारा नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय स्रोत के रूप में शुरू किया गया है. आपके बैंक ने पीएफआरडीए की एनपीएस योजना के अंतर्गत कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए हाल ही में शुरू किए गए 'कॉरपोरेट माड्युल' के लिए सिस्टम्स तैयार कर लिए हैं. इससे वे अपने कर्मचारियों को सह-अंशदायी पेंशन लाभ प्रदान कर सकेंगे.

ग्राहकों की निवेश और बीमा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपका बैंक आईडीबीआई फेडरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के माध्यम से विभिन्न ग्राहक खंडों के अनुरूप जीवन बीमा समाधान उपलब्ध कराता है. आपका बैंक बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एजेंट के रूप में परिसंपत्तियों, स्वास्थ्य व व्यक्तिगत दुर्घटना जैसे गैर-जीवन बीमा उत्पाद भी पेश करता है.

वित्तीय समावेशन

भारत सरकार द्वारा परिकल्पित वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने 31 मार्च 2013 को समाप्त होनेवाले पहले तीन वर्षों के लिए वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) शुरू की है. आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2012 तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दादरा-नगर हवेली के 2000 से अधिक जनसंख्या वाले आबंटित सभी 119 गाँवों को कवर कर चुका है. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 1000 से 2000 के बीच की जनसंख्या वाले कुछ और गाँवों को भी एसएलबीसी से आबंटित किए जाते ही इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा.

आपके बैंक की वित्तीय समावेशन योजना कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के ज़रिए सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित

स्मार्ट कार्ड द्वारा लागू की जा रही है. वित्तीय समावेशन अभियान के लिए विभिन्न भौगोलिक खंडों / केंद्रों में प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) की सेवाएं ली जा रही हैं. ये प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता बीसी / ग्राहक सेवा बिंदुओं (सीएसपी) के प्रबंधन सहित संपूर्ण समाधान प्रदान करेंगे. बैंकिंग सुविधा से वंचित गांवों के सभी ग्राहकों को बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) निर्देशों के अनुसार बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग दस कार्य शामिल करने की क्षमता है. 31 मार्च 2012 के अंत तक वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आपके बैंक ने 42,079 खाते खोले. इन खातों में औसतन ₹ 741/- प्रति लेन-देन की दर से प्रति-दिन 113 लेन-देन हुए.

आपके बैंक ने सभी गाँवों में कारोबार प्रतिनिधियों की अंतर-परिचालनात्मकता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए वित्तीय समावेशन के तहत आबंटित गाँवों में से कुछ में ग्राहकों के लेन-देन के लिए ऑनलाइन समाधान की शुरुआत की. आगे चलकर सभी 119 गाँव इस ऑनलाइन मोड में लाए जाएंगे. वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बुनियादी सेवाएं पेश करने के अलावा वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक ने ग्राहकों के लिए शैक्षणिक ऋण, मीयादी जमा, आवर्ती जमा और 'ग्रामीण सुरक्षा' नामक सूक्ष्म बीमा उत्पाद भी पेश किए. इसके अलावा वर्ष के दौरान आपके बैंक ने वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार एफआईपी के अधीन 16 गाँवों में अति लघु शाखाएं (यूएसबी) भी खोलीं. यूएसबी का अर्थ है ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा बैंक अधिकारी के लिए जगह मुकर्रर कर दी जाती है जो सप्ताह के किसी तयशुदा दिन तयशुदा समय पर आकर ग्रामीणों की बैलेंस पूछताछ, ऋण पूछताछ, ऋण आवेदनों पर कार्रवाई, वसूली अनुवर्ती कार्रवाई आदि विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताएं पूरी करते हैं. धीमे-धीमे सभी आबंटित गाँवों में यूएसबी स्थापित कर दिए जाएंगे, जहाँ बुनियादी बैंकिंग सेवाएं तो बीसी मॉडल के जरिए पहले से ही उपलब्ध हैं. इसके अलावा शहरी वित्तीय समावेशन के तहत बैंक की पहुँच को विस्तार देने तथा लाभों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान आपके बैंक ने रायपुर नगर निगम से स्मार्ट कार्ड के जरिए लगभग 22,000 पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण के लिए अधिदेश प्राप्त किया. उक्त बीसी पश्चिम बंगाल के 24 दक्षिण परगना जिले की 2 पंचायतों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं. आपका बैंक कुछ अन्य सरकारी निकायों से भी ऐसी साझेदारियाँ जुटाने की कोशिश कर रहा है.

आपका बैंक रिज़र्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ग्राहकों को 'आधार' कार्ड जारी करने व इस कार्ड के साथ अपने खाते जोड़ने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पंजीयक के रूप में कार्य कर रहा है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विभिन्न भौगोलिक केंद्रों के लगभग 1 लाख ग्राहकों का इस हेतु पंजीयन किया. वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान आपके बैंक को बड़ी संख्या में पंजीयन मिलने की संभावना है.

आपका बैंक बैंकिंग सुविधा से वंचित जनसंख्या को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना चाहता है, ताकि उन्हें वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने, बचत करने, निवेश करने, अपनी अर्जन क्षमता बढ़ाने व उद्यमिता कौशल बढ़ाने के अवसर मिल सकें. इसलिए आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस (टिस) से समझौता किया है, जिसके अंतर्गत बैंक ने टिस स्नातकों के लिए 15 फेलोशिप प्रायोजित की हैं. ये स्नातक गाँवों में तैनात होंगे. 'ग्रामीण रूपांतरण फेलोशिप कार्यक्रम (आरटीएफपी)' के तहत प्रत्येक फेलो को गाँवों का एक समूह आबंटित किया जाएगा, जहाँ वे गाँवों का सामाजिक-आर्थिक सर्वे कर बैंक के वित्तीय समावेशन संबंधी पहल कार्यों के मार्फत ग्रामीणों को सहायता प्रदान करेंगे. आरटीएफपी का मुख्य कार्य लोगों को निम्नलिखित के बारे में जागृत करना है (i) वित्तीय बाज़ार तक पहुँच, (ii) ऋण बाज़ार तक पहुँच और (iii) वित्तीय मामले सीखना (वित्तीय शिक्षण). फेलोशिप के दौरान फैलो को अन्य बातों के साथ-साथ गाँव की समग्र प्रोफाइल बेसलाइन के रूप में तैयार करनी होगी, जिसमें वित्तीय जागरूकता व साक्षरता, सामाजिक उद्यमिता विकास, क्षमता निर्माण आदि पर फोकस करते हुए सीमांत व वंचित समूहों के लिए पायलट प्रोजेक्ट व अन्य कार्य किए जाएंगे.

आपके बैंक को "ग्रामीण रूपांतरण सहभागिता कार्यक्रम" (आरटीएफपी) के ज़रिए विकास वित्त द्वारा गरीबी में कटौती लाने हेतु एडफिएप (एशिया व प्रशांत क्षेत्र की विकास वित्त संस्थाओं के संगठन) द्वारा पुरस्कृत किया गया है.

एमएसई पहल कार्य

आपके बैंक ने दीर्घावधि विकास के लिए मजबूत नींव तैयार करने के लिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर विशेष ज़ोर व महत्व देना ज़ारी रखा. राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में एमएसई की भूमिका के महत्व को पहचानते हुए आपके बैंक ने एमएसएमई के सूक्ष्म व लघु खंडों पर ज़ोर देना ज़ारी रखा, जिन्हें बैंक अपने विकास का संवाहक मानता है. एमएसएमई ग्राहकों तक पहुंच कर उन्हें एमएसई बैंकिंग सुविधाओं का आसानी से लाभ उठाने में सहयोग देने हेतु आपके बैंक ने अपने नियमित शाखा नेटवर्क के अलावा 30 प्रमुख शहरों / क्लस्टरों में समर्पित एमएसई सहायता केंद्र स्थापित किए हैं.

आपका बैंक एमएसई ग्राहकों की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहा है और समय-समय पर इसने ज़रूरत के मुताबिक एमएसएमई उत्पाद विकसित किए हैं. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपके बैंक ने एमएसई व्यापारियों की चलनिधि स्थिति बढ़ाने के लिए 'लाइन ऑफ क्रेडिट टू वेंडर्स ऑफ कॉरपोरेट्स' योजना शुरू की, जोकि मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण कड़ी है. ऋणों की किफायती दर पर उपलब्धता एमएसई के लिए हमेशा ही चिंता का विषय रहा है. इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने एमएसई ग्राहकों के लिए रेटिंग से संबद्ध मूल्य-निर्धारण शुरूकिया ताकि वे आकर्षक व प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर ऋण सुविधा हासिल कर सकें. उपर्युक्त पहल कार्यों के चलते वर्ष के दौरान आपके बैंक के एमएसई कारोबार में लगभग 50% वृद्धि हुई.

एमएसई ग्राहकों को अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने व व्यावसायिक अवसरों को हासिल करने के लिए वित्तीय संस्थाओं, बैंकों व कॉरपोरेटों से आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करने के लिए क्रेडिट रेटिंग के बढ़ते महत्व को देखते हुए आपके बैंक ने एमएसई ग्राहकों के लिए अधिमान्य दरों पर क्रेडिट रेटिंग देने के लिए क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि. (केयर) के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. साथ ही आपके बैंक ने भारत सरकार के एमएसई मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय के साथ सूक्ष्म व बृहत् उद्यमियों के जरिए रोजगार / स्व-रोजगार प्रोत्साहन हेतु एमओयू किया, जिसके तहत स्वयं सेवी संगठन (एनजीओ) व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास (ट्रेड) योजना के तहत सूक्ष्म व बृहत् ऋण कार्यक्रम लागू करने हेतु अपनी क्षमता बढ़ा सकेंगे.

राष्ट्र के विकास में एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को देखते हुए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न औद्योगिक संगठनों व गैर-लाभार्थी संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न व्यापारिक मेलों व एमएसएमई विकास कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लिया.

कृषि एवं ग्रामीण विकास

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र है. कृषि से हमारी विशाल ग्रामीण जनसंख्या को रोज़गार मिलता है और हमारे देश की खाद्य सुरक्षा में इसका विशेष महत्व है. इसीलिए कृषि क्षेत्र को राष्ट्रीय अजेंडे में महत्वपूर्ण स्थान मिला है. हमारे देश के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में से एक यह भी है कि हमारी बढ़ती आबादी के लिए बेहतर गुणवत्ता के भोजन की निरंतर बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए? इसीलिए आपका बैंक यह मानता है कि कृषि उधार महज व्यावसायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के ग्रामीण व कृषि विकास में सहभागिता का एक अवसर है.

आपके बैंक ने समर्पित 'कृषि कारोबार समूह' के अंतर्गत देश भर में अधिकारियों का नेटवर्क तैयार किया है ताकि हमारे कृषक समुदाय को ज्ञान-आधारित ऋण प्रदाय कर कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सके तथा हमारी ग्रामीण आबादी का जीवन-स्तर बेहतर हो सके. वर्तमान में आपके बैंक में कृषि कारोबार 21 एग्री प्रोसेसिंग केंद्रों से जुड़ी 334 शाखाओं के ज़रिए किया जाता है, जो त्वरित निपटान व शीघ्र निर्णय हेतु सात समर्पित क्षेत्रीय कार्यालयों को रिपोर्ट करती हैं.

आपके बैंक के कृषि कारोबार में किसानों या किसान समूहों को प्रत्यक्ष ऋण देना तथा कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण में लगे कॉरपोरेटों या सहकारी समितियों तथा कृषि क्षेत्र को सहयोग करने वाली इकाइयों को सहायता देना आदि शामिल हैं. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपके बैंक ने खुदरा कृषि उधार में वांछित लचीलेपन व नियंत्रण के साथ सरलीकृत दस्तावेजीकरण प्रक्रिया शुरूकी तथा मंजूरी और वितरण प्रणाली को सरल व कारगर बनाया. इससे आपके बैंक को अपना खुदरा कृषि आधार बढ़ाने में मदद मिली. आपके बैंक ने कृषि व खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों से जुड़े कॉरपोरेटों व सहकारी समितियों के साथ गठजोड़ किया ताकि बड़ी संख्या में कृषकों से जुड़कर देश भर में अपना खुदरा आधार मज़बूत किया जा सके. विशेष रूप से देश के सुदूर अंचल के कृषकों तक पहुँचने के लिए आपके बैंक ने ऐसे केंद्रों पर व्यवसाय सुलभकर्ता नियुक्त किए.

आपके बैंक ने अपनी ग्रामीण शाखाओं के अधीन आने वाले गाँवों में किसान क्लब के गठन को बढ़ावा देना ज़ारी रखा. आपका बैंक किसान क्लब के सदस्यों को खेती से जुड़े ज़मीनी कार्यकर्ता मानता है तथा जिन गतिविधियों के ज़रिए वे किसानों में ज्ञान बाँटते हैं, उन सभी के लिए सहयोग भी प्रदान करता है.

आईडीबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, सातारा

आपके बैंक ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार महाराष्ट्र के सातारा जिले में पहला ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई - आरएसईटीआई) स्थापित किया है. यह संस्थान 31 अक्टूबर 2011 से इस जिले में ग्रामीण बेरोज़गार युवाओं के लिए निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है. प्रशिक्षण में कौशल और उद्यमिता विकास पर ज़ोर दिया जाता है ताकि वे खुद लघु उद्यम स्थापित कर सकें. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आईडीबीआई - आरएसईटीआई में आठ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिए 224 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया.

आईडीबीआई कृषि एवं ग्रामीण विकास ट्रस्ट

आपके बैंक ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार 'आईडीबीआई कृषि एवं ग्रामीण विकास ट्रस्ट' नामक ट्रस्ट की स्थापना की, जो मुख्यतः आईडीबीआई - आरएसईटीआई का प्रबंधन करेगा. इसके अलावा यह ट्रस्ट ग्रामीण व कृषि क्षेत्र में विकास व अनुसंधान गतिविधियां भी चलवाएगा. यह ट्रस्ट आपके बैंक को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा.

कॉरपोरेट वित्त

आपका बैंक विगत लगभग पाँच दशकों से कॉरपोरेट वित्त के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक है और यह कॉरपोरेट क्षेत्र के विकास के लिए उनकी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग देता रहा है. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपके बैंक ने मुंबई के बाँद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक और समर्पित विशेषीकृत कॉरपोरेट शाखा खोली. इसी के साथ देश भर में विशेषीकृत कॉरपोरेट शाखाओं की संख्या 33 हो गई है. विगत वर्ष आपके बैंक का कॉरपोरेट कारोबार लगभग 20% बढ़ा. आपका बैंक कॉरपोरेट ग्राहकों की विदेशी मुद्रा संबंधी ज़रूरतें भी अपनी दुबई शाखा के माध्यम से पूरी कर रहा है, जो वर्ष 2010 से कार्य कर रही है.

आपका बैंक कॉरपोरेट जगत की ज़रूरत के मुताबिक परिसंपत्ति और देयता, दोनों ही प्रकार के उत्पाद पेश करता है. आपके बैंक को नकदी प्रबंध सेवाओं, कर वसूली के लिए सरकारी एजेंसी कारोबार तथा व्यापार वित्त उत्पाद जैसे लेन-देन बैंकिंग खंड में निपुणता हासिल है. आपका बैंक अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को ट्रेज़री उत्पाद और ऋण-समूहन सेवाएं भी प्रदान करता है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने देश के प्रमुख कॉरपोरेट समूह को यूरोप की एक कंपनी के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा में

वित्तीय सहायता मंजूर कर एक सीमा-पार सौदा संपन्न करवाया. यह अधिग्रहण अपने स्वरूप में अनोखा था और इसे संपन्न करवाने के लिए सीमा-पार विनियामक मानदंडों, कराधान, समुचित सावधानी, कंपनी का मूल्यांकन, पर्यावरण संबंधी समुचित सावधानी, सीमा-पार प्रतिभूति का सृजन जैसे कई मुद्दों का समावेश था. इससे भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने में आपके बैंक की विपुल विशेषज्ञता का पता चलता है.

व्यापार वित्त

आपके बैंक ने व्यापार वित्त कारोबार में उच्च वृद्धि दर हासिल करना जारी रखा है. गैर-निधि आधारित कारोबार , जिसमें साख-पत्र (एलसी) व बैंक गारंटी खंड शामिल हैं, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 17% बढ़कर ₹ 70,000 करोड़ से भी आगे निकल गया. व्यापार वित्त कार्यकलापों से शुल्क आधारित आय में 37% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने ₹ 1,715 करोड़ की अपनी कुल शुल्क आधारित आय में से ₹ 640 करोड़ की शुल्क आधारित आय व्यापार वित्त से अर्जित की. आपके बैंक ने 1 अप्रैल 2012 से बैंक के लिए निर्यात ऋण बीमा कवर हेतु ईसीजीसी के साथ संपूर्ण पण्यावर्त पैकिंग ऋण ईसीआईबी (डब्ल्यूटी-पीसी) और संपूर्ण पण्यावर्त पोत-लदानोत्तर ईसीआईबी (डब्ल्यूटी-पीएस) करार किए. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने फरीदाबाद व ग़ाज़ियाबाद में दो व्यापार वित्त केंद्र खोले. इस प्रकार इन केंद्रों की संख्या 37 से बढ़कर 39 हो गई. वर्ष के दौरान बैंक ने महानगरों में व्यापार वित्त उत्पादों के लिए विशेष विक्रय टीम तैनात की जो खुदरा व्यापार वित्त पर ज़ोर देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ खुदरा खंड में आपके बैंक का व्यापार वित्त कारोबार बढ़ाएगी.

व्यापार वित्त कारोबार के साथ-साथ आपके बैंक की शुल्क आधारित आय बढ़ाने के लिए आपका बैंक अग्रणी विदेशी बैंकों से गठजोड़ वाले संबंधों को मजबूती देने के काम को प्राथमिकता दे रहा है.

सरकारी कारोबार

आपके बैंक ने सरकारी कारोबार पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र सरकार व विभिन्न राज्य सरकारों के कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण किया. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपके बैंक ने कर संग्रहण के मामले में ₹ 1 लाख करोड़ का जादुई आँकड़ा पार करते हुए ₹ 1.24 लाख करोड़ के कर संग्रहित किए. सफलता के इस ताज में एक और तमगा लगाते हुए आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 1.12 लाख करोड़ से अधिक के केंद्रीय करों का संग्रहण किया. कर संग्रहण का यह कार्य भौतिक स्वरूप के अलावा मुख्यतः ई-माध्यम से किया जाता है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने असम, बिहार और पुडुचेरी राज्यों में वाणिज्यिक करों का संग्रहण किया. इसी के साथ आपका बैंक असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब (फगवाड़ा), राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों तथा दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्रों में वाणिज्यिक कर संग्रहण के लिए अधिकृत हो गया है. आपके बैंक को वाणिज्यिक कर संग्रहण के लिए कर्नाटक, तमिल नाडू, पश्चिम बंगाल व सिक्किम से भी हरी झंडी मिल चुकी है और वित्तीय वर्ष 2012-13 की पहली छमाही में इनमें भी कर संग्रहण शुरू करने की संभावना है.

आपके बैंक ने 16 जनवरी 2012 से देश भर के सभी 103 इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) केंद्रों के लिए सीमा शुल्क के संबंध में ऑनलाइन शुल्क भुगतान सेवा आरंभ की. इसके चलते अब करदाता अपने केंद्रीय कर व शुल्क संबंधी सभी भुगतान आईडीबीआई बैंक के जरिए करने लगे हैं. इस प्रकार ऑनलाइन कर भुगतान के जरिए राजकोष के कर अभिदान में वृद्धि करने के मामले में आपका बैंक भारत सरकार का महत्वपूर्ण एजेंट बन गया है.

आपके बैंक ने कर वसूली क्षमता में बढ़ोत्तरी लाने और ई-गवर्नेंस लागू करने के सरकार के दोहरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म कार्यान्वित किया है.

नकदी प्रबंधन सेवाएं

नकदी प्रबंध सेवाएं चालू खाता संग्रहण का प्रमुख स्रोत हैं और वर्ष के दौरान आपके बैंक ने इस पर भी विशेष ज़ोर दिया है. आपके बैंक ने इस कारोबार खंड में मजबूती से पैर जमा लिए हैं और कुछ प्रतिष्ठित लाभांश अधिदेश भी प्राप्त किए हैं. साथ ही आपके बैंक ने आईपीओ / एफपीओ निर्गमों / बांड संग्रहण समनुदेशनों के निर्गम बैंकर के रूप में अच्छी साख बनाई है. आपका बैंक बदलती बाज़ार अपेक्षाओं के अनुरूप ग्राहक सिस्टमों के प्रौद्योगिकी एकीकरण सहित ई-समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. इस संबंध में बैंक अपने सिस्टम को सतत् उन्नत कर रहा है.

बुनियादी क्षेत्र को वित्त

आपका बैंक बुनियादी क्षेत्र के वित्तपोषण का प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है. बुनियादी क्षेत्र के वित्तपोषण में उत्पादन-पूर्व अवधि विशिष्ट रूप से लंबी होती है और इसमें एक सुस्पष्ट जोखिम तथा प्रतिलाभ रूपरेखा निहित होती है, जिसके लिए नवोन्मेषी संरचना की ज़रूरत होती है. बुनियादी क्षेत्र के निजी क्षेत्र के लिए खुलने के समय से ही आपका बैंक बिजली, दूरसंचार, सड़क, हवाईअड्डा, बंदरगाह, रेलवे तथा लॉजिस्टिक के क्षेत्रों में और साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज़) की बुनियादी परियोजनाओं की संरचना और वित्तपोषण में अग्रणी रहा है और इसकी कुल ऋण सहायता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बुनियादी क्षेत्र को मिलता है.

मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में बुनियादी क्षेत्र में निवेश का बड़ा महत्व है. सड़क, बंदरगाह, हवाईअड्डा, बिजली और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में कई नई परियोजनाएं कतार में हैं. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में बुनियादी क्षेत्र की महती भूमिका और साथ ही इस क्षेत्र के लिए आवश्यक भारी निवेश की जरूरत को महसूस करते हुए बुनियादी क्षेत्र की कंपनियों को सभी प्रकार के समाधान जैसे कॉरपोरेट सलाह, ऋण-ईक्विटी समूहन, वित्तीय संरचना, मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी, प्रतिभूतिकरण और अन्य सम्बद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए संकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया.

आपके बैंक ने सार्वजनिक - निजी साझेदारी (पीपीपी)मार्ग के अंतर्गत शहरी बुनियादी परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन तथा बायो-मास आधारित बिजली परियोजनाएं), बंदरगाह तथा हवाई-अड्डों के निधीयन के लिए भी पहल की है. विदेश में शाखा खोलने के साथ ही आपका बैंक अब बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं को चुनिंदा आधार पर विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने की स्थिति में भी आ गया है.

अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए एक व्यापक व प्रभावी बुनियादी क्षेत्र नेटवर्क की ज़रूरत होती है और यह सतत् व समावेशी विकास के लिए ज़रूरी भी है. पिछले कई वर्षों से सरकार बुनियादी क्षेत्र के विकास की गति को तेज करने व देश में बुनियादी क्षेत्र की कमी को पाटने के लिए कई कदम उठाती रही है. वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने बुनियादी क्षेत्र के लिए दीर्घावधि, कम लागत की विदेशी मुद्रा निधियाँ जुटाने के लिए अधिसूचित बुनियादी क्षेत्र ऋण निधियों के रूप में विशेष साधन निर्मित करने के प्रस्ताव की घोषणा की थी. आपका बैंक बुनियादी वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और इसने विभिन्न उद्योगों में बुनियादी क्षेत्र की कई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है. बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं की निधिगत ज़रूरतों को देखते हुए आपके बैंक ने एनबीएफसी के रूप में आईडीबीआई इंफ्राफिन लिमिटेड (आईआईएल) नामक एक बुनियादी क्षेत्र ऋण निधि स्थापित की है. इस आईआईएल की स्थापना ₹ 1,000 करोड़ की प्राधिकृत पूंजी के साथ 27 फरवरी 2012 को की गई. इस कंपनी के प्रवर्तक के रूप में आपके बैंक की इस कंपनी में ईक्विटी धारिता 30% है. अन्य रणनीतिक निवेशक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / वित्तीय संस्थाएं होंगी. इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आरंभिक प्रदत्त पूंजी ₹ 300 करोड़ रखी गई है, जिसमें से आपके बैंक ने आरंभिक अभिदान ₹ 90 करोड़ (30%) का दिया है.

ऋण समूहन, सरंचनागत एवं सलाहकारी सेवाएं

आपका बैंक बुनियादी व विनिर्माण क्षेत्र के कॉरपोरेटों को ऋण समूहन, संरचनागत व सलाहकारी सेवाएं देने में सक्रिय रहा है. विगत कुछ वर्षों में आपके बैंक ने अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल परियोजनाओं, हवाईअड्डों, बंदरगाहों, सड़कों, तेल रिफाइनरियों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, स्टील प्लांटों आदि सहित कई बड़ी परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर ऋण समूहन के माध्यम से वित्तीय व्यवस्थाएं हासिल की हैं. कुछ मामलों में आपके बैंक ने संपूर्ण या आंशिक ऋण आवश्यकता के लिए हामीदारी दी है ताकि त्वरित वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके. आपके बैंक ने अब तक ₹ 2 लाख करोड़ से अधिक के ऋण समूहन अधिदेश पूरे किए हैं.

आपका बैंक भारत और समग्र एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख ऋण समूहनकर्ता के रूप में हमेशा ही जाना जाता रहा है. आपका बैंक बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं में बोली लगाने के इच्छुक डेवलपरों को संरचनागत व सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करता है. इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए आपके बैंक के पास योग्य व अनुभवी व्यावसायिकों की एक टीम उपलब्ध है. ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं को देखकर उनके लिए त्वरित समाधान भी उपलब्ध कराए जाते हैं. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपके बैंक की समग्र शुल्क आधारित आय में समूहन, संरचनागत व सलाहकारी सेवाओं का योगदान लगभग 15% रहा.

पर्यावरण संरक्षण योजनाएं

आपके बैंक ने पर्यावरण बैंकिंग के क्षेत्र में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभायी है. विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा आपका बैंक क्योटो प्रोटोकॉल तथा स्वैच्छिक उत्सर्जन न्यूनीकरण (वीईआर) के अंतर्गत स्वच्छता विकास व्यवस्था (सीडीएम)/ कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहा है. आपका बैंक वर्ष 1991 से चिलर क्षेत्र में ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस (ओडीएस) को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने तथा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए तैयार की गई अनूठी परियोजना 'भारत में चिलर ऊर्जा कार्यकुशलता परियोजना' (आईसीप) के अंतर्गत विश्व बैंक निधीयन के लिए वर्ष 2009 से वित्तीय मध्यवर्ती के रूप में कार्य कर रहा है.

कार्बन क्रेडिट सेवाएं

आपके बैंक ने स्वच्छ विकास व्यवस्था (सीडीएम) पर विशेषीकृत कार्बन क्रेडिट / उत्सर्जन व्यापारिक सलाह पर जोर देने के लिए एक टीम का गठन किया है. बैंक सीडीएम परियोजनाओं तथा कार्बन क्रेडिट बाजार से संबंधित सभी सेवाओं जैसे सीडीएम परियोजनाओं का निधीयन, सीडीएम परियोजना के पंजीयन हेतु तकनीकी परामर्शी सेवा प्रदान करना, प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरण (सीईआर) तथा सत्यापित उत्सर्जन न्यूनीकरण (वीईआर) ट्रेडिंग के लिए सलाहकारी सेवाएं, कार्बन क्रेडिट / कार्बन क्रेडिट प्राप्तियों पर अपफ्रंट वित्तपोषण तथा व्यावहारिक सीडीएम के लिए सलाहकारी सेवाओं को सुगम बना रहा है.

ओजोन डिप्लीटिंग सब्स्टैंस (ओडीएस) फेज-आउट परियोजनाएं

आपका बैंक मांट्रियल प्रोटोकॉल में अपेक्षित रूप में भारत में क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सीएफसी) तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड (सीटीसी) के उत्पादन और प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने में लगी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक की ओजोन ट्रस्ट फंड (ओटीएफ) द्वारा संचालित ओजोन डिप्लीटिंग सब्स्टैंस (ओडीएस) फेज आउट परियोजनाओं (ओडीएस III तथा IV) के लिए वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है. विश्व बैंक और भारत सरकार ने ओडीएस III तथा IV परियोजनाओं की अवधि क्रमशः 30 अप्रैल 2012 और दिसंबर 2012 तक बढ़ा दी है. ओडीएस III तथा IV परियोजनाओं के अंतर्गत आपके बैंक के माध्यम से 31 मार्च 2012 तक संचयी रूप से कुल 123 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य निधियां संवितरित की गयी हैं.

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में एकीकृत ट्रेजरी है जिसमें ग्राहक को जी-सेक, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, सीडी एवं एक्सचेंज पर किए जाने वाले

करेंसी फ्युचर सौदों जैसे विभिन्न प्रकार के ट्रेजरी उत्पाद के विकल्प प्रदान करते हुए निधियों के बेहतर प्रबंधन तथा प्रतिलाभ के लिए मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा विनिमय, डेरिवेटिव और ईक्विटी क्रय-विक्रय परिचालनों के विभिन्न कार्य किए जाते हैं.

आपके बैंक ने तुलन-पत्र में वृद्धि और देयताओं के भुगतान हेतु चलनिधि का प्रबंध करने के लिए जमाराशियों के अलावा जमा प्रमाणपत्र, अंतर बैंक उधार राशियां, बांडों के निर्गम, विभिन्न संस्थाओं से पुनर्वित्त और विदेशी मुद्रा उधार राशियां सहित विभिन्न लिखतों का प्रयोग किया. अल्पावधि चल निधि का प्रबंधन माँग, संपार्श्विक उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) तथा एलएएफ बाज़ार परिचालनों के ज़रिए किया गया. पर्याप्त अस्थिरता और कठिन प्रतिफल के बावजूद आपके बैंक ने एसएलआर पोर्टफोलिओ का लाभदायक प्रबंधन किया.

इस साल 30 नवंबर 2011को रिज़र्व बैंक ने भारतीय बाज़ार में ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) शुरू किया. 7 दिसंबर 2011 को आपका बैंक देशी बाज़ार में सीडीएस के अंतर्गत संरक्षण बेचने वाला पहला बैंक बन गया. इसलिए आपके बैंक को 26 जनवरी 2012 को मलेशिया में संपन्न फिमडा कान्फरेंस में पुरस्कार प्राप्त हुआ. यह पुरस्कार मलेशियन सेंट्रल बैंक के माननीय गवर्नर डॉ. ज़ेटी अख़्तर अज़ीज़ के कर कमलों से प्राप्त हुआ. आपका बैंक भारत के सीडीएस बाज़ार में अग्रणी बन गया है. इस बाज़ार में ऋण जोखिम के हेजिंग तथा सीडीएस बाज़ार बनाने की अपार संभावना है.

आपके बैंक की ट्रेज़री की एक बड़ी सेल्स टीम है, जो 10 केंद्रों में फैली हुई है. यह टीम विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव प्रोडक्ट की प्रभावी मार्केटिंग करती है. यह टीम कॉरपोरेट ग्राहकों से नियमित रूप से संपर्क करती है और उन्हें मुद्रा तथा दर बाज़ारों में अस्थिरता से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए तत्परतापूर्वक समाधान उपलब्ध कराती है. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपके बैंक ने ग्राहकों को उनकी विदेशी मुद्रा जरूरतों को पूरा करने और उनकी ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी विनिमय दर जोखिम से बचाव के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत विकल्पों व स्वैप के ज़रिए विभिन्न प्रकार के ग्राहकीकृत समाधान प्रतिस्पर्धी दरों पर प्रदान किये.

इसके अलावा आपके बैंक ने विभिन्न केंद्रों पर ऋण विक्रय टीमों का गठन किया है, जो स्क्रीन आधारित एनडीएस-ओएम मार्केट से बाहर के ग्राहकों की आवश्यकता पूरी करती है. आपके बैंक ने भारतीय बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों की ख़रीद-फरोख्त की अप्रयुक्त संभावना का दोहन करने के लिए नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी तैयार की है. आपका बैंक देश का ऐसा पहला बैंक है, जिसने सरकारी प्रतिभूतियों के रिटेल निवेशकों के लिए इंटरनेट आधारित पोर्टल तैयार किया है. 'आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक' नामक इस पोर्टल को निवेशक वर्ग से अच्छा प्रतिसाद मिला है. आपके बैंक की इस अनुकरणीय पहल से निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से मिलने वाले सुरक्षित, नकद और जोखिम रहित प्रतिलाभ प्राप्त करने का अवसर मिला है.

सीमा-पार शाखाएं

वैश्वीकरण की बढ़ती गति के साथ आपके बैंक के अनेक प्रतिष्ठित ग्राहकों को विदेशी वित्त की जरूरत पड़ती है. इस दिशा में आपके बैंक ने विदेशी बाजारों में प्रवेश किया ताकि इसके भारतीय ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पाद ऑफर करते हुए घरेलू बैंकिंग को सुदृढ़ किया जा सके.

दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई स्थित आपके बैंक की पहली विदेशी शाखा ने अपने परिचालन के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं. आपका बैंक डीआईएफसी शाखा के ज़रिए अपने भारतीय ग्राहकों की भारतीय परिचालनों और विदेशी उपक्रमों के लिए निधि संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ईसीबी विस्तार, विदेशी मुद्रा ऋण समूहन व व्यापार वित्त उत्पादों सहित कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है. यह शाखा आपके बैंक के लिए विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के लिए नोडल पॉइंट का भी काम करती है.

31 मार्च 2012 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक की डीआईएफसी शाखा ने 14.16 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवल लाभ अर्जित किया है.

आपके बैंक ने सिंगापुर में अपतटीय बैंकिंग इकाई (ओबीयू) खोलने के लिए मॉनिटरी अथारिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) के पास तथा शंघाई में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए चाइना बैंकिंग रेग्युलेटरी कमीशन (सीबीआरसी) के पास भी आवेदन प्रस्तुत किये हैं. यथासमय आपका बैंक विदेश में भी अपनी उपस्थिति को विस्तार देगा.

विदेशी मुद्रा संसाधन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 2,474.02 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य राशि जुटाई, जिसमें से (i) 230 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य राशि रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक लेन-देन योजना के अंतर्गत अंतर बैंक सौदों के माध्यम से विदेशी बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं व भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से जुटाई गई; (ii) 465 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि क्लब / समूहन ऋण के ज़रिए जुटाई गई; (iii) 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के मध्यावधि नोट (एमटीएन) कार्यक्रम के अंतर्गत डिम सुम बॉड के निर्गम के ज़रिए 650 मिलियन रेनमिन्बी (आरएमबी) (102.31 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) की राशि जुटाई गई; (iv) 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के मध्यावधि नोट (एमटीएन) कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पावधि बांड निर्गमन (निजी नियोजन) के ज़रिए 147.60 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि जुटाई गई; तथा (v) बैंकों से अल्पावधि उधारियों के ज़रिए 1,529.11 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि जुटाई गई.

31 मार्च 2012 को रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक लेन-देन योजना के अंतर्गत कुल बकाया उधार राशि (848.82 मिलियन अमरीकी डॉलर) रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार टीयर I पूंजी के 50% की सीमा के भीतर थी. जैसाकि पहले बताया गया है, आपके बैंक ने नवंबर 2011 में 4.5% की नियत ब्याज दर पर 3 वर्ष की परिपक्वता अवधि

वाले 650 मिलियन रेनमिन्बी (आरएमबी) राशि के डिम सुम बॉंड जारी किए. आपके बैंक द्वारा जारी डिम सुम बॉंड भारत तथा अन्य उभरते बाज़ारों से ऐसा पहला निर्गम था. इस निर्गम से वैश्विक नियत आय निवेशकों का आईडीबीआई बैंक के प्रति विश्वास प्रमाणित होता है. इसके अलावा आपके बैंक ने अक्टूबर 2015 में देय 3 वर्ष की अवधि के सीएचएफ 110 मिलियन राशि के 3.125% फिक्स्ड रेट नोट भी जारी किए.

आपके बैंक ने सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के मध्यावधि नोट (एमटीएन) कार्यक्रम को जनवरी 2012 में अद्यतन कराया है. वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक आपके बैंक ने उक्त एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत 599.91 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य राशि जुटाई.

रेटिंग

आपका बैंक देशी तथा विदेशी मुद्रा उधारों, दोनों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करता है. रुपया संसाधनों के लिए रेटिंग नीचे दी गई है.

तालिका 3 : देशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग (यथा 31 मार्च 2012)

	क्रिसिल	इक्रा	फिच
सावधि जमाराशियां	एफएएए / स्टेबल	एमएए+	फिच एएए (इंड)
अल्पावधि उधारराशियां (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	(इक्रा) ए1+	फिच ए1+(इंड)
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टीयर II बांड)	क्रिसिल एए+/स्टेबल	(इक्रा)एए+/ स्टेबल	फिच एए+(इंड)
संकर पूंजी - अपर टीयर II बांड	क्रिसिल एए/स्टेबल	(इक्रा)एए/ स्टेबल	फिच एए-(इंड)
संकर पूंजी - आईपीडीआई	क्रिसिल एए/स्टेबल	(इक्रा)एए/ स्टेबल	-

आपके बैंक की विदेशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाती हैं. मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज (मूडीज़) तथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी) ने आपके बैंक को सोवेरिन के समतुल्य अर्थात् क्रमशः बा 3 एवं बीबीबी-/ निगेटिव रेटिंग दी है.

दीर्घावधि रुपया उधारियां

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने बांडों के निर्गमन के ज़रिए ₹ 3,134.40 करोड़ की राशि जुटाई, जिसमें से अपने सीआरएआर में सुधार लाने के लिए लोअर टीयर II बांडों के जरिए ₹ 2,834.40 करोड़ तथा सीनियर बॉंडों के जरिए ₹ 300 करोड़ शामिल हैं.

परिसंपत्ति गुणवत्ता

मार्च 2012 के अंत में आपके बैंक की 98.4% ऋण परिसंपत्तियां मानक थीं. मार्च 2012 के अंत में आपके बैंक की ऋण परिसंपत्तियों में अवमानक ऋण परिसंपत्तियां 1.1% थीं, जबकि संदिग्ध परिसंपत्तियां 0.5% रहीं जिनके लिए मौजूदा विवेकपूर्ण विनियमों के अनुरूप पर्याप्त प्रावधान किये गये. आपके बैंक ने परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाने और साथ ही बैंक के निवल लाभ में बढ़ोत्तरी करने के लिए वसूली के विभिन्न प्रयास जारी रखे. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपने पोर्टफोलियो में से अनर्जक परिसंपत्तियों / पूरी तरह से बट्टे खाते डाले गये मामलों के निपटान के लिए कई उपाय किये. प्रत्येक मामले की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार देयताओं की पुनर्संरचना, एकबारीय निपटान / बातचीत से तय निपटान, कानूनी कार्रवाई, सरफाइसी अधिनियम के तहत कार्रवाई, डीआरटी / ओएल में पड़े बिक्री आगम के वितरण से वसूली, प्रबंधन-वर्ग में परिवर्तन, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को परिसंपत्तियों की बिक्री, रणनीतिक निवेशकों को शामिल करने जैसे विभिन्न उपाय किये गये. 31 मार्च 2012 को आपके बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 68.28% था.

जोखिम प्रबंध

कारोबारी जोखिमों का प्रभावी प्रबंध आपके बैंक की रणनीति का अभिन्न अंग है. आपके बैंक का जोखिम प्रबंध दर्शन दो उद्देश्यों से निर्देशित होता है - शेयरधारकों के मूल्य में सतत् वृद्धि और दूसरा, पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग. दरअसल, आपका बैंक पूरे बैंक में जोखिम के प्रति जागरूकता पैदाकर और उसे निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाकर जोखिम संस्कृति को अगले स्तर तक ले जाने की दिशा में प्रयासरत है. अतएव जोखिम की कुशलतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से पहचान, आकलन, निगरानी तथा नियंत्रण को उचित प्राथमिकता दी जाती रही है.

आपके बैंक में एक समन्वित जोखिम प्रबंध कार्यप्रणाली है जो उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंध के विभिन्न पहलुओं को देखती है. समग्र जोखिम प्रबंध की जिम्मेदारी निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) की है, यद्यपि दैनंदिन कार्यकलाप विभिन्न स्तरों पर किये जाते हैं. प्रभावी जोखिम प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संरचना, नीतियाँ तथा समीक्षा प्रणालियाँ लागू की गई हैं. पूरे बैंक में निर्णय लेने में जोखिम के प्रति जागरूक तथा अनुशासित रहने की दृष्टि से बैंक में जोखिम प्रबंध प्रणालियों के संपूरक के तौर पर एक सुस्थापित, प्रभावी तथा स्वतंत्र आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था मौजूद है.

निरंतर जटिल होती जा रही वित्तीय प्रणाली की चुनौतियों का सामना करने के लिए जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए आपका बैंक प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) क्षमता बढ़ाने के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत सभी शाखाओं के समावेशन से लाभान्वित है. जोखिम-तंत्र प्रणाली को और भी अधिक सुदृढ़ तथा तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंध संरचना (आईआरएमए) को कार्यान्वित किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान, अर्थात् जोखिम आकलन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी आकलन मॉडल (सीएएम) और व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (कोर) शामिल है. आरएएम एक द्विआयामी वेब आधारित रेटिंग प्रणाली है, सीएएम ऋण जोखिम के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की गणना करता है और कोर परिचालनगत जोखिम का पता लगाने की प्रणाली है. इन प्रणालियों द्वारा बासेल-II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों से यथासमय अंतरण में सुविधा होगी.

बासेल-II मानदंडों का कार्यान्वयन

आपका बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बासेल-II मानदंडों का 31 मार्च 2009 से ही अनुसरण कर रहा है. बासेल-II के अंतर्गत पिलर-1 मानदंडों के अनुपालन में आपका बैंक ऋण, बाज़ार और परिचालनगत जोखिम हेतु विनियामक पूंजी आवश्यकता की गणना करता है. 31 मार्च 2012 को बैंक का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) 14.58% था जो 9% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक है. इसी प्रकार, बैंक का टियर-I अनुपात 8.38% रहा जबकि विनियामक अपेक्षा 6% है.

आपका बैंक बासेल - II मानदंडों के कार्यान्वयन को मूल्य सृजन पर विशेष ध्यान के साथ जोखिम प्रबंध में उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के लिए एक रणनीतिक और प्रगामी प्रक्रिया मानता है. वर्तमान में, आपका बैंक ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण का अनुसरण करता है और बासेल-II के उन्नत (आंतरिक रेटिंग आधारित) दृष्टिकोणों में अंतरण की दिशा में तैयारी के लिए अपनी ऋण जोखिम प्रबंध प्रणाली को और उन्नत तथा मजबूत बनाने की प्रक्रिया में है. इसी तरह, बाज़ार जोखिम के लिए आपका बैंक विनियामक पूंजी की गणना करने के लिए मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का प्रयोग करता है और आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) में निर्बाध अंतरण के लिए जोखिम-मूल्य आधारित प्रणाली कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का अनुसरण करता है. उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) में अंतरण प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, विभिन्न कारोबारी खंडों में मुख्य जोखिम संकेतकों और जोखिम एवं नियंत्रण स्व-निर्धारण (आरसीएसए) ढाँचे का एक नया सेट कार्यान्वित किया जा रहा है.

बासेल II के अंतर्गत पिलर - II मानदंडों के अनुपालन में आपके बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संबंधी नीति है. इस नीति द्वारा बैंक उन जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन और गणना कर सकेगा जो पिलर-1 में सामने नहीं आ पाए हैं और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में ऐसे जोखिमों के प्रबंध के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ भी बना सकेगा.

बासेल-II के पिलर-III मानदंडों के अनुपालन में आपके बैंक ने एक प्रकटन नीति तैयार की है और तदनुसार 31 मार्च 2012 तक के प्रकटनों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है और साथ ही उन्हें आपके बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है. पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संबंध में भी प्रकटन को तिमाही आधार पर आपके बैंक की वेबसाइट पर अद्यतन किया जाता है.

बासेल - III मानदंडों के लिए तैयारी

पूंजी की गुणवत्ता और चलनिधि विनियमों को मजबूत बनाकर बैंकिंग क्षेत्र की समुत्थानशीलता में सुधार लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बासेल - III मानदंडों के आधार पर दिशानिर्देश जारी किये हैं.

गुणवत्तापूर्ण पूंजी की बढ़ती मांग को देखते हुए आपके बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान्य पूंजी आबंटन के जरिए अपनी सामान्य ईक्विटी पूंजी बढ़ायी है. बासेल - III मानदंडों के कार्यान्वयन की दिशा में आंकड़ों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) को और मजबूत बनाया जा रहा है.

ऋण जोखिम

बैंकिंग कारोबार में ऋण जोखिम के महत्व को समझते हुए आपके बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंध प्रणाली लागू की है जिसमें प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए वेब आधारित जोखिम आकलन मॉडल (आरएएम) और पूंजी की गणना के लिए स्वचालित प्रणाली शामिल हैं. कार्यक्षम ऋण मूल्यांकन, ऋण वितरण, पोर्टफोलियो प्रबंध और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आपका बैंक एक सक्रिय ऋण नीति का अनुसरण करता है जिसे आपके बैंक के कारोबारी उद्देश्यों को सम्मिलित करने के लिए मौजूदा कारोबारी तथा सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.

शीर्ष स्तरीय रेटिंग समिति ऋण रेटिंगों की अभिपुष्टि करती है और जोखिम विश्लेषकों तथा संपर्क प्रबंधकों को मागदर्शन भी देती है. एक सक्रिय उपाय के रूप में आपका बैंक विभिन्न ऋण सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी करता है जिसमें विभिन्न देशों, खंडों, क्षेत्रों तथा उद्योगों में ऋण निवेश शामिल हैं.

बाज़ार जोखिम

सम्बद्ध मानदंडों अर्थात् ब्याज दरों, ईक्विटी मूल्यों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले बाज़ार जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन समग्र जोखिम प्रबंध प्रणाली का एक अभिन्न अंग है. इस दिशा में, व्यापारिक बही सीमाओं का निर्धारण एवं निगरानी, बाजार दरों पर पोर्टफोलियो का मूल्यांकन आदि सहित संबंधित उपाय किये जाते हैं जिसमें व्यापारिक बही का इष्टतम योगदान सुनिश्चित किया जाता है. आपके बैंक के कारोबारी उद्देश्यों के अनुरूप, जोखिम - प्रतिफल समायोजन को इष्टतम बनाने के लिए दबाव स्थितियों सहित विभिन्न परिदृश्यों में व्यापारिक बहियों का पोर्टफोलियो विश्लेषण भी किया जाता है.

बाज़ार जोखिमों का प्रबंध परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाज़ार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति में परिभाषित नीतिगत ढांचे के अनुसार किया जाता है. सामान्य तौर पर ये नीतियां जोखिम उठाने के उपयुक्त स्तरों का निर्धारण करती हैं और जोखिमों और अपवादों, यदि कोई हैं, के आकलन, रिपोर्टिंग तथा वृद्धि हेतु व्यवस्थाएं तय करती हैं.

चल निधि व ब्याज दर जोखिम में आपके बैंक के एक्सपोजर को सुरक्षित करने के लिए जोखिम सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं. परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) वास्तविक जोखिम स्थिति पर नियमित निगरानी रखती है और आवश्यकतानुसार परिसंपत्ति-देयता के अंतर को विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर रखने के लिए कदम उठाए जाते हैं. आपके बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) स्थिति के बारे में एल्को, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) व रिज़र्व बैंक को आवधिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है.

चूंकि जोखिम-मूल्य आधारित संगणना व्यापारिक बही में जोखिम तत्व का आकलन करने के लिए कार्यक्षम है, आपका बैंक संपूर्ण बाजार जोखिम संबंधित लेन-देनों की निगरानी के लिए जोखिम आधारित निगरानी की ओर अग्रसर है.

परिचालनगत जोखिम

कारोबारी कार्यकलापों में अंतर्निहित परिचालनगत जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एक प्रभावी परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा कार्यान्वित किया है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रवाह की गणना के लिए बासेल II के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल संकेतक दृष्टिकोण का अनुसरण करता है. तथापि, उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) में अंतरण के उद्देश्य से आपका बैंक सतत् आधार पर कौशल, प्रौद्योगिकी तथा प्रकियाओं के उन्नयन के लिए बहु-विध कदम उठा रहा है. इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट परिचालन जोखिम समूह तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति को प्रस्तुत की जाती है.

ऐतिहासिक हानि आंकड़े के आधार पर उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) के अंतर्गत पूंजी का अनुमान लगाने के उद्देश्य से आपका बैंक बासेल II में परिभाषित कारोबारी क्षेत्रों के अनुसार विभिन्न परिचालनगत क्षेत्रों पर परिचालनगत हानि आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया में है. इसके अलावा, एक सक्रिय जोखिम न्यूनीकरण रणनीति के रूप में तथा परिचालनगत हानि की घटनाओं की समय पर रिपोर्ट देने के उद्देश्य से, विभिन्न कार्यों / शाखाओं में कार्यरत बैंक अधिकारियों के लिए परिचालनगत जोखिम तथा धोखाधड़ी निगरानी पर क्लास रूम तथा ई-लर्निंग के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये.

कारोबार निरंतरता के क्षेत्र में, कारोबार व्यवधान या आपदा की घटना में महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाएं जारी रखने के लिए आपके बैंक के पास अच्छी तरह से आजमाई गयी एक कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) है. इस योजना से आपके बैंक को किसी कारोबार व्यवधान की स्थिति में अपने मूल्यवान ग्राहकों को यथासंभव शीघ्र समय में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी. कारोबार निरंतरता योजना के वास्तविक जीवंत परीक्षण से पूर्व उचित परीक्षण तकनीकों अर्थात् अधिसूचना तथा कालआउट परीक्षण तथा टेबल-टॉप परीक्षण / संरचित वॉक थ्रू परीक्षण

के माध्यम से कारोबार निरंतरता योजना की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है. इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी निरंतर तथा अविच्छिन्न ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एक डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट की स्थापना की है. अनुरूपक आपदा स्थितियों में बैंकिंग सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से डिजास्टर रिकवरी ड्रिल किये जाते हैं.

उत्पाद जोखिम

आपका बैंक नये उत्पाद हेतु एक सुदृढ़ अनुमोदन प्रक्रिया का अनुसरण करता है जिसमें संकल्पना वैधीकरण, महत्वपूर्ण धारणाओं की पुष्टि, प्रौद्योगिकीय क्षमता आदि जैसे व्यापक जोखिम मूल्यांकन तथा न्यूनीकरण प्रणाली शामिल हैं. साथ ही, किसी नये उत्पाद के शुभारंभ से पूर्व उसके विभिन्न पहलुओं को परखने के लिए एक उचित संरचना और प्रणाली लागू की गयी है.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

ग्राहकों को बेहतर सेवाएं / योजनाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का प्रयोग करने में अग्रणी होने के नाते आपका बैंक प्रभावी आईटी जोखिम प्रबंध की आवश्यकता को भी महसूस करता है. बैंक की आईटी जोखिम न्यूनीकरण रणनीति में सूचना सुरक्षा पहलुओं के अलावा अनुपालन व निजता के पहलू भी शामिल हैं. सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी) लागू करने का उद्देश्य यह है कि सूचनाएं अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रहें और सूचनाओं की गोपनीयता तथा विश्वसनीयता बनी रहे, साथ ही अधिकृत उपयोगकर्ताओं को आईटी संसाधन समय पर उपलब्ध हो सकें. उच्च-स्तरीय सूचना सुरक्षा संवीक्षा समिति (आईएसएससी) यह सुनिश्चित करती है कि आईटी संसाधनों के सतत संरक्षण की व्यवस्था बनी रहे. कर्मचारियों के लिए सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के नियमित आयोजन के अलावा ग्राहकों को विभिन्न सूचना सुरक्षा सावधानियों के बारे में भी सूचित किया जाता है.

आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सिस्टम को एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है. आपके बैंक के केंद्रीकृत डाटा सेंटर को प्रतिष्ठित सूचना सुरक्षा प्रमाणन आईएसओः 27001 प्राप्त है. 'फिशिंग' हमलों के प्रति कारगर कार्रवाई करने हेतु सुरक्षा स्तरों को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं. आपका बैंक सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंध और साइबर धोखाधड़ियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में परिकल्पित रूप में बैंकिंग प्रक्रियाओं में संरक्षा, सुरक्षा तथा कार्यकुशलता को और बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है.

संक्षेप में, आपके बैंक के पास जोखिम के विभिन्न फलकों की पहचान करने और उनके प्रभावी एवं कार्यक्षम प्रबंध के लिए एक सुसंरचित जोखिम प्रबंध ढांचा है. शीर्ष प्रबंध-तंत्र के दिशानिर्देश के अंतर्गत सतत् प्रयासों के साथ आपके बैंक में जोखिम के बारे में जागरूकता आम स्टाफ तक पहुँच गयी है. इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाये रखने के लिए उपयुक्त न्यूनीकरण तथा कीमत निर्धारण के जरिए बैंकिंग कारोबार से सहज रूप से जुड़े जोखिम - प्रतिफल समायोजन को उपयुक्त रूप से संतुलित करना है.

मानव संसाधन पहल कार्य

वर्ष 2011-12 के दौरान आपके बैंक ने 2670 कर्मचारियों (1782 अधिकारी, 888 एक्जीक्यूटिव) की भर्ती की, जिनमें से अनुसूचित जाति (अजा)के 529, अनुसूचित जनजाति (अजजा) के 228, अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) के 893 और अशक्त व्यक्ति श्रेणी के 90 कर्मचारी थे. 31 मार्च 2012 को आपके बैंक में 15,435 कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें 11,383 अधिकारी, 1608 एक्जीक्यूटिव (संविदा पर), 1333 लिपिकीय स्टाफ (श्रेणी III) और 1111 अधीनस्थ कर्मचारी (श्रेणी IV) थे. आपके बैंक ने सहक्रियात्मक कारोबारी हितों को एकीकृत करने की दिशा में एक कदम के रूप में अपनी दो सहायक संस्थाओं अर्थात् आईडीबीआई होम फाइनेंस लि. और आईडीबीआई गिल्ट्स लि. के विलय को पूरा किया और साथ ही मानव संसाधन की मुख्य धारा में मूल्यवान मानव पूंजी को सफलतापूर्वक एकीकृत किया.

उत्कृष्ट पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों को अपनी कार्यक्षमता तथा कार्य-निष्पादन बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करने के एक उपाय के रूप में आपके बैंक ने अपने अधिकारियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है. आपके बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मानव संसाधन मुद्दों पर खंडेलवाल समिति की सिफारिशों पर आधारित एक मानव संसाधन योजना तैयार की है और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए बोर्ड स्तरीय संवीक्षा समिति गठित की गयी है.

आपका बैंक 1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक की सेवा में आये नये भर्ती कर्मचारियों के लिए पीएफआरडीए की नई पेंशन योजना, जो एक सुस्पष्ट अंशदान पेंशन योजना है, को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है. आपके बैंक में औद्योगिक संबंध का माहौल वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण रहा जिससे कार्य में कोई व्यवधान नहीं हुआ और अधिकांश मुद्दों का आपस में समाधान किया गया.

अनुसूचित जातियों (अजा), अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) का प्रतिनिधित्व

आपका बैंक अप्रैल 1977 से सीधी भर्ती में और फरवरी 1980 से पदोन्नति में अजा/अजजा के लिए आरक्षण के नियमों को लागू कर रहा है. आपका बैंक सीधी भर्ती में सितंबर 1993 से अपिव के लिए भी आरक्षण लागू कर रहा है. भारत सरकार द्वारा जारी "सेवाओं में अनुसूचित जातियों (अजा), अनुसूचित जनजातियों (अजजा) एवं अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) के लिए आरक्षण संबंधी ब्रोशर" के संशोधित अनुदेशों के अनुसार आरक्षण रजिस्टर को विधिवत् अपनाया गया है. आपके बैंक में 31 मार्च 2012 को विभिन्न संवर्गों की कुल संख्या में अजा, अजजा और अपिव का प्रतिनिधित्व **तालिका 4** में दिया गया है.

तालिका 4 : अजा / अजजा / अपिव का प्रतिनिधित्व

मानव शक्ति	कुल संख्या	जिनमें से		
		अजा	अजजा	अपिव
अधिकारी	11,383	1336	477	1817
एक्जीक्यूटिव	1608	274	48	542
लिपिकीय	1333	142	40	121
अधीनस्थ स्टाफ (स्वीपरों को छोड़कर)	870	210	64	145
स्वीपर	241	60	18	46
कुल	15,435	2022	647	2671
कुल संख्या का %		13.10	4.19	17.30

अजा/अजजा/अपिव संख्या - आईडीबीआई होम फाइनेंस लि. और आईडीबीआई गिल्ट्स लि. के कर्मचारियों को छोड़कर.

31 मार्च 2012 को बैंक में 45 भूतपूर्व सैनिक और 203 अशक्त व्यक्ति थे. आपका बैंक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अशक्त व्यक्तियों (पीडब्यूडी) के लिए अलग से रोस्टर रखता है. आपके बैंक ने अजा / अजजा / पीडब्ल्यूडी तथा अपिव के कर्मचारियों की शिकायतों का प्रभावी रूप से निराकरण करने के लिए संबंधित श्रेणी में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की है.

मानव संसाधन - प्रशिक्षण एवं विकास

विगत वर्षों में, आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास की दिशा में कई प्रशिक्षण पहल कार्य किये हैं ताकि वे संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा कर सकें. सही क्षमताओं से सम्पन्न कर्मचारियों ने आपके बैंक के विकास को अंजाम दिया है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 460 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 11,252 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया. इसके अलावा, 483 अधिकारियों को भारत में प्रतिष्ठित अन्य संस्थानों / प्रशिक्षण संगठनों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया और 62 अधिकारियों को विदेशों में आयोजित कार्यक्रमों / सम्मेलनों / सेमिनारों के लिए नामित किया गया. आपके बैंक ने हैदराबाद में स्थित जवाहरलाल नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा नई दिल्ली में स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में मौजूदा प्रशिक्षण क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग किया है. जेएनआईबीएफ, हैदराबाद में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नेतृत्व उत्कृष्टता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गयी. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के रूप में, आपके बैंक ने एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में विकास वित्तपोषण

संस्थाओं के संघ (एडफिएप) और वाशिंगटन आधारित सेंटर फार इंटरनेशनल प्राइवेट एंटरप्राइज़ (सीआईपीई) के सहयोग से "भारत में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिकता का संस्थापन" विषय पर सेमिनार का आयोजन किया. इस सेमिनार में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

आपका बैंक न केवल बैंकिंग प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करता है, बल्कि ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल अर्थात् आई-वर्सिटी एवं आई-ब्लॉगर के जरिए शिक्षण पहलों के लिए भी प्रौद्योगिकी प्रदान करता है जो आपके बैंक के स्टाफ को उत्पादों, प्रक्रियाओं के बारे में अद्यतन रखती है और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में उनकी सहायता करती है. कौशल उन्नयन एवं शिक्षण की प्रक्रिया ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के माध्यम से सतत् आधार पर थी और कुछ ऑनलाइन परीक्षाओं के पूरा होने के बाद प्रमाणपत्र प्रदान किये गये.

'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में अपनी भूमिका में आपके बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, जवाहरलाल नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैंस ने न केवल आपके बैंक के स्टाफ को तैयार करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये हैं, बल्कि अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ अपनी विशेषज्ञता का वाणिज्यिक आधार पर आदान-प्रदान भी किया है जिससे आपके बैंक के लिए लाभ अर्जित हुआ है.

आंतरिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक में सुसज्जित आंतरिक लेखापरीक्षा और विनियामक अनुपालन विभाग है जो विभिन्न कारोबारी वर्टिकलों / सहायता वर्टिकलों तथा शाखाओं द्वारा किये जा रहे सभी कार्यकलापों का नियमित स्वतंत्र मूल्यांकन करता है. इस कार्य के प्रमुख वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारी हैं जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं. लेखापरीक्षा नियत कार्यों को करते समय अपनी स्वतंत्रता तथा वस्तुनिष्ठता को बनाए रखता है.

आपके बैंक ने अपने कार्यों के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा को अपनी रणनीति के रूप में अपनाया है. इसके अलावा, वेब आधारित लेखापरीक्षा प्रबंध प्रणाली के कार्यान्वयन, परोक्ष निगरानी, महत्वपूर्ण केंद्रों पर लेखापरीक्षा केंद्र (ऑडिट हब) की स्थापना, सुस्पष्ट लेखापरीक्षा फॉर्मेटों के जरिए लेखापरीक्षा की व्यापक तथा सार्थक व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा नमूनों के सुव्यवस्थित चयन के जरिए आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की प्रभावशीलता बढ़ायी गयी है.

आपके बैंक के पास परिचालनों के स्वरूप और जटिलताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी और आईटी सुरक्षा (आईएस) संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था के हिस्से के रूप में अनुभवी आंतरिक सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा (आई एस ऑडिट) मौजूद है.

आपके बैंक ने आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ बनाने के लिए विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के पूरक के रूप में एक व्यापक संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली कार्यान्वित की है.

आपके बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली लागू की गयी. इस प्रणाली का उद्देश्य वैयक्तिक बड़े वाणिज्यिक ऋणों की गहन जांच-पड़ताल है. ऋण लेखापरीक्षा व्यवस्था को जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के अनुरूप बनाया गया है जो यह जांचने में सहायक होता है कि क्या ऋण मूल्यांकन, ऋणों की मंजूरी तथा ऋण प्रशासन के क्षेत्र में बैंक की निर्धारित नीतियों का अनुपालन किया गया है. ऋण लेखापरीक्षा चेतावनी संकेतों की प्रारंभिक पहचान भी सुगम बनाता है और पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में समग्र सुधार को ध्यान में रखते हुए त्वरित उपचारात्मक उपाय सुझाता है.

आपका बैंक आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता तथा प्रभावशीलता, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन का निरंतर आधार पर मूल्यांकन करता है और विभिन्न जोखिमों का समय पर समाधान करने के लिए नियंत्रणों को मजबूत और चुस्त-दुरुस्त बनाने के उपाय सुझाता है. इसे ध्यान में रखते हुए आपका बैंक जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति, संगामी लेखापरीक्षा नीति और सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा नीति की वार्षिक आधार पर समीक्षा करता है.

धोखाधड़ी प्रबंध प्रणाली

आपके बैंक ने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अंतर्गत एक समर्पित समूह अर्थात् धोखाधड़ी निगरानी समूह के माध्यम से धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था शुरू की है. धोखाधड़ियों की निगरानी और समीक्षा करने के लिए धोखाधड़ी समीक्षा परिषद् (एफआरसी) का गठन किया गया है जिससे प्रणालीगत खामियों, यदि कोई हैं, की पहचान की जा सके, सुधारात्मक उपाय शुरू किये जा सकें, जांच प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी की जा सके. धोखाधड़ी निगरानी समूह धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई, जैसे आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाना और आवश्यकता आधारित उपचारात्मक उपाय करना, की प्रभावोत्पादकता की भी समीक्षा करता है. धोखाधड़ियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए एक विस्तृत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंध नीति कार्यान्वित की गई है.

परिचालनगत कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रकियाओं को सरल एवं कारगर बनाने के लिए लेखापरीक्षा, परिचालन जोखिम और अन्य परिचालनगत खंडों के बीच उचित समन्वय है. उद्योग की उत्कृष्ट पद्धतियों में अंतरण करने के प्रयास में आपके बैंक की पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं की बेंचमार्किंग पर जोर दिया जा रहा है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और कार्यपालकों

की लेखापरीक्षा समिति कार्य-निष्पादन की निरंतर आधार पर समीक्षा करती है, आंतरिक लेखापरीक्षा के कर्मियों को दिशा-निर्देश देती है और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता और इसी प्रकार विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करती है.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में पूर्ण रूप से सुसज्जित सतर्कता विभाग सतर्कता से जुड़ी शिकायतों की जांच करने के लिए शीर्ष प्रबंधन को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने तथा नियंत्रण प्रणालियों और निर्धारित प्रक्रियाओं में कमियों, यदि कोई हैं, सुधार लाने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है. आपका बैंक सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने के लिए समय-समय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करता रहा है और इसने एक ऐसी प्रणाली शुरू की है जिसमें जनता / किसी अन्य स्रोत से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है.

आपके बैंक के इंट्रानेट पर सतर्कता विभाग साइट शुरू की गयी है. यह साइट सतर्कता विभाग का परिचय, बैंक की सभी शाखाओं / कार्यालयों में प्रदर्शित किये जानेवाले सीवीसी के मानक नोटिस फॉर्मेट, सीवीसी, सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ) तथा आपके बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले महत्वपूर्ण परिपत्र / दिशा-निर्देश / प्रकाशन और निवारक सतर्कता संबंधी 'क्या करें क्या न करें' के बारे में जानकारी प्रदान करती है. इससे अधिकारियों में सतर्कता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में आपके बैंक को सहायता मिली है.

वर्ष के दौरान बिना पूर्व सूचना दिए विभिन्न शाखाओं के सतर्कता दौरे किये गये ताकि वहां भ्रष्टाचार की स्थिति, कदाचार तथा निर्दिष्ट प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अननुपालन का पता लगाया जा सके और जहां आवश्यक समझा गया वहां सुधारात्मक उपाय सुझाये गए.

आपके बैंक के कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर 'निवारक सतर्कता' पर केंद्रित सतर्कता जागरूकता विषय पर कई चर्चापरक कार्यशालाएं व विशेषज्ञों के व्याख्यान और प्रस्तुतियां आयोजित की गईं. इन कार्यक्रमों में सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यों में निवारक सतर्कता बरतने की आवश्यकता और संगठनात्मक कार्यकुशलता के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सतर्कता जागरूकता की भूमिका पर समुचित बल दिया गया.

कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की बुराइयों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आपके बैंक के प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों में 31 अक्तूबर 2011 से 5 नवंबर 2011 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. इस अवसर पर आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने स्टाफ सदस्यों के लिए एक विशेष जर्नल जारी किया. प्रसंगवश, इस जर्नल को पब्लिक रिलेशन्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उत्कृष्ट टैबलाइड न्यूजलेटर के लिए कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

विनियामक अनुपालन

आपके बैंक ने विभिन्न सांविधिक और विनियामक शर्तों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं. वर्ष के दौरान अनुपालन से संबंधित कार्यकलापों को देखने के लिए अनुपालन विभाग की स्थापना की गई. आपके बैंक ने एक मुख्य महा प्रबंधक को मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया है. अनुपालन विभाग निम्नलिखित के अनुपालन का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है:

1. सांविधिक प्रावधान (बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, फेमा, धनशोधन निवारण अधिनियम आदि).
2. विनियामक दिशा-निर्देश (आरबीआई, आईआरडीए, सेबी आदि).
3. निर्धारित मानक एवं पद्धतियां (बीसीएसबीआई, आईबीए, फेडई, फिम्मडा आदि) और
4. बैंक की आंतरिक नीतियां.

विभाग बेहतर अनुपालन सुगम बनाने के लिए पूरे संगठन में सांविधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं के बारे में सूचना भी संप्रेषित करता है.

ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड

आपका बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है. आपके बैंक के निदेशक मंडल ने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड (कोड 2009) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कोड (एमएसई कोड) कार्यान्वयन हेतु अपनाया है. दोनों कोड स्वैच्छिक हैं जो बैंकों के लिए वैयक्तिक ग्राहकों के साथ और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ भी संव्यवहार करने के लिए अपनायी जाने वाली बैंकिंग पद्धतियों के न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं.

बैंक द्वारा उपर्युक्त कोडों के अनुपालन के अभिन्न भाग के रूप में कोड संबंधी जानकारी ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर, शाखाओं में, एटीएम में और साथ ही ग्राहकों के खाता विवरणों के साथ उपलब्ध कराई जाती है.

शिकायत निवारण तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संपूर्ण भारत में आपके बैंक के क्षेत्रीय प्रमुखों को कोड अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है और उनके संपर्क ब्योरे शाखाओं में तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किये गये हैं.

आपके बैंक में बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) और ग्राहक सेवा स्थायी समिति (एससीसीएस) गठित हैं. ये समितियां यह सुनिश्चित करती हैं कि ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के बीसीएसबीआई के वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बैंक की योजनाओं, प्रक्रियाओं और सेवाओं को समय-समय पर सरल एवं कारगर बनाया जाए.

ग्राहक सेवा एवं शिकायत प्रबंध

आपके बैंक ने भविष्य में सभी कार्यकलापों के लिए एक पथ-प्रदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करने के लिए हाल ही में नया संकल्प एवं ध्येय कथन अंगीकार किया है. बैंक का पहला ध्येय उत्कृष्ट सेवाओं और बेहतरीन वित्तीय समाधानों की व्यापक श्रृंखला के साथ ग्राहकों को आह्लादित करना है. आपके बैंक ने वस्तुतः अपने दर्शन के एक भाग के रूप में इस ध्येय को ग्रहण किया है. आपका बैंक सेवा-उन्मुख संगठन है और इस तथ्य को महसूस करता है कि उसकी सफलता ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और इसीलिए ग्राहक सेवा बैंक के केंद्र-बिंदु में आ जाती है. आपका बैंक निरंतर आधार पर यह सुनिश्चित करने की पहल करता है कि ग्राहक बैंक में चाहे जहां भी जाए, उसे संपर्क के हर बिंदु पर उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाओं का अनुभव हासिल हो.

आपके बैंक में ग्राहक सेवा तथा शिकायत प्रबंध के विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखने के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति और ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति (जिसकी अध्यक्षता उप प्रबंध निदेशक करते हैं और वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं) है. ग्राहक सेवा तथा शिकायत प्रबंध के मामलों में स्वतंत्र निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंध-वर्ग की सहभागिता यह सुनिश्चित करती है कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर यथेष्ट ध्यान दिया जाए.

आपके बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार लाने वाले कार्यकलापों को देखने के लिए एक केंद्रीकृत एवं समर्पित ग्राहक सहायता केंद्र (सीसीसी) की स्थापना की है. इसमें शाखाओं तथा सम्बद्ध काल सेंटरों से अग्रेषित ग्राहक शिकायतों और केंद्रीकृत ई-मेल यूनिट, वेबसाइट, कॉरपोरेट सेंटर में पत्रों के जरिए तथा सामाजिक प्रचार माध्यमों के जरिए मिली ग्राहक शिकायतों को प्राप्त करना और उनका समाधान करना शामिल है. ग्राहक सहायता केंद्र रिज़र्व बैंक, बैंकिंग लोकपाल, भारत सरकार तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों के जरिए प्राप्त शिकायतों का भी निपटान करता है.

ग्राहक सहायता केंद्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए, उन्हें रेकॉर्ड किया जाए तथा समाधान होने तक उन पर केंद्रीय रूप से नज़र रखी जाए. ग्राहक सहायता केंद्र प्राप्त शिकायतों के स्वरूप का विश्लेषण भी करता है और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग / शाखा को फीडबैक देता है. आपके बैंक ने बोर्ड अनुमोदित शिकायत निवारण नीति लागू की है. इस नीति में शाखा स्तर पर और अग्रेषण पर ग्राहक सहायता केंद्र स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए समय-सीमा निर्धारित की गयी है. ग्राहक सहायता केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतता है कि ग्राहक शिकायतों पर शिकायत निवारण नीति में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्रवाई की जाए और समय-बद्ध तरीके से उनका समाधान किया जाए. गुणवत्ता तथा कार्रवाई समय में कमी के प्रति आपके बैंक की वचनबद्धता के परिणामस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक को उसके ग्राहक सहायता केंद्र के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन **आईएसओ 9001 : 2008** से सम्मानित किया गया.

आपका बैंक इस बात को समझता है कि परिचालनगत पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं को सम्मानित ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए निरंतर सुधारा जाना चाहिए. ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति की बैठकों में एक ग्राहक को आमंत्रित किया जाता है जो आपके बैंक के साथ अपने सरोकारों का आदान-प्रदान करता है और यह सुझाव देता है कि आपका बैंक अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा कैसे प्रदान कर सकता है. आपके बैंक में शाखाओं के स्तर पर भी शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां (बीएलसीएससी) गठित की गई हैं. बीएलसीएससी में ग्राहक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं. इस समिति की ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए मासिक बैठकें होती हैं जिनसे ग्राहक सेवा में सुधार लाने में सहायता मिल सकती है. चालू वित्तीय वर्ष में आपके बैंक ने पुणे तथा कोचि में ''**ग्राहक सहायता अभियान**'' शीर्षक से बैठकें आयोजित कीं. इन बैठकों में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की ग्राहकों के साथ सीधी बातचीत हुई और बैंक के उत्पादों / सेवाओं में सुधार लाने के लिए उनके सुझाव / विचार आमंत्रित किये गये. आपके बैंक ने कई स्थानों पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का भी आयोजन किया जिनमें हमारे सेवा मानकों पर सम्मानित ग्राहकों से मूल्यवान जानकारी प्राप्त की गई. इस सर्वेक्षण से आपके बैंक को अपने समकक्षों की तुलना में अपने सेवा मानकों को बेहतर बनाने में सहायता मिली है. आगे चलकर यह सर्वेक्षण देश के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने वाला वार्षिक कार्य हो जाएगा. ग्राहक संतुष्टि की सतत् आधार पर निगरानी करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक फीडबैक फॉर्म रखा है जिससे ग्राहक बैंक की रेटिंग कर सकें और सुधार के लिए सुझाव भी दे सकें. आपके बैंक ने आंतरिक ग्राहक सुझाव सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है और बैंक के संपर्क बिंदुओं पर ग्राहकों से प्राप्त होने वाले सुझावों की जांच करने की प्रक्रिया भी शुरू की है. आपका बैंक बीएलसीएससी से प्राप्त सुझावों सहित ऐसे सभी सुझावों को कार्यान्वित करता है जो बैंक की मौजूदा नीति के अनुसार व्यवहार्य एवं वांछनीय पाये जाते हैं.

अक्तूबर 2011 के दौरान आपके बैंक के स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरू तथा गुवाहाटी में बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों में इन स्थानों के बैंकिंग लोकपालों

को ग्राहकों तथा स्टाफ सदस्यों के साथ परस्पर बातचीत करने और शिकायत प्रबंध तथा ग्राहक सेवा विषय पर उन्हें संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था. इन बैठकों में आपके बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी में उपस्थित थे. बैठकों के दौरान बैंकिंग लोकपाल ने बैंकिंग लोकपाल योजना पर चर्चा की और ग्राहकों को उनके अधिकारों से अवगत कराया. बाद में, आपके बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए सम्मानित ग्राहकों को ई-मेल भेजे.

आपके बैंक ने 12 से 17 दिसंबर 2011 के दौरान '**ग्राहक सम्पर्क सप्ताह**' मनाया. संपूर्ण भारत में आयोजित इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्राहक सेवा में सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर ग्राहक सेवा में सुधार लाना, ग्राहकों तथा स्टाफ की शिकायतों को समझना और शाखाओं के रखरखाव में समग्र सुधार लाना था. सप्ताह के दौरान आयोजित कुछ कार्यकलाप थे - ग्राहक सम्पर्क सप्ताह के बारे में ग्राहकों को सूचित करते हुए आकर्षक बैनर का प्रदर्शन, हमारे फेस बुक पेज और अन्य सामाजिक प्रचार-माध्यमों जैसे ट्विटर तथा गुगल + कार्यकलापों का प्रदर्शन. ग्राहकों को उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न अधिकारों और क्या करें तथा क्या न करें के बारे में सूचित करते हुए ई-मेल भेजे गये जिनमें फिशिंग से संबंधित सूचना, उनके खातों, डेबिट कार्ड, पिन आदि के प्रयोग के बारे में एहतियात आदि शामिल हैं.

भविष्य में भी आपका बैंक उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के प्रावधान के माध्यम से ग्राहक आह्लाद प्राप्त करने के लिए प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार जारी रखेगा. इसे आंतरिक समीक्षा एवं निगरानी के माध्यम से, उत्कृष्ट बाज़ार पद्धतियों का विश्लेषण द्वारा और साथ ही बहु चैनलों के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक के जरिए भी किया जाएगा. आपका बैंक फोन बैंकिंग यूनिट में "शिकायत समाधान मॉड्यूल" का कार्यान्वयन कर चुका है जिससे शिकायतों के त्वरित अग्रेषण और उनके समाधान में लगने वाले समय में कमी लाने में सहायता मिलेगी, और इस प्रकार कार्यकुशलता में सुधार होगा तथा ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होगी. अगले कदम के रूप में, इस मॉड्यूल का कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से शाखाओं तथा प्रोसेसिंग यूनिटों में किया जाएगा. इसके अलावा, आपका बैंक रिज़र्व बैंक तथा आईबीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है.

सूचना का अधिकार अधिनियम

विभिन्न लोक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005' अधिनियमित किया गया है. आपके बैंक ने अपने कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जानकारी माँगते हुए नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का उत्तर देने के लिए एक पुख्ता व्यवस्था बनाई है. बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों पर आवेदनों का उत्तर देने के लिए 25 केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किये हैं. इसके अलावा सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने और प्राप्त आवेदनों को नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. बैंक ने व्यथित आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया है. इसके अलावा सीआईसी के दिनांक 15 नवंबर 2010 के निदेश और 9 दिसंबर 2010 की अधिसूचना के अनुसार बैंक ने संस्थागत पारदर्शिता को बढ़ावा देने और आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कार्यपालक निदेशक को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीपीआईओ को नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है. इसके अलावा आरटीआई अधिनियम के महत्व के बारे में बैंक के अधिकारियों को अवगत कराने के उद्देश्य से बैंक के जेएनआईबीएफ, हैदराबाद और बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में आरटीआई अधिनियम पर एक विशिष्ट मॉड्यूल शामिल किया जा रहा है. बैंक के कामकाज से संबंधित समस्त जानकारी को शामिल करते हुए बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर आरटीआई अधिनियम पर एक अलग मेनू की व्यवस्था की गई है. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगते हुए 807 आवेदन प्राप्त हुए. अधिकांश आवेदन बैंक के खुदरा बैंकिंग परिचालन कार्यों से संबंधित थे. आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी आवेदनों के उत्तर दिए गए.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

आपके बैंक ने सरकारी निर्देशों के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना जारी रखा. आपके बैंक ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखे. बैंक ने प्रधान कार्यालय के विभागों / वर्टिकलों तथा शाखाओं में हिंदी के प्रयोग के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया. व्यापक जन समूह तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया. ग्राहकों की सुविधा के लिए आपके बैंक ने अधिकांश एटीएमों में हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में अनुदेश प्रदर्शित किए हैं. बैंक की वेबसाइट पर हिंदी में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी सक्षम वातावरण में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास किये गये. क्षेत्र 'क' में स्थित आपके बैंक की सभी शाखाओं में पास बुक, मांग ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, लेखा विवरण आदि ग्राहकों की मांग पर हिंदी में प्रिंट करने के लिए 'स्क्रिप्ट मैजिक' नामक एक फोंट कन्वर्टर लगाया गया है. स्टाफ सदस्यों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें राजभाषा नीति और भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के प्रावधानों से परिचित

कराने के के उद्देश्य से देश भर में विभिन्न केंद्रों पर राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और हिंदी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण दिया गया.

हिंदी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर और प्रधान कार्यालय में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं, व्याख्यान एवं कार्यक्रम आयोजित किये गए. प्रधान कार्यालय में स्टाफ सदस्यों के लिए आहार विज्ञान एवं स्वास्थ्य पर व्याख्यान का आयोजन किया गया. हिंदी दिवस समारोह के दौरान गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती की स्मृति में उनकी 4 प्रसिद्ध कहानियों का नाट्य मंचन किया गया और हिंदी में उनके प्रसिद्ध सुविचार पर आधारित एक विशेष हिंदी पोस्टर भी प्रकाशित किया गया. वर्ष के दौरान बैंक की योजनाओं पर हिंदी में पोस्टर/ फ्लायर / लीफलेट्स प्रकाशित किये गये. आपके बैंक ने स्टाफ सदस्यों के लिए हिंदी में 'सुविचार संग्रह' डेस्क कैलेंडर का पुनः प्रकाशन करवाया, जिसमें सकारात्मक सोच, कार्य संस्कृति और कर्तव्य के प्रति वचनबद्धता से जुड़े 366 सुविचारों को शामिल किया गया है. वर्ष के दौरान 'बदलते परिवेश में भाषा की बदलती भूमिका' विषय पर एक राजभाषा अधिकारी सम्मेलन का आयोजन भी किया गया.

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने आपके बैंक की गंगटोक तथा करोल बाग, नई दिल्ली शाखाओं में कार्यालयीन कार्यों में हिंदी की प्रगति का निरीक्षण किया. इसके अलावा, संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति ने जयपुर का निरीक्षण दौरा किया और आपके बैंक की जयपुर शाखा के प्रभारी से चर्चा की. समिति ने इन शाखाओं द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की.

अपने रोजमर्रा के कामकाज में और संप्रेषण के अन्य क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में आपके बैंक के प्रयासों को विभिन्न स्तरों पर सराहना मिली है. आपके बैंक की नई दिल्ली, जयपुर, जम्मू शाखाओं और विशेषीकृत कॉरपोरेट शाखा, भोपाल को हिंदी के प्रयोग में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से पुरस्कार प्राप्त हुए. आपके बैंक की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका 'विकास प्रभा' को भारतीय रिज़र्व बैंक की हिंदी गृहपत्रिका प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त हई. आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर. एम. मल्ला ने भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर से यह पुरस्कार ग्रहण किया. साथ ही, कई अन्य सुप्रसिद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संगठनों, जैसे पब्लिक रिलेशन्स काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई), आशीर्वाद संस्था तथा राजभाषा किरण संस्थान द्वारा भी 'विकास प्रभा' को पुरस्कृत किया गया.

कॉरपोरेट संवाद

आपके बैंक का कॉरपोरेट संवाद विभाग अपने अंशधारकों को आपके बैंक की कॉरपोरेट संस्कृति, पहचान व दर्शन सामरिक रूप से संप्रेषित करता है. आपके बैंक से संबंधित जानकारी को तैयार कर विज्ञापन, जनसंपर्क, सामाजिक मीडिया, आंतरिक संप्रेषण आदि माध्यमों द्वारा प्रमुख श्रोताओं / दर्शकों को संप्रेषित कर दिया जाता है. आपका बैंक आंतरिक व बाह्य मार्केटिंग अभियानों व गतिविधियों के ज़रिए अपनी साख को सतत् बेहतर व मजबूत करना चाहता है. इसके अलावा आवधिक रूप से बाज़ार अनुसंधान भी किया जाता है ताकि सतत रूप से संप्रेषण के तरीकों का मूल्यांकन कर इनमें सुधार लाया जा सके.

वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा विज्ञापन और प्रचार के लिए जो कदम उठाये गये वे 'सभी के लिए बैंकिंग' सुविधाएं मुहैया कराने के कारोबारी दर्शन के अनुरूप थे. वर्ष के दौरान विज्ञापन एवं प्रचार पहलों में छवि निर्माण पर विशेष ध्यान देना जारी रहा, जिसमें ग्राहकों के साथ आपके बैंक के प्रगाढ़ रिश्तों पर जोर दिया गया. तद्नुसार टीवी, प्रिंट, रेडियो, आउटडोर व ऑनलाइन आदि संप्रेषण माध्यमों में नवोन्मेषी व सघन अभियान चलाकर इसे संप्रेषित किया गया.

उभरते ग्राहक का जनसांख्यिकीय आधार देखते हुए तथा ग्राहक तक पहुँचने के लिए नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी समाधानों के महत्व को समझते हुए आपके बैंक ने डिजिटल मीडिया पर विशेष ज़ोर दिया. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने आधिकारिक रूप से फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब, गुगल + जैसे विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ दर्ज की. आपका बैंक देश का ऐसा पहला बैंक बना जिसके फेसबुक पर 5,00,000 फैन हों. समीक्षाधीन वर्ष में फेसबुक पर इसके अनुयायियों की संख्या 6,25,000 को पार कर गई, जोकि भारत के बैंकों में सर्वाधिक है. आपका बैंक देश का ऐसा पहला बैंक बना जिसका गुगल + पर अपना आधिकारिक ब्रांड पेज है. गुगल + पर अब तक 15,000 से अधिक लोगों के सर्कल में आईडीबीआई बैंक शामिल हो चुका है और वे गुगल + पोस्ट से अपडेट हो रहे हैं. आपके बैंक के ट्विटर पर भी 15,000 अनुयायी हैं और इस क्षेत्र में भी यह देश का पहला बैंक है. आपके बैंक ने अपना यू ट्यूब ब्रॉंड चैनल भी शुरू किया जिसके 7,000 से अधिक अभिदाता हैं और यह संख्या भारत के बैंकों में सर्वाधिक है. आपके बैंक ने डिजिटल क्षेत्र में और भी कई नवोन्मेषी गतिविधियाँ कीं, जैसे संयुक्त राज्य में एनआरआई के लिए आई-फोन आधारित अभियान और खाड़ी के ग्राहकों के लिए एंड्रॉइड फोन आधारित अभियान. आपके बैंक ने क्विक रिस्पाँस कोड भी निर्मित किए जो अपनी त्वरित पठनीयता व अपेक्षाकृत वृहत भंडारण क्षमता के चलते लोकप्रिय हुए.

आपके बैंक ने देश के लाखों लोगों तक आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं पहुँचाने के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा शुरू की. इसके तहत एक बस को मोबाइल एटीएम शाखा में तब्दील कर देश में विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आईडीबीआई टॉवर, मुंबई से 'विकास यात्रा' निकाली गई. इस बस ने मुंबई से पश्चिम बंगाल के जाँगीपुर तक का सफर किया और नागपुर व रायपुर में लंबे समय तक रुकी रही. इस मोबाइल वैन का उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय श्री प्रणब मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के जाँगीपुर में क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास

के उद्देश्य से किया. भारतीय टीम को विश्व कप फाइनल मैच के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आपके बैंक ने मुंबई में विशेष अभियान चलाते हुए एक बड़े क्रिकेट बैट पर हस्ताक्षर लिए और स्टेडियम की ओर जाने वाले रास्तों पर मानव श्रृंखला बनाकर लोगों से व्यक्तिगत संपर्क किया. 'मैजिक कार्ड' ऐसा पहला डेबिट कार्ड है, जिसमें वेतनभोगी लोगों के लिए क्रेडिट लिमिट है. इसका उद्घाटन कोलकाता में एक जादुई कार्यक्रम में किया गया. इस प्रोडक्ट का प्रचार प्रमुख वित्तीय अखबारों व आउटडोर मीडिया के ज़रिए किया गया. युवाओं को आकृष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर 'बीइंग मी' नामक युवा खाता शुरू किया गया. एक प्रमुख हिंदी समाचार चैनल पर 'सवाल इंडिया का' नामक 13 सप्ताह का क्विज़ शो प्रायोजित किया गया, जिसमें युवाओं को एक संवाद मंच उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपना पहला बचत खाता आपके बैंक में खोलने के लिए प्रेरित किया गया.

विशिष्ट ग्राहक खंडों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न वर्टिकलों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के विज्ञापन जारी किए गए. इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, गिफ्ट कार्ड व चौबीसों घंटे लॉकर जैसे पर्सनल बैंकिंग उत्पादों पर जोर देते हुए क्षेत्रीय भाषा की कमर्शियल फिल्म में इसे शामिल किया गया, जो शीघ्र ही प्रदर्शित होगी.

विज्ञापन जगत की तरह ही, आपके बैंक द्वारा जन-संपर्क के क्षेत्र में भी कई पहल कार्य किए गए. आपके बैंक की जनसंपर्क गतिविधियाँ बैंक के ग्राहक-उन्मुख पहल कार्यों के प्रचार-प्रसार पर केंद्रित होती हैं. आपका बैंक सोची समझी नीति के तहत मीडिया में अधिक दिखाई देने के लिए शीर्ष प्रबंधन का मीडिया से संवाद आयोजित करवाता रहता है तथा देश के विभिन्न भागों में नियमित रूप से संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित करता है. इन सम्मेलनों में मीडिया ने बड़ी संख्या में भाग लिया और आपके बैंक को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक, दोनों ही मीडिया में भरपूर कवरेज मिला. आपके बैंक के प्रोडक्ट संबंधी सूचना संप्रेषण व उपलब्धियों व गतिविधियों समेत अन्य संप्रेषणों को भी अच्छा कवरेज मिला. प्रमुख प्रकाशनों व टीवी चैनलों ने आपके बैंक के ब्याज दरों में परिवर्तन जैसे विभिन्न कारोबारी निर्णयों को भी नियमित रूप से प्रसारित किया.

आपके बैंक ने अपने आंतरिक अंशधारकों अर्थात अपने कर्मचारियों से भी प्रभावी संप्रेषण पर ध्यान दिया. कर्मचारियों से दोतरफा संवाद स्थापित करने के लिए आपके बैंक के कॉरपोरेट इंट्रानेट पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से संवाद हेतु ब्लॉग शुरू किया गया. इसका उद्देश्य कर्मचारियों से सीधे संवाद कर उनसे फीडबैक प्राप्त करना है ताकि वे आपके बैंक के दूत के रूप में कार्य कर सकें.

आपके बैंक के विभिन्न संप्रेषणों को पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए. आपके बैंक को प्रतिष्ठित पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) के एनुअल कॉरपोरेट कोलेटरल अवार्ड 2012 में 8 पुरस्कार प्राप्त हुए. इकॉनॉमिक टाइम्स द्वारा ब्रांड फाइनेंस, यूके के संयुक्त तत्वाधान में जारी की गई देश के 50 शीर्ष 'सुपर ब्रॉंड' और 'पॉवर ब्रॉंड' में आपके बैंक का नाम है. ब्रॉंड फाइनेंस (वर्ष 1996 से ब्रॉंडों का मूल्यांकन करने वाले प्रमुख वैश्विक संगठन) ने आपके बैंक को विश्व के शीर्ष 500 बैंकों में चुना है.

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुरस्कार व सम्मान

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक को कई पुरस्कार प्राप्त हुए. आपके बैंक को 20 सितंबर 2011 को ग्राहक सेवा केंद्र व अपने इन-हाउस जरनल के लिए आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त हुआ. आपके बैंक को 'सीएनबीसी टीवी 18 स्पेशल जूरी अवार्ड' मिला और सितंबर 2011 में ही इसे श्रेष्ठ बैंक व श्रेष्ठ पब्लिक सेक्टर बैंक की श्रेणी में दून एंड ब्राडशीट बैंकिंग अवार्ड 2011 मिले.आपके बैंक को मई 2011 में तृतीय दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जरनल (डीएसआईजे) पीएसयू अवार्ड के दौरान वर्ष के सर्वश्रेष्ठ बैंक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. अप्रैल 2011 में आपके बैंक को बेस्ट डाटा एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट हेतु एशियन बैंकर टेक्नॉलॉजी इंप्लीमेंटेशन अवार्ड 2011 मिला. अप्रैल 2012 में आपके बैंक की सभी केंद्रीकृत समाशोधन इकाइयों (सीसीयू) को आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त हुआ. मार्च 2011 में आपके बैंक को आईबीए का प्रतिष्ठित बैंकिंग टेक्नॉलॉजी अवार्ड भी मिला.

श्री वयम्

आपके बैंक की प्रतिष्ठित द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेज़ी) गृहपत्रिका 'श्री वयम्' अब अपने प्रकाशन के 27वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है. वयम आपके कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों में सतत रूप से जोश और उमंग पैदा कर रही है. आपकी गृहपत्रिका की कॉरपोरेट जगत में अपनी विशेष पहचान व महत्व है. इसकी सफलता के सेहरे में एक तमगा और लग गया जब इसे आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन से नवाज़ा गया. संभवतः ऐसा सम्मान पाने वाली यह देश की एकमात्र गृह पत्रिका है. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) द्वारा इसे गृह पत्रिका और अंग्रेज़ी फीचर श्रेणियों में दो कांस्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. इसे एफईआई कारगो, मुंबई द्वारा आयोजित आईसीई प्रतियोगिता में श्रेष्ठता प्रमाणपत्र भी मिला.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पहल कार्य

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) स्थानीय समुदाय की आजीविका में सुधार लाने के लिए उनके साथ मिलकर कार्य करते हुए और कारोबार तथा बड़े पैमाने पर समुदाय को लाभान्वित करते हुए सतत् आर्थिक विकास में योगदान देने के प्रति कारोबारी प्रतिबद्धता का द्योतक है. आपके बैंक ने अपने तात्कालिक व्यापार लक्ष्यों से ऊपर उठकर सदैव समाज की बेहतरी के लिए कार्य किया है.

आपका बैंक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, किसान समुदाय के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जागरूकता कैम्प लगा रहा है, धर्मादा संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर कॉरपोरेट सेंटर में तथा समूचे भारत में सभी शाखाओं में रक्तदान शिविर लगा रहा है. संकेंद्रित ध्यान प्रदान करने के लिए आपका बैंक शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पर्यावरण, ग्रामीण बुनियादी सुविधा, सामाजिक सशक्तीकरण आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीएसआर पहल कार्यों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक कार्यक्रम चला रहा है.

सुविधाएं एवं बुनियादी सेवाएं

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपके बैंक ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), मुंबई में करेंसी चेस्ट तथा अपने जेएनआईबीएफ, हैदराबाद प्रशिक्षण संस्थान में ट्विन शेयरिंग होस्टल हेतु 50 कमरों का निर्माण व साज-सज्जा का काम पूरा किया. आपके बैंक ने आईडीबीआई टॉवर, मुंबई में प्रीमियर लॉकर सुविधा, 150 नई शाखाओं, खुदरा परिसंपत्ति केंद्र (आरएसी), रिटेल प्रोसेसिंग यूनिटों (आरपीयू) तथा 21 पुनर्वस्थित शाखाओं में साज-सज्जा का काम भी पूरा किया. वर्ष के दौरान बैंक ने 21 मौजूदा शाखाओं का नवीनीकरण भी किया.

आपका बैंक ग्राहक केंद्रित उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले देश के अग्रणी बैंकों में से एक है तथा यह आधुनिकतम प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है. इसके चलते आपके बैंक को परिचालनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करने में तथा अपनी योजनाओं व सेवाओं में नवोन्मेषिता के ज़रिए अपने प्रतियोगियों से आगे निकलने में सहायता मिली है. आपके बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी संरचना, उत्पाद एवं प्रक्रिया नवोन्मेषण, बैक ऑफिस परिचालनों और अत्यधिक प्रौद्योगिकी आधारित राष्ट्रीय संपर्क केंद्र सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि प्रौद्योगिकी बैंक की सेवाओं तथा आंतरिक परिचालनों का आधार बनी रहे. सभी सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्यकलापों का प्रबंधन आपके बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था आईडीबीआई इंटेक लि. द्वारा व्यावसायिक तौर पर किया जाता है.

आपके बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए कई पहल कार्य किए हैं जिनसे आपके बैंक के विकास में काफी सहायता मिली है. वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकीय सहायता से कई नवोन्मेषी उपाय शुरू किए गए. इसके अलावा आपका बैंक आंतरिक व बाह्य, दोनों ग्राहकों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सुरक्षा फीचर को मज़बूत करता रहा है.

आपका बैंक ग्राहकों को नेट बैंकिंग सुविधा के ज़रिए विभिन्न करों का भुगतान करने की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके ज़रिए ग्राहक केंद्र व राज्य सरकार के करों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं. ग्राहकों ने इस सुविधा का स्वागत किया है और इन लेन-देनों की राशि पिछले वर्ष के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है.

आवास ऋण व शैक्षणिक ऋण लेनेवाले ग्राहकों की अधिक सुविधा के लिए बैंक ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिसमें ग्राहक अपने प्रत्ययों के ज़रिए लॉग-इन करके कर की गणना के प्रयोजन हेतु ख़ुद का अंतिम प्रमाणपत्र, अनंतिम प्रमाणपत्र व विवरण प्राप्त कर सकते हैं. आपके बैंक ने भावी एसएमई उधारकर्ताओं के लिए वेब-आधारित आवेदन तैयार किया है, जिसे वे ऑनलाइन भरकर वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं व अपने आवेदन की प्रगति भी मालूम कर सकते हैं.

आपके बैंक ने काग़ज़विहीन होते हुए और शेयरधारकों को दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हुए कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल की है. आपके बैंक ने शेयरधारकों को महासभा की सूचना / अन्य सूचनाएं, वार्षिक रिपोर्ट आदि दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे हैं. हरित पहल के हिस्से के रूप में आंतरिक प्रणाली के कई कार्यों को ऑटोमैटिक रूप देते हुए काग़ज़ का उपयोग कम किया गया है.

आपके बैंक ने अपनी कई बैक ऑफिस प्रणालियों को ऑटोमैटिक करते हुए समग्र परिचालन क्षमता बढ़ाई है और ग्राहकों के लिए कार्यान्वयन समय कम किया है. बैक ऑफिस की कई प्रणालियों का केंद्रीकरण भी किया है ताकि शाखाओं को अपना पूरा ध्यान ग्राहकों पर केंद्रित करने में मदद मिल सके. आपके बैंक ने स्टाफ के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए डेस्क पर ही प्रशिक्षण देने का सिलसिला शुरू किया है ताकि वे परिचालन संबंधी जानकारी में सुधार कर बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान कर सकें.

आपके बैंक ने हिंदी भाषा के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय भावना को अपनाते हुए ग्राहकों को खातों के विवरण, पासबुक, पत्र आदि हिंदी में भेजने के लिए द्विभाषिक सॉफ्टवेयर की सुविधा लगाई है. यहाँ तक कि आपके बैंक द्वारा प्रयुक्त कोर बैंकिंग समाधान को भी द्विभाषिक रूप में परिवर्तित किया गया है.

आपके बैंक ने ग्राहकों को भेजे जानेवाले एसएमएस अलर्ट में कई नए फीचर भी जोड़े हैं. सभी चैनलों द्वारा हुए लेन-देनों, आरटीजीएस के तहत लेन-देनों, एटीएम रिवर्सल लेन-देनों आदि के लिए अलर्ट भेजने के अलावा साप्ताहिक बैलेंस अलर्ट, चेक का भुगतान रोकने संबंधी अलर्ट भी भेजे जाते हैं. यह अलर्ट सुविधा ऑटोमैटिक है व इसमें कोई मानवीय दखल नहीं है.

आपका बैंक ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निपटान करने के लिए हमेशा कदम उठाता रहा है. आपके बैंक ने एसएमएस के ज़रिए शिकायत करने की सुविधा शुरू की है, जिसके अंतर्गत ग्राहक को 'IDBICARE' टाइप करना होगा और उनके पास फोन कॉल आ जाएगा, जिसके ज़रिए वे अपनी शिकायत बता सकेंगे.

आपका बैंक डाटा सेंटर व आपदा प्रबंधन साइट के हार्डवेयर व नेटवर्किंग साधनों का लगातार उन्नयन करता रहता है ताकि ग्राहकों को प्रणालियों का बेहतर कार्य-निष्पादन मिल सके. आपके बैंक ने कई कोर प्रणालियों के हार्डवेयर का उन्नयन किया है ताकि लेन-देनों पर बड़ी संख्या में कार्रवाई हो सके.

आपके बैंक ने आईएसओः 27001 ढांचे पर अमल करते हुए सूचना सुरक्षा की बेहतरीन पद्धतियों को लागू किया है और चालू वर्ष के लिए भी प्रमाणन का नवीनीकरण कराया है. ग्राहकों को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए आपका बैंक नियमित अंतरालों पर योजनाबद्ध डिजास्टर रिकवरी (डीआर) अभ्यास करता है. इस ड्रिल के एक भाग के रूप में कोर बैंकिंग तथा अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, जिसमें एटीएम, इंटरनेट, मोबाईल और फोन बैंकिंग जैसे वैकल्पिक चैनल शामिल हैं, डिजास्टर रिकवरी साइट से सफलतापूर्वक परिचालित किए जाते हैं. सतत् तथा निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में यह आपकी बैंक की ओर से एक और पहल है.

समय-समय पर आपके बैंक ने ग्राहकों को ई-मेल व एसएमएस भेजकर तथा मीडिया के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग आदि के बारे में जागरूक करना जारी रखा है. बैंक का राष्ट्रीय संपर्क केंद्र ग्राहकों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए सुसज्जित है. आपका बैंक ग्राहकों की कार्यान्वयन समय संबंधी शिकायतों पर सेवा डेस्क के ज़रिए निगरानी रखता है और ग्राहकों की समस्याओं के शीघ्र निपटान हेतु कदम उठाता है.

उक्त सभी कार्य यह दर्शाते हैं कि आपका बैंक ग्राहकों के लाभ के लिए अभिनव उत्पाद एवं सेवाएं प्रारंभ करने में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के क्षेत्र में सबसे आगे रहने का प्रयास कर रहा है. आपके बैंक की वेबसाइट को इस्तंबुल, तुर्की में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में विकास वित्तीय संस्थाओं के संघ (ऐडफिएप) द्वारा वर्ष 2012 के लिए ''सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया है.

कॉरपोरेट अभिशासन का दर्शन

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक की नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने अंशधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व आपके बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों पर है जिन्हें विधिक एवं विनियामक प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित बेहतरीन कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बैंक के निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग आदि अन्य नीतिगत दिशा-निर्देश हैं. बैंक बोर्ड को सभी संबद्ध जानकारी, सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 1956 एवं बैंक के संस्था अन्तर्नियमों से शासित है तथा यह स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार में वर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं को पूरा करता है. बोर्ड स्वयं और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित बोर्ड की विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

31 मार्च 2012 को बोर्ड में 6 निदेशक थे, जिनमें 2 कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष सहित), 1 गैर-कार्यपालक निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक थे. 31 मार्च 2012 को बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक; गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी.के. चौधरी, केंद्र सरकार के अधिकारी; तथा स्वतंत्र निदेशकों के रूप में श्री सुभाष तुली, डॉ. बी.एस. बिष्ट और श्री पी.एस. शेनॉय बोर्ड में शामिल थे.

निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

आपके बैंक के बोर्ड में कोई भी निदेशक बैंक के बोर्ड के अन्य निदेशक से किसी भी रूप में संबद्ध नहीं है.

बोर्ड की कुल 8 (आठ) समितियां हैं,यथा कार्यपालक समिति, लेखापरीक्षा समिति, शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, जोखिम प्रबंध समिति, ग्राहक सेवा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति और पारिश्रमिक समिति.

निदेशक मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2011 - 31मार्च 2012) के दौरान बोर्ड की कुल नौ बैठकें हुईं, जो 19 अप्रैल 2011, 17 जून 2011, 30 जुलाई 2011, 8 सितंबर 2011, 20 अक्तूबर 2011, 26 नवंबर 2011, 31 जनवरी 2012, 02 मार्च 2012 और 28 मार्च 2012 को संपन्न हुईं. सभी नौ बैठकें मुंबई में ही आयोजित हुईं.

आपके बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा **तालिका 5** में दिया गया है.

तालिका 5 : बोर्ड की बैठकों एवं वार्षिक महासभा में निदेशकों की उपस्थिति, उनकी निदेशकता और समितियों की सदस्यता				
निदेशकों के नाम	**बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (बैठकों की कुल संख्या - 9)**	**08 सितंबर 2011 को संपन्न गत वार्षिक महासभा में उपस्थिति**	**अन्य कंपनियों में निदेशकता**	**अन्य कंपनियों में एसीबी/एसजीसी सदस्यता (अध्यक्षता)**
पूर्णकालिक निदेशक				
श्री आर.एम. मल्ला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	9	उपस्थित	5	शून्य
श्री बी.पी. सिंह उप प्रबंध निदेशक (31.01.12 तक)	7	उपस्थित	3	1
श्री बी.के. बत्रा उप प्रबंध निदेशक (13.01.12 से)	3	लागू नहीं	3	2
गैर-कार्यपालक निदेशक				
श्री राकेश सिंह (23.03.12 तक)	6	उपस्थित नहीं	0	शून्य
श्री आर.पी. सिंह (09.12.11 तक)	3	उपस्थित नहीं	2	शून्य
श्री पी.के. चौधरी (09.12.11 से)	0	लागू नहीं	2	शून्य
स्वतंत्र निदेशक				
श्री अनलजीत सिंह (01.05.11 तक)	0	लागू नहीं	13	शून्य
श्रीमती लीला फिरोज़ पूनावाला (01.08.11 तक)	3	लागू नहीं	4	1(1)
श्री के. नरसिम्ह मूर्ति (17.08.11 तक)	3	लागू नहीं	5	4(3)
श्री एच.एल. जुत्शी (17.08.11 तक)	2	लागू नहीं	4	1(1)
श्री सुभाष तुली	9	उपस्थित	शून्य	शून्य
डॉ. बी.एस. बिष्ट	7	उपस्थित	शून्य	शून्य
श्री पी.एस. शेनॉय (30.07.2011 से)	6	उपस्थित	5	4(2)

अंतिम कॉलम में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समितियों की अध्यक्षता की संख्या दर्शाते हैं.

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2012 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) में एक कार्यपालक निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशकों सहित चार सदस्य थे. श्री सुभाष तुली, सनदी लेखाकार लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष थे तथा श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, डॉ. बी.एस.बिष्ट एवं श्री पी.एस. शेनॉय इसके अन्य सदस्य थे . श्री बी.के. बत्रा कार्यपालक निदेशक थे और शेष तीन सदस्य स्वंतत्र गैर-कार्यपालक निदेशक थे. एसीबी की भूमिका और उसके अधिकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के प्रावधानों, रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों और सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार थे, जो नीचे उल्लिखित हैं :

<u>लेखापरीक्षा समिति के अधिकार (संशोधित खंड 49 के अनुसार)</u>

1. विचारार्थ विषयों के अंतर्गत किसी भी कार्यकलाप की जांच-पड़ताल करना
2. किसी भी कर्मचारी से सूचना मांगना
3. जहाँ कहीं आवश्यक हो बाहरी कानूनी या व्यावसायिक सलाह लेना
4. आवश्यक समझे जाने पर संबद्ध क्षेत्र की विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना.

<u>लेखापरीक्षा समिति की भूमिका (संशोधित खंड 49 के अनुसार)</u>

1. वित्तीय विवरणों की शुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जाँच तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं का प्रकटीकरण.
2. रिज़र्व बैंक और शेयरधारकों के अनुमोदन के तहत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण की बोर्ड को सिफारिश करना.
3. सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई अन्य सेवाओं, यदि कोई हो, के लिए भुगतान की सिफारिश करना.
4. वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले निम्नलिखित संदर्भों में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना:
   - क. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2एए) की शर्तों के अनुसार निदेशक के दायित्व संबंधी विवरण में शामिल किए जानेवाले विषयों को बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल करना
   - ख लेखांकन से जुड़ी नीतियों और पद्धतियों में बदलाव, यदि कोई हो, तथा उसके कारण
   - ग. प्रबंधन के निर्णय के प्रयोग पर आधारित प्रमुख लेखा प्रविष्टियां
   - घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन
   - ङ. सूचीबद्धता तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन
   - च. किसी संबद्ध पार्टी के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण
   - छ. लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में अर्हताएं
5. बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा.
6. सांविधिक और आंतरिक लेखा-परीक्षकों के कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में प्रबंधन के साथ समीक्षा.
7. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता के बारे में समीक्षा, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवधिकता शामिल हो.
8. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श.
9. लेखापरीक्षा के स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श साथ ही चिंताजनक विषय का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श.
10. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य.

<u>लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा(संशोधित खंड 49 के अनुसार)</u>

1. प्रबंधन से विचार-विमर्श तथा वित्तीय स्थिति और परिचालन-परिणामों की समीक्षा
2. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विशेष महत्व वाले संबद्ध पक्ष लेन-देनों का विवरण (लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार).
3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन संबंधी पत्र/आंतरिक नियंत्रण में शिथिलता संबंधी पत्र
4. आंतरिक नियंत्रण संबंधी शिथिलता के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

बैठकों की संख्या

1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान एसीबी की दस बैठकें हुईं, जो 19 अप्रैल 2011, 20 अप्रैल 2011, 18 जून 2011, 29 जुलाई 2011, 9 सितंबर 2011, 19 अक्तूबर 2011, 26 नवंबर 2011, 31 जनवरी 2012, 02 मार्च 2012 और 29 मार्च 2012 को संपन्न हुईं.

निदेशकों को पारिश्रमिक

पारिश्रमिक नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और उनका पारिश्रमिक एवं परिलब्धियां भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण **तालिका 6** में दिया गया है. अन्य स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रति बैठक ₹ 5,000 (बोर्ड, कार्यपालक समिति और लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए) और प्रति बैठक ₹ 2,500 (बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक) की दर से केवल बैठक शुल्क अदा किया गया है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा बैंक द्वारा उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर, निदेशकों को कोई और पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया. गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ समीक्षाधीन अवधि के दौरान आर्थिक संबंध/लेन-देन शून्य रहे.

तालिका 6 : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक के घटक

वेतन और भत्ते (सरकारी आदेशों के अनुसार)	श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - ₹ 80,000/- प्रति माह का वेतन और 65% की दर से ₹ 52,000 महंगाई भत्ता. कुल ₹ 1,32,000/- श्री बी. पी. सिंह, उप प्रबंध निदेशक - ₹ 68,960/- प्रति माह का वेतन और 58% की दर से ₹ 39,997/- महंगाई भत्ता. कुल ₹ 1,08,957/- श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक - ₹ 68,960/- प्रति माह का वेतन और 58% की दर से ₹ 39,997/- महंगाई भत्ता. कुल ₹ 1,08,957/-
आतिथ्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक, दोनों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹ 6000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक आतिथ्य (क्लब की सदस्यता उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर समायोज्य)
आवास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशक, दोनों को किराया-मुक्त सज्जित आवास
छुट्टी यात्रा रियायत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशक, दोनों के लिए आधिकारिक दौरे हेतु लागू पात्रता श्रेणी के अनुसार स्वयं एवं परिवार के लिए भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए 2 वर्षों के ब्लॉक में एक बार
पेंशन	बैंक ,जहां वे कैरियर पद पर हैं , के नियमों और विनियमों के अनुसार कैरियर पद में (बोर्ड स्तर से नीचे)स्वीकार्य पेंशन , यदि कोई है ,प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.
ग्रेच्युटी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष अथवा 6 माह से अधिक की सेवा के लिए आधे माह के वेतन की दर से
कार्यकाल	श्री आर.एम. मल्ला - 07 जुलाई 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं. 9/12/2009-बीओ.I द्वारा 9 जुलाई 2010 से 31.05.2013 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री बी. पी. सिंह - 19 फरवरी 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.9/14/2009-बीओ.I द्वारा 20 फरवरी 2010 से उनकी अधिवर्षिता आयु (31.01.2012) तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री बी.पी. सिंह 31.01.2012 को उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हो गए. श्री बी. के. बत्रा - 12 जनवरी 2012 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.9/14/2009-बीओ.I द्वारा 13 जनवरी 2012 से उनकी अधिवर्षिता आयु (31.07.2016) तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त.

कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन/स्टॉक ऑप्शन	बैंक के अध्यक्ष और पूर्ण कालिक निदेशकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने से संबंधित भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में बोर्ड की पारिश्रमिक समिति ने 04 अगस्त 2011 को संपन्न अपनी बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करने का अनुमोदन दिया था. वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार अदा की गई: (i) श्री आर.एम. मल्ला (जुलाई 2010 से मार्च 2011): ₹ 5,10,160 (ii) श्री योगेश अग्रवाल (अप्रैल 2010 से जून 2010): ₹ 1,26,560 (iii) श्री बी.पी. सिंह (अप्रैल 2010 से मार्च 2011): ₹ 5,50,000

बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2012 को आपके बैंक में चार सदस्यों वाली जोखिम प्रबंध समिति थी, जिसमें श्री पी.एस. शेनॉय अध्यक्ष थे तथा सदस्यों के रूप में श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री पी.के. चौधरी, सरकारी निदेशक और श्री सुभाष तुली, निदेशक शामिल थे. यह समिति बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन, उनमें कमी लाने और परिसंपत्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का भी समाधान करती है.

बैठकों की संख्या

जोखिम प्रबंध समिति की 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान चार बैठकें 20 अप्रैल 2011, 30 जुलाई 2011, 17 दिसंबर 2011 और 29 मार्च 2012 को हुईं.

बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2012 को आपके बैंक की तीन सदस्यों वाली शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति में एक कार्यपालक निदेशक और दो स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक यथा सर्वश्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, सुभाष तुली तथा डॉ. बी.एस.बिष्ट सदस्य के रूप में शामिल थे.

इस समिति का गठन शेयर-अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने, घोषित लाभांश प्राप्त नहीं होने आदि से संबंधित शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है.

बैठकों की संख्या

समिति की 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान चार बैठकें 19 अप्रैल 2011, 30 जुलाई 2011, 26 नवंबर 2011 और 02 मार्च 2012 को हुईं.

बोर्ड की कार्यपालक समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बोर्ड के अलावा आपके बैंक की कार्यपालक समिति भी कार्यरत है, जो नीतिगत मामलों के साथ-साथ खास तौर पर ऐसे मामलों पर, जिनमें बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है, विचार करती है और बोर्ड द्वारा इसे प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करती है. 31 मार्च 2012 को इस समिति के अध्यक्ष श्री आर.एम.मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे और सर्वश्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, सुभाष तुली, पी.एस. शेनॉय और डॉ.बी.एस.बिष्ट इसके सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2011 - 31मार्च 2012) के दौरान कार्यपालक समिति की कुल दस बैठकें हुईं, जो 19 अप्रैल 2011, 17 जून 2011, 30 जुलाई 2011, 8 सितंबर 2011, 19 सितंबर 2011, 26 नवंबर 2011, 17 दिसंबर 2011, 31 जनवरी 2012, 02 मार्च 2012 और 28 मार्च 2012 को संपन्न हुईं.

बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंक में धोखाधड़ी से संबंधित पहलुओं को देखने के लिए एक धोखाधड़ी निगरानी समिति गठित की गई थी. 31 मार्च 2012 को इस समिति के अध्यक्ष श्री आर.एम.मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे और सर्वश्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक और सुभाष तुली इसके सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2011 - 31मार्च 2012) के दौरान धोखाधड़ी निगरानी समिति की कुल सात बैठकें हुईं, जो 19 अप्रैल 2011, 17 जून 2011, 30 जुलाई 2011, 20 अक्तूबर 2011, 26 नवंबर 2011, 31 जनवरी 2012 और 28 मार्च 2012 को संपन्न हुईं.

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने और ग्राहकों को कारगर सेवा देने के लिए आपके बैंक द्वारा एक ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था. 31 मार्च 2012 को सर्वश्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, पी.के. चौधरी, सरकारी निदेशक और डॉ. बी.एस. बिष्ट इसके सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के दौरान ग्राहक सेवा समिति की चार बैठकें 18 जून 2011, 9 सितंबर 2011, 26 नवंबर 2011 और 02 मार्च 2012 को हुईं.

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में सहायता करने, योजनाएं शुरूकरने और सेवाओं का प्रावधान करने हेतु प्रौद्योगिकीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आपके बैंक द्वारा उठाये गये कदमों को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया था. 31 मार्च 2012 को डॉ. बी.एस. बिष्ट इस समिति के अध्यक्ष थे और सर्वश्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, पी.के. चौधरी, सरकारी निदेशक और पी.एस. शेनॉय इसके सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के दौरान समिति की चार बैठकें 17 जून 2011, 9 सितंबर 2011, 26 नवंबर 2011 और 02 मार्च 2012 को हुईं.

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को वार्षिक कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पर विचार करने और उसके भुगतान का अनुमोदन करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है. 31 मार्च 2012 को श्री पी. के. चौधरी, सरकारी निदेशक, पी.एस. शेनॉय और डॉ. बी.एस. बिष्ट इस समिति के सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को वार्षिक कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन की अदायगी का अनुमोदन करने के लिए पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 04 अगस्त 2011 को सम्पन्न हुई.

समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति **तालिका 7** में दर्शाई गई है.

तालिका 7 : समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति (01.04.11 से 31.03.12)

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	ईसी बैठक		एसीबी बैठक		आरएमसी बैठक		एफएमसी बैठक		सीएससी बैठक		आईटीसी बैठक		एस आई जी सी बैठक		पारिश्रमिक समिति बैठक	
		बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति
1	श्री आर.एम. मल्ला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10	10	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्री बी.पी. सिंह उप प्रबंध निदेशक (31.01.12 तक)	8	8	8	8	3	3	6	6	3	2	3	3	3	3	-	-
3	श्री बी.के. बत्रा उप प्रबंध निदेशक (13.01.12 से)	3	3	3	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-
4	श्री राकेश सिंह (23.03.12 तक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	श्री आर.पी. सिंह (09.12.11 तक)	_	-	-	-	3	1	-	-	3	1	3	1	-	-	1	1
6	श्री पी.के. चौधरी (09.12.11 से)	-	-	-	-	1	0	-	-	1	0	1	0	-	-	-	-
7	श्री अनलजीत सिंह (01.05.11 तक)	-	-	2	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	श्रीमती लीला फिरोज़ पूनावाला (01.08.11 तक)	-	-	4	4	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
9	श्री के. नरसिम्ह मूर्ति (17.08.11 तक)	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	1	1	2	2	1	1

तालिका 7 : समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति (01.04.11 से 31.03.12)																	
क्र. सं.	निदेशकों के नाम	ईसी बैठक		एसीबी बैठक		आरएमसी बैठक		एफएमसी बैठक		सीएससी बैठक		आईटीसी बैठक		एस आई जी सी बैठक		पारिश्रमिक समिति बैठक	
		बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति	बैठकें	उप-स्थिति
10	श्री एच.एल. जुत्शी (17.08.11 तक)	3	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	0	-	-	1	1
11	श्री सुभाष तुली	10	10	10	10	2	2	7	7	-	-	-	-	4	4	-	-
12	डॉ. बी.एस. बिष्ट	10	6	10	7	-	-	-	-	4	4	3	3	4	2	-	-
13	श्री पी.एस. शेनॉय (30.07.2011 से)	7	7	6	6	2	2	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-

बैठक: निदेशक के कार्यकाल में आयोजित बैठकें
उपस्थिति : निदेशक द्वारा सहभागिता की जानेवाली बैठकों की संख्या

महा सभा की बैठकें

आपके बैंक की पिछली वार्षिक महासभा (एजीएम) 08 सितंबर 2011 को हुई थी. आईडीबीआई बैंक लि. की वार्षिक महासभाओं का विवरण **तालिका 8** में दिया गया है.

तालिका 8 : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण

गत तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान व समय	• 15 जुलाई 2009 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेन्टर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई-400 018 में (बैंक की पांचवीं वार्षिक महासभा) • 22 जुलाई 2010 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई-400 021 में (बैंक की छठी वार्षिक महासभा) • 08 सितंबर 2011 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेन्टर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई-400 018 में (बैंक की सातवीं वार्षिक महासभा)
क्या पिछली वार्षिक महासभा में कोई विशेष संकल्प पारित किये गये थे.	हां, 08 सितंबर 2011 को संपन्न बैंक की पिछली वार्षिक महासभा में (i) अधिनियम की धारा 224ए के अंतर्गत बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु तथा (ii) बैंक की पूंजी बढ़ाने के संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव का शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विशेष संकल्प पारित किए गए थे.
पिछली असाधारण महासभा के आयोजन का स्थान व समय	28 मार्च 2012 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेन्टर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई-400 018 में
क्या पिछली असाधारण महासभा में कोई विशेष संकल्प पारित किये गये थे.	हाँ, 28 मार्च 2012 को सम्पन्न पिछली असाधारण महासभा में अधिनियम की धारा 81 (1ए) के तहत भारत सरकार को टीयर I बॉंड के रूपांतरण व भारत सरकार व भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को अधिमान्य आधार पर आबंटन के फलस्वरूप भारत सरकार एवं एलआईसी को शेयर का प्रस्ताव, निर्गम व आबंटन करने हेतु शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया था.
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है	नहीं.
क्या गत वर्ष डाक मतपत्रों के जरिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किये गये थे तथा मतदान पद्धति का ब्योरा	नहीं.
व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	
डाक मतदान हेतु प्रक्रिया	

प्रकटन

1 अप्रैल 2011 - 31 मार्च 2012 के दौरान ऐसी किसी भी कंपनी को सहायता प्रदान नहीं की गई, जिसमें आपके बैंक के किसी निदेशक की हितबद्धता थी.

आपका बैंक नियमित रूप से सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 की अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. जैसे - (i) संबद्ध पक्ष लेन-देनों, यदि कोई हों, की जानकारी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को दी जाती है; (ii) लेखाकंन पद्धति का स्पष्ट प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया जाता है; (iii) बैंक बोर्ड को जोखिम आकलन और उन्हें न्यूनतम रखने की पद्धतियों की समीक्षा प्रस्तुत करता है.

पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-अनुपालन/दंड आदि की स्थिति शून्य रही.

आचार संहिता और सदाचार

आपके बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता तथा सदाचार को अपनाया है. सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

ह/-
आर.एम. मल्ला
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
12 अप्रैल 2012

भेदिया व्यापार की रोकथाम

सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 1992 की अपेक्षाओं के अनुसरण में बैंक ने भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए व्यापक आचार संहिता बनाई है.

सीईओ/सीएफओ द्वारा प्रमाणन

सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त कर बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया गया है.

विसल ब्लोअर नीति

आपके बैंक के बोर्ड ने विसल ब्लोअर नीति को अपनाया है. इस नीति के अनुसार कर्मचारी बैंक के परिचालनों से संबंधित मुद्दों, यदि कोई हैं, को उठाने और निर्दिष्ट चैनलों के जरिये लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं. इस व्यवस्था के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है और बैंक के इंट्रानेट पर भी रखा गया है.

सहायक कंपनियां

31 मार्च 2012को आपके बैंक के पूर्ण स्वामित्ववाली चार सहायक कंपनियां थीं, जिनके नाम हैं: आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि, आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. और आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. दिनांक 1 अक्टूबर 2011 को आईडीबीआई बैंक लि. द्वारा आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. की 14.92% ईक्विटी का अर्जन करने के फलस्वरूप यह उसकी सहायक कंपनी बन गई. आपके बैंक के बोर्ड के किसी भी स्वतंत्र निदेशक को इसकी सहायक कंपनियों के बोर्ड में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी सहायक कंपनी संशोधित खंड 49 के अंतर्गत परिभाषित किये अनुसार तात्विक रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है. बैंक की लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किये गये निवेशों की समीक्षा करती है. असूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त आपके बैंक की बोर्ड बैठकों में नियमित रूप से प्रस्तुत किये जाते हैं.

सूचना के साधन

आपके बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट (जिसमें प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण होता है) और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा आपका बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए तिमाही कार्य-परिणामों को राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में नियमित रूप से प्रकाशित करता है. उपर्युक्त जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के साथ आपके बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर भी उपलब्ध कराई गई थी.

ऐसे दस्तावेज, जो वर्णित हैं लेकिन वार्षिक महासभा की सूचना पाने के पात्र व्यक्तियों को भेजे नहीं गये हैं, वार्षिक महासभा की तारीख से 21 दिन पहले से बैंक के पंजीकृत कार्यालय में कार्य समय के दौरान शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे.

पूँजी का अधिमान्य निर्गम : असाधारण महासभा का आयोजन:

शेयरधारक इस बात से अवगत होंगे कि भारत सरकार व एलआईसी को पूँजी के अधिमान्य निर्गम के अनुमोदन हेतु बैंक की असाधारण महासभा (ईजीएम) 28 मार्च 2012 को आयोजित की गई थी. तदनुसार बैंक ने बीएसई / एनएसई और सेबी के अनुमोदनों के आधार पर भारत सरकार व एलआईसी को पूँजी का निम्नानुसार अधिमान्य आबंटन कर दिया है

क. भारत सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक में धारित टीयर I बाँडों के रूपांतरण के पश्चात् दिनांक 28 मार्च 2012 को ₹ 10/- प्रत्येक के 18,85,56,509 ईक्विटी शेयरों का ₹ 112.99 प्रति शेयर की दर से कुल ₹ 2130.50 करोड़ के मूल्य पर भारत सरकार को आबंटन

ख. दिनांक 31 मार्च 2012 को ₹ 10/- प्रत्येक के 3,35,00,000 ईक्विटी शेयरों का ₹ 112.99 प्रति शेयर की दर से कुल ₹ 378.52 करोड़ के मूल्य पर भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटन.

ग. दिनांक 31 मार्च 2012 को ₹ 10/- प्रत्येक के 7,16,87,760 ईक्विटी शेयरों का ₹ 112.99 प्रति शेयर की दर से कुल ₹ 810 करोड़ के मूल्य पर भारत सरकार को आबंटन

अंतरिम लाभांश की घोषणा

निदेशक मंडल ने 31 जनवरी 2012 को संपन्न अपनी बैठक में ₹ 2/- प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश की घोषणा की. उक्त लाभांश 10 फरवरी 2012 की रेकॉर्ड तारीख़ के अनुसार लाभांश प्राप्त करने के पात्र शेयरधारकों को 29 फरवरी 2012 की भुगतान तारीख़ में अदा कर दिया गया. यह अंतरिम लाभांश ₹ 1.50 प्रति शेयर की दर से बोर्ड द्वारा संस्तुत लाभांश के अलावा होगा तथा इसे 06 सितंबर 2012 को होनेवाली 8वीं वार्षिक महासभा में घोषित किया जाएगा.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के दौरान शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव तथा शेयरधारकों से संबंधित अन्य सामान्य सूचनाओं का ब्योरा क्रमशः **तालिका 9** और **तालिका 10** में दिया गया है.

तालिका 9: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव : अप्रैल 2011 - मार्च 2012

(₹)

माह	उच्च	निम्न
अप्रैल 2011	153.75	142.00
मई 2011	144.90	125.80
जून 2011	137.40	121.50
जुलाई 2011	139.25	127.40
अगस्त 2011	132.00	102.70
सितंबर 2011	114.00	101.10
अक्तूबर 2011	118.45	94.45
नवंबर 2011	117.40	88.50
दिसंबर 2011	99.00	77.65
जनवरी 2012	103.80	77.10
फरवरी 2012	121.65	95.20
मार्च 2012	116.00	97.50

तालिका 10 : आम शेयरधारकों के लिए सूचना

वित्तीय कैलेंडर	1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक:
	1. 30 जून 2011 को समाप्त तिमाही के परिणामों पर 30 जुलाई 2011 को विचार किया गया.
	2. 30 सितंबर 2011 को समाप्त तिमाही/छमाही के परिणामों पर 20 अक्तूबर 2011 को विचार किया गया.
	3. 31 दिसंबर 2011 को समाप्त तीसरी तिमाही/नौमाही के परिणामों पर 31 जनवरी 2012 को विचार किया गया.
	4. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों पर 21 अप्रैल 2012 को विचार किया गया.
लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	04 सितंबर 2012 से 06 सितंबर 2012 तक
प्रॉक्सी फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख	04 सितंबर 2012
वार्षिक महासभा की तारीख, समय व स्थान	गुरुवार 06 सितंबर 2012 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेन्टर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई-400 018 में.
लाभांश भुगतान की तारीख	04 अक्टूबर 2012
लाभांश वारंट प्रेषण की तारीख	27 सितंबर 2012
तिमाही परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर
स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)
स्टॉक कोड/प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई -आईडीबीआई / ईक्यू
रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., यूनिट : आईडीबीआई ईक्विटी, प्लॉट नं. 17-24, विट्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद 500 081.
शेयर अंतरण प्रणाली	शेयरों के अंतरण का अनुमोदन कार्यपालक निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक से युक्त एक आंतरिक समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर किया जाता है.
गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों तथा परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	शून्य

शेयरधारिता का वितरण

मार्च 2012 के अंत में आपके बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता का ब्योरा और वितरण अनुसूची **तालिका 11** और **तालिका 12** में दिए गए हैं.

तालिका 11 : मार्च 2012 के अंत में शेयरधारिता का स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारत सरकार	901531379	70.52
कर्मचारी	1284319	0.10
जनता	117980803	9.23
हिन्दू अविभक्त परिवार	3107612	0.24
कंपनी निकाय	21836697	1.71

तालिका 11 : मार्च 2012 के अंत में शेयरधारिता का स्वरूप		
शेयरधारकों की श्रेणी	**धारित शेयरों की संख्या**	**कुल का %**
संस्थाएं क) बैंक	2702519	0.21
ख) विदेशी संस्थागत निवेशक	34759704	2.72
ग) राज्य वित्त निगम	35680	नगण्य
घ) वित्तीय संस्थाएं	13664475	1.07
ङ) म्यूचुअल फंड	3098506	0.24
सोसायटी	28960	नगण्य
न्यास	669838	0.05
बीमा कंपनियां	169208567	13.24
अनिवासी भारतीय	5570909	0.44
निदेशक एवं रिश्तेदार		
(i) श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	320	नगण्य
(ii) श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक	1001	नगण्य
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	2900373	0.23
कुल योग	**1278381662**	**100.00**

तालिका 12 : मार्च 2012 के अंत में वितरण अनुसूची						
क्रम सं.	**श्रेणी**		**शेयरधारकों की संख्या**	**कुल शेयरधारकों का %**	**राशि (रुपये)**	**कुल राशि का %**
	से	तक				
1	1	5000	422107	92.12	622241240	4.87
2	5001	10000	21920	4.78	168332540	1.32
3	10001	20000	8273	1.81	122516750	0.96
4	20001	30000	2170	0.47	55204590	0.43
5	30001	40000	930	0.20	33260460	0.26
6	40001	50000	721	0.16	34081400	0.27
7	50001	100000	1131	0.25	83568540	0.65
8	100001 व अधिक		984	0.21	11664611100	91.25
कुल			**458236**	**100.00**	**12783816620**	**100.00**

शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशक शिकायत निवारण

शेयर अंतरण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरण ज्ञापन (एमओटी)को साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित करने के लिए कार्यपालक निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति गठित की गई है. आपके बैंक ने श्री पवन अग्रवाल को बैंक के कंपनी सचिव के रूप में नामित किया है.

1 अप्रैल 2011 को 2 निवेशक शिकायतों का निवारण लंबित था और 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों को शेयरधारकों/निवेशकों से 9611 शिकायतें प्राप्त हुईं. वर्ष के दौरान 9598 शिकायतों का निवारण किया गया और 31 मार्च 2012 को 15 शिकायतों का निवारण लंबित था. शेयरों/बांडों के संबंध में 1 अप्रैल 2011 को अंतरण के लिए 58 मामले लंबित थे. 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों को शेयरों/बांडों के अंतरण के लिए 2089 अनुरोध प्राप्त हुए. इनमें से 2129 पर कार्रवाई की गई और 31 मार्च 2012 को 18 मामले लंबित थे.

अदावी उचंत खाते के विवरण का प्रकटन
(सूचीबद्धता करार के खंड 5ए के अधीन)

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(i)	दिनांक 1 अप्रैल 2011 को अदावी उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरधारकों व शेयरों की कुल संख्या	5027	904444
(ii)	दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के दौरान अदावी उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करनेवाले शेयरधारकों की संख्या	18	3723
(iii)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिनके शेयर दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के दौरान अदावी उचंत खाते से अंतरित किए गए	18	3723
(iv)	दिनांक 1 अप्रैल 2012 को अदावी उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरधारकों व शेयरों की कुल संख्या	5009	900721

तालिका 13 : डिमटेरियलाइजेशन का विवरण तथा पत्राचार के लिए पता	
शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन और चलनिधि	आईडीबीआई बैंक लि. की पूर्णतः प्रदत्त पूंजी ₹ 1278.38 करोड़ है जिसमें ₹ 10 प्रत्येक के 127.84 करोड़ ईक्विटी शेयर शामिल हैं. कुल लगभग 4.58 लाख निवेशकों में से 3.79 लाख निवेशकों द्वारा 96.59 करोड़ शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हैं. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों का प्रतिशत 75.56 % है. आईडीबीआई बैंक की स्क्रिप की बीएसई एवं एनएसई में सक्रिय रूप से ट्रेडिंग होती है. वर्ष 2012-13 की सूचीबद्धता फीस इन एक्सचेंजों को अदा कर दी गई है.
बकाया जीडीआर/एडीआर/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक लि. ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए हैं.
प्लांट का स्थान	लागू नहीं. तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थान के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर उपलब्ध है.
पत्राचार के लिए पता	आईडीबीआई बैंक लि. ईक्विटी कक्ष - बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., बीसवीं मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 फोनः022- 66552779, 66553062, 66552620 फैक्सः022 - 2218 2352 ई-मेल : - idbiequity@idbi.co.in

	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, प्लॉट नं. 17-24, विट्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद 500 081. फोन : 040-44655000 टोली नंबर: 1-800-3454001 फैक्स : 040-23420814 ई-मेल : einward.ris@karvy.com
सहायक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों के पते	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड 3री मंज़िल, मफतलाल सेंटर नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड आईडीबीआई बिल्डिंग, पहली मंजिल, प्लॉट नं. 39-41 सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड 5वीं मंज़िल, मफतलाल सेंटर नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, तल मंज़िल, 17, आर. कामानी मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण,

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके बाद इसे बैंक कहा गया है) के भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49 में बताये अनुसार 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए उपर्युक्त बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जांच कॉपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी. यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करना है.

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा निदेशकों एवं प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों व प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता करार की शर्तों के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन की बैंक के कार्यों को संचालित करने की कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता का द्योतक है.

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार

ह/-
पवन के. गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या 92529
फर्म पंजीयन संख्या 000346N

स्थान : मुंबई
तारीख : 21 अप्रैल 2012

चोकशी एंड चोकशी
सनदी लेखाकार

ह/-
निलेश आर. जोशी
साझेदार
सदस्यता संख्या 114749
फर्म पंजीयन संख्या 101872W

Global Economic Scenario

Growth prospects in the global economy remained muted, with considerable downside risks, reflecting the fragile nature of economic revival. While economic recovery gained momentum in the USA and Japan, high level of deficits continue to persist in advanced economies. Intensifying of the sovereign debt crisis and mild recession in the Euro Zone area has adversely impacted economic outlook in advanced as well as developing markets through trade, finance and confidence channels. Political turmoil in the Middle East and North Africa has led to a spike in international energy prices, fuelling the rise in global food prices. Escalating inflationary pressures in emerging and developing markets has led to moderation in their pace of growth.

Global financial markets remained subdued as a consequence of tightening of credit conditions, deleveraging of European banks, emergence of refinancing risks and global financial stability risks. Emerging and developing economies faced sharp reversals in international capital inflows and rise in funding costs on account of monetary policy tightening aimed towards taming inflationary pressures. The protracted recovery also affected world trade considerably. The phasing out of fiscal stimulus measures and fiscal austerity measures adopted by developed economies are expected to further impact growth prospects in the medium to long term.

Domestic Economic Environment

Real GDP growth decelerated sharply to 6.5% during FY 2011-12 after having attained stellar growth rate of 8.4% in each of the preceding two years. High and persistent pressures, which moderated to some extent by the end of the financial year, necessitated tightening of monetary policy thereby adversely impacting investment and industrial production in the economy. Decline in savings and investment rates are a major factor resulting in slow recovery of growth. Widening of current account balance and diminishing capital flows have led to sharp depreciation of the rupee. Fiscal health deteriorated with the fiscal deficit burgeoning to 5.9% of GDP owing to rise in revenue expenditure and rise in subsidy burden.

REAL SECTOR

Gross Domestic Product (GDP)

As per the revised estimate of Central Statistical Organization (CSO), growth momentum of the Indian economy has shown deceleration, with Real GDP recording its slowest pace in nine years. The GDP growth contracted to 6.5% during FY 2011-12, as compared to 8.4% during the previous two years, largely due to global uncertainties coupled with domestic structural and cyclical factors. The Indian economy was fairly resilient to the global meltdown but could not shield itself completely from the downturn. The sectoral break-up of GDP has undergone significant change overtime. The current figures exhibit a growing contribution of service sector to the overall GDP. The share of service sector ascended from 58% in FY 2010-11 to 59% in FY 2011-12. Whereas, the share of Industrial Output shrunk to 27% and that of Agriculture sector stood at 14% of GDP. The Service Sector, with an increasing share to the overall GDP, remained the key growth driver. But the sector though buoyant, still witnessed a slowdown in the pace of growth. The monetary tightening measures undertaken by the RBI have resulted in subdued economic growth, dented the local demand and reduced the investment and industrial activity in the economy. However, the focus of the policy makers in the ensuing fiscal would be to bring back the economy to the pre-crisis high growth trajectory.

Industrial Scenario

Industrial growth, measured in terms of Index of Industrial Production (IIP), demonstrated fluctuating trends through the post-crisis period. Fragile economic recovery in the US and European countries and passive domestic business sentiments affected the growth of the industrial sector in the current year. The Industrial production remained sluggish on account of the monetary tightening measures, rising input costs, supply-side bottlenecks particularly in the mining sector, and moderation in investment demand. Overall, growth during April-March 2012 was 2.8% compared to 8.2% in the corresponding period of the previous year. The overall performance in the use-based category highlights the muted business sentiments indicated by the Capital Goods Sector and a depressed demand in the economy because of reluctance on the part of the consumers to spend as reflected by the Consumer Goods Sector.

Figure 1 : Sectoral Growth of IIP (%)

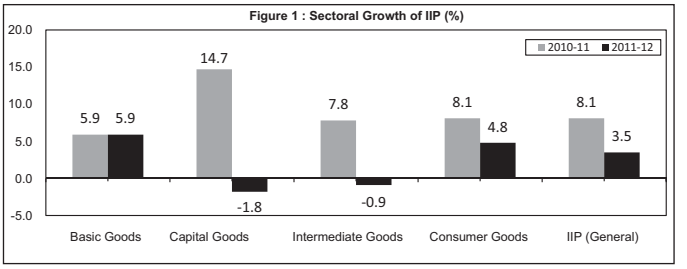

Inflation

The Indian economy has been battling high inflationary pressures since the last two years. All major policy stances have been aligned towards reining in inflation which has been well above the comfort level of the RBI. The herculean task before the Government and the Reserve Bank of India has been to strike a balance between growth and inflation dynamics. The WPI inflation was mainly driven by food

inflation which constitutes a 14.3% weightage in the total WPI inflation. The problem compounded when the food inflation spilled over to non food inflation (core inflation), calling for major policy actions. RBI has played a proactive role by effective monetary policy intervention. There have been thirteen rounds of monetary tightening since March 2010, with a 375 basis point hike in policy interest rate. The lagged impact of the monetary tightening was felt in December 2011 and January 2012 when the WPI inflation decelerated, after hovering around near-double digits for nearly 24 months. The headline inflation fell in the month of March 2012 to 6.89% as compared to 9.68% in the corresponding period last fiscal. Nevertheless, the risks from high crude oil prices and the impact of the lagged pass-through of rupee depreciation, suppressed inflation in energy and fertilizers and possible fiscal slippage, continues to pose significant threat. Also inflationary pressures can re-ignite, with the increase in the excise duty and service tax and rationalization of the fuel and fertilizer subsidies. The volatile international crude oil prices also pose a major risk to the domestic inflation.

Liquidity & Interest Rates

The Indian banking system remained in deficit-liquidity mode throughout the year. Riding on the back of structural issues, deficit in the banking system mounted to ₹ 1 lakh crore by December 2011 and further rose to touch a peak of ₹ 2 lakh crore (approx.) on March 31, 2012. The Reserve Bank engaged in measures like Open Market Operations (OMOs), reduction in the Cash Reserve Ratio and permitting banks to avail funds under the Marginal Standing Facility against their excess statutory liquidity ratio holdings in order to ease pressure on liquidity and ensure adequate availability of credit to productive sectors of the economy. Adverse market conditions mainly on account of higher inflation and resultant monetary tightening measures undertaken by RBI, additional market borrowing announced by the Government, factors emanating from the euro zone sovereign crisis and worsening of liquidity conditions led to volatility in the bond market and rise in bond yields.

Foreign Exchange Reserves & Exchange Rates

As at March 31, 2012, India's foreign exchange reserves stood at USD 294.4 billion, which were lower by USD 10.4 billion compared to end-March 2011. Decline in foreign exchange reserves can be attributed to sharp depreciation of the rupee in the foreign exchange market and pressure on the balance of payments due to widening of the current account deficit and decline in capital inflows. The foreign exchange market witnessed considerable volatility emanating from external economies. While the USD – INR movement was generally stable in the beginning of the year, as the Euro zone crisis intensified, inducing risk aversion amongst the investor overseas, pull-out of capital from the Indian economy was witnessed. Uncertainties over oil supplies, falling export numbers, rigid inflation and lower factory productions saw the Rupee depreciating at a rapid pace.

Future Outlook

The growth dynamics of the Indian economy were severely impacted by the renewed global economic meltdown. The international factors especially the Euro-Zone crisis, slowdown in US coupled with bearish domestic fundamentals have adversely affected the rebound of the growth of Indian economy. Inflation management has been at the centre of all the policy measures of the government. This resulted in a tight monetary environment and was a major setback for the industrial sector which was already reeling under high interest rate and raw material prices. Higher food prices, supply constraints, hardening of interest rates, rising input costs including cost of basic raw materials & oil and weakening capital market are expected to restrict the scope of investment activities.

The continuing stress in the advanced economies is expected to further dampen the growth prospects of the Indian economy. Even the scope of extending further fiscal support is limited due to growing fiscal burden and limited prospects of revenue collections. The Union Budget 2012-13 has laid out an ambitious plan to restrict the fiscal deficit by augmenting resource mobilization through increased taxes and duties. Though this could add up to the finances of the government, it has the potential to re-ignite inflationary pressures. This, in turn, will affect the savings rate in the economy which has witnessed a setback in the previous year. Any deviation from the budgeted plan would have negative repercussions for the real sectors of the economy.

Even with the gloomy outlook, India still remains one of the fastest growing economies in the world. With measures being taken to remove supply-side bottlenecks to ease inflationary pressures and progress on fiscal consolidation, conditions could be conducive for a more favorable growth-inflation dynamics. However, inflationary pressures, though moderating, could re-emerge if the upside risks materialize. In the ensuing financial year, one of the key concerns for the Indian economy is to return to the high growth trajectory. This is contingent upon various economic factors with foremost importance to taming inflationary pressures in the economy, effective supply-side management of inflation and fiscal consolidation. Focus on these aspects would lead to a reversal of monetary policy cycle and elevate investment expenditure and business sentiment, boost industrial production and attract foreign investment and capital flows in the economy, and thereby lay the foundation for revival of economic growth.

Retail Finance

Your Bank continues to target a progressively larger retail business portfolio to facilitate a more balanced business mix, in keeping with its intended positioning as a full-service new generation commercial bank. Pursuant to the same, your Bank currently offers a bouquet of Liability, Asset, Capital Market and Third Party products primarily aimed at meeting the customized needs of customers in the Retail Banking segment. Liability products include Savings Accounts, Current Accounts, Retail Term Deposit, Recurring Deposits, etc. Asset products on offer include Housing Loans, Mortgage Loans, Personal Loans, Education Loans, Vehicle Loans, among others. Your Bank also offers many card products such as International Debit Card, Gift Card, Cash Card and World Currency Card. Capital Market and Third Party products/services such as Demat Account, Mutual Funds, Insurance Products (both Life and General), Government/RBI Bonds, IPO through Application Supported by Blocked Account (ASBA) process, Investment Advisory, Merchant Acquisition business, New Pension Scheme, Public Provident Fund (PPF) and Government of India Senior Citizen Saving Scheme 2004 (SCSS) are also rolled out through your Bank's retail banking channel. Your Bank also offers exclusive products for NRIs like NRE/NRO/FCNR Bank Accounts, Remittance Services, Portfolio Investment Scheme (PIS) and Investment Related Products. The products are periodically reviewed and modifications/innovations/customization of existing products, as well as introduction of new products are carried out on a regular basis.

Business initiatives in the retail banking space are appositely complemented by supportive infrastructure in terms of branch network and skilled manpower. At the end of the fiscal, your Bank's domestic footprint encompassed 972 branches, comprising 264 at metropolitan centres, 377 at urban centres, 236 at semi-urban centres, 95 at rural centres. Besides, your Bank had one fully operational overseas Branch at DIFC, Dubai. Your Bank added 151 new brick and mortar branches during the financial year.

Your Bank, mindful of customer convenience, continued to bolster alternate delivery channels by expanding its ATM network from 1351 as on March 31, 2011 to 1542 as on March 31 2012.

In the retail liability product segment, your Bank continued to formulate new products customized to emerging customer needs and increase the complement of low cost funds. In the CASA category, your Bank added three new products during the financial year, viz. "Being Me", "Royale Plus" and "Non - Farmers and Landless Labourers - Saving Bank account cum OD facility". "Being Me", a youth savings account with an international debit card, was launched on World Youth Day to foster financial independence, essence of individuality and responsibility among today's youth.

With a view to demonstrating your Bank's appreciation for customers maintaining a relatively higher balance in their Savings Account, a new "Royale Plus" Savings Account sub-segment was carved out from within the broader IDBI Royale Account category for customers maintaining an Average Quarterly Balance (AQB) of ₹ 5 lakh with preferential/value-additive facilities.

In keeping with your Bank's pursuit of more inclusive banking, your Bank launched a product "Non – Farmers and Landless Labourers – Savings Bank account cum OD facility", which gives the benefit of Savings account with overdraft facility up to ₹ 10,000/- to address the credit needs and contingencies of relatively disadvantaged sections of society.

In the Term Deposit segment, your Bank added three new offerings to its existing bouquet of products viz: Fixed Deposit for Motor Accident Tribunals, Suvidha Suraksha Recurring Deposit (SSRD) and Godhuli Fixed Retail Term Deposit (GRTD).

Fixed Deposit for Motor Accident Tribunals was launched to capture the compensation money awarded by the Motor Accident Tribunal by offering the highest interest rate under FD for such funds. The welfare and convenience of Senior citizens continue to be a priority area for your Bank. Reflecting the same, a new product "Godhuli Fixed Retail Term Deposit (GRTD)" was launched exclusively for prospective Senior citizens aged between 55 and above to less than 60 years, whereby the depositor would automatically get additional rate of interest as applicable for Senior Citizens, without breaking the FD prematurely, on attaining the age of 60 years. This segment would also benefit from an additional interest of 50 basis points over and above the normal rate of interest accorded on Recurring Deposits maintained by them with your Bank.

In the recurring Deposit space, a new variant, 'Suvidha Suraksha Recurring Deposit' was launched, which invests the Term Deposit with added protection of life insurance cover.

Your Bank greatly values its relationship with the NRI Clients and undertook various initiatives to increase its market share in this segment and deepen existing relationships, with a fair measure of success. Your Bank has entered into an arrangement with certain forex service providers to facilitate remittances, in association with Western Union. Your Bank has extended its tie-up under Portfolio Investment Scheme (PIS) to several leading stockbrokers by

entering into MOUs with them for providing PIS Services to their NRI Clientele. Your Bank has entered into an MOU with different Exchange houses for routing remittances from Gulf countries. Your Bank has operationalised a scheme to place Bank officials in Exchange Houses in the GCC Countries to source NRI Business. Consequent to de-regulation of interest rates on NRE FDs, your Bank competitively positioned its NRE FD rates to enlarge the NRI Customer base of your Bank.

In the retail lending space, your Bank broadened its delivery channel by adding 13 new Retail Asset Centers (RACs), in Tier II and Tier III cities, during the year. Your Bank continued to be responsive to customer sentiments during the financial year. As a part of this initiative, your Bank introduced Festive offers in Home Loan and Auto Loan segments in October 2011. Interest rates on home loans were reduced by 25 to 50 bps depending on loan size during the festive period, which was subsequently extended up to March 31, 2012. Further, to enable your Bank's customers to benefit from partly fixed rates, a new 'Fixed First Home Loan' scheme was launched, offering a combination of fixed and floating interest rates on home loans.

With a view to increase penetration in Auto Loan segment and deepen the relationship with existing liability customers, your Bank also launched special festive campaign during the period October-December 2011. Auto loan customers were offered concession of 100 basis points in Rate of Interest and waiver of processing fee under the scheme.

Your Bank entered into MOU with several reputed educational institutions pan India for granting educational loans to eligible students during the year. Your Bank is also offering additional concessions to girl students from SC/ST and Minority communities. Your Bank has further devised a special educational loan product for students hailing from the villages assigned to the Bank under Financial Inclusion Programme with a concessional rate of interest and special underwriting norms.

Your Bank continues to actively participate in government-sponsored schemes like Interest Subsidy for Housing Urban Poor (ISHUP), 1% interest subvention for housing loan, Rajiv Gandhi Gramin Niwara Yojana (RGGNY), Central Scheme for Interest Subsidy for Education Loans; etc. as part of its affirmative action to complement government initiatives of providing housing and educational facilities to Economically Weaker Sections (EWS) and Lower Income Groups (LIG).

Your Bank continued to strengthen its Alternate Banking channels like ATMs, internet banking, mobile banking, etc. to provide the customers with enabling options to reduce their dependence on branch channel while simultaneously offering 24*7 capabilities. From the Bank's perspective, they are also cost-effective as the transaction cost is less compared to the branch channel. The Alternate Channels and Merchant Acquisition Business also provide avenues to your Bank for augmenting fee-based income, apart from helping acquire/deepen existing relationships.

Your Bank had launched its Internet Banking services way back in October 2001. Since then, the ambit of this channel has progressively broadened to include the following transactions: account enquiry, opening of FDs and RDs, statement of account, fund transfer, on-line tax payment, on-line shopping/bill payments, card-to-card money transfer, mobile recharge, on-line booking of Air/Rail tickets, online IPO ASBA, on-line trading of securities and Demat / GOI bond operations.

During the FY 2011-12, net Banking facility has also been extended to minor accounts operated by natural guardians, except for the Power KIDZ Accounts, where operations are performed by the minors themselves. Keeping in view the need to secure online shopping / e-commerce based transactions initiated through the internet banking channel from phishing related frauds, an Online Shopping Password (OSP) security feature has been introduced by the Bank from December 2011. Your Bank has also introduced an online password-generation facility for the Retail Net Banking customers, to instantly create their own login and transaction password and also set their access profile. This feature has brought immense convenience to the customers by eliminating delays in receipt of the physical/printed password and has also resulted in huge savings for your Bank in terms of stationery, staff, courier and other printing and dispatch related infrastructure costs.

Your Bank was among the first few banks to launch query-based information-serving Mobile banking services in 2001. Subsequently, the Account Alert Service was launched enabling the Bank's customers to also receive SMS alerts for various transactions/activities in their accounts as per their choice. The Bank launched the Mobile payment service in December 2008 in association with PayMate, one of the leading M-Commerce players in the country. The Mobile Payment facility enables your Bank's customers to use PayMate's easy, convenient and secure mobile payment service. Customers can use their mobile phones to pay for utility bills, movie & air/railway tickets, restaurant bills, online purchases, mobile recharge, and retail shopping at over 15,000 merchants in India registered with PayMate.

Your Bank launched Mobile Vans fitted with ATM/I-net banking facilities during the year to promote Financial Inclusion and facilitate sale of banking products /service delivery amongst villages in its catchments area.

Your Bank has initiated the project on facilitating usage of ATM network to Co-operative Banks and RRBs on National Financial Switch (NFS) network in association with National Payments Corporation of India (NPCI). Under this model, your Bank will act as a Sponsor Bank for facilitating usage of ATM network to Co-operative Banks and Regional Rural Banks on NFS. This will enable the Co-operative Banks and RRBs to issue ATM cards to their account holders and get connected to the NFS network to have access to more than 84,000 ATMs across India.

Your Bank introduced a number of pre-paid card products during the year under review. A novel clutter-breaking product, IDBI Magic Card was introduced in August, 2011 for the Bank's new Corporate Salary accounts, to begin with. It encompasses the features of a Debit Card with a credit limit and charges much less than a regular credit card. "Being Me Debit Card" was also launched during the year with a focus on the younger generation in the age group of 18-25 years.

As part of continuing product development aimed at eliciting customer delight, a new pre-paid travel Card entitled "GLOBAL CURRENCY CARD" (GCC)-a foreign currency pre-paid card- was introduced on MasterCard platform for the global traveller. The existing pre-paid card- the World Currency Card (WCC) - operated on VISA platform only. The GCC will have access to over 1.9 million MasterCard / Maestro/ Cirrus ATMs for Cash Withdrawal and Balance Inquiry. The Card can also be used for purchases at over 32.9 million acceptance locations across 210 countries and empowers the cardholders to shop online. The GCC also comes with a slew of insurance benefits. Initially, this product would be offered in USD only and would be extended to various other currencies going forward. Both WCC and GCC offer cardholders the convenience of a Traveller's Cheque, the safety of an ATM card and the acceptance of credit card, all rolled into one. These cards can be used both at ATMs and at Merchant Establishments abroad where VISA/Master cards are accepted.

Your Bank launched a Co-branded prepaid card "Freedom Prepaid Card" in February 2012, in association with Itz Cash Cards Ltd. It is a general purpose reloadable co-branded Card issued on Master Card platform and will be accepted for cash withdrawals at ATMs, as well as for purchase transactions at POS terminals deployed at physical merchant establishments and for on-line payments at e-commerce web sites with additional security of second factor authentication. The card is primarily targeted at certain sections of the society, particularly youth, who prefer to pay for goods and services using cash.

Your Bank also launched various promotional offers, including cash back offers, during the year to promote debit card usage at designated Point of Sale (POS) outlets, in association with VISA/MasterCard.

As a part of a Financial Inclusion project in four Talukas of Gujarat, your Bank has *inter alia* launched a specially designed Co-branded Photo ATM Card on 'Rupay' Platform. The Card can be used for ATM transaction at our own as well as other Bank ATMs that are members of National Payments Corporation of India (NPCI).

Your Bank constantly endeavours to provide value-added services to its customers, aligned to their risk profile and financial goals. Your Bank has tied up with over 35 Asset Management Companies (AMCs), including IDBI Mutual Fund, to provide a bouquet of diversified financial products to suit the investment needs of its customers. Your Bank is also a distributor of Fixed Income Securities viz. Capital Gains Bonds, Government of India Bonds, various Tax Free and Tax Saving Bonds. Your Bank has been enlisted as a registered Point of Presence (PoP) of Pension Fund Regulatory and Development Authority's (PFRDA's) National Pension Scheme (NPS). The Scheme is a safe and flexible system, which was introduced by Government of India to provide the citizens with regular post-retirement income stream. Your Bank is now system-ready to offer the recently launched 'Corporate Module' of PFRDA's NPS to its corporate customers, which would enable the latter to provide co-contributory pension benefits to their employees.

In order to cater to the investment cum safety needs of the customers, your Bank offers Life Insurance solutions to suit various customer segments, through IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. Your Bank is a Corporate Agent of Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. to offer Non-life insurance products ranging from asset, health and personal accident.

Financial Inclusion

In meeting the objective of Financial Inclusion as articulated by the Government of India, your Bank has initiated Financial Inclusion Plan (FIP) for the first three years ending March 31, 2013. Your Bank has, as per the requirement, covered all the allotted 119 villages with population more than 2000 by the end of FY 2012. These villages are located in the States of Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, West Bengal, Himachal Pradesh and U.T. of Dadra and Nagar Haveli. In addition to these villages, your Bank also aims to cover some more villages with population between 1000 and 2000 during FY 2013, as and when allotted by SLBCs.

The FIP of your Bank has been implemented by using Information & Communication Technology (ICT) based smart card solution through Business Correspondent (BC) model. Services of various Technology Service Providers (TSPs) across geographical segments/locations have been utilized for financial inclusion drive. The TSPs provide end-to-end solution including management of BCs/CSPs (Customer Service Points). Every customer in the unbanked village has been provided with a biometric smart card as per the specifications of Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT) and capable of incorporating around ten functions. As on March 31, 2012, your Bank has opened 42,079 accounts under financial inclusion. These accounts witness an average number of 113 transactions per day with average amount of ₹ 741/- per transaction.

Your Bank took a step further towards inter-operability of BCs across all villages by introducing on-line solution for customers' transactions in some of the villages allotted for financial inclusion. Gradually, all the 119 allotted villages would be put on on-line mode. Apart from the basic services which are being offered under financial inclusion, your Bank introduced, during FY 2012, various other products such as Education Loan, Fixed Deposit, Recurring Deposit and micro insurance product known as "Grameen Suraksha" for the benefit of customers. During the year, your Bank also established Ultra Small Branches (USBs) in 16 villages covered under FIP, as per the directions of the Ministry of Finance. A USB means some space is earmarked in village panchayat office for a bank official, who would be visiting the USB once a week at a fixed timing on a particular day to cater to various requirements of the villagers like balance enquiry, loan enquiry, processing of loan applications, recovery follow-up, etc. Gradually, USB would be established in all the allotted villages where basic banking services are already being provided through BC model. Further, in order to widen the Bank's reach under urban financial inclusion, as also to give a fillip to Government's objective of electronic transfer of benefits, your Bank during the year has obtained mandate from Raipur Nagar Nigam for distribution of social security pension to about 22,000 pensioners through smart cards. BCs are also being appointed in 2 Panchayats of 24 South Parganas District, West Bengal for catering to the banking needs of the people of these panchayats. Your Bank is also in the process of exploring such partnership with other government bodies.

Your Bank has acted as a Registrar with Unique Identification Authority of India (UIDAI) for implementation of the UIDAI project for issue of 'Aadhaar' identity cards to the customers of the Bank to link their account with Aadhaar as per RBI/Government directives. During the year, your Bank has enrolled 1 lakh customers across various geographical locations. Your Bank expects to enroll a larger number of customers during FY 2013.

Your Bank aims to bring unbanked populace within the ambit of formal banking system, thereby increasing their access to financial services, opportunities to build savings, make investment and harness their earning capacity and entrepreneurial talent. Your Bank therefore signed an MOU with Tata Institute for Social Sciences (TISS) for promotion of Financial Inclusion Program under which the Bank has sponsored 15 fellowships for TISS graduates to be stationed at select villages. Under the programme, named "Rural Transformation Fellowship Program (RTFP)", each fellow has been allotted a cluster of villages where they would undertake socio-economic survey of the village and provide assistance to the villagers through financial inclusion initiatives of the Bank. The three major aspects of the RTFP are to make people aware of (i) accessing financial markets, (ii) Accessing credit markets and (iii) Learning financial matters (financial education). During the fellowship, the Fellows are required to, inter alia develop a comprehensive village profile as a baseline; focus on Financial Awareness & Literacy, social entrepreneurship development, Capacity Building and Pilot Projects and work with Marginal and Excluded Groups.

The "Rural Transformation Fellowship Program" of your Bank has been adjudged the Winner in the Category of "Development Finance-Led Poverty Reduction" by the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP).

MSE Initiatives

Your Bank continued its thrust and due importance to the role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) towards building a strong foundation for sustainable growth on long term basis. Duly recognising the importance of MSEs in the socio economical growth of the nation, your Bank has continued its focus on Micro and Small segments of MSMEs, which are considered as growth engine of the Bank. With an effort to reach out to MSE clients to serve them better and take the MSE Banking facilities to their easy reach, your Bank has set up dedicated MSE Care Centres in 30 major cities/clusters, besides its regular branch network.

Your Bank always endeavors to cater to the various needs of the MSE clients and has continuously been developing customized MSE products from time to time. During FY 2011-12, your Bank introduced a new product 'Line of Credit to Vendors of Corporates' that enhances the liquidity position of MSE vendors, which are an important link in

the value chain. Availability of credit at reasonable cost has always been a concern for MSEs and keeping this in view, your Bank has introduced rating-linked pricing for MSE customers, enabling credit facility at attractive and competitive rate of interest. As a result of the aforesaid initiatives, MSE business of your Bank has grown by around 50% during the year.

Considering the growing importance of credit rating for MSE clients, which enhances the confidence in MSEs while dealing with financial institutions, banks and corporates for their financial needs and business opportunities, your Bank signed a MoU with Credit Analysis and Research Ltd. (CARE) for credit rating of the MSE customers at preferential rate. Your Bank has also signed a MoU with the Office of the Development Commissioner, Ministry of MSME, GoI, for promotion of employment/ self-employment through Micro and Macro enterprises to enable the NGOs to develop their capabilities in implementing micro and macro credit programmes under the Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD) Scheme.

Appreciating the importance of MSE sector in the development of the nation, your Bank has actively participated in various trade fairs and MSE promotional events organised by various Industry Associations and non-profit organizations during the year.

Agriculture and Rural Development

Agriculture continues to be the most important sub-sector of Indian Economy. Agriculture provides employment to large number of our rural population and has its own importance in food security of our country. Agriculture sector, therefore, finds important place in our National agenda. One of the challenges before our country is to improve productivity of agriculture sector to meet ever-increasing need of quality food for nourishing our growing population. Your Bank, therefore, believes that agriculture lending is not merely a business process but an opportunity to participate in the rural and agricultural development of our country.

Your Bank has established a network of officers under a dedicated 'Agri Business Group' across the country to provide knowledge-based credit to our farming community to improve farm productivity and quality of life of our rural population. Agri business, in your Bank, is presently handled at 334 branches, which are attached to 21 Agri Processing Centers, reporting to seven dedicated regional offices for speedy disposal and quick decisions.

Agriculture business of your Bank comprises direct lending to the farmers or group of farmers, assistance to corporate or co-operatives engaged in processing of agriculture produce and entities involved in supporting agriculture sectors. During FY 2011-12, your Bank introduced simplified documentation process; stream lined sanction and delivery systems with desired flexibility and control in retail agriculture lending. This has helped your Bank to broaden its retail agriculture base. Your Bank has tied up with select corporates and co-operatives engaged in agro and food processing activities to reach out to a large number of farmers and deepen its retail base across the country. To reach large number of farmers, particularly those in remote part of the country, your Bank has appointed Business Facilitators at such locations.

Your Bank continued to encourage formation of Farmers' Clubs in the villages covered by our rural branches. Your Bank considers the members of Farmers' Clubs as true grass root level agriculture extension workers and supports them in all activities that involve sharing of their knowledge amongst fellow farmers.

IDBI Rural Self Employment Training Institute, Satara.

Your Bank established its first Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) at Satara District of Maharashtra as per the guidelines issued by the Ministry of Rural Development, Government of India. With effect from October 31, 2011 the institute has commenced conducting free residential training programs for rural unemployed youth in this district. Training courses focus on skill and entrepreneurship developments so that they could set up their own small enterprise. IDBI-RSETI has conducted eight training programmes for 224 youth in 2011-12.

IDBI Agriculture and Rural Development Trust

Your Bank has established a Trust named as "IDBI Agriculture and Rural Development Trust" mainly to manage IDBI-RSETI as required under the guidelines issued by the Ministry of Rural Development, Government of India. Apart from this the Trust would also undertake development and research activities in rural and agriculture sector. The Trust would help your Bank to discharge duties under its Corporate Social Responsibility.

Corporate Finance

Your Bank has been a pioneer in the field of Corporate Finance for the last nearly five decades and has been supporting the diversified needs of Corporate sector in its growth process. During the FY 2011-12, your Bank opened one more dedicated specialized Corporate Branch at Bandra Kurla Complex in Mumbai. With this the total number of Specialised Corporate Branches across the country stands at 33. Your Bank's Corporate Business has grown by about 20% during the last year. Your Bank also meets the foreign exchange needs of Corporate Clients through its Dubai Branch which went operational in the year 2010.

Your Bank offers tailor made structured products, both asset as well as liability, depending on the needs of the Corporates. Your Bank has also carved out a niche for itself in the Transaction Banking segment like the Cash Management Services, Government Agency Tax Collection and Trade Finance Products. Your Bank also offers treasury and loan syndication services to its corporate clients. During the year, your Bank facilitated a cross border deal by sanctioning financial assistance in Foreign Currency to one of the large Indian Corporate Groups for acquiring a company based in Europe. The acquisition transaction was typical in nature and involved various processes to handle issues relating to cross border regulatory norms, taxation, due diligence, valuation of the company, environmental due diligence issues, creation of cross-border security, etc. and reflects the wide expertise available in your Bank for addressing the needs of the Indian corporate sector.

Trade Finance

Your Bank continued to post high growth rates in Trade Finance (TF) Business. During the FY 2011-12, the non-fund based business of your Bank, comprising of Letter of Credit (LCs) and Bank Guarantees (BGs) segment grew by 17% crossing ₹ 70,000 crore. Trade Finance related fee income also recorded robust growth of 37% during the year. Your Bank has earned Trade Finance related fee income of ₹ 640 crore out of total fee income of ₹ 1,715 crore earned during the year. Your Bank has entered into Whole Turnover Packing Credit ECIB (WT-PC) and Whole Turnover Post Shipment ECIB (WT-PS) with effect from April 1, 2012 with ECGC for Export Credit Insurance Cover for Bank. During the year, your Bank opened two new TF Centres at Faridabad and Ghaziabad, thereby increasing the total number of TF locations from 37 at the beginning of the year to 39. During the year, the Bank has put in place specialized Sales Teams exclusively for TF products at the metros with a special focus on Retail Trade Business which will enhance the Bank's TF Business, inter alia, in the Retail Segment.

Strengthening collaborative relationship with leading foreign banks continues to be your Bank's priority towards enhancement of Trade Finance Business as well as Fee Income for your Bank.

Government Business

Your Bank has placed strong focus on Government Business and collects direct and indirect taxes of Central Government and various State Governments. During the FY 2011-12, your Bank had crossed a major milestone in collection of tax of ₹ 1 lakh crore to achieve total tax collection of ₹ 1.24 lakh crore. Further, your Bank added another feather in its cap by collecting more than ₹ 1.12 lakh crore in respect of Central Taxes during FY 2011-12. The tax collection is facilitated mostly through e-payment besides physical mode. During the year, your Bank operationalised collection of commercial taxes in the states of Assam, Bihar and Puducherry. With this your Bank is now authorized to collect Commercial Tax in the states of Assam, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Punjab (Phagwara), Rajasthan, Uttarakhand and in the Union Territory of Delhi and Puducherry. Your Bank also got clearance from the states of Karnataka, Tamilnadu, West Bengal and Sikkim for commercial tax collection and is expected to commence tax collection in these states during the first half of FY 2012-13.

Your Bank had gone live on January 16, 2012 in providing online duty payment services in respect of Customs Duty for all the 103 Electronic Data Interchange (EDI) locations across the country. With this development, taxpayers are now in a position to route all of their Central Taxes and Duties payments through IDBI Bank, making your Bank an important Agent in its pursuit of partnering the Government of India in enabling online payments and enhancing the tax contribution to the Exchequer.

Your Bank has also put in place state-of-the-art Technology Platform which is supporting the Government›s dual objective of improvement of tax collection efficiency and e-governance.

Cash Management Services

Cash Management Services, which are one of the major avenues for Current account mobilisation, continued to be one of the thrust areas of your Bank during the year. Your Bank has a marked presence in this business segment and has bagged some of the prestigious mandates for dividend servicing. Also, your Bank has earned market recognition as Bankers to Issue for IPO /FPO /Bond Collection assignments. Your Bank is focussing on providing customized e-solutions including technological integrations with client systems in tune with the evolving market requirements. The Bank is constantly upgrading its systems towards this end.

Infrastructure Finance

Your Bank continues to remain a prominent player in infrastructure financing, which typically involve long gestation period and have a distinct risk and return profile requiring innovative structuring. Your Bank has been in the forefront in structuring and financing of infrastructure projects in the areas of power, telecom, roads, airports, seaports, railways and logistics, as well as Special Economic Zones (SEZs), ever since the infrastructure sector was opened to private investment, and a significant share of its aggregate assistance goes to infrastructure sector.

Investment in infrastructure assumes greater importance in today's economic scenario. Several new projects have been lined up in the road, port, airport, power and other infrastructure sectors. Recognising the critical role of infrastructure development in the growth of national economy and also the huge investment required in the sector, focused approach was followed to provide end-to-end solutions to the infrastructure companies viz. corporate advisory, syndication of debt/equity, financial structuring, term loans, working capital, securitization and other related services.

Your Bank has also taken initiatives in funding urban infrastructure projects, renewable energy projects (solar, wind and bio mass based power projects), seaports and airports under the Public-Private Partnership (PPP) route. Through its overseas branch, your Bank is also in a position to extend, selectively, foreign currency denominated loans to infrastructure projects.

An extensive and efficient infrastructure network is critical for the effective functioning of the economy and is a major requirement for sustainable and inclusive economic growth. Over the years, the Government has taken various initiatives to accelerate the pace of infrastructure development and reduce the infrastructure deficit in the country. While presenting the Union Budget for 2011-12, the Hon'ble Union Finance Minister announced a proposal to create Special Vehicles in the form of notified Infrastructure Debt Funds in order to augment the flow of long-term, low-cost foreign funds for the infrastructure sector. Your Bank has been a pioneer in infrastructure financing and has provided financial support to a number of infrastructure projects across the spectrum of industries. Given the growing need of funds to meet the requirements of projects in the infrastructure sector, your Bank has decided to set up an Infrastructure Debt Fund in the form of an NBFC, viz., IDBI Infrafin Limited (IIL). The NBFC (IIL) was incorporated on February 27, 2012 with an Authorised Capital of ₹ 1,000 crore. As the sponsor of the company, your Bank would have equity holding of 30% in the company; the other strategic investors would be leading Public Sector Banks/ Financial Institutions. In order to be compliant with RBI Guidelines, the initial Paid-up Capital has been set at ₹ 300 crore, of which your Bank would be initially subscribing ₹ 90 crore (30%).

Syndication, Structuring and Advisory Services

Your Bank has been active in providing debt syndication, structuring and advisory services to corporates in infrastructure as well as manufacturing sectors. During the past few years, your Bank has assisted several large projects including Ultra Mega Power Projects, Metro Rail Projects, Airports, Ports, Roads, Oil Refineries, Renewable Energy Projects, Steel Plants, etc. in achieving financial closure through debt syndication. In some cases, your Bank underwrites the entire or a part of the debt requirement to ensure speedy financial closure. So far, your Bank has completed debt syndication mandates aggregating more than ₹ 2 lakh crore.

Your Bank has been consistently ranked as one of the leading debt syndicators in India, as well as entire Asia Pacific region. Your Bank also provides structuring and advisory services to developers interested in bidding for infrastructure projects. Your Bank has a team of qualified and experienced professionals to provide these services. Reckoning clients' special needs, tailor made solutions are being provided promptly. Almost 15% of the total fee based income of your Bank during 2011-12 was contributed by syndication, structuring and advisory services.

Environment Protection Schemes

Your Bank has undertaken a pioneering role in Indian banking sector in the area of environmental banking. Besides offering various banking services, your Bank has been providing services in the area of Clean Development Mechanism (CDM)/Carbon Credits under Kyoto Protocol and Voluntary Emission Reductions (VERs). Your Bank has also been acting as financial intermediary for World Bank funding under Ozone Depleting Substance (ODS) phase out schemes since 1991 and India Chiller Energy Efficiency Project (ICEEP), a unique project aimed at mitigating global warming and phasing out of ODS in the chiller sector since 2009.

Carbon Credit Services

Your Bank has set up a team for providing specialized carbon credits/emission trading advisory on Clean Development Mechanism (CDM). Your Bank is facilitating all the services related to CDM projects and carbon credit market, viz., funding of the CDM projects; providing technical advisory services for registration of CDM project, providing advisory services for Trading of Certified Emission Reductions (CERs) and Verified Emission Reductions (VERs), upfront financing against the carbon credits/carbon credits receivables, advisory services for Programmatic CDM.

Ozone Depleting Substances (ODS) Phase-out projects

Your Bank is acting as Financial Agent (FA) for the World Bank (WB) administered Ozone Depleting Substances (ODS) Phase-out projects (ODS III & IV) of Ozone Trust Fund (OTF) for implementation of the projects aimed at phasing out production and use of Chlorofluoro Carbon (CFC) and Carbon Tetrachloride (CTC) in India as required under Montreal Protocol. WB and GOI have extended the tenure of ODS III and ODS IV projects upto April 30, 2012 and December 2012 respectively. Cumulatively, upto March 31, 2012, grant funds aggregating USD 123 million have been released through your Bank under ODS III & IV projects.

Treasury Operations

Your Bank has an integrated Treasury at its Head Office covering various operations including Money Market, Fixed Income, Foreign Exchange, Derivatives and Equities trading operations for optimum management of funds and returns, while providing a wide range of products viz. G-Secs, forex, derivatives, CDS and exchange traded currency futures and options to customers.

Besides deposits, your Bank used various instruments including Certificates of Deposits, Inter Bank borrowing, issuance of Bonds, refinance from various institutions and foreign currency borrowing to manage liquidity for balance sheet growth and maturity of liabilities. The short term liquidity was managed through call, Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO), and LAF market operations. Despite considerable volatility and hardening yields, your Bank managed the SLR portfolio profitably.

Credit Default Swap (CDS) was introduced in the Indian market by RBI this year on November 30, 2011. Your Bank was the first Bank to sell a protection under CDS in the domestic market on December 7, 2011 and your Bank received accolades in the FIMMDA conference held in Malaysia on January 26, 2012 and received recognition from the hands of Dr. Zeti Akhtar Aziz, the honourable Governor of the Malaysian Central Bank. Your Bank has become the leader in India for the CDS market which offers a large potential for hedging the credit risk, as well as market making on CDS.

Your Bank's Treasury has a large sales team spread across 10 centers for effective marketing of foreign exchange and derivative products. The team interacts constantly with the corporate clients and proactively provides them solutions to effectively manage their volatilities in the currency and rates markets. During FY 2011-12, your Bank provided various types of customized solutions at competitive rates to cater to customers for their foreign exchange and interest rate hedging requirements through mix of options and swaps as permitted by RBI.

In addition, your Bank has set up debt sales team at various centres which cater to the needs of the clients falling outside the screen based NDS-OM market. Your Bank innovatively harnessed technology to meet the untapped potential of retailing of government securities in the Indian Market. Your Bank became the first ever Bank in the country to launch an internet based portal dedicated to retail investors in Government Securities. The portal has been christened as "IDBI Samriddhi G-Sec" which has been received favourably by the investor class. This trend setting initiative by your Bank offers retail investors the opportunity to benefit from the safety, liquidity and risk free returns that Government Securities offer.

Cross Border Branches

With the faster pace of globalization, many of your Bank's valuable customers require cross border finance. In this direction, your Bank has established its presence in .the overseas markets to cater to the financing needs of its Indian clientele and also leverage its domestic banking strengths to offer competing products internationally.

Your Bank's first overseas branch at the Dubai International Financial Center (DIFC), Dubai has completed over two years of operations. From DIFC Branch, your Bank provides a range of corporate banking services, including extending of ECBs, foreign currency loan syndication and trade finance products for its Indian clients' fund requirements for their Indian operations as well as overseas ventures. The DIFC Branch also serves as the nodal point for your Bank for raising foreign currency resources.

Your Bank's DIFC Branch has earned a Net Profit of USD 14.16 million for the current year ended March 31, 2012.

Your Bank has also submitted applications to Monetary Authority of Singapore (MAS) for setting up an Offshore Banking Unit (OBU) at Singapore and to the China Banking Regulatory Commission (CBRC), China for setting up a Representative Office at Shanghai. In due course your Bank will seek to expand its overseas presence.

Foreign Currency Resources

During the year under review, your Bank raised a sum of USD 2,474.02 million equivalent, of which (i) USD 230 million was raised from overseas banks/overseas branches of Indian Banks/Institutions under the Inter-bank Dealings scheme of RBI, (ii) USD 465 million by way of club/syndicated loans, (iii) Renminbi (RMB) 650 million (equivalent to USD 102.31 million) by way of a Dim Sum Bond issuance under the USD 1.5 billion Medium Term Note (MTN) programme, (iv) USD 147.60 million by way of short term bond issuances (private placement) under the USD 1.5 billion Medium Term Note (MTN) programme, and (v) USD 1,529.11 million by way of short term borrowings from banks.

As on March 31, 2012, the outstanding amount of borrowings under the Inter-bank Dealings scheme of RBI (USD 848.82 million) was within the permitted overall RBI stipulated limit of 50% of Tier I capital. As stated earlier, your Bank raised Renminbi (RMB) 650 million by way of 3 years Dim Sum Bond issue in November 2011. The bond was priced at a fixed coupon of 4.5% p.a. The Dim Sum bond issued by your Bank was the first such issue from India and other emerging markets, thus providing testimony to

the faith reposed by global fixed income investors in IDBI Bank. Further, your Bank has also priced a 3 ½ year CHF 110 million 3.125 % Fixed Rate Notes due in October 2015.

Your Bank has updated its USD 1.5 billion MTN programme listed on the Singapore Stock Exchange in January 2012. Till end of FY 2011-12, your Bank has raised USD 599.91 million equivalent under the aforesaid MTN Programme.

Credit Rating

Your Bank obtains credit ratings for both domestic and foreign currency borrowings. The ratings for the rupee resources are as under:

Ratings for Rupee Borrowings (As on March 31, 2012) (Table 3)			
	CRISIL	**ICRA**	**Fitch**
Fixed Deposit	FAAA / Stable	MAA+	Fitch AAA(Ind)
Short Term Borrowings (Certificate of Deposits)	CRISIL A1+	[ICRA] A1+	Fitch A1+ (Ind)
Long Term Rupee Bonds (Senior & Lower Tier II bonds)	CRISLAA+/ Stable	[ICRA] AA+/ Stable	Fitch AA+(Ind)
Hybrid - Upper Tier II Bonds	CRISIL AA /Stable	[ICRA] AA/ Stable	Fitch AA– (Ind)
Hybrid – IPDI	CRISIL AA/ Stable	[ICRA] AA/ Stable	----

The Foreign Currency borrowings of your Bank are rated by International Rating Agencies. Moody's Investor Services (Moody's) and Standard & Poor's (S&P) have rated your Bank on par with the sovereign viz. Baa3 and BBB-/ Negative respectively.

Long Term Rupee Borrowings

During the year, the Bank raised an aggregate amount of ₹ 3,134.40 crore through bond issuance comprising Lower Tier II bonds (₹ 2,834.40 crore) to shore up its CRAR and Senior Bonds (₹ 300 crore).

Asset Quality

As at end-March 2012, 98.4% of your Bank's loan assets were standard assets. As at end-March 2012, sub-standard assets formed 1.1%, while doubtful assets constituted 0.5% of your Bank's loan assets, for which adequate provisions were made in conformity with extant prudential regulations. Your Bank continues to pursue various recovery efforts to improve asset quality and also augment bottom line of the Bank. During the year, your Bank initiated several steps to settle the Non-Performing Assets/Fully Written-Off (NPA/FWO) cases in its portfolio. Among the various steps undertaken were restructuring of liabilities, One Time Settlements/Negotiated Settlements (OTS/NS), legal action, action under the SARFAESI Act, revovery from distribution of sale proceeds lying at DRT / OL, change of management, sale of assets to Asset Reconstruction Companies (ARCs), induction of strategic investors etc., depending on the specific requirements of each case. The Provision Coverage Ratio (PCR) of your Bank works out to 68.28% as on March 31, 2012.

Risk Management

Effective management of business risks forms an integral part of your Bank's strategy. Risk management philosophy of your Bank is governed by twin objectives of enhancement of shareholders' value on a sustainable basis; and judicious usage of capital. In fact, your Bank strives to take risk culture to next level by spreading risk awareness across the Bank; making it an integral part of decision making process. Therefore, identification, assessment, monitoring and mitigation of risks, efficiently & effectively to yield sustained economic value, continued to receive top priority.

Your Bank has an integrated risk management architecture that takes care of various aspects of enterprise-wide risk management. Overall risk management is the responsibility of the Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors, though the day-to-day activities are carried out at various levels. Appropriate organizational structure, policies and review are in place to ensure effective risk management. A well-established, effective and independent internal control mechanism exists for supplementing the risk management systems to build risk consciousness and discipline into decision-making throughout the Bank.

To strengthen the risk management process in meeting the challenges of an increasingly complex financial system, your Bank leverages on its complete branch coverage under Core Banking Solution (CBS) to enhance the Management Information System (MIS) capabilities. In order to make the Risk Management System more robust and technologically advanced, your Bank has implemented Integrated Risk Management Architecture (IRMA), which comprises software solutions, viz. Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE). RAM is a two-dimensional web-based rating system, CAM computes regulatory capital requirements for credit risk and CORE is a system to track operational risks. These systems would facilitate migration to advanced approaches under Basel-II in due course.

Implementation of Basel-II Norms

Your Bank has been following Basel-II norms since March 31, 2009, as stipulated by RBI. In compliance to the Pillar-I norms under Basel-II, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market & operational risk. As on March 31, 2012, the Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of the Bank works out to 14.58% which is above the minimum regulatory requirement of 9%. Similarly, Tier-I ratio of the Bank was 8.38%, as against the regulatory requirement of 6%.

Your Bank views the implementation of the Basel-II norms as strategic, forward looking process to adopt the best practices in risk management with a focus on creating value. At present your Bank follows the Standardized Approach for credit risk and is in the process of further upgrading and strengthening its Credit Risk Management System to be in readiness for migration to the advanced (Internal Rating Based) approaches of Basel-II. Similarly for market risk, your Bank uses Standardized Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital and is in the process of implementing Value at Risk (VaR) based system for smooth migration to Internal Models Approach (IMA). Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for operational risk. As a part of migration process to Advance Measurement Approach (AMA), a new set of Key Risk Indictors (KRIs) and Risk & Control Self Assessment (RCSA) framework is being rolled out across different business segments.

To comply with the Pillar-II norms under Basel-II, your Bank has a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks, which are not captured under Pillar-I and also develop appropriate strategies to manage such risks under normal and stress conditions.

In compliance to Pillar-III norms of Basel-II, your Bank has put in place a Disclosure Policy and accordingly, the disclosures as on March 31, 2012 are included in this Report and also are made available on your Bank's website. The disclosures pertaining to Capital Adequacy Ratio are also updated on your Bank's website on a quarterly basis.

Preparedness for Basel III norms

In order to improve banking sector resilience by strengthening quality of capital and liquidity regulations, Reserve Bank of India has issued guidelines based on Basel III norms. Considering the increasing need for quality capital, your Bank has augmented its common equity capital by way of preferential allotment of equity to Government of India and Life Insurance Corporation of India during the fiscal. Management Information System (MIS) is being further strengthened to meet the data requirement towards Basel III implementation.

Credit Risk

Recognizing the significance of credit risk in banking business, your Bank has put in place a comprehensive Credit Risk Management System which includes web based Risk Assessment Model (RAM) for credit rating of proposals and automated system for capital computation. To ensure efficient credit evaluation, credit delivery, portfolio management and monitoring, your Bank follows a proactive Credit Policy which is prepared taking into consideration the prevailing business and socio-economic environment to assimilate the business objectives of your Bank.

The rating committee at the apex level continues to validate credit ratings and also provides guidance to Risk Analysts and Relationship Managers. As a proactive measure, your Bank regularly monitors various exposure limits which include exposure to different countries, segments, sectors and industries.

Market Risk

Managing market risks effectively, arising out of movement in associated parameters viz. interest rates, equity prices and foreign exchange rates, forms an integral part of overall risk management architecture. In this direction, relevant measures including setting and monitoring of trading book limits, valuing the portfolio at market rates etc. are carried out enabling optimal contribution of trading book. In line with your Bank's business objectives, portfolio analysis of trading book is also carried out under various scenarios including stress conditions to optimize the risk return trade-off.

Market risks are managed in line with the framework defined in Asset-Liability Management (ALM) Policy, Market Risk Policy, Investment Policy and Derivative Policy. These policies, in general, outline the appropriate levels of risk appetite and lay down mechanism for measurement, reporting and escalation of risks and exceptions, if any.

In order to safeguard your Bank's exposure to liquidity and interest rate risk, risk limits have been specified. Asset-Liability Management Committee (ALCO) regularly monitors risk positions and appropriate steps are taken to keep the gap positions within the specified level. The ALM position of your Bank is being periodically reported to ALCO, RMC of the Board and also to RBI.

As VaR based computation is efficient to measure risk element in trading book, your Bank is poised to move to VaR based monitoring of the entire market risk related transactions.

Operational Risk

In order to mitigate operational risk inherent in business activities, your Bank has put in place an effective operational risk management framework. Your Bank currently follows the Basic Indicator Approach (BIA), as per RBI guidelines on Basel II, for calculation of capital charge for operational risk. However, in order to migrate in Advanced Measurement Approach (AMA), your Bank has been taking multiple steps for up-gradation of skills, technology and processes on a continuous basis. The progress report in this regard is submitted to Operational Risk Group as well as to RMC of the Board.

In order to estimate capital under AMA based on historical loss data, your Bank is in the process of capturing operational loss data on various operational areas as per Basel II defined Business Lines. Further, as a proactive risk mitigation strategy as well as timely reporting of operational loss incidents, training programs through class room and e-learning module have been conducted on operational risk and fraud monitoring for bank officials working at various functions/ branches.

In the area of Business Continuity, to ensure continued rendering of critical banking services in the event of business disruption or disaster, your Bank has a well tested Business Continuity Plan (BCP). This will enable your Bank to maintain its services available to its valued customers within shortest possible time in the event of any disruption. Effectiveness of BCP is assessed through proper testing techniques viz. Notification & callout test and table-top test/ structured walkthrough tests, prior to conducting real life testing of BCP. In addition, in order to provide continued and uninterrupted services even during natural disasters, your Bank has established a Disaster Recovery (DR) site. Disaster Recovery drills are conducted periodically in order to ensure smooth availability of banking services under simulated disaster situations.

Product Risk

Your Bank follows a strong product approval review process comprising of comprehensive risk evaluation and mitigation system such as concept validation, confirmation of critical assumptions, technological capability, etc. Due structure and system are in place which looks into various dimensions prior to launch of any new product.

Information Technology Risk

Being in the forefront in leveraging Information Technology (IT) to extend better services / products to customers, your Bank recognizes the need for effective IT risk management. Apart from Information Security, your Bank's IT risk mitigation strategy also includes aspects of compliance & privacy. Information Security Policy (ISP) is in place to ensure that information is protected from unauthorized access and confidentiality & integrity of the information are maintained along with timely availability of IT resources to legitimate users. A high-level Information Security Steering Committee (ISSC) ensures that systems are in place for continued protection of IT resources. Apart from conducting regular information security awareness programs for the employees, various Information Security precautions are also communicated to Customers.

IT infrastructure and systems have been implemented within a robust information security framework. The centralized Data Centre of your Bank has been accredited with ISO 27001, a reputed information security certification. Measures to enhance the security levels for taking effective action against 'Phishing' attacks are in place. Your Bank is taking necessary steps to further enhance the safety, security and efficiency in banking processes, as envisaged in the RBI guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds.

In summary, your Bank has a well structured risk management framework recognizing various facets of risk and their effective & efficient management. With continued efforts under the direction of the top management, the risk awareness in your Bank has percolated down considerably. The prime objective is to appropriately balance the risk-return trade-off inherently associated with banking business, through appropriate mitigation and pricing to maintain competitive edge.

HR Initiatives

During 2011-12, your Bank recruited 2670 employees (Officers 1782, Executives 888) of whom, 529 belong to Scheduled Castes (SCs), 228 belong to Scheduled Tribes (STs), 893 belong to Other Backward Classes (OBCs) and 90 are Persons With Disabilities (PWDs). As on March 31, 2012, your Bank had 15,435 employees on its rolls, comprising 11,383 Officers, 1608 Executives (On Contract), 1333 Clerical (Class-III) and 1111 Sub-staff (Class-IV) employees. Your Bank has, as a step towards integrating synergistic business interests, completed mergers with two of its subsidiaries viz., IDBI Home Finance Ltd. and IDBI Gilts Ltd. and also successfully integrated the valuable human capital with the mainstream HR.

As a measure of providing opportunities to officers with outstanding background to enhance their proficiencies and performance, your Bank has introduced a scholarship program for overseas study for its officers. Your Bank has formulated an HR Plan based on the recommendations of Khandelwal Committee recommendations on HR Issues of PSBs and a Board Level Steering Committee has been constituted to monitor its implementation.

Your Bank is in the process of implementing the New Pension Scheme of PFRDA, a Defined Contribution Pension Scheme for new recruits on the rolls of the Bank who have joined after April 1, 2008. The industrial relations climate in your Bank has been largely cordial during the year with no major disruption in work and most of the issues have been amicably resolved.

Representation of Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Other Backward Classes (OBCs)

Your Bank has been implementing the Rules of Reservation for SCs/ STs with effect from April 1977 in direct recruitment and from February 1980 in promotion. Your Bank has also been implementing reservation for Other Backward Classes (OBCs) with effect from September 1993 in direct recruitment. In terms of revised "Brochure on Reservation for Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) & Other Backward Classes (OBCs) in services" issued by the Government of India, Reservation Registers have been duly adopted. The representation of SCs, STs and OBCs in the total strength of your Bank in various cadres as on March 31, 2012 is presented in the **Table 4** given below.

Table 4 : Representation of SCs/STs/OBCs (Table 4)

Manpower	Total Strength	Out of which		
		SCs	STs	OBCs
Officers	11,383	1336	477	1817
Executives	1608	274	48	542
Clerical	1333	142	40	121
Sub-staff (excluding Sweepers)	870	210	64	145
Sweepers	241	60	18	46
Total	15,435	2022	647	2671
% of Total Strength		13.10	4.19	17.30

SC/ST/OBC count –Excluding employees of IDBI Home Finance Ltd. and IDBI Gilts Ltd.

There were 45 Ex-Servicemen and 203 Persons With Disabilities (PWDs) in the Bank as on March 31, 2012. Your Bank maintains separate Rosters for PWDs, as per Government of India guidelines. Your Bank has appointed Liaison Officers for SCs/ STs/ PWDs and OBCs to effectively redress the grievances of SC/ ST/ OBC employees of the Bank.

Human Resources – Training & Development

In the past year, your Bank has taken various training initiatives towards the professional and personal development of the employees of your Bank, to enable them to meet organisational goals. Employees equipped with the right competencies have led to your Bank's growth. During the year, your Bank trained 11,252 employees, through 460 in-house training programmes. In addition, 483 officers were nominated for external training programmes conducted by other institutes/ training organizations of repute in India and 62 officers were nominated for programmes/ conferences/ seminars abroad. Your Bank has been fully utilizing its existing training facilities at Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance at Hyderabad, and the four Regional Training Centers at Mumbai, Chennai, Kolkata and New Delhi. A series of Leadership Excellence programme were conducted at JNIBF, Hyderabad for senior officers. As a Corporate Social Responsibility initiative, your Bank also organised a seminar on "Institutionalizing Responsible Corporate Citizenship for Banks and Financial Institutions in India" in collaboration with Association of Development

Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) and the Washington based Center for International Private Enterprise (CIPE) which was attended by representatives from other Public and private sector Banks/financial institutions.

Your Bank extends technology not just to banking processes but also to learning initiatives through the online training portal i.e. i-varsity & i-blogger that keeps your Bank's staff updated on the products, processes & helps them deliver to the needs of the customers. Skill upgradation and learning was on a continuous basis via online tutorials and certifications were awarded after completion of certain online tests.

Your Bank's apex training institution, Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance in its role as 'Centre of Excellence' has organised several programs not just to groom your Bank's staff, but has also shared its expertise with other banks and financial institutions on commercial basis, thus generating profit for your Bank.

Internal Audit

Your Bank has a well-equipped Internal Audit Department carrying out regular independent appraisal of all activities undertaken by different business verticals / support verticals and branches. The function is headed by Senior Management Personnel with reporting lines to Chairman and Managing Director (CMD) and Audit Committee of the Board. The audit function maintains its independence and objectivity while carrying out the assignments.

Your Bank has adopted risk-based internal audit as its strategy, while carrying out the activities. Further effectiveness of the Internal Audit functions have been enhanced by way of implementing the web based Audit Management System, off site monitoring, opening of Audit Hubs at important centres, systematic selection of audit samples to ensure wider & meaningful coverage of the audit through, well defined audit formats.

Your Bank has an experienced in-house Information System Audit (IS Audit) team in place, as a part of Internal Audit mechanism, to address technology and IT security issues commensurate with the nature and complexities of the operations.

Your Bank has, in line with the regulatory requirements, put in place a comprehensive concurrent audit system to supplement the internal audit function to strengthen internal controls.

In order to achieve continuous improvement in the quality of Credit portfolio of your Bank, the Credit Audit System has been put in place during the year, which aims at critical in-depth examination of individual large commercial loans. Credit Audit mechanism has been aligned with Risk based Internal Audit, which enable to assess whether the Bank's laid down policies in the area of credit appraisal, sanction of loans and credit administration are meticulously complied with. Credit Audit also facilitates early identification of warning signals and suggests prompt remedial measures, to aim at overall improvement of portfolio quality.

Your Bank evaluates, on a continuous basis, the adequacy and effectiveness of internal control mechanism, adherence to policies & procedures and suggests measures to strengthen and streamline control for addressing various risks timely. Keeping this in mind your bank reviews Risk Based Internal Audit Policy, Concurrent Audit Policy and Information Security Audit Policy on an annual basis.

Fraud Management System

Your Bank has put in place fraud monitoring mechanism through a dedicated group i.e. Fraud Monitoring Group (FMG) under Internal Audit Department. The Fraud Review Councils (FRC) have been constituted to monitor and review all frauds so as to identify systemic lacunae, if any, initiate corrective measures, monitor progress of investigation and recovery position. The FMG also reviews efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and putting in place need based remedial measures. A detailed Fraud Risk Management Policy has been put in place for effective fraud control.

There exists proper co-ordination between Audit, Operation Risk and other operational wings for enhancing operational efficiency and fine-tuning of the processes. Emphasis is placed on benchmarking your Bank's practices and procedures in an endeavour to migrate to the best practices in the industry. The Audit Committee of the Board and Audit Committee of Executives review the performance on continuous basis, give directions to the internal audit functionaries and review effectiveness of internal control systems, as also compliance with regulatory guidelines.

Vigilance Mechanism

A full-fledged Vigilance Department located at your Bank's Head Office, operates as a channel for providing inputs to the Top Management for carrying out investigation into vigilance related complaints and to suggest corrective measures for improving deficiencies, if any, in the control systems and laid down procedures. Your Bank has been implementing the guidelines laid down by the Central Vigilance Commission (CVC) for improving Vigilance Administration and has put in place a system wherein complaints received from the public/any other sources are attended to promptly.

A Vigilance Department Site is operational on the Intranet of your Bank, which provides an overview of the Vigilance Department, Format of Standard Notice of CVC to be displayed at all Branches/Offices of your Bank, Important Circulars/Guidelines issued from time to time by CVC, Chief Technical Examiner's Organization (CTEO) of CVC, as also by your Bank and Do's & Don'ts of Preventive Vigilance. This has helped your Bank in enhancing the level of Vigilance awareness among officers.

During the year, surprise vigilance visits were made to various branches to detect malpractice, if any, and non-adherence to laid down systems and procedures and suitable corrective measures were suggested, wherever deemed necessary.

With a view to spreading Vigilance Awareness among employees of your Bank, numerous interactive Workshops and Talks/Presentations on Vigilance Awareness with focus on Preventive Vigilance were organised during the year. During the aforesaid events, due emphasis was laid on the need for Preventive Vigilance to be exercised by all the staff members in their day-to-day work as also how Vigilance Awareness helps in achieving the larger goal of organizational efficiency.

Vigilance Awareness Week was observed during October 31, 2011 to November 05, 2011, at the Head Office and Branch Offices of your Bank to sensitise the employees about the evils of Corruption. On this occasion, the Chairman & Managing Director of your Bank, released a Special Journal for the benefit of staff members of your Bank, which incidentally won Bronze Award for the best Tabloid Newsletter awarded by the Public Relations Council of India.

Regulatory Compliance

Your Bank has taken adequate steps to ensure compliance with various Statutory & Regulatory stipulations and guidelines. During the year, a dedicated Compliance Department was set up to oversee the compliance related activities. Your Bank has also designated a Chief General Manager as Chief Compliance Officer. The Compliance Department is responsible for overseeing the observance of:

1. Statutory provisions (Banking Regulations Act, RBI Act, FEMA, Prevention of Money Laundering Act, etc.)
2. Regulatory guidelines (RBI, IRDA, SEBI, etc.)
3. Standards & Practices prescribed (BCSBI, IBA, FEDAI, FIMMDA, etc.) and
4. Bank's internal policies.

The Department also transmits information regarding statutory and regulatory requirements across the organization to facilitate better compliance.

Code of Bank's Commitments to Customers

Your Bank is a member of Banking Codes & Standards Board of India (BCSBI), set up by Reserve Bank of India. The Board of Directors of your Bank adopted the Code of Bank's Commitment to Customers (Code 2009) and also Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises (MSE Code). Both the codes are voluntary and sets minimum standards of Banking practices for Banks to follow, when they are dealing with individual customers and also with micro and small enterprises.

As an integral part of your Bank's compliance with the above codes, information on the codes is provided to customers through display on your Bank's website, at the branches, customer statements of accounts etc.

With a view to making the Grievance Redressal Mechanism more effective, the Regional Heads of your Bank, pan India, have been designated as Code Compliance Officer (CoCO) and their contact details are prominently displayed at branches and on the Bank's website.

Your Bank has in place Customer Service Committee of the Board (CSCB) and Standing Committee on Customer Service (SCCS) to ensure that Bank's products, processes and services are periodically fine tuned to meet the desired objective of BCSBI of achieving customer satisfaction.

Customer Service and Complaint Management

Your Bank has recently adopted new Vision and Mission statements to act as guiding principle for all activities in future. The first Mission of the Bank is to delight the customers with excellent service and comprehensive suite of best-in-class financial solutions. Your Bank has indeed imbibed this Mission as part of its philosophy. Your Bank is a service-oriented organization and realizes the fact that its success depends on the quality of service offered to customers and therefore Customer Service takes the centre-stage in the Bank. Your Bank, on a continuous basis, takes initiatives to ensure that the customers have best-in-class banking experience at each of the touch-points where the customer approaches the Bank.

Your Bank has a Customer Service Committee of the Board and a Standing Committee on Customer Service (chaired by the DMD and comprising of senior officials as its members) to look into various aspects of Customer Service and Complaints Management. The involvement of Independent Directors and Top Management in matters of Customer Service and Complaints Management ensures that these important areas get the attention they deserve.

Your Bank has set up a Centralized and dedicated Customer Care Centre (CCC) to take care of the activities which would bring about an improvement in Customer Service. It includes receiving and redressing customer complaints escalated upwards from the branches and inbound Call Center and those that are received through the centralised E-Mail unit, Website, letters at Corporate Office and through Social Media. CCC also handles the complaints received through RBI, Banking Ombudsman, Government of India and other regulatory authorities.

The objective of CCC is to ensure that all customer complaints are resolved quickly and are recorded and tracked centrally till resolution. CCC also analyses the nature of complaints received and gives feedback to the concerned department/ branch for their necessary action. Your Bank has in place a Board-approved Grievance Redressal Policy, which sets the timeframes for resolution of complaints at the branch level and on escalation at the CCC level. CCC takes utmost care to ensure that customer complaints are attended to and resolved in a time bound manner, as per the timeframes set in the Grievance Redressal Policy. As a result of your Bank's commitment to quality and turn-around-times, in the course of the current financial year, your Bank was awarded the coveted international certification **ISO 9001:2008** for its Customer Care Centre.

Your Bank appreciates the fact that operational systems and processes must be continually improved by taking into account the feedbacks given by the esteemed customers. A customer is invited during the meetings of Standing Committee on Customer Service, who shares his concerns with your Bank, as well as gives his suggestions on how your Bank can provide improved service to its customers. Your Bank also has Branch Level Customer Service Committees (BLCSC) at all its branches. The BLCSCs, which comprise of customers as its members, meet once every month, in order to discuss issues, which can help in bringing about an improvement in Customer Service. In the current Financial Year, your Bank organised Customer Meets, titled as "**Grahak Sahyata Abhiyaan"** in Pune and Kochi, wherein senior officials of the Bank directly interacted with customers, and sought their suggestions/views to improve Bank's products/services. Your Bank has also conducted a Customer Satisfaction Survey across multiple locations, wherein valuable insights were obtained from our esteemed customers on our service standards. The survey also helped your Bank to benchmark the service standards against its peers. Going forward, the survey would be an annual exercise to be conducted across different regions of the country. Your Bank, in order to monitor the customer satisfaction on an ongoing basis, has hosted a Feedback Form on its Website to enable customers to rate the Bank and also provide suggestions for improvement. Your Bank has also developed internal Customer Suggestions software and has also put in place a process to examine suggestions that are being received from customers at the Bank's contact points. Your Bank implements all such suggestions, including those received from BLCSC that are found feasible and desirable as per the Bank's extant policy.

As a part of your Bank's Foundation Day celebrations during October 2011, meetings were held at Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bangalore and Guwahati wherein the Banking Ombudsman of these locations were invited to interact with customers and staff members and address them on Complaints Management and Customer Service. Senior officials from your Bank were present for the meets. During the meets, the Banking Ombudsman from their locations discussed the Banking Ombudsman Scheme and made the customers aware of their rights. Subsequently, your Bank has sent e-mails to the esteemed customers describing the different aspects of the Banking Ombudsman scheme.

Your Bank observed **'Customer Contact Week'** (CCW) during December 12-17, 2011. The basic purpose of the programme, which was held pan-India, was to improve customer service by identifying the areas of improvement, understand the grievances of customers and staff and bring about an over-all improvement in the upkeepment of the branches. Some of the activities conducted during the Week were display of attractive banners informing the customers about the CCW, accepting suggestions from the customers for improvement, display of activities on our Face book page and other Social Media like Twitter and Google+. Emails were sent to customers during the entire week informing them about various rights that can be exercised by them and several do's and don'ts which included information pertaining to phishing, precautions regarding usage of their accounts, debit cards, PINs, etc.

Going forward, your Bank will continually improve the systems and processes to achieve customer delight through provision of best-in-class customer service. This will be done through review and monitoring done internally, by analysing the best market practices, as also through feedbacks received from the customers through multiple channels. Your Bank has already implemented the "Complaints Resolution Module" in the Phone-banking Unit, which will help in faster escalation of complaints and reduction in the resolution time thereof, thereby improving the efficiency of working and enhanced customer satisfaction. As a next step, the implementation of this Module will be done in the branches and the Processing Units in a phased manner. Moreover, your Bank is in the process of implementing the recommendations of the Damodaran Committee on Customer Service as per the guidance of RBI and IBA.

Right to Information Act

The Right to Information Act (RTI Act), 2005 was enacted with a view to promoting transparency and accountability in the working of various public authorities. Your Bank has put in place a robust mechanism to respond to applications from citizens seeking information under the RTI Act on various aspects of the Bank's functioning. The Bank has designated 25 Central Public Information Officers (CPIOs) to respond to applications on various functional areas. In addition, all the Branch Heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications received under the RTI Act to designated CPIOs. The Bank has designated a Senior Officer as Appellate Authority for dealing with appeals of aggrieved applicants. Further, in terms of CIC Directive dated November 15, 2010 and notification dated December 09, 2010, the Bank has designated an Executive Director as the Transparency Officer for the promotion of Institutional Transparency and effective implementation of Section 4 of the RTI Act. Training is being provided to the CPIOs on various aspects of the RTI Act on regular basis. Further, to sensitize the officers of the Bank about the importance of the RTI Act, a specific module on the RTI Act is being included as part of all training programmes being conducted by the Bank at the JNIBF, Hyderabad and at various Regional Training Institutes of the Bank. A separate menu on the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbi.com) capturing all information relevant to the Bank's functioning. During FY 2011-12, the Bank received 807 applications seeking information under the RTI Act. Bulk of the applications pertained to the retail banking operations of the Bank. All applications have been responded to as per the provisions of the RTI Act.

Progressive Use of Hindi

Your Bank continued to promote the use of Official Language Hindi as per Government directives. Your Bank continued its endeavour to ensure compliance of various provisions of Official Language Act, 1963 and Rules framed therein. Special efforts were made to achieve the targets regarding use of Hindi by departments at Head Office and branches of the Bank. The increased use of Hindi in both print and electronic media enabled your Bank to reach wider section of people. In order to facilitate customers, ATMs of your Bank provide the display of instructions both in Hindi and English. On Bank's website, information is made available in Hindi also. During the period under review, concerted efforts were made to increase the use of Hindi in the technology-enabled environment. A font converter software namely 'Script Magic' has been installed in all branches of your Bank located in Region 'A' for printing of Pass Book, DD, Pay Order, Accounts Statements, etc. in Hindi, as and when required by customers. In order to create awareness among staff members and familiarize them with the provisions of Official Language Policy and Annual Programme issued by Govt. of India, Rajbhasha Awareness Programmes were organized at various centers pan India and also Hindi software training was imparted to the staff members.

As a part of Hindi Day celebration, various Hindi competitions were organized at all India level and also at Head Office. A Lecture was organized on 'Aahar Vigyan Evam Swasthya' for the benefit of staff members at Head Office. In commemoration of 150th birth anniversary of Gurudeo Rabindranath Tagore, 4 plays based on his famous short stories were also staged during Hindi Day celebration and a special poster based on his famous quotes in Hindi was also brought out during Hindi week. During the year posters/ fliers/ leaflets on the Bank's schemes were printed in Hindi. Your Bank also reprinted the revised version of Hindi desk calendar 'Suvichar Sangrah' for the benefit of staff members, which comprises 366 inspiring quotations based on positive thinking, work culture & commitment towards duty. An Official Language officers conference was also organized on 'Changing role of language in changing environment' during the year.

The Third Sub-committee of Parliamentary Committee of Official Language visited Gangtok and Karol Baugh, New Delhi branches to inspect progress of Hindi in official work. In addition, the Drafting and Evidence Sub-committee of Parliamentary Committee of Official Language also visited Jaipur and had discussions with the in-charge of your Bank's Jaipur branch. The Committee commended the efforts made by these branches in implementing the Official Language Policy.

Your Bank's efforts in increasing the use of Hindi in its day-to-day work and other areas of communication have been recognized at various levels. Your Bank's New Delhi, Jaipur, Jammu Branches and Specialised Corporate Branch, Bhopal received award from respective Town Official Language Implementation Committees for excellent performance in use of Hindi. Your Bank's quarterly Hindi Magazine 'Vikas Prabha' was awarded Shield under the 'Reserve Bank Hindi House Journal Competition', which was received by our Chairman Shri R.M. Malla and presented by Honorable Governor of Reserve Bank of India. 'Vikas Prabha' was also felicitated by other well known literary and cultural organizations, such as Public Relations Council of India (PRCI), Ashirvaad Sanstha and Rajbhasha Kiran Sansthan during the period under review.

Corporate Communications

Corporate communication strategically communicates the corporate culture, identity and the philosophy of your Bank to all its stakeholders. Information about your Bank is developed and communicated directly with key audiences through different mediums like advertising, public relations, social media, internal communication etc. Your bank is constantly striving to improve and build its reputation through internal and external marketing campaigns and activities. Apart from this, market research is also conducted periodically to continuously evaluate communication tools, and use the results of evaluation to inform improvements.

The advertising and publicity activities undertaken by your Bank during the year was commensurate with its business philosophy of providing 'banking for all'. The advertisement & publicity initiatives for the year under review continued its focus on the last year's brand proposition, which emphasised your Bank's deep relationships with its customers. Accordingly, this was communicated through innovative and intensive campaigns in different mediums of communication viz. TV, Print, Radio, Outdoors and On-line.

Keeping in view the demographic profile of the emerging customer base, as also in its endeavour to appreciate and adopt innovative technological solutions to reach the customers, your Bank has put considerable emphasis on the digital media. During the year, your Bank officially launched its presence on various social media platforms such as Facebook, Twitter, YouTube and Google+ and through continuous effort strengthened its presence across these platforms. Your Bank was the first Bank in the country to cross a fan base of 5,00,000 on Facebook and its fan base on Facebook at the end of the year under review was the highest among Banks in India at more than 6,25,000. Your Bank was also the first Bank in the country to have its own official brand page on Google+. As on date, more than 15,000 people on Google+ have IDBI Bank in their circles and are updated through Google+ posts. Your Bank is also the first Bank in the country to have 15,000 followers on Twitter. Your Bank also launched its YouTube Brand Channel where it has more than 7,000 subscribers which is the highest amongst Banks in India. Your Bank carried out many more innovative activities in the Digital space such as an i-phone based campaign for NRIs in the United States and an Android phone based campaign for the customers in the Gulf. Your Bank also developed Quick Response codes which have become popular due to its fast readability and comparatively large storage capacity.

Your Bank announced the roll out of its Mobile Banking Facility to facilitate the usage of modern banking to millions of people across the country. A bus had been converted into a mobile ATM Branch for this purpose and commenced its "Vikas Yatra" from IDBI Tower, Mumbai, to promote developmental activities in the country. The bus traversed from Mumbai to Jangipur in West Bengal having major halts at Nagpur and Raipur. The Mobile Van was inaugurated in Jangipur, West Bengal by Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister, for the socio-economic development of the area. To encourage the Indian Team for its World Cup final match, an activity was organized in Mumbai, which involved obtaining signatures on a huge Cricket Bat and forming human chains on the road approaching the stadium to build a personal connect with people. The 'Magic Card', which is the first ever Debit card with a credit limit for salaried individuals, was launched at a unique magical show hosted at Kolkata. A campaign for the said product was undertaken in major financial papers in print and outdoor media. The 'Being Me' youth account was introduced on International Youth Day to target the youth. 'Sawaal India Ka', a 13 week quiz show on a major Hindi news Channel, was undertaken to engage the youth in an interactive platform, thus leading them to open their first savings account with your Bank.

Select product advertisements were released by different verticals catering to niche customer segments. An in-film integration focusing on select Personal Banking products like International Debit cum ATM card, Gift card and 24*7 lockers has been incorporated in a regional commercial film which would be released shortly.

As in the advertising arena, several initiatives were undertaken by your Bank in the Public Relations (PR) domain. Public Relations activities of your Bank focused on disseminating news on the customer centric initiatives of the Bank. Your Bank, as a conscious policy, to be more visible in the media space, has facilitated interaction of top management with the media and also has been holding regular press conferences in different parts of the country. These were well-attended by the media and your Bank received extensive coverage across the country in both print and electronic media. Good coverage was also received on other communications of your Bank, including specific product related information as also news related to events and achievements of your Bank. Leading publications and TV channels carried regularly news of your Bank's business decisions such as change in interest rates.

Your Bank also focused on communicating effectively with its internal stakeholders i.e. the employees. A blog was launched on the corporate intranet of your Bank to enable the Chairman and Managing Director (CMD) to initiate a

two way communication with the employees. The main aim is to communicate directly to each employee and take feedback from them, so that they act as ambassadors for your Bank.

Various communications of your Bank won accolades and bagged many awards and recognitions. Your Bank won a total of 8 Awards at the coveted Public Relations Council of India (PRCI) Annual Corporate Collateral Awards 2012. Your Bank has also been featured among the 'Super Brand' and 'Power Brand' listings, as also among the top 50 Brands in the country as ranked by the Economic Times in association with Brand Finance, UK. Your Bank has also been ranked as one of the top 500 Banks in the world by Brand Finance (A leading global organisation conducting brand valuations since 1996).

Awards and Accolades during FY 2011-12

During the period under review, your Bank received various awards. Your Bank was awarded the ISO 9001: 2008 Certification for its Customer Care Centre and for its In-House Journal, September 20, 2011. Your Bank received "CNBC TV18 Special Jury Award" and was also winner of the Dun & Bradstreet Banking Awards 2011 for Best Bank & Best Public Sector Bank, September 2011. Your Bank was adjudged Best Bank of the Year in the 3rd Dalal Street Investment Journal (DSIJ) PSU Awards, May 2011. Your Bank won Asian Banker Technology Implementation Award 2011 for Best Data and Analytics Project, April 2011. All Centralized Clearing Units [CCU] of your Bank got ISO 9001: 2008 Certification, April 2012. Your Bank bagged IBA's prestigious Banking Technology Awards, March 2011.

Shree Vayam

"Shree Vayam" the prestigious bilingual (Hindi-English) House Journal of your Bank is now in its 27th year of publication. Vayam continues to generate unalloyed delight among your employees and family members. Your House Journal has attained a pre-eminent position in the Corporate World carving out a niche for itself. One more feather was added during the financial year with the Shree Vayam Section obtaining ISO 9001:2008 Certification. Perhaps the only House Journal Section in the country to do so. During the FY 2011-12, the House Journal kept up its winning streak in all India House Journal Contests by winning two bronze medals for internal Magazine and Special Features Column in English in the contest conducted by the Association for Business Communicators of India (ABCI) and certificate of Merit in the ICE contest conducted by FEI Cargo, Mumbai.

Corporate Social Responsibility Initiatives

Corporate Social Responsibility (CSR) is a commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with the local community to improve their lives, benefiting the business as well as the community at large. Your Bank has consistently gone beyond the immediate business objectives and has taken various initiatives to contribute for the betterment of society.

Your Bank has been conducting programs on Financial Inclusion, Agri awareness camps in rural areas to benefit farming communities, providing financial support to Charitable Organisations, NGOs, Hospitals, organising blood donation camps at Corporate Centre as also branches across India, on important occasions such as Foundation Day. To provide focussed attention, your Bank is putting in place a Board approved comprehensive policy on CSR initiatives in key focus areas such as Education, Health, Community Welfare, Environment, Rural Infrastructure, Social Empowerment, etc.

Facilities and Infrastructure

During the FY 2011-12, your Bank completed construction and furnishing of Currency Chest at Bandra Kurla Complex (BKC), Mumbai and 50 twin-sharing hostel rooms at its training institute, viz. JNIBF, Hyderabad. Your Bank also completed furnishing of a Premier Locker Facility at IDBI Tower, Mumbai, 150 new branches, Retail Asset Centres (RACs), Retail Processing Units (RPUs) and 21 relocated branches. The Bank also renovated existing 21 branches during the year.

Information Technology

Your Bank is one of the leading banks in the country leveraging the usage of technology to extend customer centric products and has been operating on state-of-the-art platforms. This has helped your Bank in achieving operational excellence and staying ahead of its competitors through innovation in product and service offerings. The highly effective management of IT infrastructure, product and process innovation, back office operations and highly technology enabled National Contact Centre Services of your Bank have ensured that technology continued to remain backbone of the Bank's services and internal operations. All the IT and IT enabled activities are being professionally managed by IDBI Intech Ltd., a wholly owned subsidiary of your Bank.

Your Bank has been taking initiatives for improving customer service, launching of new customer focused products and services thereby achieving significant growth in business. Various innovative products backed by technological support have been launched during the year. Besides, your Bank has also been strengthening the security features on the technology usage for both internal as well as external customers.

Your Bank has been facilitating payment of various taxes to the customers through the Net Banking facility, wherein customers can pay central government and state government taxes online by using the facility. This facility has been well received by customers and it is found that the volume, as well as amount of transactions has increased many fold over the past year.

For greater convenience of customers availing Housing Loans and Educational Loan, your Bank has launched an online portal wherein customers can login with their credentials and generate their own Final Certificates, Provisional Certificates and also statements that are required for their tax calculation purposes. Your Bank has put up web based application to enable prospective SME Borrowers to apply for financial assistance on-line and track the status of their applications too.

Your Bank has taken a step towards the Green Initiatives in Corporate Governance by going paperless and sending documents to shareholders through electronic mode. Your Bank has sent documents like General Meeting Notices/other notices, Annual Report, etc. to shareholders in electronic form. As part of green initiatives, many applications have been implemented to automate the internal processes and reduce the usage of paper.

Your Bank also automated various back office processes of the Bank for improving the overall operational efficiency, thereby reducing the turnaround time for customers. Various back office processes have been centralized, thereby allowing branch staff to cater to customers with greater focus. Your Bank has introduced the concept of training at the desktop through its e-learning platform for the staff members thereby improving their operational knowledge leading to better customer service.

Your Bank has also adopted the national spirit of implementation of Hindi Language and has taken steps in the area of providing bilingual software, statements of accounts, passbooks, letters, etc. to the customers. Even the Core Banking Software used by your Bank has been converted to bilingual format.

Your Bank has also added many new features for sending SMS alerts to customers. SMS alerts are being sent for all channel transactions, transactions under RTGS, ATM reversal transactions, weekly alert of balances, other alerts such as stop payment of cheque, etc. Such alert facility has been automated without any manual intervention.

Your Bank has always taken initiatives to redress customer complaints quickly. Your Bank has launched complaints through SMS facility wherein a customer just needs to type "IDBICARE" and the customer receives a call from the customer care to address his/her grievances.

Your Bank is in the continuous process of upgradation of the hardware and networking equipments at Data Center and Disaster Recovery site, so as to give continued performance improvement of systems to customers. The Bank has upgraded hardware of various core systems to increase the efficiency of processing large number of transactions.

Your Bank has implemented best practices of Information Security by implementing ISO 27001 framework and certification has been renewed for the current year also. For ensuring uninterrupted services to the customers, your Bank is carrying out planned Disaster Recovery (DR) exercises at regular intervals. As a part of this drill, the Core Banking and other critical applications including Alternate Channels like ATM, Internet, Mobile and Phone Banking are successfully operated from the disaster recovery site. This is one more initiative of your Bank in ensuring continuous and uninterrupted services.

Your Bank continues to educate its customers about online fraud, phishing etc. through media, by sending e-mails and by sending SMS's on periodic basis. The National Contact Centre of the Bank is well-equipped to resolve queries from customers by educating them. Your Bank is also continuously monitoring the TAT for the queries raised by customers through the service desk and taking initiatives for early resolution of customer problems.

All the above initiatives portray your Bank's endeavor to be the front-runner using technology for launching innovative products for the benefit of its customers. Your Bank's Internet Website has been judged as "Best Website" by Association of Development Financing Institutions in Asia & the Pacific (ADFIAP) Awards 2012 in Istanbul, Turkey.

Philosophy of Corporate Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of Corporate Governance in its operations. The Bank's policies and practices are not only in line with the statutory requirement but also reflect its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high standards of governance lies with the Bank's Board of Directors and various Committees of the Board, which are empowered to monitor implementation of the best Corporate Governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, the Bank is committed to ensure that the Bank's Board of Directors continues to be constituted as per the prescribed norms, meets regularly as per the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. In addition, establishment of framework of strategic control and continuous reviewing of its efficacy and establishment of clearly documented and transparent management processes for policy development, implementation and review, decision-making, monitoring, control and reporting are the other policy directives. The Bank provides free access to the Board to all relevant information and resources to enable it to carry out its role effectively.

Board of Directors

The Bank's Board of Directors is broad-based and constitution thereof is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 1956, the Articles of Association of the Bank and the requirements of corporate governance as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges. The Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in important functional areas of the Bank.

As on March 31, 2012, the Board comprised of 6 Directors with 2 Executive Directors (including Chairman), 1 Non Executive Director and 3 Independent Directors. Shri R.M. Malla, Chairman & Managing Director as Executive Director, Shri B.K. Batra, Dy. Managing Director as Executive Director, Shri P.K. Chaudhery, Central Government official as Non Executive Director, Shri Subhash Tuli, Dr. B.S. Bisht and Shri P.S. Shenoy as Independent Directors constituted the Board as on March 31, 2012.

Relationship between Directors inter-se

No Director on the Board of the Bank is related to any other Director on the Board of the Bank.

The Board has in total 8 (eight) committees, namely, Executive Committee, Audit Committee, Shareholder's / Investor's Grievance Committee, Frauds Monitoring Committee, Risk Management Committee, Customer Service Committee, Information Technology Committee and Remuneration Committee.

Board Meetings

During the period under review (April 01, 2011 – March 31, 2012), a total of nine Board Meetings were held on April 19, 2011, June 17, 2011, July 30, 2011, September 8, 2011, October 20, 2011, November 26, 2011, January 31, 2012, March 02, 2012 and March 28, 2012. All the nine meetings were held in Mumbai.

Details in respect of each Director of the Bank regarding attendance at Board Meetings, attendance at the last Annual General Meeting (AGM), directorships in other companies and memberships of committees are given in **Table 5.**

Table 5: Directors' Attendance at the Board Meetings and AGM, their Directorships and Committee Memberships:

Names of Directors	Attendance at the Bank's Board Meetings (Total No. of Meetings held - 9)	Attendance at the last AGM held on Sept. 08, 2011	Director-ships in other companies	ACB/SGC Memberships/ (Chairman-ships) in other Companies
Whole Time Directors				
Shri R.M. Malla CMD	9	Present	5	Nil
Shri B.P. Singh, DMD (upto 31.01.12)	7	Present	3	1
Shri B.K. Batra, DMD (w.e.f 13.01.12)	3	Not Applicable	3	2

Table 5: Directors' Attendance at the Board Meetings and AGM, their Directorships and Committee Memberships:				
Names of Directors	**Attendance at the Bank's Board Meetings (Total No. of Meetings held - 9)**	**Attendance at the last AGM held on Sept. 08, 2011**	**Director-ships in other companies**	**ACB/SGC Memberships/ (Chairman-ships) in other Companies**
Non Executive Directors				
Shri Rakesh Singh (upto 23.03.12)	6	Absent	0	Nil
Shri R.P. Singh (upto 09.12.11)	3	Absent	2	Nil
Shri P.K. Chaudhery (w.e.f 09.12.11)	0	Not Applicable	2	Nil
Independent Directors				
Shri Analjit Singh (upto 01.05.11)	0	Not Applicable	13	Nil
Smt. Lila Firoz Poonawalla (upto 01.08.11)	3	Not Applicable	4	1(1)
Shri K. Narasimha Murthy (upto 17.08.11)	3	Not Applicable	5	4(3)
Shri H. L. Zutshi (upto 17.08.11)	2	Not Applicable	4	1(1)
Shri Subhash Tuli	9	Present	Nil	Nil
Dr. B.S. Bisht	7	Present	Nil	Nil
Shri P.S. Shenoy (w.e.f 30.07.2011)	6	Present	5	4(2)

Figures in parantheses in the last column indicate chairmanships of committees

Audit Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2012, Audit Committee of the Board (ACB) comprised of four members with one Executive Director and three Independent Directors. Shri Subhash Tuli, a Chartered Accountant was the Chairman of the Audit Committee and Shri B.K. Batra, DMD, Dr. B.S. Bisht and Shri P.S. Shenoy were the other members. Shri B.K. Batra was the Executive Director and the remaining three members were Independent Non-Executive Directors. The Role & Powers of ACB are in line with the provisions of Section 292A of the Companies Act, 1956, relevant RBI guidelines and revised Clause 49 of the Listing Agreement enumerated hereunder :

Powers of Audit Committee (as per revised clause 49)

1. To investigate any activity within its terms of reference.
2. To seek information from any employee.
3. To obtain outside legal or other professional advice, wherever required.
4. To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

Role of Audit Committee (as per revised clause 49)

1. Oversight of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
2. Recommending to the Board, the appointment, re-appointment of Auditors and the fixation of audit fees subject to RBI's approval as well as shareholders' approval.
3. Recommending payment to statutory auditors for other services, if any, rendered by the statutory auditors.
4. Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the board for approval, with particular reference to:
   a. Matters required to be included in the Director's Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of clause (2AA) of section 217 of the Companies Act, 1956;

b. Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
c. Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
d. Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
e. Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
f. Disclosure of any related party transactions;
g. Qualifications in the draft audit report.

5. Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the board for approval.
6. Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems.
7. Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit.
8. Discussion with internal auditors any significant findings and follow up there on.
9. Discussion with statutory auditors about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
10. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.

Review of information by Audit Committee (as per revised clause 49)

1. Management discussion and analysis of financial condition and results of operations.
2. Statement of significant related party transactions (as defined by the audit committee), submitted by management.
3. Management letters / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors.
4. Internal audit reports relating to internal control weaknesses.

Number of Meetings

ACB met ten times during the period April 1, 2011 – March 31, 2012 on April 19, 2011, April 20, 2011, June 18, 2011, July 29, 2011, September 9, 2011, October 19, 2011, November 26, 2011, January 31, 2012, March 02, 2012 and March 29, 2012.

Remuneration of Directors

Remuneration Policy

Remuneration and perquisites of the Chairman & Managing Director and Deputy Managing Directors who are appointed by Government of India are fixed by Government of India. The details of remuneration paid to CMD and DMDs are given in **Table 6.** Other Independent Directors were paid only the sitting fees for each Board / Committee Meeting attended by them @ ₹ 5,000/- per meeting (for Board, Executive Committee and Audit Committee Meetings) and ₹ 2,500/- per meeting (for other Committee Meetings of the Board). Apart from the remuneration to CMD and DMDs and sitting fees to Independent Directors, no other remuneration was paid to the Directors except the reimbursement of expenditure upon their travel, stay and transport by the Bank. The pecuniary relationship/ transactions of non-executive directors vis-à-vis the bank have been nil during the period under review.

Table 6 : Elements of Remuneration of Chairman & Managing Director and Deputy Managing Directors

Salary & Allowances (As per Govt. Orders)	Shri R. M. Malla, CMD - Pay ₹ 80,000/- p.m. and DA @ 65% ₹ 52,000/- Total ₹ 1,32,000/-. Shri B.P. Singh, DMD - Pay ₹ 68,960/- p.m. and DA @ 58% ₹ 39,997/- Total ₹ 1,08,957/-. Shri B.K. Batra, DMD - Pay ₹ 68,960/- p.m. and DA @ 58% ₹ 39,997/- Total ₹ 1,08,957/-.
Entertainment	Actual entertainment subject to ceiling of ₹ 6000 p.a. (membership of club adjustable within the above ceiling) in respect of both CMD and DMDs.
Housing	Rent-free furnished accommodation in respect of both CMD and DMDs.
Leave Travel Concession	For self and family once in a block of 2 years for visiting any place in India as per entitled class as applicable for official tour in respect of both CMD and DMDs.
Pension	Entitled to draw pension, if any, admissible in the career post (below board level) as per the rules and regulations of the Bank where the career post is held.
Gratuity	At the rate of half month's pay for every completed year of service or more than 6 months of service as Chairman & Managing Director/Deputy Managing Directors.

Table 6 : Elements of Remuneration of Chairman & Managing Director and Deputy Managing Directors	
Tenure	Shri R.M. Malla – Appointed as CMD vide Govt. of India's Notification F.No.9/12/2009-BO.I dated July 7, 2010 with effect from July 09, 2010 for a period upto 31.05.2013 or until further orders, whichever is earlier. Shri B.P. Singh – Appointed as DMD vide Govt. of India's Notification F.No.9/14/2009-BO.I dated February 19, 2010 with effect from February 20, 2010 till the date of superannuation (31.01.2012) or until further orders, whichever is earlier. Shri B.P Singh has since retired as DMD w.e.f 31.01.2012. Shri B.K. Batra – Appointed as DMD vide Govt. of India's Notification F.No.9/14/2009-BO.I dated January 12, 2012 with effect from January 13, 2012 till the date of superannuation (31.07.2016) or until further orders, whichever is earlier.
Performance linked incentives / Stock Option	In view of the Government Guidelines for payment of incentives to Bank's Chairman and Whole Time Directors, a Remuneration Committee of the Board had approved grant of performance linked incentives to the Chairman & Managing Director and Deputy Managing Directors for the FY 2010-11 at its meeting held on August 04, 2011. Performance Linked Incentives for FY 2010-11 were paid as follows : (i) Shri R.M Malla (July 2010 to March 2011) - ₹ 5,10,160/- (ii) Shri Yogesh Agarwal (April to June 2010) – ₹ 1,26,560/- (iii) Shri B.P Singh (April 2010 to March 2011) - ₹ 5,50,000/-

Risk Management Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

The Risk Management Committee of the Board consisted of four members as on March 31, 2012, viz., Shri P.S. Shenoy, Chairman, Shri B.K. Batra, DMD, Shri P.K. Chaudhery, Govt. Director, and Shri Subhash Tuli, Director as its members. The Committee assesses various risks associated with the business of the Bank, their mitigation and also addresses the issues relating to asset liability mismatch.

Number of Meetings

During the period April 1, 2011 – March 31, 2012, four meetings of the Risk Management Committee were held on April 20, 2011, July 30, 2011, December 17, 2011 and March 29, 2012.

Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2012, the Shareholders' / Investors' Grievance Committee (SIGC) of the Bank comprised of three members with one Executive Director and two Independent Non-Executive Directors, viz., S/Shri B.K. Batra, DMD, Subhash Tuli and Dr. B.S. Bisht as members.

The Committee has been constituted to look into the redressal of shareholders' and investors' grievances pertaining to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividend, etc.

Number of Meetings

During the period April 1, 2011 – March 31, 2012, four SIGC meetings were held on April 19, 2011, July 30, 2011, November 26, 2011 and March 02, 2012.

Executive Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

Apart from the Board, the Bank continues to have an Executive Committee of the Board to consider the matters other than the policy matters and those specifically required to be considered by the Board and to exercise such other powers as delegated to it by the Board. As on March 31, 2012, Shri R.M. Malla, CMD was the Chairman of the Committee with S/Shri B.K. Batra, DMD, Subhash Tuli, P.S. Shenoy and Dr. B.S. Bisht as members.

Number of Meetings

During the period April 1, 2011 – March 31, 2012, ten meetings of the Executive Committee were held on April 19, 2011, June 17, 2011, July 30, 2011, September 8, 2011, September 19, 2011, November 26, 2011, December 17, 2011, January 31, 2012, March 02, 2012 and March 28, 2012.

Frauds Monitoring Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

A Frauds Monitoring Committee had been set up to look into fraud related aspects of the Bank. As on March 31, 2012, the Committee comprised of Shri R.M. Malla, CMD as Chairman of the committee and S/Shri B.K. Batra, DMD, and Subhash Tuli as its members.

Number of Meetings

During the period April 1, 2011 – March 31, 2012, seven meetings of the Frauds Monitoring Committee were held on April 19, 2011, June 17, 2011, July 30, 2011, October 20, 2011, November 26, 2011, January 31, 2012 and March 28, 2012.

Customer Service Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

To look into the customer grievances and effective service to customers in the retail banking segment, a Customer Service Committee had been set up by the Bank. As on March 31, 2012, it comprised of S/Shri B.K. Batra, DMD, P.K. Chaudhery, Govt. Director and Dr. B.S. Bisht as its members.

Number of Meetings

During the period April 1, 2011 – March 31, 2012, four meetings of the Customer Service Committee were held on June 18, 2011, September 9, 2011, November 26, 2011 and March 02, 2012.

Information Technology Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

In view of the measures taken by the Bank to put in place a technology platform for rendering various services to the clients, to help in streamlining the approach, launch of products and provision of services, Information Technology Committee had been set up by the Bank. As on March 31, 2012, it comprised of Dr. B.S. Bisht as Chairman and S/Shri B.K. Batra, DMD, P.K. Chaudhery, Govt. Director and P.S. Shenoy as its members.

Number of Meetings

During the period April 1, 2011 – March 31, 2012, four meetings of the Information Technology Committee were held on June 17, 2011, September 9, 2011, November 26, 2011 and March 02, 2012.

Remuneration Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

As per the directives of Government of India, a Remuneration Committee has been set up to consider and approve the payment of Annual Performance Linked Incentives to CMD and DMDs. As on March 31, 2012, it comprised of Shri P.K. Chaudhery, Govt. Director, Shri P.S. Shenoy and Dr. B.S. Bisht as members.

Number of Meetings

During the period April 1, 2011 – March 31, 2012, one meeting of Remuneration Committee was held on August 04, 2011 to approve the Annual Performance Linked Incentives to be paid to CMD and DMDs for FY 2010-11.

Details of attendance of Directors at Committee Meetings are given in **Table 7.**

Table 7 : Directors' Attendance at Committee Meetings (01.04.11 to 31.03.12)

Sr. No	Names of Directors	EC Mtg.		ACB Mtg.		RMC Mtg.		FMC Mtg.		CSC Mtg.		ITC Mtg.		SIGC Mtg.		Remuneration Committee Mtg.	
		H	A.	H	A.	H	A.	H	A.	H	A.	H	A.	H	A	H	A
1	Shri R.M. Malla, CMD	10	10	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Shri B.P. Singh, DMD [upto 31.01.2012]	8	8	8	8	3	3	6	6	3	2	3	3	3	3	-	-
3	Shri B.K. Batra, DMD [from 13.01.2012]	3	3	3	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-
4	Shri Rakesh Singh (upto 23.03.2012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Shri R.P. Singh [upto 9.12.2011]	_	-	-	-	3	1	-	-	3	1	3	1	-	-	1	1
6	Shri Pradeep Kumar Chaudhery [w.e.f. 9.12.2011]	-	-	-	-	1	0	-	-	1	0	1	0	-	-	-	-
7	Shri Analjit Singh [upto 01.05.2011]	-	-	2	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Smt.Lila Firoz Poonawalla [upto 01.08.2011]	-	-	4	4	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-

Table 7 : Directors' Attendance at Committee Meetings (01.04.11 to 31.03.12)																
Sr. No	Names of Directors	EC Mtg.		ACB Mtg.		RMC Mtg.		FMC Mtg.		CSC Mtg.		ITC Mtg.		SIGC Mtg.		Remuneration Committee Mtg.	
9	Shri K. Narasimha Murthy [upto 17.08.2011]	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	1	1	2	2	1	1
10	Shri H.L. Zutshi [upto 17.08.2011]	3	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	0	-	-	1	1
11	Shri Subhash Tuli	10	10	10	10	2	2	7	7	-	-	-	-	4	4	-	-
12	Dr.B.S. Bisht	10	6	10	7	-	-	-	-	4	4	3	3	4	2	-	-
13	Shri P.S. Shenoy [w.e.f. 30.07.2011]	7	7	6	6	2	2	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-

H – Meetings Held during Director's tenure

A – Meetings Attended by the Director

General Body Meetings

The last Annual General Meeting (AGM) of the Bank was held on September 08, 2011. Details of AGMs of IDBI Bank Ltd. are given in **Table 8.**

Table 8 : Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.	
Location and time where the last three AGMs were held	1) July 15, 2009 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai 400 018 at 3.30 p.m. (5th AGM of the Bank). 2) July 22, 2010 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (6th AGM of the Bank). 3) September 08, 2011 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai 400 018 at 3.30 p.m. (7th AGM of the Bank).
Whether Special Resolutions were passed in the last AGM	Yes, special resolutions (i) for appointment of Statutory Auditors of the Bank under section 224A of the Act and (ii) to take shareholders approval to the proposal for enabling the Bank to raise capital empowering the Board to take specific decision in this regard was passed at the last AGM of the Bank held on September 08, 2011.
Location and time where the last EGM was held	March 28, 2012 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai 400 018 at 3.30 p.m.
Whether Special Resolutions were passed in the last EGM	Yes, special resolution to take shareholders approval u/s 81(1A) of the Act to the proposal to offer, issue and allot shares to Govt. of India (GoI) and Life Insurance Corporation of India (LIC) upon conversion of Tier 1 Bonds (to GoI) and fresh issue on Preferential Basis (to GoI and LIC) was passed at the EGM of the Bank held on March 28, 2012.
Whether any Special Resolution is proposed to be conducted through postal ballot	No.
Whether Special Resolutions were put through postal ballot last year and details of voting pattern	NIL
Person who conducted the postal ballot exercise	
Procedure for postal ballot	

Disclosure

No company was assisted during April 1, 2011 – March 31, 2012, in which any of the Directors of the Bank were interested.

The Bank complies with the mandatory requirements of revised Clause 49 of the Listing Agreement such as (i) related party transactions, if any, are being reported to Audit Committee of the Board; (ii) Disclosure of Accounting Treatment is clearly made in the financial statements; (iii) The Bank submits to the Board the review on risk assessment and minimization procedures.

Major non-compliance / penalties, etc. during the last 3 years were NIL.

Code of Conduct and Ethics

The Board of Directors of the Bank has adopted a Code of Conduct and Ethics for Directors, Officers and Employees of the Bank. In compliance of the requirement of revised Clause 49 of the Listing Agreement, a declaration signed by Chairman & Managing Director about affirmation of compliance of the code of conduct by Board members and Senior Management Personnel of the Bank is given below :

Declaration by CEO

Pursuant to the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2011-12.

Sd/-

R.M. Malla

Chairman & Managing Director

April 12, 2012

Prevention of Insider Trading

In accordance with the requirements of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 1992, the Bank has instituted a comprehensive code of conduct for Prevention of Insider Trading.

CEO/CFO Certification

In terms of the revised Clause 49 of the Listing Agreement, the certification by the CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

Whistle Blower Policy

The Bank's Board has adopted a whistle blower policy. In terms of this policy, employees are free to raise issues, if any, pertaining to Bank's operations and report them to the Audit Committee through specified channels. This mechanism has been circulated and also posted on the Bank's intranet.

Subsidiary Companies

As on March 31, 2012, the Bank had four wholly owned subsidiaries, viz., IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Market Services Ltd., IDBI Asset Management Ltd. and IDBI MF Trustee Company Ltd. IDBI Trusteeship Services Ltd. became a subsidiary of IDBI Bank Ltd. from October 01, 2011 on acquisition of 14.92% equity in the said company, taking Bank's holding in the company to 54.70% as on 31.03.2012. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries is a material non listed subsidiary company as defined under clause 49. The Audit Committee of the Bank reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at the Board meetings of the Bank.

Means of Communication

Apart from providing detailed Annual Report on the working of the Bank, consisting of Directors' Report (containing Management Discussion and Analysis) and Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders through publications thereof in one English language newspaper, having nation-wide circulation and in one regional language newspaper. The aforesaid information was also placed on the Bank's web-site (www.idbi.com) along with the official press release and presentation made to institutional investors and analysts.

The documents referred to but not sent to the persons entitled to receive notice of the Annual General Meeting will be made available for inspection of shareholders at the registered office of the Bank during working hours for a period of 21 days before the date of AGM.

Preferential Issue of Capital – Holding of EGM

Shareholders are aware that an Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Bank was held on March 28, 2012 to approve Preferential Issue of Capital to Govt. of India and LIC. Accordingly, the Bank has made Preferential Allotment of Shares to Govt. of India and LIC as follows in terms of the approvals of BSE / NSE and SEBI :

(a) Allotment of 18,85,56,509 equity shares of ₹ 10/- each to Govt. of India on March 28, 2012 at a price of ₹ 112.99 per share aggregating to ₹ 2130.50 crore upon conversion of Tier I Bonds held by GoI in IDBI Bank.

(b) Allotment of 3,35,00,000 equity shares of ₹ 10 each to Life Insurance Corporation of India on March 31, 2012 at a price of ₹ 112.99 per share aggregating to ₹ 378.52 crore.

(c) Allotment of 7,16,87,760 equity shares of ₹ 10 each to Govt. of India on March 31, 2012 at a price of ₹ 112.99 per share aggregating to ₹ 810 crore.

Declaration of Interim Dividend

The Board of Directors declared an Interim Dividend @ ₹ 2/- per share at its meeting held on January 31, 2012. The dividend was paid on the payment date of February 29, 2012 to the shareholders entitled to receive the said dividend based on the Record Date of February 10, 2012. This Interim Dividend is in addition of the Final Dividend @ ₹ 1.50 per share recommended by the Board and to be declared at the 8th AGM of the Bank to be held on September 06, 2012.

General Shareholders' Information

Details of share price movement during April 1, 2011 – March 31, 2012 and other general information relevant to shareholders are provided **Table 9** and **Table 10** respectively.

Table 9 : IDBI Bank Ltd.'s Share Price Movement on the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) : April 2011 - March 2012 (₹)

Month	High	Low	Month	High	Low
April – '11	153.75	142.00	October – '11	118.45	94.45
May – '11	144.90	125.80	November – '11	117.40	88.50
June – '11	137.40	121.50	December – '11	99.00	77.65
July – '11	139.25	127.40	January – '12	103.80	77.10
August – '11	132.00	102.70	February – '12	121.65	95.20
September – '11	114.00	101.10	March – '12	116.00	97.50

Table 10 : General Shareholders' Information	
Financial Calendar	April 1, 2011 to March 31, 2012 : 1) Results for the quarter ended June 30, 2011 were considered on July 30, 2011. 2) Results for the quarter / half year ended September 30, 2011 were considered on October 20, 2011. 3) Results for the third quarter / nine months ended December 31, 2011 were considered on January 31, 2012. 4) Audited Results for the year ended March 31, 2012 were considered on April 21, 2012.
Book closure date	September 4, 2012 to September 6, 2012
Last date for receipt of proxy forms	September 04, 2012
Date, time and venue of AGM	3.30 p.m. on Thursday, September 6, 2012 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai 400 018.
Dividend payment date	October 4, 2012
Date of despatch of dividend warrants	September 27, 2012
Board Meeting for considering the quarterly results	Within one month of the closure of respective quarter.
Listing on Stock Exchanges	Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Stock code / Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI/EQ
Registrar and Transfer Agents	Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Plot No.17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081.
Share Transfer system	Share Transfers are approved on weekly basis by an internal committee comprising of Executive Director / Chief General Manager.
No. of shares and convertible instruments held by Non-Executive Directors	Nil

Distribution of shareholding

The details of shareholding in the Bank by major categories of shareholders and distribution schedule as at end-March 2012, is presented in **Table 11** and **Table 12** below.

Table 11 : Shareholding Pattern as at March 31, 2012

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Government of India	901531379	70.52
Employees	1284319	0.10
Public	117980803	9.23
Hindu Undivided Family	3107612	0.24
Bodies corporate	21836697	1.71
Institutions		
A) Banks	2702519	0.21
B) Foreign Institutional Investors	34759704	2.72
C) State Finance Corporations	35680	Negligible
D) Financial Institution	13664475	1.07
E) Mutual Funds	3098506	0.24
Societies	28960	Negligible
Trusts	669838	0.05
Insurance Companies	169208567	13.24
NRI's	5570909	0.44
Directors & Relatives		
i) Shri R.M Malla, CMD	320	Negligible
ii) Shri B.K Batra, DMD	1001	Negligible
NSDL (transit)	2900373	0.23
GRAND TOTAL	**1278381662**	**100.00**

Table 12 : Distribution Schedule as at March 31, 2012

S.No	Category		No. of share-holders	% to total share-holders	Amount (₹)	% to total Amount
	From	To				
1	1	5000	422107	92.12	622241240	4.87
2	5001	10000	21920	4.78	168332540	1.32
3	10001	20000	8273	1.81	122516750	0.96
4	20001	30000	2170	0.47	55204590	0.43
5	30001	40000	930	0.20	33260460	0.26
6	40001	50000	721	0.16	34081400	0.27
7	50001	100000	1131	0.25	83568540	0.65
8	100001 & above		984	0.21	11664611100	91.25
Total			**458236**	**100.00**	**12783816620**	**100.00**

Share Transfer System & Redressal of Investor Grievances

To expedite the process of share transfers, an internal committee of Executive Director /Chief General Manager has been set up to approve the Memorandum of Transfers (MoTs) on a weekly basis. The Bank has named Shri Pawan Agrawal as Company Secretary of the Bank.

As on April 1, 2011, 2 investor grievances were pending for redressal and during the period April 1, 2011 to March 31, 2012, 9611 investor grievances were received from shareholders/investors by the Bank's Registrar & Transfer Agents. 9598 grievances were redressed during the year and 15 grievances were pending for redressal as on March 31, 2012. In respect of shares/bonds, 58 cases of transfers were pending on April 1, 2011. During the period April 1, 2011 to March 31, 2012, 2089 requests for transfer of shares/ bonds were received by the Bank's Registrar & Transfer Agents. Of these, 2129 requests for transfer of shares / bonds were processed and 18 requests were pending as on March 31, 2012.

Disclosure of details of Unclaimed Suspense Account (under clause 5A of the Listing Agreement)			
Sr. No.	**Particulars**	**No. of Shareholders**	**No. of Shares**
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account as on April 01, 2011	5027	904444
(ii)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Unclaimed Suspense Account during April 01, 2011 to March 31, 2012	18	3723
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during April 01, 2011 to March 31, 2012	18	3723
(iv)	Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account as on March 31, 2012	5009	900721

Table 13: Details of de-materialisation and address for correspondence	
Dematerialisation of shares and liquidity	The fully paid-up capital of IDBI Bank Ltd. is ₹ 1,278.38 crore comprising 127.84 crore equity shares of ₹ 10 each. Out of the total investor base of approximately 4.58 lakh, 3.79 lakh investors are holding 96.59 crore shares in electronic mode. The total number of shares in electronic form works out to 75.56%. IDBI Bank scrip is actively traded at BSE and NSE. Listing fees for the year 2012-13 has been paid to these Exchanges.
Outstanding GDRs / ADRs/ Warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank Ltd. has not issued GDRs/ADRs/Warrants, etc.
Plant Locations	Not applicable. However, information about locations of the Bank's branches is available on the Bank's web-site www.idbi.com
Address for correspondence	IDBI Bank Ltd. Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 Phone – 022 – 66552779, 66553062, 66552620 Fax – 022 - 2218 23 52 E-mail – idbiequity@idbi.co.in Registar & Transfer Agents Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Plot No.17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081 Tel.No.(040) 44655000 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No.(040) 23420814 email : einward.ris@karvy.com
Registered Office Addresses of Subsidiary Companies	IDBI Capital Market Services Ltd. 3rd Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021. IDBI Intech Ltd. IDBI Building, 1st Floor, Plot No.39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614. IDBI MF Trustee Company Ltd. IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005. IDBI Asset Management Ltd. 5th Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021, IDBI Trusteeship Services Ltd. Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001.

Auditors' Report on Corporate Governance

To the Members of

IDBI Bank Limited

We have examined the Compliance of the conditions of Corporate Governance by IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as the Bank) for the year ended March 31, 2012 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchange of India.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to a review of the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given and representations made by the Directors and the Management, we certify that the Bank has compiled with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **S. P. Chopra & Co.**
Chartered Accountants

Sd/-
Pawan K. Gupta
Partner
Membership No. 92529
Firm Regn. No. 000346N

For **Chokshi & Chokshi**
Chartered Accountants

Sd/-
Nilesh R. Joshi
Partner
Membership No. 114749
Firm Regn. No. 101872W

Place: Mumbai
Date: April 21, 2012

लेखे
ACCOUNTS

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (बैंक) के 31 मार्च 2012 के संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके साथ संलग्न लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है. हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है. यह लेखापरीक्षा इस प्रकार नियोजित व संचालित की गई कि विभिन्न प्रोसेसिंग केंद्रों / क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं में उपलब्ध रेकॉर्डों तथा बैंक के 75% अग्रिमों व 58% जमाराशियों को शामिल करते हुए केंद्रीय कार्यालय स्तर पर केंद्रीय बैंकिंग अनुप्रयोगों के माध्यम से जनरेट हुई रिपोर्टों को शामिल किया जा सके तथा इसके अंतर्गत बैंक के 61 केंद्रों / कार्यालयों / शाखाओं का निरीक्षण किया गया. उक्त वित्तीय विवरणों में बैंक की दुबई शाखा की विवरणियां शामिल की गई हैं जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है.
2. हमने यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है. इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण मामलों में अभिनिर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किये गये हैं और इनमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है. लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखाकंन सिद्धान्तों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के अलावा समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है.
3. हमने बैंक की दुबई शाखा के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जो यथा 31 मार्च 2012 को ₹ 101257063 हजार की कुल परिसंपत्तियां, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2587559 हजार के कुल राजस्व और ₹ 1324659 हजार के नकदी प्रवाह दर्शाते हैं. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा उक्त शाखा के निगमन के देश में लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् योग्यता प्राप्त अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमने बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए उसका आधार लिया है.

Report of the Auditors to the Members of IDBI Bank Limited

1. We have audited the attached Balance Sheet of **IDBI Bank Limited** (the Bank) as at March 31, 2012 and also the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank annexed thereto for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The audit was so planned and conducted as to cover records available at various processing centers/regional offices/ branches and reports generated through centralized banking applications at central office level covering 75 % of Advances and 58 % of Deposits of the Bank and visit at 61 centers/offices/branches of the Bank. Incorporated in the said financial statements are the returns of the Dubai branch of the Bank, audited by another auditor.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We did not audit the financial statement of the Dubai branch of the Bank, whose financial statement as at March 31, 2012 reflects total assets of ₹ 101257063 Thousand, total revenues of ₹ 2587559 Thousand and cash flows of ₹ 1324659 Thousand for the year then ended. These financial statements have been audited by another auditor, duly qualified to act as an auditor in the country of incorporation of the said branch, whose report has been furnished to us and which was relied upon by us for our opinion on the financial statements of the Bank.

4. तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

5. हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:

(i) लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो जानकारी और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं.

(ii) हमारे ध्यान में आए बैंक के लेनदेन बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

(iii) कोर बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां / आंकड़े हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं.

6. हमारी राय में इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा 3(सी) में उल्लिखित लेखा मानकों, जहां तक वे बैंक पर लागू होते हैं, का पालन करते हैं.

7. हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि:

(i) इस रिपोर्ट में विचार किये गये बैंक का तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं;

(ii) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है;

(iii) दुबई शाखा के वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षक ने की है तथा इसे हमारे द्वारा उपयुक्त समझी गई रीति से हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है;

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार ने आज की तारीख़ तक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 ए के अंतर्गत कोई उपकर देय निर्धारित नहीं किया है.

(v) भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा 21 अक्तूबर 2003 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.829 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

4. The Balance Sheet and Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 211 of the Companies Act, 1956.

5. We report that :

(i) We have obtained all the information and explanations, which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

(ii) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

(iii) The returns/data generated from the offices and branches of the Bank through core banking application have been found adequate for the purposes of our audit.

6. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section 3(C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 read with guidelines issued by the Reserve Bank of India in so far as they apply to the Bank.

7. We further report that:

(i) the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and the returns;

(ii) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of these books;

(iii) the report on the financial statement of the Dubai branch audited by other auditor has been dealt with in preparing our report in the manner considered appropriate by us;

(iv) as per information and explanation given to us, the Central Government has, till date, not prescribed any cess payable under Section 441A of the Companies Act, 1956.

(v) provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 are not applicable in terms of Notification No. G.S.R.829 (E) dated-October 21, 2003 issued by Department of Company Affairs, Government of India

8. हमारे अभिमत में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार और दुबई लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, उक्त वित्तीय विवरण और उन पर टिप्पणियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंकिंग कंपनियों के लिए अपेक्षित रूप में देते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हैं :

(i) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च 2012 को बैंक के कामकाज की स्थिति;

(ii) लाभ-हानि लेखे के मामले में, उसी तारीख़ को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ; और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख़ को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह.

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या: 000346N

कृते चोकशी एंड चोकशी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या: 101872W

पवन के. गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 92529

निलेश आर. जोशी
साझेदार
सदस्यता संख्या: 114749

स्थान: मुंबई
दिनांक: 21 अप्रैल 2012

8. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and on consideration of report of the auditor of Dubai branch, the said financial statements read with the notes thereon give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 1956, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

(i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2012;

(ii) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit of the Bank for the year ended on that date; and

(iii) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

For **S.P.Chopra & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000346N

Pawan K. Gupta
Partner
Membership No. 92529

For **Chokshi & Chokshi**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 101872W

Nilesh R. Joshi
Partner
Membership No. 114749

Place: Mumbai
Date: April 21, 2012

31 मार्च को 2012 को तुलन पत्र / Balance Sheet as at March 31, 2012

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	1278 38 17	984 56 81
रिज़र्व और अधिशेष/ Reserves and Surplus	2	18148 68 12	13582 02 47
कर्मचारी स्टॉक विकल्प (मंजूरियां) बकाया Employees' Stock Options (Grants) Outstanding		85 36	98 58
जमाराशियां / Deposits	3	210492 56 06	180485 78 85
उधार राशियां / Borrowings	4	53477 64 13	51569 65 25
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	7439 11 77	6753 77 32
कुल / TOTAL		290837 23 61	253376 79 28
परिसंपत्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	15090 21 13	19559 04 67
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	2967 44 05	1207 02 65
निवेश / Investments	8	83175 36 35	68269 17 78
अग्रिम / Advances	9	181158 43 32	157098 06 64
अचल परिसंपत्तियां / Fixed Assets	10	3018 80 81	3037 34 14
अन्य परिसंपत्तियां / Other Assets	11	5426 97 95	4206 13 40
कुल / TOTAL		290837 23 61	253376 79 28
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	148920 09 32	134242 01 15
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		5277 33 47	4032 76 81
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा टिप्पणियां जो तुलन-पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं. Significant Accounting Policies and Notes forming an integral part of the Balance Sheet	17 & 18		

बोर्ड के आदेशनुसार
BY ORDER OF THE BOARD

(सुभाष तुली) (Subhash Tuli) निदेशक Director	(पी. एस. शेनॉय) (P.S. Shenoy) निदेशक Director	(बी. के. बत्रा) (B.K.Batra) उप प्रबंध निदेशक Dy.Managing Director	(आर. एम. मल्ला) (R.M. Malla) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report attached of even date

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कं. For S. P. Chopra & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते चोकशी एंड चोकशी For Chokshi & Chokshi सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(पवन के. गुप्ता) (Pawan K. Gupta) साझेदार Partner सदस्यता सं. / Membership No. 92529 फर्म रजि. सं. Firm Regn.No. 000346N	(निलेश आर. जोशी) (Nilesh R Joshi) साझेदार Partner सदस्यता सं. / Membership No. 114749 फर्म रजि. सं. Firm Regn. No.101872W

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

मुंबई, 21 अप्रैल 2012
Mumbai, April 21, 2012

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	23369 92 99	18541 23 96
	अन्य आय / Other income	14	2118 77 82	2143 23 01
	कुल / TOTAL		25488 70 81	20684 46 97
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	ब्याज खर्च / Interest expended	15	18825 08 23	14271 92 65
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	2607 45 22	2254 69 34
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		2024 56 24	2507 53 04
	कुल / TOTAL		23457 09 69	19034 15 03
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष का निवल लाभ / Net profit for the year		2031 61 12	1650 31 94
	आगे लाया गया लाभ/ Profit brought forward		615 01 79	479 12 13
	कुल / TOTAL		2646 62 91	2129 44 07
IV	**विनियोग/ APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		507 90 28	413 00 00
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		17 04 72	1 55 00
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		750 00 00	600 00 00
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत विशेष रिज़र्व में अंतरण Transfer to Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		250 00 00	100 00 00
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed dividend		191 75 72	344 59 88

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
प्रस्तावित लाभांश पर कर / Tax on proposed dividend		28 38 79	55 27 40
प्रदत्त अंतरिम लाभांश / Interim Dividend paid		196 92 41	0
अंतरिम लाभांश पर कर / Tax on Interim dividend		31 94 60	0
ईसॉप पर लाभांश / Dividend on ESOPs		1 89	0
तुलन-पत्र में ले जाई गई शेष राशि / Balance carried over to balance sheet		672 64 50	615 01 79
कुल / TOTAL		2646 62 91	2129 44 07
प्रति शेयर आय (₹)(अनुसूची 18 टिप्पणी क. 6 देखें) Earnings per share (₹) (Refer Schedule 18 Note A.6)			
- मूल / Basic		20.58	18.37
- न्यूनीकृत / Diluted		20.58	18.36
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा टिप्पणियां जो लाभ-हानि लेखे के अभिन्न भाग के रूप में हैं. Significant Accounting Policies and Notes forming an integral part of the Profit and Loss Account	17 & 18		

बोर्ड के आदेशानुसार
BY ORDER OF THE BOARD

(सुभाष तुली) (Subhash Tuli) निदेशक Director	(पी. एस. शेनॉय) (P.S. Shenoy) निदेशक Director	(बी. के. बत्रा) (B.K.Batra) उप प्रबंध निदेशक Dy.Managing Director	(आर. एम. मल्ला) (R.M. Malla) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report attached of even date

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कं. For S. P. Chopra & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते चोकशी एंड चोकशी For Chokshi & Chokshi सनदी लेखाकार Chartered Accountants	
(पवन के. गुप्ता) (Pawan K. Gupta) साझेदार Partner सदस्यता सं. / Membership No. 92529 फर्म रजि. सं. Firm Regn.No. 000346N	(निलेश आर. जोशी) (Nilesh R Joshi) साझेदार Partner सदस्यता सं. / Membership No. 114749 फर्म रजि. सं. Firm Regn. No.101872W	(पी. सीताराम) (P. Sitaram) मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer

मुंबई, 21 अप्रैल 2012
Mumbai, April 21, 2012

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 1 - पूंजी SCHEDULE 1 - CAPITAL	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
प्राधिकृत पूंजी **Authorised capital**		
₹ 10 प्रत्येक के 200 00 00 000 (200 00 00 000) ईक्विटी शेयर 200 00 00 000 (200 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10/- each	2000 00 00	2000 00 00
	2000 00 00	2000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid up Capital**		
₹10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 127 83 81 662 (98 45 68 099) ईक्विटी शेयर 127 83 81 662 (98 45 68 099) Equity Shares of ₹ 10/- each - fully paid up ..... (अनुसूची 18 टिप्पणी क. 10.2 (i) और (ii)) देखें) (Refer Schedule 18 Note A.10.2(i) & (ii))	1278 38 17	984 56 81
कुल / TOTAL	1278 38 17	984 56 81

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1541 26 79	1128 08 18
विलय के निमित्त परिवर्धन / Additions on account of merger	0	18 61
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	507 90 28	413 00 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	2049 17 07	1541 26 79
II पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	300 36 78	298 81 78
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	17 04 72	1 55 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	317 41 50	300 36 78
III पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve		
प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी क 1 देखें) Opening balance (Refer Schedule 18 Note A.1)	1895 77 17	1937 71 93
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	41 84 52	41 94 76
	1853 92 65	1895 77 17
IV शेयर प्रीमियम / Share Premium		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	4622 63 31	1761 21 13
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	3025 92 46	2861 42 18
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	7648 55 77	4622 63 31

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
V राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserves		
क/a **सामान्य रिज़र्व / General Reserve**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	4005 60 48	3401 80 48
विलय के निमित्त परिवर्धन / Additions on account of merger	0	3 80 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	750 00 00	600 00 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	4755 60 48	4005 60 48
ख/b **स्टाफ कल्याण निधि/ Staff Welfare Fund**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	29 01 11	29 01 11
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	29 01 11	29 01 11
ग/c **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत विशेष रिज़र्व** **Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6 35 04	6 35 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	6 35 04	6 35 04
घ/d **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व** **Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	566 00 00	405 00 00
विलय के निमित्त परिवर्धन / Additions on account of merger	0	61 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	250 00 00	100 00 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	816 00 00	566 00 00
VI लाभ-हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss Account	672 64 50	615 01 79
कुल (I से VI) / TOTAL (I TO VI)	18148 68 12	13582 02 47

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 3 - जमाराशियां SCHEDULE 3 - DEPOSITS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
क / A.		
I. **मांग जमाराशियां** **Demand Deposits**		
(i) बैंकों से / From banks	2538 11 93	1597 30 29
(ii) अन्य से / From others	29184 08 18	22144 85 61
	31722 20 11	23742 15 90
II. **बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits**	19002 41 61	13935 79 82
III. **सावधि जमाराशियां / Term Deposits**		
(i) बैंकों से / From banks	20663 12 44	11525 59 50
(ii) अन्य से / From others	139104 81 90	131282 23 63
	159767 94 34	142807 83 13
कुल / TOTAL	210492 56 06	180485 78 85
ख / B.		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	209414 98 85	180082 73 92
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	1077 57 21	403 04 93
कुल / TOTAL	210492 56 06	180485 78 85

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 4 - उधार राशियां SCHEDULE 4 - BORROWINGS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I **भारत में उधार राशियां / Borrowings in India**		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	0	0
(ii) अन्य बैंक / Other banks	69 55 00	671 30 00
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां / Other institutions and agencies		
(क) भारत सरकार से उधार (a) Government of India borrowings	0	0
(ख) भारत सरकार को जारी टीयर - I बांड (अनुसूची 18, टिप्पणी क. 10.2 (i) देखें) (b) Tier I bonds issued to Government of India (Refer Schedule 18 Note A.10.2(i))	0	2130 50 00
(ग) टीयर - I (आईपीडीआई) (c) Tier I (IPDI)	1708 80 00	1708 80 00
(घ) अपर टीयर - II बांड (d) Upper Tier II Bonds	4286 20 00	4286 20 00
(iv) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	9032 04 52	6836 68 03
(v) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड/ Bonds guaranteed by Government of India	0	1176 50 00
(vi) अन्य / Others	28016 95 43	26126 30 45
II **भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India**	10364 09 18	8633 36 77
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	53477 64 13	51569 65 25

ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 13662 00 26 हजार (₹ 9998 59 41 हजार)
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 13662 00 26 Thousand (₹ 9998 59 41 Thousand)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I	देय बिल / Bills Payable	949 84 71	1002 07 07
II	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter- office adjustments(net)	1 72 34	15 57 96
III	उपचित ब्याज / Interest accrued	2480 85 66	2106 06 68
IV	**अन्य / Others**		
	(क) प्राप्त अग्रिम भुगतान		
	(a) Advance payments received	640 75 77	630 59 05
	(ख) विविध लेनदार		
	(b) Sundry Creditors	315 36 54	325 69 40
	(ग) विविध जमाराशियां		
	(c) Sundry Deposits	20 97 74	26 34 44
	(घ) विविध		
	(d) Miscellaneous	322 01 26	451 30 73
V	**अन्य प्रावधान / Other Provisions**		
	(क) मानक परिसंपत्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान		
	(a) Prudential provisions against standard assets	892 23 52	660 36 25
	(ख) देय लाभांश तथा लाभांश कर		
	(b) Dividend and dividend tax payable	220 14 51	399 87 28
	(ग) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर		
	(c) Service tax/TDS/Other taxes payable	36 41 69	31 93 02
	(घ) अन्य प्रावधान		
	(d) Other Provisions	1558 78 03	1103 95 44
	कुल / TOTAL	7439 11 77	6753 77 32

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1614 34 40	1234 68 04
II	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	13475 86 73	18324 36 63
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	0	0
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	15090 21 13	19559 04 67

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICES	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I भारत में / In India		
(i) बैंकों के पास शेष / Balances with banks		
(क) चालू खातों में *		
(a) in Current Accounts*	398 14 90	313 90 67
(ख) अन्य जमा खातों में		
(b) in Other Deposit Accounts	332 60 00	54 35 01
(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice		
(क) बैंकों के पास		
(a) with banks	1066 37 94	0
(ख) अन्य संस्थाओं के पास		
(b) with other institutions	0	0
कुल I / Total I	1797 12 84	368 25 68
II भारत से बाहर / Outside India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	45 15 53	19 99 52
(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	885 22 50	753 65 55
(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	239 93 18	65 11 90
कुल II / Total II	1170 31 21	838 76 97
कुल योग (I और II) / GRAND TOTAL (I and II)	2967 44 05	1207 02 65

इसमें गैर-संपर्ककर्ता बैंकों के माध्यम से शाखाओं द्वारा विप्रेषित ₹ 16 41 21 हजार (₹ 31 16 91 हजार) शामिल हैं.

* includes ₹ 16 41 21 Thousand (₹ 31 16 91 Thousand) remitted by branches through non correspondent banks.

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 8 - निवेश SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	64797 81 82	54017 19 92
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	0	2 79 90
(iii) शेयर / Shares	3375 20 26	3230 26 36
(iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	2494 95 20	2272 57 98
(v) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or joint ventures	620 77 82	566 50 87
(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट आदि) Others (CP's, units in MF's etc.)	11886 56 72	8179 78 22
कुल I / Total I	83175 31 82	68269 13 25

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 8 - निवेश SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
II भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government securities (including local authorities)	0	0
(ii) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or joint ventures	0	0
(iii) अन्य निवेश (शेयर) Other investments (shares)	4 53	4 53
कुल II / TOTAL II	4 53	4 53
कुल योग (I और II) / GRAND TOTAL (I and II)	83175 36 35	68269 17 78
III भारत में निवेश / Investments in India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	84286 27 89	69325 91 79
घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	1110 96 07	1056 78 54
निवल निवेश / Net investments	83175 31 82	68269 13 25
IV भारत से बाहर / Investments outside India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	4 53	4 53
घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	0	0
निवल निवेश / Net investments	4 53	4 53

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 9 - अग्रिम SCHEDULE 9 - ADVANCES	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
क / A.		
(i) खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted / rediscounted	3278 48 19	2659 16 39
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	45922 99 56	33098 49 98
(iii) मीयादी ऋण / Term Loans*	131956 95 57	121340 40 27
कुल / TOTAL	181158 43 32	157098 06 64
ख / B.		
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत** / Secured by tangible assets**	166736 32 64	145612 29 27
(ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित *** / Covered by Bank / Government guarantees***	1032 76 02	369 12 97
(iii) अप्रतिभूत / Unsecured	13389 34 66	11116 64 40
कुल / TOTAL	181158 43 32	157098 06 64
ग / C.		
I भारत में अग्रिम / Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority Sector	48450 20 40	42205 70 83
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	20515 07 23	15949 42 44
(iii) बैंक / Banks	186 74 26	368 97 97
(iv) अन्य / Others	106603 46 45	96733 54 15
कुल / TOTAL	175755 48 34	155257 65 39
II भारत से बाहर अग्रिम / Advances outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य / Due from banks	0	0
(ii) अन्य से प्राप्य / Due from others		
(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल		
(a) Bills purchased and discounted	204 91 36	61 55 21
(ख) समूहित ऋण		
(b) Syndicated loans	0	0
(ग) अन्य		
(c) Others	5198 03 62	1778 86 04
कुल / TOTAL	5402 94 98	1840 41 25
कुल योग (ग I और ग II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	181158 43 32	157098 06 64

* अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं / Includes Inter Bank Participatory Certificate

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं / includes advances against book debts.

*** अन्य बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं / includes advances against letters of credit issued by other banks.

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 10 - अचल परिसंपत्तियां SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी क. 1 देखें) / Premises (Refer Schedule 18 note A.1)		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2733 13 47	2591 98 78
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	37 51 56	142 14 69
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year*	20 02 40	1 00 00
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	253 72 11	201 07 84
कुल / TOTAL	2496 90 52	2532 05 63
II अन्य अचल परिसंपत्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	998 40 83	849 71 95
विलय के निमित्त परिवर्धन / Addition on account of merger	0	12 75 17
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	170 20 14	162 08 91
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	14 05 22	26 15 20
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	657 15 40	561 18 15
कुल / TOTAL	497 40 35	437 22 68
III पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां / Assets given on Lease		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	643 55 77	643 55 77
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	641 79 25	641 79 25
गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non-Performing assets	1 76 52	1 76 52
कुल / TOTAL	0	0
IV चालू पूंजीगत कार्य / Capital work-in-progess	24 49 94	68 05 83
कुल / TOTAL (I+II+III+IV)	3018 80 81	3037 34 14

* परिसर की बिक्री पर ₹ 33 हजार (₹ 10 53 हजार) का पुनर्मूल्यन रिज़र्व शामिल है.
* Includes Revaluation Reserve of ₹ 33 Thousand (₹ 10 53 Thousand) on sale of Premises

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 11 - अन्य परिसंपत्तियां SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	0	0
II उपचित ब्याज / Interest accrued	2006 28 05	1690 24 12
III अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance / tax deducted at source (net)	1503 17 69	1565 31 95
IV लेखन सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and stamps	11 94	13 27
V दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर-बैंकिग परिसंपत्तियां Non Banking Assets acquired in satisfcation of claims	0	0
VI दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)	8 91	2 58 45
VII **अन्य / Others**		
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) (a) Deferred Tax Asset (Net)	949 75 76	442 91 36
(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares/ Bonds Pending allotment	191 76 80	25 00
(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	73 00 80	78 64 38
(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	244 13 14	305 30 65
(ङ) विविध (e) Miscellaneous	458 64 86	120 74 22
कुल / TOTAL	5426 97 95	4206 13 40

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	यथा 31 मार्च 2012 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 31-03-2011
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	107 41 30	375 62 88
II अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	0	0
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	36394 63 78	32057 70 75
IV ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) in India	53836 57 63	46120 76 13
(ख) भारत से बाहर (b) outside India	3845 37 44	2535 89 66
V स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	25954 96 45	25963 16 60
VI मुद्रा स्वैप / Currency Swaps	8454 57 21	6034 10 97
VII ऑप्शन / Options	2592 09 93	1530 54 65
VIII ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps	16654 05 29	18501 11 10
IX ऋण चूक स्वैप / Credit Default Swaps	10 00 00	0
X विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income tax, Interest Tax, penalty and interest demands	1070 09 98	1122 70 58
XI अन्य / Others	30 31	37 83
कुल / TOTAL (I to X)	148920 09 32	134242 01 15

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा / Interest / discount on advances / bills	17971 48 76	13753 62 59
II	निवेशों से आय / Income on investments	5290 74 39	4751 94 18
III	रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	46 24 16	17 66 17
IV	अन्य / Others	61 45 68	18 01 02
	कुल / TOTAL	23369 92 99	18541 23 96

(₹ हजार में / ₹ in '000s)

अनुसूची 14 - अन्य आय SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1530 76 01	1551 75 89
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of investments (net)	187 96 08	142 77 39
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	(32 63 87)	(19 91 58)
IV	भूमि, भवन तथा अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(1 53 64)	(2 68 86)
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिवों पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	172 40 67	189 75 67
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	18 33 48	33 43 21
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	141 87 79	144 17 70
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	101 61 30	103 93 59
	कुल / TOTAL	2118 77 82	2143 23 01

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	14027 73 46	9988 67 61
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI/ inter bank borrowings	1368 76 47	978 23 90
III	अन्य Others	3428 58 30	3305 01 14
	कुल / TOTAL	18825 08 23	14271 92 65

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1160 44 49	1026 50 01
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	224 41 99	207 83 11
III	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	41 76 57	35 43 21
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	26 21 89	46 40 08
V	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on bank's property *	116 06 16	127 03 79
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	29 14	30 78
VII	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय / Auditors' fees and expenses	2 30 76	1 83 46
VIII	विधि प्रभार / Law Charges	8 80 65	7 27 80
IX	डाक खर्च, तार, टेलीफोन, आदि / Postage, telegram, telephone, etc.	74 33 50	51 08 93
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	138 32 18	95 70 13
XI	बीमा / Insurance	164 33 16	151 30 53
XII	बैंकिंग व्यय / Banking expenses	41 34 44	29 14 43
XIII	कार्ड और एटीएम व्यय / Card & ATM expenses	191 29 18	126 93 82
XIV	परामर्श व्यय / Consultancy expenses	2 38 33	5 92 60
XV	बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय Expenses for recovery of write off cases	4 60 68	3 88 52
XVI	अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यय / International banking expenses	4 93	9 51
XVII	आउटसोर्सिंग व्यय / Outsourcing expenses	192 02 10	174 44 45
XVIII	आईटी व्यय / IT expenses	45 69 80	23 92 57
XIX	स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय / Staff training & other expenses	26 60 10	19 79 02
XX	यात्रा और वाहन प्रभार / Travelling and conveyance charges	25 08 90	22 86 12
XXI	ट्रेज़री व्यय / Treasury expenses	3 36 26	2 33 63
XXII	उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय / Fee and other expenses for borrowing	44 38 60	28 65 37
XXIII	अन्य व्यय / Other expenditure	73 31 41	65 97 47
	कुल / TOTAL	2607 45 22	2254 69 34

* ₹ 41 84 19 हजार (₹ 41 84 23 हजार) के पुनर्मूल्यन रिज़र्व को घटाकर

* Net of revluation reserve of ₹ 41 84 19 thousand (₹ 41 84 23 thousand)

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार:

Basis of Preparation

संलग्न वित्तीय विवरण परंपरागत आधार पर तैयार किए गए हैं और ये सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, लेखांकन मानक (एएस) और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियां शामिल हैं.

The accompanying financial statements have been prepared on historical basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and prevailing practices in Banking industry.

2. अनुमानों का उपयोग

Use of Estimates

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाये जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई परिसंपत्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं, लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. राजस्व निर्धारण

Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंक को आर्थिक लाभ होगा तथा राजस्व की विश्वसनीय ढंग से गणना की जा सकती है.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured:

i. ब्याज आय तथा लीज किराये की गणना उपचय आधार पर की जाती है जबकि गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.

   Interest income and lease rentals are accrued except in the case of non performing assets where it is recognised upon realisation as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र / गारंटी पर कमीशन की गणना उपचित आधार पर की जाती है तथा जिन मामलों में कमीशन ₹ 1 लाख से अधिक नहीं है, उनमें अपफ्रंट और अन्य मामलों में यह साख पत्र / गारंटी की अवधि में उपचित आधार पर माना जाता है.

Commissions on LC/ guarantee are reckoned as accrued, upfront in cases where the commission does not exceed ₹ 1 lakh and, in other cases, accrued over the period of LC/ Guarantees.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है और ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार हासिल उपलब्धि पर आधारित होता है.

Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार माना जाता है.

Income on discounted instruments is recognised over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

4. अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions:

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए किये गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट / सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि पर प्रभार को 'मूर्त परिसंपत्तियाँ' नहीं माना जाता है.

Advances are classified as 'Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as 'Tangible Assets'.

5. निवेश / Investments:

वर्गीकरण / Classification:

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

In terms of extant guidelines of the RBI, the entire investment portfolio is categorized as

i. परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and

iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेश को निम्न रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता हैः

Investments under each category are further classified as

i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities

iii. शेयर / Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड / Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, आदि) /Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, etc.).

वर्गीकरण का आधार / Basis of Classification:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बिक्री के लिये मूलतः धारित रखे गये निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held For Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available For Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के भीतर इनकी अदला-बदली और उनका मूल्यांकन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with regulatory guidelines.

ङ) सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in subsidiaries and joint ventures are classified as 'Held To Maturity'.

च) अग्रिम स्वरूप के माने गए डिबेंचर / बांड / अधिमान शेयर अग्रिमों के लिए लागू परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं.

f) The debentures/ bonds/ preference shares deemed to be in the nature of advance, are subject to the usual prudential norms of asset classification and provisioning that are applicable to advances.

मूल्यांकन: / Valuation:

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में:

In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेंकडरी बाज़ार से खरीदे गये ईक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को राजस्व से प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to revenue.

ख) प्रतिभूतियों में अभिदान पर प्राप्त अप फ्रंट प्रोत्साहन राशि आय रूप में ली जाती है.

b) Upfront incentives received on subscription to securities are recognized as income.

ग) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत / बिक्री में से निकाला जाता है और ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है.

c) Broken period interest paid/ received is excluded from the acquisition cost/ sale and treated as interest expense/ income.

घ) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

d) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हो, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामले में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है. इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है और वर्ष के अंत में पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हुई हानि की लाभ-हानि खाते में पहचान की जाती है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint ventures under this category is provided for each investment individually. Profits on sale of investments in this category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

iii) 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों को स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुई निवल-कमी, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.

Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss account, while the net appreciation, if any, is ignored.

क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक तथा जमा प्रमाण-पत्रों, जो बट्टाकृत लिखत होते हैं, का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,

ख) क्रय-विक्रय/उद्धृत किये गये निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय / भाव-सूची से लिया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्यों अथवा भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges. Government Securities are valued at market prices or prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)

ग) अनुद्धृत शेयरों/यूनिटों का मूल्य विश्लेषित मूल्य/पुनर्खरीद मूल्य अथवा अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध होने पर निवल परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर निकाला जाता है, अन्यथा रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹ 1 प्रति कंपनी की दर से निकाला जाता है. नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत - लागत अंतर व वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए में प्रकाशित संबंधित दरों से लागू किया जाता है.

c) The unquoted shares/ units are valued at break-up value/ repurchase price or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at ₹ 1/- per company, as per relevant RBI guidelines. The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

घ) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ - हानि लेखे (निवेशों की बिक्री) में जमा/नामे किया जाता है.

d) Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account (Sale of Investments).

iv) निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शायी जाती है.

Investments are shown net of provisions.

v) निवेशों की राशि ऋण लेने के लिए दी गयी प्रतिभूतियों को घटाकर दर्शायी जाती है तथा इसमें क्रमशः रेपो / रिवर्स रेपो व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिये गये उधारों के प्रति प्राप्त प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है.

Investments are shown net of securities given against borrowing and include securities received against lending under Repo/ Reverse Repo arrangements respectively.

6. डेरिवेटिव लेन-देन / Derivative Transactions:

i. 'प्रतिरक्षा' (हेज) के रूप में नामित लेनदेनों में :

In Transactions designated as 'Hedge':

क. डेरिवेटिव लेनदेनों पर भुगतानयोग्य / प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a. Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख. हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/हानि को स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि या परिसंपत्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो; के आधार पर माना जाता है.

b. On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग. अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c. Redesignation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ. हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया गया हो. बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित हेज संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ - हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

d. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

ii. 'क्रय-विक्रय' के रूप में नामित लेनदेनों में / In Transactions designated as 'Trading':

क्रय-विक्रय के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेनदेनों की गणना उनके अंकित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प एवं वायदा दर करार शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ / हानि को लाभ - हानि लेखे में दिखाया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता / निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and forward rate agreements, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

7. अचल परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets and depreciation:

i. अचल परिसंपत्तियों को, पुनर्मूल्यांकित मामलों को छोड़कर, परम्परागत लागत (संस्थापन लागत सहित) पर लिया जाता है. पुनर्मूल्यांकन पर यदि कोई वृद्धि हुई हो तो उसे 'पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व' खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामलों में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप हुए अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Fixed assets are carried at historical cost (inclusive of installation cost) except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit and Loss account.

ii. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल परिसंपत्तियों पर उन्हें शामिल करने के वर्ष में ही संपूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.

Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

iii. मूल्यह्रास परिवर्धन की तारीख से सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा लगाया जाता है. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी मूल्यह्रास की दरों को न्यूनतम दरें माना जाता है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी परिसंपत्ति को अर्जित करते समय उस अचल परिसंपत्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल / बाकी उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है. इस नीति के चलते मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नलिखित दरों के अनुसार किया गया है :

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) from the date of addition. The rates of depreciation prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 are considered as the minimum rates. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/ remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

परिसंपत्तियां **Asset**	**मूल्यह्रास दर** **Depreciation Rate**
परिसर / Premises	1.63%
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	8.33%
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	8.33%
मोटर वाहन / Motor vehicles	20%
कंप्यूटर (समाकलित सॉफ्टवेयर सहित) / Computers (including integral software)	33.33%
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	12.50%
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	10%
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	20%

iv. वर्ष के दौरान परिवर्धित / बेची गयी अचल परिसंपत्तियों पर वास्तविक अवधि के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है.

Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the actual period.

v. लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

Leasehold land is amortised over the period of lease.

vi. ₹ 2.5 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (गैर-समाकलित) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होती है.

Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 lakh is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 5 years.

8. लीज पर दी गयी परिसंपत्तियां / Assets given on lease

i. 31 मार्च 2001 को या इससे पूर्व बैंक द्वारा वित्त लीज पर दी गयी परिसंपत्तियों को 'अचल परिसंपत्तियों' के अंतर्गत 'लीज पर दी गयी परिसंपत्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इन पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है. 'लीज समकरण' राशि, जो वार्षिक लीज प्रभार और मूल्यह्रास के बीच के अंतर को दर्शाती है, को लाभ एवं हानि लेखे में समायोजित किया जाता है.

Assets given on finance lease by the Bank on or before March 31, 2001 are classified as "Leased Assets" under "Fixed Assets". Depreciation thereon is provided on SLM basis at the rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956. The amount of "Lease Equalisation" representing the difference between the annual lease charge and the depreciation is adjusted in the Profit & Loss Account.

ii. 31 मार्च 2001 के बाद वित्त लीज के अंतर्गत दी गयी परिसंपत्तियों को लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है और उन्हें 'अग्रिमों' के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Assets given under finance lease after March 31, 2001 are accounted in accordance with the provisions of AS 19 and included under "Advances".

9. प्रतिभूतिकरण लेन-देन / Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन परिसंपत्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब बैंक का नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः हटा दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ / प्रीमियम के लिए एसपीवी द्वारा, जिन्हें परिसंपत्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है.

Securitisation of various loans result in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

10. प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री

Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर) / पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के शोधन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से, जो कम हो, के आधार पर की जाती है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली पर होने वाले लाभ को लाभ-हानि लेखे में दर्ज नहीं किया जाता बल्कि उन्हें एससी या आरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री अथवा अन्य एसआर / पीटीसी की वसूली से होने वाली हानि /कमी को पूरा करने के लिए प्रावधानों के तौर पर अलग से दर्शाया जाता है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली से होने वाली हानियों को पूर्ववर्ती लाभों से सृजित प्रावधानों के शेष, यदि कोई हैं, में से समायोजित किया जाता है और शेष हानि राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की जाती है. पीटीसी को उनकी बिक्री अथवा वसूली तक ऊपर निर्धारित मूल्य पर लिया जाता है. एसआर को उनके सकल रूप में बही मूल्य अथवा अद्यतन एनएवी, जो भी कम हो, पर लिया जाता है.

Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset. Gains arising on such sale or realisation are not recognised in the profit and loss account but earmarked as provisions for meeting the losses/ shortfall arising on sale of other financial assets to SCs/ RCs or sale/ realisation of other SRs/ PTCs. Losses arising on such sale or realisation are first set off against balance of provisions, if any, created out of earlier gains and residual amount of losses are charged to profit and loss account. The PTCs are carried at the value as determined above, till their sale or realisation. The SRs are carried, in the aggregate, at book value or at latest NAV, whichever is lower.

11. विदेशी मुद्रा लेन - देन / Foreign Currency Transactions:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देनों का आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर उन्हें लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित अंतिम दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognised in the profit and loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognised as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यापार या सट्टे के लिए नहीं की गई हैं, के शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा की समयावधि में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं पर प्रीमियम या बट्टे को दर्शाया नहीं जाता है.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading or speculation is amortised as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognised.

iii. ऐसी बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यापार या सट्टे के लिए नहीं हैं, का पुनर्मूल्यन अंतिम फेडाई दरों पर किया जाता है. अन्य बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ / हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading or speculation are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are revalued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are included in the profit and loss account.

iv. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की समय-पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ / हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या बट्टा, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.

Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognised on the date of termination.

v. बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विदेशी मुद्रा की संविदागत दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालन 'एकीकृत विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं तथा इन्हें बैंक के उन्हीं सिद्धांतों व प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए परिणत किया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as 'Integral Foreign Operations' and are translated using the same principles and procedures as those of the bank.

12. कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

i. रोजगार-पश्चात् लाभ योजनाएं / Post-employment benefit plans

क) निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान को देय होने के आधार पर खर्च के रूप में प्रभारित किया जाता है.

a) Payments to defined contribution schemes are charged as expense as they fall due.

ख) निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित इकाई जमा विधि का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन/पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में पूरा दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है. पिछली सेवा लागत की उतनी राशि तत्काल हिसाब में ली जाती है जितने लाभ पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और अन्यथा सीधी रेखा आधार पर लाभ के निहित होने तक औसत अवधि में परिशोधित किया जाता है.

b) For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in full in the profit and loss account for the period in which they occur. Past Service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortised on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

ii. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ / Short-term employee Benefit:

कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

iii. अंतर्वर्ती देयता / Transitional Liability

बैंक ने 1 अप्रैल 2007 से लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) - 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया है. इसको अपनाने से उत्पन्न होने वाली अंतर्वर्ती देयता को एएस-15 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से आरंभ होने वाली पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जायेगा.

The Bank has adopted Accounting Standard-15 (Revised 2005), 'Employee Benefits' with effect from April 1, 2007. The transitional liability arising on such adoption is amortised over a period of five years commencing from the financial year 2007-08 in accordance with the provisions of AS-15.

iv. कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (ईसॉप) के अंतर्गत ऑप्शनों का आंतरिक मूल्य ईसॉप की निहित अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर व्यय किया जाता है.

The intrinsic value of options under Employee Stock Option Plan (ESOP) is expensed on a straight-line basis over the vesting period of the ESOP.

13. आय कर / Income Tax

i. कर व्यय में चालू तथा आस्थगित कर शामिल हैं.

Tax expense comprises of current and deferred tax.

ii. न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट को केवल तभी और उस सीमा तक एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है जब इस बात का पर्याप्त साक्ष्य हो कि बैंक विर्निदिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगा.

Minimum Alternate Tax (MAT) credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Bank will pay normal income tax during the specified period.

iii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलन-पत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थागित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है कि यह पर्याप्त रूप से निश्चित हो कि इनकी भविष्य में वसूली हो जाएगी.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iv. अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर परिसंपत्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.

Deferred tax assets in case of unabsorbed losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

v. विभागीय अपीलों सहित प्रावधान न किये गये विवादित करों को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

14. प्रति शेयर आय / Earnings Per Share:

i. बैंक लेखांकन मानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर आय की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या ईक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता हैं. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अन्त में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य ईक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings Per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

15. परिसंपत्तियों की अनर्जकता / Impairment of Assets

जब कभी घटनाएं अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन से ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति की रखाव लागत वसूलीयोग्य नहीं है तो अचल परिसंपत्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित और इस्तेमाल की जाने वाली परिसंपत्तियों की वसूली हो सकने का आकलन उसकी वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य की तुलना में उसकी रखाव लागत से किया जाता है. यदि इन परिसंपत्तियां को अनर्जक माना जाता हैं तो अभिनिर्धारित अनर्जकता का आकलन इससे हो सकेगा कि परिसंपत्तियों की रखाव राशि उसके वसूलीयोग्य मूल्य से कितनी अधिक है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset.

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां / Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों संबंधी एएस 29 के अनुपालन में, बैंक द्वारा कोई प्रावधान तब किया जाता है जब किसी पिछले संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक परिसंपत्तियों को हिसाब में नहीं लिया जाता है,

Contingent Assets are not recognized.

अनुसूची 18: 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

SCHEDULE 18: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2012

अ लेखाकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबधी आवश्यकताए

A Disclosure Requirements as per Accounting Standards

1. परिसर (एएस-10) / PREMISES (AS-10)

i. परिसर में ₹ 1339,70,11 हजार (₹ 1339,70,11 हजार) की लीज़ पर ली गई भूमि (पुनर्मूल्यांकित) शामिल हैं जिसका वर्ष 2006-07 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था.

Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 1339,70,11 Thousand (₹ 1339,70,11 Thousand) which was revalued in the year 2006-07.

ii. वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान बैंक ने व्यावसायिक रूप से योग्यताप्राप्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय /कार्यालय भवन का पुनर्मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया. पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल मूल्य वृद्धि ₹ 2063,91,00 हजार हुई हैं जो 31 मार्च 2007 को ₹ 529,02,00 हजार के निवल बही मूल्य और ₹ 25,92,9300 हजार की पुनर्मूल्यांकित राशि का अंतर है, जिसे पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा कर दिया गया है.

Bank has revalued its Freehold Land & Residential/ Office building based on valuations made by independent valuers during the financial year 2006-07. The net appreciation of ₹ 2063,91,00 Thousand arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 529,02,00 Thousand and revalued amount of ₹ 2592,93,00 Thousand as on March 31, 2007, was credited to Revaluation Reserve.

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED)

i. **अंतर्वर्ती देयता / Transitional Liability**

आईडीबीआई बैंक के मामले में ''कर्मचारी लाभ'' पर लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) के अपनाने के फलस्वरूप अंतर्वर्ती देयता- ₹ 63,22,00 हजार (पेंशन - ₹ 31,09,00 हजार, ग्रेच्यूटी -₹ 16,41,00 हज़ार, अपंगता सहायता ₹ 13,28,00 हजार एवं छुट्टी नकदीकरण ₹ 2,44,00 हजार) (₹ 63,22,00 हजार) है, इस राशि को पाँच वर्षों की अवधि में राजस्व में प्रभारित किया जाना है. इसमें से ₹ 12,50,00 हजार (₹ 12,50,00 हजार) की शेष राशि वर्ष के दौरान लाभ - हानि लेखे में प्रभारित की गई है.

The transitional liability arising on account of adoption of Accounting Standard-15 (Revised 2005) on "Employee Benefits" is ₹ 63,22,00 Thousand (Pension – ₹ 31,09,00 Thousand, Gratuity - ₹ 16,41,00 Thousand, Disability Assistance – ₹ 13,28,00 Thousand and Leave encashment – ₹ 2,44,00 Thousand) (₹ 63,22,00 Thousand) is to be charged to revenue over the period of five years. The remaining balance of ₹ 12,50,00 Thousand (₹ 12,50,00 Thousand) has been charged to Profit & Loss Account being the fifth year.

ii. **निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes**

बैंक के कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल हैं, जिसके लिए बैंक मूल वेतन के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है. भविष्य निधि योजना का संचालन 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट' के प्रशासकों द्वारा किया जाता है . पूर्ववर्ती आईएचएफएल एवं आईजीएल के कर्मचारियों के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान अदा कर दिया गया था और इसके बाद से अंशदान उपर्युक्त ट्रस्ट में जमा किया जाता है. वर्ष के दौरान ₹ 4,54,73 हजार (₹ 4,26,73 हजार) की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई.

Bank's employees are covered by Provident Fund to which the Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary. The Provident Fund plan is administered by the Administrators of 'IDBI Bank Employees Provident Fund Trust'. In respect of employees of erstwhile IHFL and IGL, provident fund contributions were made to Regional Provident fund commissioner up to May, 2011 and thereafter the contributions have been made to aforementioned trust. During the year an amount of ₹ 4,54,73 Thousand (₹ 4,26,73 thousand) has been charged to Profit and Loss Account.

बैंक के जिन कर्मचारियों ने 1 अप्रैल 2008 के बाद कार्यग्रहण किया है उन्हें निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत बैंक मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है. वर्ष के दौरान ₹ 3,20,476 हजार (₹ 1,52,526 हजार) की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई.

The Bank's employees joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year an amount of ₹ 3,20,476 Thousand (₹ 1,52,526 Thousand) has been charged to Profit and Loss Account.

iii. **निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes**

क. बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान देता है. पूर्ववर्ती आईएचएफएल एवं आईजीएल के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी निधि एलआईसी की ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम में जारी है.

a. The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees, to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'. The Gratuity Fund of employees of erstwhile IHFL and erstwhile IGL is continued with LIC under Group Gratuity Scheme.

ख. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के भी पात्र हैं जिसका प्रशासन 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.

b. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति से की जाती है तथा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है.

The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method with actuarial valuation being carried out at each balance sheet date.

iv. **अन्य दीर्घावधि लाभ: / Other long term benefits**

बैंक के कर्मचारी अपनी अर्जित/ विशेषाधिकार छुट्टी का संचय करने के लिए पात्र हैं जिसमें अधिकारी अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ 300 दिन तक की छुट्टी का संचय कर सकते हैं. प्रति वर्ष अधिकतम 15 दिन की छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है. कुछ कर्मचारी अशक्तता सहायता तथा स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र हैं, जिसे अशक्तता / देयता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.

Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year. Some of the employees are eligible for Disability Assistance and Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the disability/liability events occur.

पूर्ववर्ती आईएचएफएल के संबंध में कर्मचारी अपने संवर्ग के अनुसार अधिकतम 180 दिन / 240 दिन की छुट्टी का संचय करने के लिए पात्र हैं तथा पूर्ववर्ती आईजीएल के संबंध में 240 दिन की छुट्टी संचित की जा सकती है.

In respect of erstwhile IHFL the employees are entitled to accumulate leave upto maximum of 180 days/240 days based on their cadre and in respect of employees of erstwhile IGL leave upto 240 days can be accumulated.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन अनुमानित यूनिट-क्रेडिट पद्धति से किया गया और वर्ष के दौरान ₹ 51,07,18 हजार (₹ 39,54,98 हजार) की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है.

Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and an amount of ₹ 51,07,18 Thousand (₹ 39,54,98 Thousand) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और दिनांक 31 मार्च 2012 को समूह के वित्तीय विवरण में दर्शायी गईं राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो ए एस - 15 (संशोधित) के अनुसार है

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2012 which is as per AS-15(R).

(₹ करोड़) (₹ In Crores)

		पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन : Change in benefit obligations:**				
	वर्ष के आरंभ में (1 अप्रैल 2011) अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year (April 1, 2011)	820.93	283.20	696.53	160.78
	विलय के निमित्त परिवर्धन (आईएचएफएल) Addition on account of merger (IHFL)	0.00	0.00	0.00	0.31
	विलय के निमित्त परिवर्धन (आईजीएल) Addition on account of merger (IGL)	0.00	0.00	0.00	0.06
	ब्याज लागत / Interest cost	67.73	23.36	57.46	13.27
	चालू सेवा लागत / Current Service cost	45.84	18.25	9.63	19.54
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	96.89
	अंतरित देयता आगम / (निर्गम) / Liability Transferred In/(Out)	0.00	0.41	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(34.21)	(16.23)	(37.55)	(11.00)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि/ Actuarial (gain)/loss	63.49	61.02	94.86	3.35
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व **Projected benefit/obligation, end of the year**	**963.78**	**370.01**	**820.93**	**283.20**
ख) b)	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में (1 अप्रैल 2011) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year (April 1, 2011)	764.65	274.71	685.50	155.91
	विलय के निमित्त परिवर्धन (आईएचएफएल) Addition on account of merger (IHFL)	0.00	0.00	0.00	0.23
	विलय के निमित्त परिवर्धन (आईजीएल) Addition on account of merger (IGL)	0.00	0.00	0.00	0.05

(₹ करोड़) (₹ In Crores)

		पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	61.17	21.98	54.84	12.48
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	105.70	17.15	66.94	111.85
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other company	0.00	0.41	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(34.21)	(16.23)	(37.55)	(11.00)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial gain / (loss)	23.06	4.07	(5.08)	5.19
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियें का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**920.37**	**302.09**	**764.65**	**274.71**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान और योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	31 मार्च 2012 को लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at March 31, 2012	963.78	370.01	820.93	283.20
	भविष्य में अभिनिर्धारित /उपबंधित की जानेवाली परिवर्ती (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/provided in future	0.00	0.00	(6.15)	(3.24)
	31 मार्च, 2012 को लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at March 31, 2012	963.78	370.01	814.78	279.96
	31 मार्च, 2012 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at March 31, 2012	920.37	302.09	764.65	274.71
	अधिशेष / (घाटा) / Surplus/(Deficit)	**(43.41)**	**(67.92)**	**(50.13)**	**(5.25)**
घ) d)	**31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year ended March 31, 2012**				
	सेवा लागत / Service cost	45.84	18.25	9.63	19.54
	ब्याज लागत / Interest cost	67.73	23.36	57.46	13.27
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ / Expected return on plan assets	(61.17)	(21.98)	(54.84)	(12.48)

(₹ करोड़) (₹ In Crores)

		पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि / Net Actuarial (gain)/loss	40.43	56.95	99.94	(1.84)
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान निर्धारित की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	96.89
	वर्ष के दौरान निर्धारित परिवर्ती देयता Transitional liability recognized during the year	6.15	3.24	6.15	3.25
	निवत लागत / Net cost	**98.98**	**79.82**	**118.34**	**118.63**
ङ) e)	**31 मार्च 2012 को परिसंपत्तियों की श्रेणी Category of Assets as at March 31, 2012**				
	भारत सरकार की परिसंपत्तियां / Government of India Assets	504.01	0.00	382.85	0.00
	कॉरपोरेट बांड / एफडी / Corporate Bonds/ FD	385.76	0.00	370.62	0.00
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां / Insurer Managed Funds	0.00	302.08	0.00	273.27
	अन्य / Others	30.60	0.01	11.18	1.44
	कुल / Total	**920.37**	**302.09**	**764.65**	**274.71**
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं: Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर / Discount rate	9.00%	8.75%	8.25%	8.25%
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर / Rate of return on plan assets	8.80%	8.80%	8.00%	8.00%
	वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
	ह्रास दर / Attrition Rate	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%
	मृत्यु दर / Mortality Rate	एलआईसी (1994-66) अंतिम LIC (1994-66) Ultimate			

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)

SEGMENT REPORTING (AS-17)

i. बैंक तीन खंडों - थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है. बैंक की योजनाओं एवं सेवाओं का स्वरूप और जोखिम प्रोफाइल, ग्राहकों के लक्ष्य समूह की प्रोफाइल, संगठनात्मक ढांचा और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद खंड रिपोर्टिंग पर लेखा मानक 17 के अनुसार इन खंडों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार खंड का प्राथमिक खंड के रूप में प्रकटन किया है. चूंकि बैंक भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक के बारे में यह माना गया है कि यह केवल देशी खंड में परिचालन करता है और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.

The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury services. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank. The Bank has disclosed business segment as the primary segment. The Bank primarily operates in India, hence the Bank has been considered to operate predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

ii. खंड राजस्व, परिणामों, परिसंपत्तियों और देयताओं में वे राशियां शामिल हैं जो प्रत्येक खंड के लिए अभिनिर्धारित करने योग्य हैं, साथ ही प्रबंधन के अनुमान के अनुसार आबंटित हैं. ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं, जिनकी पहचान खंडवार रूप में नहीं की जा सकती, उन्हें अनाबंटित परिसंपत्तियों और देयताओं में समूहित किया जाता है.

Segment revenue, results, assets and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

खंडवार प्रकटन / Segment Disclosure:

(₹ हजार) (₹ In '000s)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2011
क. a.	**खंड राजस्व** **Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	2371266 40	1919074 42
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	1501119 31	1108604 11
	ट्रेजरी / Treasury	41637 66	28788 03
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations		
	कुल / TOTAL	3914023 37	3056466 56
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	1365152 56	988019 59
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय / Net sales / income from operations	**2548870 81**	**2068446 97**
ख. b.	**खंड परिणाम-कर पूर्व लाभ / (हानि)** **Segment Results -Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	246695 80	187945 12
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	4758 60	27363 34
	ट्रेजरी / Treasury	11515 52	12789 54
	कुल / TOTAL	**262969 92**	**228098 00**
	अविनिधानीय व्यय / Unallocable expenditure		
	अविनिधानीय आय / Unallocable income		
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income		

(₹ हजार) (₹ In '000s)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2011
	कर पूर्व कुल लाभ / Total profit before tax	262969 92	228098 00
	आय कर / Income taxes	59808 80	63066 06
	निवल लाभ / Net profit	**203161 12**	**165031 94**
ग. c.	**खंड परिसंपत्तियां** **Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	19830599 14	16930636 56
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	8446974 95	7836905 14
	ट्रेजरी / Treasury	655831 83	412514 10
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	150317 69	157623 48
	कुल परिसंपत्तियां / Total assets	**29083723 61**	**25337679 28**
घ. d.	**खंड देयताएं** **Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	16811858 50	15903360 18
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	10312103 82	7864418 16
	ट्रेजरी / Treasury	17055 00	73254 38
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	188293 76	232465 56
	कुल देयताएं / Total liabilities	**27329311 08**	**24073498 28**

नोट : विदेशी परिचालन 10% की निर्दिष्ट अधिकतम सीमा से कम हैं, अतः सेकंडरी खंड से संबंधित जानकारी नहीं दी गई है.

Note: Overseas operations are less than the threshold limit of 10% and hence secondary segment information is not furnished.

4. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

i. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था
Jointly controlled entity

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि.
IDBI Federal Life Insurance Co Ltd.

ii. बैंक के प्रमुख प्रबंध कार्मिक
Key management personnel of the Bank

श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri R.M Malla, Chairman & Managing Director

श्री बी. पी. सिंह, उप प्रबंध निदेशक (31 जनवरी 2012 तक)
Shri B.P.Singh, Deputy Managing Director (up to January 31, 2012)

श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (13 जनवरी 2012 से)
Shri Bal Krishan Batra, Deputy Managing Director (w.e.f January 13, 2012)

iii. संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन / शेषराशियां
Transactions/balances with related parties:

(₹ हजार) (₹ in '000s)

विवरण Particulars	संयुक्त उद्यम Joint Venture	प्रमुख कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंध कार्मिकों के संबंधी Relatives of key management personnel	कुल Total
प्राप्त जमाराशियां / Deposits Received	17,70,00	98,34	5,00	18,73,34
	(49,35,00)	(1,38,32)	(2,26,18)	(52,99,50)
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	69,85,23	1,18,54	8,62	71,12,39
	(75,29,79)	(1,82,68)	(2,45,08)	(79,57,55)
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	69,85,23	1,73,75	25,04	71,84,02
	(75,29,79)	(2,32,66)	(2,54,17)	(80,16,62)
निवेश / Investments	384,00,00	0	0	384,00,00
	(336,00,00)	(0)	(0)	(336,00,00)
दिए गए अग्रिम /Advances given	0	7,40	2,88	10,28
	(0)	(0)	(0)	(0)
बकाया अग्रिम / Advances outstanding	0	24,46	2,84	27,30
	(0)	(35,67)	(0)	(35,67)
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advance due during the year	0	24,55	2,84	27,39
	(0)	(37,90)	(11,53)	(49,43)
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on advances	0	39	2	41
	(0)	(61)	(3)	(64)
अग्रिमों पर उपचित ब्याज / Interest accrued on advances	0	16	3	18
	(0)	(0)	(0)	(0)
जमाराशियों पर ब्याज / Interest on Deposits	4,23,38	12,48	1,04	4,36,90
	(2,82,49)	(9,25)	(1,36)	(2,93,10)

(₹ हजार) (₹ in '000s)

विवरण Particulars	संयुक्त उद्यम Joint Venture	प्रमुख कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंध कार्मिकों के संबंधी Relatives of key management personnel	कुल Total
पारिश्रमिक / Remuneration	0 (0)	53,31 (41,98)	0 (0)	53,31 (41,98)
अन्य आय / Other income	31,08,67 (38,06,49)	98 (3,21)	0 (0)	31,09,65 (38,09,70)
वर्ष के दौरान हानि का हिस्सा Share of loss during the year	33,53,36 (58,45,61)	0 (0)	0 (0)	33,53,36 (58,45,61)

5. परिचालनगत पट्टा (एएस-19)
OPERATING LEASE (AS-19)

वर्ष के दौरान निरसन योग्य परिचालनगत पट्टे पर प्रदत्त / देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ - हानि लेखे में ₹ 157,59,29 हज़ार (₹ 161,25,46 हज़ार) का प्रभार लगाया गया.

Amount of ₹ 157,59,29 Thousand (₹ 161,25,46 Thousand) has been charged to the Profit and Loss Account during the year towards lease charges paid/payable on cancellable operating lease.

6. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20)
EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2011
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (₹ हज़ार) Net profit considered for EPS calculation (₹ in Thousand)	2031,61,12	1650,31,94
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	98,69,61,399	89,84,29,626
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	59,214	2,49,572
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	98,70,20,613	89,86,79,198
ईपीएस (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	20.58	18.37
ईपीएस (न्यूनीकृत)(₹) / EPS (Diluted) (₹)	20.58	18.36
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10	10

7. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22)
ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

i. आस्थगित कर परिसंपत्तियां / देयताएं
DEFERRED TAX ASSETS/LIABILITIES

(₹ हजार) (₹ in '000s)

	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2012	31 मार्च 2012 को शेष राशियां Balance as on March 31, 2012	31 मार्च 2011 को शेष राशियां Balance as on March 31, 2011
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	(7,01,29)	46,37,00	53,38,29
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	(183,63,87)	Nil	183,63,87
कुल (क)/ Total (A)	**(190,65,16)**	**46,37,00**	**237,02,16**
आस्थगित कर परिसंपत्ति / Deferred Tax Asset			
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत न किए गए एनपीए प्रावधान NPA provisions not allowed under Income tax Act, 1961	214,56,90	568,55,46	353,98,56
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए)(ia) के अंतर्गत शामिल न की गई अस्वीकृतियां Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income-tax Act, 1961	16,08,09	120,96,40	104,88,31
पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Restructured Advances	85,54,25	306,60,89	221,06,65
कुल (ख) / Total (B)	**316,19,24**	**996,12,75**	**679,93,52**
आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति)(निवल)(क)-(ख) Deferred tax liability/ (asset) (net) (A) – (B)		**(949,75,75)**	**(442,91,36) ***

* आईएचएफएल और आईजीएल की ₹ 5,90,98 हजार की आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) सहित
Includes Deferred Tax Asset (net) of ₹ 5,90,98 Thousands of IHFL and IGL.

ii. अब तक 'आय पर कर के लिए लेखांकन' पर विचार करते समय लेखांकन मानक (एएस-22) के अंतर्गत नियत आस्थगित कर देयता (डीटीएल) 'आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि' पर सृजित की जाती थी. तथापि बैंक के निदेशक मंडल ने यह संकल्प पारित किया है कि विशेष आरक्षित निधि से कोई राशि आहरित करने का कोई इरादा नहीं है. इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा बैंक द्वारा प्राप्त की गई विशेषज्ञों की राय के अनुसरण में विगत वर्षों में व चालू वर्ष में विशेष आरक्षित निधि की जिस राशि के लिए कटौती का दावा किया गया है तथा / अथवा करयोग्य आय के रूप में गणना करने की अनुमति दी गई है, उसे एएस-22 के तहत 'सामयिक अंतर' के बजाए 'स्थाई अंतर' माना जाएगा.

Hitherto, Deferred Tax Liability (DTL) as stipulated under Accounting Standard (AS- 22) dealing with "Accounting for Taxes on Income" was created on "Special Reserve created and maintained under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961" (Special Reserve). However the Board of Directors of the Bank has passed a resolution that there is no intention to withdraw any amount from the Special Reserve. Taking this into consideration, as well as an expert opinion obtained by the Bank, the amount of Special Reserve for which deduction has been claimed and/ or allowed in computing taxable income in the earlier years and the current year is considered as a "permanent difference" under AS-22 instead of '' timing difference ''.

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विगत वर्षों में विशेष आरक्षित निधि में डीटीएल के रूप में सृजित ₹ 183.64 करोड़ की राशि उलट दी गई है तथा चालू वर्ष के लाभ में से विनियोजित विशेष आरक्षित निधि में डीटीएल के रूप में ₹ 65 करोड़ की राशि का सृजन नहीं किया गया है.

In view of the above, DTL of ₹ 183.64 crore created on such Special Reserve in the earlier years has been reversed and DTL of ₹ 65 crore has not been created in respect of Special Reserve appropriated out of the profits for the current year.

iii. **चालू वर्ष के लिए कराधान प्रावधान**

Provision of Taxation for current year

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 1104,93,20 हजार (₹ 734,93,58 हजार) के आयकर का प्रावधान किया गया है.

Income Tax of ₹ 1104,93,20 Thousand has been provided for the year ended March 31, 2012 (₹ 734,93,58 Thousand).

8. संयुक्त उद्यम (ए एस 27)

JOINT VENTURES (AS-27)

निवेशों में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम में बैंक के हित से संबंधित 384 करोड़ रुपये (336 करोड़ रुपये) शामिल हैं.

Investments include ₹ 384 crores (₹ 336 crores) representing Bank's interest in the following joint venture.

कंपनी का नाम Name of the Company	निवास का देश Country of Residence	धारिता % Holding %
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरन्स कं लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	भारत India	48 % 48 %

एएस 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित सभी परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की कुल राशियों का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है:

As required by AS-27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entity are disclosed as under:

(₹ हजार) (₹ in '000s)

विवरण Particulars	31 मार्च 2012 को As at March 31, 2012	31 मार्च 2011 को As at March 31, 2011
देयताएं / Liabilities		
पूंजी एवं रिज़र्व / Capital & Reserves	384,00,00	336,00,00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	111,96,30	94,65,56
कुल / Total	**495,96,30**	**430,65,56**
परिसंपत्तियां / Assets		
नकदी और बैंक मे जमा शेष / Cash and Bank Balances	38,17,53	37,48,62
निवेश / Investments	145,28,78	154,49,64
अचल परिसंपत्तियां / Fixed Assets	8,29,64	8,17,67
अन्य परिसंपत्तियां / Other Assets	96,42,35	55,53,62
विविध व्यय / संचित हानि / Miscellaneous Expenditure/Accumulated Losses	207,78,00	174,96,01
कुल / Total	**495,96,30**	**430,65,56**
पूंजी वचनबद्धताएं / Capital Commitments	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं / Other Contingent Liabilities	-	-
आय / Income		
निवेशों से आय / Income from Investments	12,11,22	7,03,81
अन्य आय / Other income	11,27	1,88
कुल / Total	**12,22,49**	**7,05,69**
व्यय / Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि / Losses from Insurance Business	45,01,84	64,85,26
परिचालनगत व्यय / Operating expenses	73,35	65,94
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies	66	10
कुल / Total	**45,75,85**	**65,51,30**
वर्ष के लिए हानि / Loss for the Year	**33,53,36**	**58,45,61**

टिप्पणी 31 मार्च 2012 के अनुसार आंकड़े गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं.

Note: The figures as at March 31, 2012 are based on unaudited financial statements.

9. परिसंपत्तियों की अनर्जकता (एएस- 28)
IMPAIRMENT OF ASSETS (AS-28)

बैंक द्वारा अर्जित अचल परिसंपत्तियों को 'कॉरपोरेट परिसंपत्ति' माना जाता है तथा उन्हें एएस - 28 द्वारा परिभाषित 'नकदी निर्माण इकाई' नहीं माना जाता है. प्रबंधन के मतानुसार, बैंक की अचल परिसंपत्तियों में कोई परिसंपत्ति अनर्जक नहीं हुई है.

Fixed assets acquired by the bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Unit' as defined by AS-28. In the opinion of the management there is no impairment of any of the fixed assets of the Bank.

10. अन्य प्रकटन
OTHER DISCLOSURES

10.1 कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (ईसॉप)
EMPLOYEES' STOCK OPTION SCHEME (ESOP)

i. शेयरधारकों के अनुमोदन के अनुसरण में यथा संशोधित ईसॉप के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 1,31,98,965 ऑप्शन (1,31,98,965 ऑप्शन) मंजूर किए गये जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

In terms of the ESOP, as amended, pursuant to the approval of the shareholders, 1,31,98,965 options (1,31,98,965 options) granted to eligible employees as detailed herein below:

समाप्त वर्ष Year Ended	मंजूर ऑप्शनों की संख्या Number of Options Granted
31 मार्च 2001 / March 31, 2001	16,76,951
31 मार्च 2002 / March 31, 2002	25,54,352
31 मार्च 2003 / March 31, 2003	32,77,542
31 मार्च 2004 / March 31, 2004	21,47,669
31 मार्च 2005 / March 31, 2005	19,58,451
31 मार्च 2006 / March 31, 2006	8,85,000
31 मार्च 2008 / March 31, 2008	6,99,000
कुल / Total	**1,31,98,965**

ii. ऑप्शनों का विवरण
Detail of Options:

मंजूरी की तारीख़ें Grant dates	ऑप्शनों की संख्या Number of options	प्रयोग मूल्य (रु.) Exercise Price (₹)	31 मार्च 2011 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as at March 31, 2011	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए ऑप्शन Exercised During the Year ended March 31, 2012	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यपगत ऑप्शन Lapsed During the year ended March 31, 2012	31 मार्च 2012को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as on March 31, 2012	31 मार्च 2012 तक ऑप्शन Options upto March 31, 2012	
							प्रयुक्त Exercised	व्यपगत Lapsed
श्रृंखला - I : 22अगस्त 2000 Tranche I : August 22, 2000	83,317	26.64	-	-	-	-	83,317	-
श्रृंखला - II : 1 अक्तूबर 2000 Tranche II : October 1, 2000	14,26,035	28.49	-	-	-	-	9,63,171	4,62,864
श्रृंखला - III : 1 जनवरी 2001 Tranche III : January 1, 2001	1,67,599	30.54	-	-	-	-	1,28,867	38,732
श्रृंखला - IV : 1 अप्रैल 2001 Tranche IV : April 1, 2001	21,34,225	29.73	-	-	-	-	15,97,867	5,36,358
श्रृंखला - V : 1 अक्तूबर 2001 Tranche V : October 1, 2001	4,20,127	26.20	-	-	-	-	2,97,219	1,22,908
श्रृंखला - VI : 1 अप्रैल 2002 Tranche VI : April 1, 2002	32,23,415	23.88	-	-	-	-	25,04,118	7,19,297
श्रृंखला - VII : 1 दिसंबर 2002 Tranche VII : December 1, 2002	54,127	28.50	-	-	-	-	47,881	6,246
श्रृंखला - VIII : 1 अप्रैल 2003 Tranche VIII : April 1, 2003	21,47,669	30.30	-	-	-	-	15,03,876	6,43,793
श्रृंखला - IX : 1 अप्रैल 2004 Tranche IX: April 1, 2004	16,41,549	50.95	6,548	4,224	634	1,690	9,82,031	6,57,828
श्रृंखला - X : 1 जुलाई 2004 Tranche X : July 1, 2004	3,16,902	58.06	-	-	-	-	2,81,691	35,211
श्रृंखला - XI : 1 अप्रैल 2006 Tranche XI : April1, 2006	8,85,000	98.11	1,91,375	35,990	360	1,55,025	1,96,187	5,33,788
श्रृंखला - XII : 25 अगस्त 2007 Tranche XII : Aug 25, 2007	6,99,000	75.70	2,35,460	29,080	1,050	2,05,330	2,14,990	2,78,680

10.2 अन्य
OTHERS

i. वर्ष के दौरान भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान्य आधार पर निम्नानुसार ईक्विटी शेयर आबंटित किए गए:

During the year Equity shares were allotted to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis as under:

लाभार्थी Beneficiary	आबंटन का प्रकार Type of allotment	राशि (₹ करोड़) Amount (₹ in Crore)	शेयरों की संख्या (₹ 10 का अंकित मूल्य) No. of Shares (Face value ₹ 10)	निर्गम मूल्य Issue Price	प्रति शेयर प्रीमियम Share premium per share	आबंटन की तारीख़ Date of Allotment
भारत सरकार Government of India	टीयर I बाँडों के संपरिवर्तन के बाद अधिमान्य आबंटन आधार पर ईक्विटी शेयर Equity shares on preferential allotment basis upon conversion of Tier I Bonds	2,130.50	18,85,56,509	112.99	102.99	28 मार्च 2012 March 28, 2012
भारत सरकार Government of India	अधिमान्य आबंटन आधार पर ईक्विटी शेयर Equity Shares on preferential allotment basis	810.00	7,16,87,760	112.99	102.99	31 मार्च 2012 March 31, 2012
भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India(LIC)	अधिमान्य आबंटन आधार पर ईक्विटी शेयर Equity Shares on preferential allotment basis	378.52	3,35,00,000	112.99	102.99	31 मार्च 2012 March 31, 2012

ii. वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा ईसॉप का प्रयोग करने पर 69 294 (1 97 068) ईक्विटी शेयरों का आबंटन किया गया.

69 294 (1 97 068) equity shares allotted during the year against ESOPs exercised by the employees.

iii. भारत सरकार द्वारा तैयार की गई निम्नलिखित योजनाओं की 31 मार्च 2012 की स्थिति निम्नानुसार है:

The status as at March 31, 2012 of the following schemes as formulated by Government of India is as under.

क) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008

a. Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme, 2008

(₹ हजार) (₹ in '000s)

योजना Scheme	प्रस्तुत दावे Claims lodged	प्राप्त दावे Claims Received	दावे की प्राप्य राशि* Claim Receivable*
कृषि ऋण माफी योजना, 2008 Agriculture Debt Waiver Scheme, 2008	27.29	27.29	0.00
कृषि ऋण राहत योजना, 2008 Agriculture Debt relief Scheme, 2008	8.22	8.22	0.00

* अनुसूची 9 - 'अग्रिम' में शामिल.
included in Schedule 9 - 'Advances'.

ख) चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना, 2007

b. Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2007

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

फरवरी 2012 तक दावा की गई राशि / Amount claimed till February, 2012	51.30
मार्च 2012 के लिए दावा की जानेवाली राशि / Amount to be claimed for March, 2012	0.12
दावे की कुल राशि / Total amount of claim	51.42
वसूली के आधार पर प्राप्त और हिसाब में ली गई राशि / Received and accounted on realization basis	39.78
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत अग्रिम Advances classified as Standard Asset in terms of RBI Guidelines	10.08

iv. 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत 'उद्यमों' की स्थिति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम नहीं है जिसके प्रति बैंक की ओर से कोई देयता बकाया हो जोकि 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक अवधि की हो, अतः वर्ष के अंत तक उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त / देय ब्याज सहित अप्रदत्त राशियों का प्रकटन नहीं किया गया है.

Based on the information to the extent received from 'enterprises' regarding their status under the 'Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006' there is no micro, small & medium enterprise to which the Bank owes dues, which are outstanding for more than 45 days during the year ended March 31, 2012 and hence disclosure relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/payable as required under the said Act have not been given.

v. पूंजी खाते (अग्रिमों को घटाकर) पर निष्पादन के लिए शेष रही संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया ₹ 180,43,38 हजार (विगत वर्ष ₹ 85,45,97 हजार) है.

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 180,43,38 Thousand (Previous Year ₹ 85,45,97 Thousand).

आ. रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटन

B. Disclosures required as per RBI guidelines

I पूंजी
Capital

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

		बासेल I के अनुसार As per Basel I		बासेल II के अनुसार As per Basel II	
विवरण Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	सीआरएआर (%) / CRAR (%)	12.84%	12.16%	14.58%	13.64%
2	सीआरएआर -टीयर I पूंजी (%) CRAR - Tier I Capital (%)	7.37%	7.14%	8.38%	8.03%
3	सीआरएआर - टीयर II पूंजी (%) CRAR - Tier II Capital (%)	5.47%	5.02%	6.20%	5.61%
4	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	70.52%	65.13%	70.52%	65.13%

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

		बासेल I के अनुसार As per Basel I		बासेल II के अनुसार As per Basel II	
विवरण Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
5	आईपीडीआई के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि Amount raised by issue of IPDI	0.00	245.10	0.00	245.10
6	अपर टीयर II लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	0.00	1000.00	0.00	1000.00
7	लोअर टीयर II लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि Amount raised by issue of Lower Tier II instruments	2834.40	1198.10	2834.40	1198.10

II निवेश
INVESTMENTS

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(1)	निवेश का मूल्य Value of Investments		
	(i) निवेश का सकल मूल्य Gross Value of Investments		
	(क) भारत में (a) In India	84286.27	69325.92
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	0.05	0.05
	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provisions for Depreciation		
	(क) भारत में (a) In India	1110.96	1056.78
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	0.00	0.00
	(iii) निवेश का निवल मूल्य Net Value of Investments		
	(क) भारत में (a) In India	83175.31	68269.14
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	0.05	0.05

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(2)	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में घट - बढ़ Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1056.78	567.54
	(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान Add: Provisions during the year	698.92	584.62
	(iii) घटायें : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित किये गये आधिक्य प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	644.74	95.38
	(iv) अंतिम शेष Closing balance	1110.96	1056.78

III रेपो लेन-देन
Repo Transactions

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2012 As on March 31, 2012
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	4.63	3522.70	104.35	शून्य Nil
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	5.00	505.00	123.73	200.00
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

IV गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो
NON- SLR INVESTMENT PORTFOLIO

1 गैर-एसएलआर निवेश की निर्गमकर्ता संरचना
ISSUER COMPOSITION OF NON-SLR INVESTMENTS

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'below investment grade' securities	'बिना - रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unrated' securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs	855.17	173.98	0.00	12.75	15.03
2	वित्तीय संस्थाएं / FIs	315.27	154.10	166.24	166.24	307.84
3	बैंक / Banks	7274.41	72.32	0.00	4.92	2.58
4	निजी कंपनियां Private Corporates	5150.50	1712.30	784.64	1696.01	3316.71
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / JV	620.78	204.68	0.00	0.00	620.78
6	अन्य / Others	5240.12	64.04	0.00	84.25	4087.79
	सकल योग / Gross Total	**19456.25**	**2381.42**	**950.88**	**1964.17**	**8350.73**
7	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान Prov held towards Dep.	1078.70				
	योग / Total	**18377.55**	**2381.42**	**950.88**	**1964.17**	**8350.73**

टिप्पणी - ईक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियां नहीं माना गया है.

Note – Investment in Equities are not treated as unrated securities

2 गैर-निष्पादक गैर- एसएलआर निवेश
Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	राशि Amount
प्रारंभिक शेष (यथा 1 अप्रैल 2011 को) Opening balance (as on April 1, 2011)	329.07
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	762.79
वर्ष के दौरान कमी Reductions during the year	140.97
अंतिम शेष (यथा 31 मार्च 2012 को) Closing balance (as on March 31 2012)	**950.89**
धारित कुल प्रावधान (निष्पादक गैर- एसएलआर निवेशों के मूल्य में कमी के लिए ₹ 777.31 करोड़ के प्रावधान को छोड़कर) Total provisions held (excludes provision of ₹ 777.31 crore for diminution in the value of performing Non SLR investments.)	**301.39**

V डेरिवेटिव
Derivatives

1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप
Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	3200.44	17370.19	1964.37	18709.52
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टियां अपने दायित्व के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	144.21	160.79	224.77	166.56
(iii)	स्वैप करने के बाद बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति (नीचे (क) देखें) Collateral required by the bank upon entering into swaps *(refer (a) below)*	-	-	-	-

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars		चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेद्रण (नीचे (ख) देखें) Concentration of credit risk arising from the swaps (refer (b) below)	-	-	-	-
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	94.36	(26.16)	175.61	6.30

(क) यदि मार्क-टु-मार्केट (एमटीएम) हानि अनुमोदित सीमा (बैंक द्वारा निर्धारित) से अधिक है तो ग्राहकों द्वारा नकद जमा /संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में मार्जिन रखने की आवश्यकता होती है.

a Margin by way of cash deposit/Collateral is required to be maintained by clients, in case Mark to Market (MTM) loss exceed the approved limit (set by the Bank)

(ख) 31 मार्च 2012 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों का ऋण जोखिम का संकेद्रण (बैंक के लिए वर्तमान ऋण सहायता) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण सहायता का 74.44%(74.40%) है.

b Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31 2012 is at 74.44% (74.40%) of the total current exposure from Corporate Clients to the bank.

(ग) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप की अवधि 10 वर्ष तक है.

c Terms of the forward rate agreement/ interest rate swap are upto 10 years.

2 एक्सचेंज में लेन-देन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव

Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में लेन-देन किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव (फ्यूचर्स) की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives (future) undertaken during the year	शून्य Nil
(ii)	31 मार्च 2012 को एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2012	शून्य Nil
(iii)	एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव लेकिन जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	शून्य Nil
(iv)	एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, का मार्क-टु-मार्केट मूल्य Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	शून्य Nil

3 डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - गुणात्मक प्रकटन

Disclosures on risk exposure in derivatives- Qualitative disclosures

(i) बैंक हेजिंग तथा साथ ही ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरेवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं.

The Bank uses derivatives for hedging as well as for trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc.

(ii) बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंध के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंध संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंध समूह है जिसके प्रमुख मुख्य महा प्रबंधक हैं. जोखिम प्रबंध समूह, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत जोखिम का प्रबंध किया जाता है. इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है.

The Bank has a well defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organisation, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by a Chief General Manager. The Risk Management Group is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of Asset Liability Management Committee with regular reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.

(iii) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरेवेटिव लेन-देनों में ऋण जोखिम का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरेवेटिव लेन-देन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम, अनुमोदित सीमा के भीतर हो तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ हो. बाजार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, अंतराल, ग्रीक्स, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है.

Risk exposures in derivative transactions are measured/ assessed in both quantitative and qualitative terms to capture credit risk, market risk, operational and legal risk. Prior to the execution of derivative transactions, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, gaps, greeks, stop loss etc. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

(iv) डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ''बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां'' में दिये गए हैं.

The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No 17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

4 डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - मात्रात्मक प्रकटन
Disclosures on risk exposure in derivatives- Quantitative disclosures

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

		चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional principal amount)				
	(क) हेजिंग के लिए (a) For hedging	520.52	3200.44	-	1964.37
	(ख) ट्रेडिंग के लिए (b) For trading	6609.57	17370.19	3831.06	18709.52
(ii)	मार्क-टु-मार्केट स्थितियां (1) Marked to Market Positions (1)				
	(क) परिसंपत्तियां (+) (a) Assets (+)	344.21	305.00	57.96	391.33
	(ख) देयताएं (-) (b) Liability (-)	(298.48)	(236.80)	(65.84)	(209.42)
(iii)	ऋण जोखिम (2) Credit exposure (2)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	-	132.50	-	240.58
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	741.24	600.56	569.59	241.42
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी01) Likely impact of one percent change in interest rate (100*PV01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	15.34	77.57	-	30.48
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	0.06	3.39	0.13	0.81

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

		चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and minimum of 100* PV01 observed during the year				
	हेजिंग पर **On hedging**				
	- अधिकतम - Maximum	-(*)	77.57	-	30.48
	- न्यूनतम - Minimum	-(*)	7.69	-	21.77
	ट्रेडिंग पर **On trading**				
	- अधिकतम - Maximum	1.36	7.00	1.02	28.34
	- न्यूनतम - Minimum	0.002	0.02	0.00083	0.04

(*) चूँकि परिसंपत्ति-देयता पोर्टफोलियो में ब्याज दर और करेंसी जोखिम को हेज करने के लिए लेन-देन किए जाते हैं, इसलिए बैंक दैनिक आधार पर 100*पीवी 01 के अधिकतम व न्यूनतम की गणना नहीं कर रहा है.

(*) Since the transaction are undertaken to hedge the interest rate and currency risks in the asset- liability portfolio, the Bank is not calculating the maximum and minimum of 100* PV01 on daily basis.

VI परिसंपत्ति गुणवत्ता
Asset Quality

1. गैर-निष्पादक परिसंपत्ति (ऋण और अग्रिम तथा उन पर उपचित ब्याज)
Non-Performing Asset (Loans & Advances, interest accrued thereon)

(₹ करोड़) (₹ in Crores))

	मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	**निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)** **Net NPAs to Net Advances (%)**	1.61	1.06
(ii)	**एनपीए में उतार - चढ़ाव (सकल)** **Movement of NPAs (Gross)**		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	2784.73	2129.38
	(ख) विलय के निमित्त परिवर्धन (b) Addition on account of merger	-	29.72
	(ग) वर्ष के दौरान परिवर्धन (c) Addition during the year	2560.24	1957.60
	(घ) वर्ष के दौरान कमी (d) Reduction during the year	793.60	1331.97
	(ङ) अंतिम शेष (e) Closing balance	4551.37	2784.73
(iii)	**निवल एनपीए में उतार - चढ़ाव / Movement of Net NPAs**		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	1677.91	1406.32
	(ख) विलय के निमित्त परिवर्धन (b) Addition on account of merger	-	13.05
	(ग) वर्ष के दौरान परिवर्धन (c) Addition during the year	1485.09	547.37
	(घ) वर्ष के दौरान कमी (d) Reduction during the year	252.07	288.83
	(ङ) अंतिम शेष (e) Closing balance	2910.93	1677.91
(iv)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार - चढ़ाव** **Movement of provisions for NPAs**		
	(मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) (excluding provisions on standard assets)		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	1106.82	723.06

(₹ करोड़) (₹ in Crores))

	मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
	(ख) विलय के निमित्त परिवर्धन (b) Addition on account of merger	-	16.67
	(ग) घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित (c) Less: Transferred to Countercyclical Provisioning Buffer	111.93	-
	(घ) वर्ष के दौरान किये गये परिवर्धन (d) Addition during the year	1187.08	1410.38
	(ङ) बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान (e) Write-off/write back of excess provision	541.54	1043.29
	अंतिम शेष / Closing balance	1640.44	1106.82
(v)	**रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार परिगणित कवरेज अनुपात का प्रावधान** **Provisioning Coverage Ratio computed in accordance with the RBI guidelines***	**68.28**	**74.66**

* प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर सहित

* Including Countercyclical Provisioning Buffer.

2. यथा 31 मार्च 2012 को पुनर्संरचनाधीन ऋण परिसंपत्तियों का ब्योरा

Details of Loan Assets subjected to Restructuring as on March 31 2012

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

		सीडीआर व्यवस्था CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्संरचना SME DEBT Restructuring	अन्य Others
पुनर्संरचित मानक अग्रिम Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	35	0	168
	बकाया राशि Amount Outstanding	3199.99	0	4940.53
	त्याग (उचित मूल्य में कमी) Sacrifice (diminution in the fair value)	225.96	0	228.29
पुनर्संरचित अवमानक अग्रिम Sub Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	5	0	35
	बकाया राशि Amount Outstanding	68.26	0	975.35
	त्याग (उचित मूल्य में कमी) Sacrifice (diminution in the fair value)	15.38	0	74.77

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

		सीडीआर व्यवस्था CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्संरचना SME DEBT Restructuring	अन्य Others
पुनर्संरचित संदिग्ध अग्रिम Doubtful advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	9	0	32
	बकाया राशि Amount Outstanding	343.40	0	509.80
	त्याग (उचित मूल्य में कमी) Sacrifice (diminution in the fair value)	30.34	0	1.95
कुल TOTAL	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	49	0	235
	बकाया राशि Amount Outstanding	3611.65	0	6425.68
	त्याग (उचित मूल्य में कमी) Sacrifice (diminution in the fair value)	271.68	0	305.01
जिनमें से : वे खाते जो पुनर्संरचना के बाद अनर्जक हो गए हैं. Out of which: Account that have turned Non-performing subsequent to restructuring	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	12	0	51
	बकाया राशि Amount Outstanding	376.90	0	1438.01
	त्याग (उचित मूल्य में कमी) Sacrifice (diminution in the fair value)	36.95	0	75.24

3. परिसंपत्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का ब्यौरा

Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
(i)	खातों की संख्या No. of Accounts	1	2
(ii)	एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	1.93	2.51
(iii)	कुल प्रतिफल Aggregate Consideration	2.80	2.86
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ /(हानि) Aggregate gain(loss) over net book value	0.87	0.35

4. खरीदी गई गैर-निष्पादक वित्तीय परिसंपत्तियों का ब्यौरा:
Details of non-performing financial assets purchased

क्रम सं. Sr. No.		मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
(i)	(ख) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं. No. of accounts purchased during the year	0	0
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	0	0
(ii)	(ख) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	0	0
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	0	0

5. बेची गई गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का ब्यौरा
Details of non-performing financial assets sold

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
(i)	बेचे गए खातों की संख्या / No. of accounts sold	0	3
(ii)	कुल बकाया राशि / Aggregate outstanding	0	17.60
(iii)	प्राप्त कुल प्रतिफल / Aggregate consideration received	0	18.64

6. मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान
Provision on Standard Asset

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
(i) मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Provisions towards Standard Assets	231.87	104.19
(ii) संचयी शेष (तुलन पत्र की अनुसूची 5 'अन्य देयताएं व प्रावधान' के अंतर्गत शामिल) Cumulative Balance (included under 'Other Liabilities & Provisions' in Schedule 5 to the Balance sheet)	892.24	660.36

VII कारोबार अनुपात
Business Ratios

क्रम सं. Sr. No.	मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय $ Interest income as a percentage to working funds$	9.47%	8.25%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	0.86%	0.95%
3	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ $ Operating profit as a percentage to working funds$	1.64%	1.85%
4	परिसंपत्तियों पर प्रतिफल @ / Return on assets@	0.82%	0.73%
5	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशियां तथा अग्रिम)# (₹ हजार) Business (Deposits plus advances) per employee# [₹ in 000's]	238711	234641
6	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार) Profit per employee [₹ in 000's]	1316	1193

$ कार्यशील निधियों का आकलन वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की गई कुल परिसंपत्तियों के औसत (संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है.

Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year.

@ परिसंपत्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् कुल परिसंपत्तियाँ, इनमें संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के संदर्भ में है.

Return on Assets is with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).

प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियाँ एवं अग्रिम) की गणना के प्रयोजन से अंतर बैंक जमाराशियाँ छोड़ दी जाती हैं.

For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances) inter bank deposits are excluded.

VIII संवेदनशील क्षेत्र को ऋण
Lending to Sensitive Sector

1 संपदा क्षेत्र को ऋण सहायता
Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

श्रेणी Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
1. प्रत्यक्ष सहायता **Direct exposure**		
(क) **आवासीय बंधक -** (a) **Residential Mortgages –**		
आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	26089.91	21103.96
उपर्युक्त व्यक्तियों में से ₹ 20 लाख तक के ऋण Of above individual having loans upto ₹ 20 lakh	11683.80	8497.80
(ख) वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र - **(b) Commercial Real Estate** –		
वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lendings secured by mortgages on commercial real estates	5329.18	5009.20
उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	-	-
(ग) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण सहायता - **(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –**		
क. आवासीय a. Residential	0.00	14.99
ख. वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
(ii) अप्रत्यक्ष ऋण सहायता **Indirect Exposure**		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि - आधारित और गैर - निधि आधारित ऋण सहायता **Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)**	5250.90	4995.37
कोई अन्य अप्रत्यक्ष सहायता / Any other - Indirect Exposure	114.48	167.77
कुल / Total	**36784.47**	**31291.29**

2 पूंजी बाजार में निवेश / Exposure to Capital Market

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	श्रेणी Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
(i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे ईक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1757.48	1699.42
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या बेजमानती आधार पर अग्रिम; Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	500.99	581.70
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है. Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	516.06	528.49
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों / परिवर्तनीय बांडों /परिवर्तनीय डिबेंचरों / ईक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है. Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	487.70	837.26
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	345.00	571.00
(vi)	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या बेजमानती आधार पर संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए कॉरपोरेट को मंजूर ऋण Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter`s contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	0.00	0.00

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	श्रेणी Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
(vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	0.00	0.00
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में निवेश Exposures to venture capital funds (registered and unregistered)	270.33	305.48
	पूंजी बाजार में कुल निवेश / Total Exposure to Capital Market	**3877.56**	**4523.35**

3. जोखिम श्रेणी-वार देश को ऋण सहायता
Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2012 को ऋण (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2012	31 मार्च 2012 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2012	31 मार्च 2011 को ऋण सहायता (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2011	31 मार्च 2011 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2011
नगण्य Insignificant	2386.74	0.00	797.55	0.00
निम्न / Low	1211.36	0.00	831.48	0.00
मध्यम Moderate	-	0.00	12.64	0.00
उच्च / High	15.01	0.00	0.72	0.00
बहुत उच्च Very High	-	0.00	-	0.00
नियंत्रित Restricted	-	0.00	-	0.00
ऋणेतर Off-credit	-	0.00	-	0.00
कुल/ Total	**3613.11**	**0.00**	**1642.39**	**0.00**

IX विवेकपूर्ण ऋण सहायता सीमाएं
Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ताओं तथा समूह उधारकर्ताओं को दी गयी बैंक की ऋण सहायता रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सहायता सीमाओं के भीतर थी, सिवाय एक मामले के जहां निदेशक मंडल के अनुमोदन से 15% की एकल उधारकर्ता सीमा से अधिक सहायता दी गयी थी. इस मामले के संबंध में 31 मार्च 2012 को मंजूर सीमाएं तथा पूंजी निधियों के % के रूप में बकाया राशियां (गैर-निधिक ऋण सहायता सहित) निम्नलिखित थीं :

During the year ended March 31, 2012, the Bank's exposure to single borrowers and group borrowers were within the prudential exposure limits prescribed by RBI, except in one case where single borrower limit of 15% was exceeded with the approval of the Board of Directors. In respect of this case, the sanctioned limits and outstanding as % of capital funds (including non-funded exposure) were as follows, as on March 31, 2012:

एकल / समूह उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower/ group	पूंजी निधि के % के रूप में 31 मार्च 2012 को मंजूर सीमाएं Sanctioned limits as on March 31, 2012, as % of Capital Fund	पूंजी निधि के % के रूप में 31 मार्च 2012 को बकाया राशि Outstanding as on March 31, 2012, as % of Capital Fund
(i) एकल उधारकर्ता का नाम **Name of the single borrower**		
वीडियोकोन इंडस्ट्रीज़ लि. Videocon Industries Limited	13.67	12.35
(ii) **समूह का नाम** **Name of the group**		
शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

X लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गये 'प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं' का विवरण
Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account:

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on Investment	(53.68)	377.02
गैर-निष्पादक परिसंपत्ति के लिए प्रावधान Provision towards NPA	645.55	371.58
मानक परिसंपत्ति के लिए प्रावधान Provision towards Standard Asset	231.87	104.19
पुनर्संरचित परिसंपत्तियों (एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान Provision for Restructured Assets (including FITL)	263.65	122.60
करों के लिए प्रावधान Provision made towards Taxes	1104.93	734.94

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) Deferred Tax Assets (Net)	(506.84)	(104.27)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण Bad debts written off	319.43	883.57
बट्टे खाते डाले गए निवेश Investments written off	19.74	0.00
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Other Provision and Contingencies	(0.09)	17.90
कुल / Total	**2024.56**	**2507.53**

XI अप्रतिभूत अग्रिम:

Unsecured Advances:

जिन अग्रिमों के लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर आधार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं, उनकी कुल राशियां ₹ 2,56 करोड़ हैं तथा 31 मार्च 2012 को अमूर्त प्रतिभूतियों का समरूप आधार पर अनुमानित मूल्य ₹ 18,34 करोड़ था.

Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken is ₹ 2,56 crore and the estimated value of intangible security as on March 31, 2012 is ₹ 18,34 crore on Pari – passu basis.

XII अस्थायी प्रावधान

Floating Provisions:

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
1	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष Opening balance in the floating provisions account	शून्य NIL	शून्य NIL
2	वर्ष के दौरान किये गए अस्थायी प्रावधानों की राशि The quantum of floating provisions made during the year	शून्य NIL	शून्य NIL
3	वर्ष के दौरान आहरण में कमी की राशि Amount of draw down during the year	शून्य NIL	शून्य NIL
4	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष Closing balance in the floating provisions account	शून्य NIL	शून्य NIL

XIII शिकायतों/ अधिनिर्णयों का प्रकटन

Disclosure of Complaints/Awards

1. ग्राहक शिकायतें (बांडों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं)

Customer Complaints (Includes complaints related to Bonds)

(i)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या No. of Complaints pending at the beginning of the year	1940
(ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of Complaints received during the year	69846
(iii)	वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या No. of Complaints redressed during the year	70605
(iv)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of Complaints pending at the end of the year	1181

2. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

Awards passed by the Banking Ombudsman

(i)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of unimplemented awards at the beginning of the year	शून्य Nil
(ii)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	2
(iii)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या No. of Awards implemented during the year	2
(iv)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of unimplemented Awards at the end of the year	शून्य Nil

XIV प्रतिभूतिकरण

SECURITISATION

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने कुछ खुदरा ऋणों के किसी समूह को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है.
बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों का विवरण नीचे दिया गया है:

During the year ended March 31, 2012, the Bank has not securitized any pools of retail loans.

The detail of securitisation activity of the Bank is given below :

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण **Particulars**	**चालू वर्ष** **Current Year**	**पिछला वर्ष** **Previous year**
प्रतिभूतिकृत की गई ऋण परिसंपत्तियों / प्रतिभूतिकृत किये गये खुदरा ऋणों के समूहों की कुल संख्या Total number of loan assets securitized/Pools of retail loans securitized	शून्य Nil	शून्य Nil
प्रतिभूतिकृत ऋण परिसंपत्तियों का कुल बही मूल्य / Total book value of loan assets securitized	शून्य Nil	शून्य Nil
प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल Sale consideration received for the securitized assets	शून्य Nil	शून्य Nil

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
प्रतिभूतिकरण के कारण निवल लाभ / (हानि) / Net gain / (loss) on account of securitization	शून्य / Nil	शून्य / Nil
निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त सेवाओं का विवरण : / Details of services provided by way of :		
बकाया ऋण वृद्धि (द्वितीय हानि ऋण सुविधा) Outstanding credit enhancement (second loss credit facility)	36.27	36.27
बकाया चलनिधि सुविधा** / Outstanding liquidity facility **	65.39	65.39
बकाया शोधन देयता / Outstanding servicing Liability	शून्य / Nil	शून्य / Nil

** प्रत्यक्ष समनुदेशन के मामलों के लिए ₹ 34.14 करोड़ सहित, जिनमें से ₹ 9.07 करोड़ गारंटी के रूप में हैं.
Includes ₹ 34.14 crore for direct assignment cases, of which ₹ 9.07 crore is in the form of a guarantee.

XV बैंक ने वर्ष के दौरान कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है (पिछले वर्ष शून्य).
The bank has not issued any letter of comfort during the year (Previous year NIL).

XVI बैंकाश्योरेंस कारोबार के संदर्भ में प्राप्त शुल्क और पारिश्रमिक
Fees and Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कं. लि. IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.	31.08	33.12
बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	3.36	4.74
	34.44	**37.86**

XVII वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक पर कोई दंड नहीं लगाया.
During the year the Reserve Bank of India has not imposed any penalty on the Bank.

XVIII परिसंपत्ति देयता प्रबंध
Asset Liability Management

परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप (यथा 31 मार्च 2011)
Maturity Pattern of certain items of assets & liabilities (as on March 31, 2012)

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से अधिक व 3 माह तक 29 days to 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months and upto 6 months	6 माह से अधिक व 1वर्ष तक Over 6 months and upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3वर्ष तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years and upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	कुल Total
जमाराशि 1 Deposits1	3,113.74	5,361.68	10,183.74	9,622.96	28,930.14	21,469.83	46,054.38	64,190.77	7,867.99	13,697.33	210,492.56
अग्रिम 1 Advances1	1,300.87	2,776.01	2,817.83	4,643.84	9,328.68	10,289.25	14,253.47	76,896.57	23,013.69	35,838.22	181,158.43
निवेश Investments	0.52	19,987.06	250.69	24.84	3,163.95	608.79	1,652.02	6,639.37	9,579.62	41,268.50	83,175.36
उधार 1 Borrowings 1	1.67	405.98	453.24	1,811.79	2,631.78	3,862.84	7,217.06	11,893.76	10,072.89	15,126.63	53,477.64
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 2 Foreign Currency Assets 2	153.09	4,173.46	568.25	383.52	10,605.03	5,635.07	5,916.82	3,055.28	2,095.46	857.78	33,443.76
विदेशी मुद्रा देयताएं 3 Foreign Currency Liabilities 3	13.99	3,359.71	921.59	1,027.42	9,451.15	5,860.47	6,406.11	4,640.27	1,892.48	451.77	34,024.96

1. *विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.*
   includes foreign currency balances.

2. *₹ 23,068.88 करोड़ की समतुल्य विदेशी मुद्रा - रुपया क्रय-विक्रय परिसंपत्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.*
   includes foreign currency – Rupee buy-sell assets equivalent to ₹ 23,068.88 crore and foreign currency advances.

3. *₹ 21,354.38 करोड़ की समतुल्य विदेशी मुद्रा - रुपया स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार राशियां शामिल हैं.*
   includes foreign currency – Rupee sell – buy swap liabilities equivalent to ₹ 21,354.38 crore and foreign currency deposits and borrowings

XIX जमाराशियों, अग्रिमों, ऋण सहायता तथा गैर -निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण
Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs

1 जमाराशियों का संकेंद्रण
Concentration of Deposits

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	38692.24
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	18.38%

2 अग्रिमों का संकेंद्रण
Concentration of Advances

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	52678.16
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	14.63%

3 ऋण सहायता का संकेंद्रण
Concentration of Exposures

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल ऋण सहायता Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	53444.54
उधारकर्ताओं / ग्राहकों को बैंक की कुल ऋण सहायता में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को ऋण सहायता का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	14.20%

4 एनपीए का संकेंद्रण
Concentration of NPAs

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

चार शीर्ष एनपीए खातों को कुल ऋण सहायता Total Exposure to top four NPA accounts	1155.48

XX क्षेत्रवार एनपीए
Sector-wise NPAs

क्रम सं. Sr. No.	क्षेत्र Sector	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture & allied activities	3.56
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम तथा बृहद) Industry (Micro & small, Medium and Large)	2.56
3	सेवाएं Services	1.72
4	वैयक्तिक ऋण Personal Loans	1.24

XXI एनपीए में घट-बढ़
Movement of NPAs

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण / Particulars	
1 अप्रैल 2011 को सकल एनपीए(आरंभिक शेष) Gross NPAs as on 1st April, 2011 (Opening Balance)	2784.73
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए) Additions (Fresh NPAs) during the year	2560.24
योग (अ) Total (A)	**5344.97**
घटाएं :- Less :-	
(i) उन्नयन / Upgradations	419.47
(ii) वसूलियां (उन्नत किये गये खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	54.70
(iii) बट्टे खाते डाली गई राशि / Write-offs	319.43
योग (आ) / Total (B)	**793.60**
यथा 31 मार्च 2012 को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (अ - आ) **Gross NPAs as on 31st March 2012 (Closing Balance) (A-B)**	**4551.37**

XXII समुद्रपारीय परिसंपत्तियां, एनपीए और राजस्व
Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण / Particulars	
कुल परिसंपत्तियां / Total Assets	10 125..75
कुल एनपीए / Total NPAs	-
कुल राजस्व / Total Revenue	258.76

XXIII प्रायोजित एसपीवी जो तुलन-पत्र में शामिल नहीं हैं (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)
Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per Accounting norms

प्रायोजित एसपीवी के नाम / Name of the SPV sponsored	
देशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य / NIL	शून्य / NIL

XXIV (क) विगत अवधि के आंकड़ों में बैंक के पूर्णतः स्वामित्ववाली दो पूर्ववर्ती सहायक संस्थाओं आईडीबीआई होम फाइनेंस लि. और आईडीबीआई गिल्ट्स लि. के बैंक में विलय के फलस्वरूप उनके 01.01.2011 से 31.03.2011 तक के आंकड़े शामिल हैं. तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित तथा पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सके.

(a) The figures of the previous period include the working results of the two erstwhile wholly owned subsidiary of the bank namely IDBI Home Finance Ltd. and IDBI Gilts Ltd. for the period from 01.01.2011 to 31.03.2011 consequent on merging with the bank. Accordingly, the figures of the previous year are not strictly comparable. Figures for the previous year have been regrouped and rearranged wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

(ख) कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं.

(b) Figres in brackets pertain to the previous year.

लेखों की अनुसूची '1' से '18' के लिए हस्ताक्षर

Signatures to schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेशनुसार

BY ORDER OF THE BOARD

(सुभाष तुली)	(पी. एस. शेनॉय)	(बी.के. बत्रा)	(आर. एम. मल्ला)
(Subhash Tuli)	(P.S. Shenoy)	(B.K. Batra)	(R.M Malla)
निदेशक	निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Director	Director	Dy.Managing Director	Chairman & Managing Director

(पी. सीताराम)

(P.Sitaram)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

Chief Financial Officer

स्थानः मुंबई
Place: Mumbai
दिनांकः 21 अप्रैल 2012
Date : April 21, 2012

(₹ हजार) (₹ in '000s)

	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
क परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A. Cash flow from Operating Activities		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ		
Net profit before tax and extra-ordinary items	2629 69 92	2280 98 00
(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन		
Adjustments for non cash items:		
– अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से (लाभ) / हानि (निवल)		
(Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	1 53 64	2 68 86
– मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व घटाकर)		
Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	116 06 16	127 03 79
– ऋणों, निवेशों आदि के लिए प्रावधान / बट्टे खाते डालना		
Provisions/Write off of Loans and Investments etc.	1501 68 83	1876 86 98
– निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर ऋण		
Loans on revaluation of Investments	32 63 87	19 91 58
	4281 62 42	4307 49 21
(3) परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन		
Adjustments for (increase)/decrease in operating assets:		
– निवेश		
Investments	(14980 09 82)	4704 04 81
– अग्रिम		
Advances	(25520 87 19)	(18522 66 86)
– अन्य परिसंपत्तियां		
Other Assets	(757 79 29)	393 52 84
– करों का रिफंड / भुगतान		
Refund/(payment) of taxes	(1042 78 94)	(727 88 80)
(4) परिचालन देयताओं में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन		
Adjustments for increase/(decrease) in operating liabilities:		
– उधार राशियां		
Borrowings	4038 48 87	1993 05 65
– जमाराशियां		
Deposits	30006 77 21	12841 26 71
– अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
Other liabilities and provisions	865 06 68	(1472 95 48)
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी		
Net Cash used in/generated from Operating activities	(3109 60 06)	3515 88 08
ख निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B. Cash Flow from Investing activities		
– आईएचएफएल एवं आईजीएल के साथ विलय पर प्राप्त नकदी		
Cash received on Merger with IHFL & IGL	-	5 27 01
– अचल परिसंपत्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर)		
Purchase (net of sale) of fixed assets	(159 17 03)	(208 49 40)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी		
Net cash used in / raised from Investing activities	(159 17 03)	(203 22 39)

(₹ हजार) (₹ in '000s)

	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
ग C. Cash Flow from Financing activities		
– ईक्विटी शेयरों का निर्गम Issue of Equity Shares	1189 11 13	3121 12 80
– प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर Dividend and dividend tax paid	(628 76 18)	(250 54 71)
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	560 34 95	2870 58 09
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	(2708 42 14)	6183 23 78
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	20766 07 32	14582 83 54
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	18057 65 18	20766 07 32

नकदी प्रवाह के लिए टिप्पणी:
Note to Cash Flow Statement:

नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन-पत्र मदें शामिल हैं:
Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:

नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	15090 21 13	19559 04 67
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks & money at call and short notice	2967 44 05	1207 02 65
कुल/ Total	18057 65 18	20766 07 32

टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.
Figures for the previous year have been regrouped, wherever considered necessary.

बोर्ड के आदेशानुसार
BY ORDER OF THE BOARD

(सुभाष तुली) (Subhash Tuli) निदेशक Director	(पी. एस. शेनॉय) (P.S. Shenoy) निदेशक Director	(बी. के. बत्रा) (B.K.Batra) उप प्रबंध निदेशक Dy.Managing Director	(आर. एम. मल्ला) (R.M. Malla) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report attached of even date

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कं. For S. P. Chopra & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते चोकशी एंड चोकशी For Chokshi & Chokshi सनदी लेखाकार Chartered Accountants		
(पवन के. गुप्ता) (Pawan K. Gupta) साझेदार Partner सदस्यता सं. / Membership No. 92529 फर्म रजि. सं. Firm Regn.No. 000346N	(निलेश आर. जोशी) (Nilesh R Joshi) साझेदार Partner सदस्यता सं. / Membership No. 114749 फर्म रजि. सं. Firm Regn. No.101872W		(पी. सीताराम) (P. Sitaram) मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer

मुंबई, 21 अप्रैल 2012
Mumbai, April 21, 2012

समेकित लेखे
CONSOLIDATED ACCOUNTS

प्रति

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का
निदेशक मंडल

आईडीबीआई बैंक लि., इसकी सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में प्रस्तुत जानकारी

1. हमने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (बैंक) और इसकी सहायक संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यम (जिन्हें सामूहिक रूप से 'समूह' के नाम से जाना जाता है) के 31 मार्च 2012 के संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके साथ संलग्न समेकित लाभ-हानि लेखे तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है और इन्हें प्रबंधन द्वारा अलग-अलग वित्तीय विवरणों तथा घटकों से संबंधित अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है. हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है. यह लेखा-परीक्षा इस प्रकार नियोजित व संचालित की गई कि विभिन्न प्रोसेसिंग केंद्रों / क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं में उपलब्ध रेकॉर्डों तथा बैंक के 75% अग्रिमों व 58% जमाराशियों को शामिल करते हुए केंद्रीय कार्यालय स्तर पर केंद्रीय बैंकिंग अनुप्रयोगों के माध्यम से जनरेट हुई रिपोर्टों को शामिल किया जा सके तथा इसके अंतर्गत बैंक के 61 केंद्रों / कार्यालयों / शाखाओं का निरीक्षण किया गया.

2. हमने यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया मान्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है. इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण मामलों में अभिनिर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किये गये हैं और इनमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है. लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखाकंन सिद्धान्तों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के अलावा समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है.

TO

THE BOARD OF DIRECTORS OF
IDBI BANK LIMITED

ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF IDBI BANK LTD, ITS SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURE

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of **IDBI Bank Limited** (the Bank) and its Subsidiaries and Joint Venture (Collectively known as 'the group') as at March 31, 2012, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The audit was so planned and conducted as to cover records available at various processing centers/ regional offices/ branches and reports generated through centralized banking applications at central office level covering 75% of Advances and 58% of Deposits of the Bank and visit at 61 centers/offices/ branches of the Bank.

2. We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are prepared, in all material respects in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. हमने बैंक की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है जो यथा 31 मार्च 2012 को ₹ 4916277 हजार की कुल परिसंपत्तियां, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए ₹ 3298045 हजार के कुल राजस्व और ₹ 100325 हजार के नकदी प्रवाह दर्शाते हैं, जैसे समेकित वित्तीय विवरणों में इन्हें हिसाब में लिया गया है. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और उनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गई हैं और हमारी राय में सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल की गई राशियों का जहाँ तक संबंध है ये पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं.

4. हमने बैंक की दुबई शाखा के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जो यथा 31 मार्च 2012 को ₹ 101257063 हजार की कुल परिसंपत्तियां, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2587559 हजार के कुल राजस्व और ₹ 1324659 हजार के नकदी प्रवाह दर्शाते हैं,. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा उक्त शाखा के निगमन के देश में लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् योग्यता प्राप्त अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमने बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए उनका आधार लिया है.

5. अपनी राय को विशेषित किए बिना हम अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 10 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जो बैंक के एक संयुक्त उपक्रम के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के संबंध में है, जो यथा 31 मार्च 2012 को ₹ 4959630 हजार की कुल परिसंपत्तियां, बैंक की ₹ 335336 हजार के हानि अंश और उक्त अवधि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 38537 हजार का नकदी प्रवाह दर्शाता है.

6. हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 (समेकित वित्तीय विवरण) तथा लेखांकन मानक 27 (संयुक्त उद्यमों में हितों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग) की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किये गये हैं.

7. हमारी लेखा परीक्षा और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और पैरा (3), (4) एवं (5) में किए

3. We did not audit the financial statements and other financial information of Subsidiaries of the Bank which reflect total assets of ₹ 4916277 thousands as at March 31, 2012, total revenues of ₹ 3298045 thousands and cash flow of ₹ 100325 thousands for the year then ended as considered in the consolidated financial statements. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the Subsidiaries are based solely on the report of the other auditors.

4. We did not audit the financial statements, of the Dubai branch of the Bank, whose financial statements reflect total assets of ₹ 101257063 thousands as at March 31, 2012 and total revenues of ₹ 2587559 thousands and cash flow of ₹ 1324659 thousands for the year then ended. These financial statements have been audited by another auditor, duly qualified to act as auditor in the country of incorporation of the said branch, whose report has been furnished to us and which was relied upon by us for our opinion on the financial statements of the Bank.

5. Without qualifying our opinion we draw attention to note no.10 of schedule 18 regarding incorporation of unaudited financial statements of a joint venture of the Bank which reflect Bank's share in assets of ₹ 4959630 thousand as at March 31, 2012, the Bank's share of loss of ₹ 335336 thousands and of cash flow of ₹ 38537 thousands for the year then ended.

6. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard- 21 (Consolidated Financial Statements) and Accounting Standard - 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

7. Based on our audit and on consideration of reports of other auditors on separate financial statements and the

गए संदर्भ अनुसार सहायक संस्थाओं और शाखा लेखा परीक्षकों के वित्तीय विवरणों तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी यह राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हैं :

(क) समेकित तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च 2012 को समूह के कामकाज की समेकित स्थिति;

(ख) समेकित लाभ-हानि लेखे के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह का समेकित लाभ; और

(ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के समूह का नकदी प्रवाह.

other financial information of the Subsidiaries/ Joint Venture and branch auditors referred to in para (3), (4) and (5) above, and to the best of our information and according to the explanations given to us, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with generally accepted accounting principles in India:

a) In the case of the Consolidated Balance Sheet, of the Consolidated state of affairs of the group as at March 31, 2012;

b) In the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the consolidated profit of the group for the year ended on that date; and

c) In the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the group for the year ended on that date.

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्याः 000346N

पवन के. गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्याः 92529

कृते चोकशी एंड चोकशी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्याः 101872W

निलेश आर. जोशी
साझेदार
सदस्यता संख्याः 114749

स्थानः मुंबई
दिनांकः 21 अप्रैल 2012

For **S.P.Chopra & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000346N

Pawan K. Gupta
Partner
Membership No. 92529

For **Chokshi & Chokshi**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 101872W

Nilesh R. Joshi
Partner
Membership No. 114749

Place: Mumbai
Date: April 21, 2012

31 मार्च 2012 को समेकित तुलन पत्र
Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2012

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	1278 38 17	984 56 81
रिज़र्व और अधिशेष/ Reserves and Surplus	2	18111 96 15	13584 40 93
कर्मचारी स्टॉक विकल्प (मंजूरियां) बकाया Employees' Stock Options (Grants) Outstanding		85 36	98 58
अल्पसंख्यक ब्याज / Minority Interest		29 84 39	0
जमाराशियां / Deposits	3	210244 16 90	180444 31 82
उधार राशियां / Borrowings	4	53477 64 13	51569 65 25
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	7553 83 06	6973 66 92
कुल / TOTAL		290696 68 16	253557 60 31
परिसम्पत्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	15094 32 12	19563 75 69
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	2957 71 39	1353 22 02
निवेश / Investments	8	82829 27 63	68033 90 20
अग्रिम / Advances	9	181158 43 32	157098 06 64
अचल परिसम्पत्तियां / Fixed Assets	10	3042 83 43	3059 84 90
अन्य परिसम्पत्तियां / Other Assets	11	5614 10 27	4448 80 86
कुल / TOTAL		290696 68 16	253557 60 31
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	148934 34 61	134242 69 36
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		5277 33 47	4032 76 81
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो लेखों के अभिन्न भाग के रूप में हैं। Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form an integral part of the accounts	17 & 18		

बोर्ड के आदेशानुसार
BY ORDER OF THE BOARD

सुभाष तुली (Subhash Tuli) निदेशक Director	पी. एस. शेनॉय (P.S. Shenoy) निदेशक Director	बी. के. बत्रा (B.K.Batra) उप प्रबंध निदेशक Dy.Managing Director	(आर. एम. मल्ला) (R.M. Malla) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report attached of even date

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कं. For S. P. Chopra & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (पवन के. गुप्ता) (Pawan K. Gupta) साझेदार Partner सदस्यता सं. 92529 Membership No.92529 फर्म रजि. सं. Firm Regn.No. 000346N	कृते चोकशी एंड चोकशी For Chokshi & Chokshi सनदी लेखाकार Chartered Accountants (निलेश आर. जोशी) (Nilesh R Joshi) साझेदार Partner सदस्यता सं. 114749 Membership No.114749 फर्म रजि. सं. Firm Regn. No.101872W	(पी. सीताराम) (P. Sitaram) मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer

मुंबई, 21 अप्रैल 2012
Mumbai, April 21, 2012

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	23389 05 96	18616 52 13
	अन्य आय / Other income	14	2203 09 37	2221 66 83
	कुल / TOTAL		25592 15 33	20838 18 96
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	ब्याज खर्च / Interest expended	15	18818 06 72	14270 23 21
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	2711 18 44	2491 87 18
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		2049 78 47	2512 57 59
	कुल / TOTAL		23579 03 63	19274 67 98
III	**लाभ (हानि) / PROFIT / (LOSS)**			
	वर्ष का निवल लाभ (हानि) / Net profit / (loss) for the year		2013 11 70	1563 50 98
	घटाएं: अल्पसंख्यक ब्याज / Less: Minority Interest		(10 61 88)	0
	समूह लाभ / Group Profit		2002 49 82	1563 50 98
	आगे ले जाया गया लाभ / (हानि) / Profit / (loss) brought forward		306 35 99	243 76 31
	कुल / TOTAL		2308 85 81	1807 27 29
IV	**विनियोग / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		507 90 28	413 00 00
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		17 04 72	1 55 00
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		753 48 00	601 50 00
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत विशेष रिज़र्व में अंतरण Transfer to Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		250 00 00	100 00 00
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed dividend		191 75 72	344 59 88
	वर्ष के दौरान अर्जित सहायक संस्था के अल्पसंख्यक शेयरधारकों को प्रस्तावित लाभांश Proposed dividend to Minority Shareholders of Subsidiary acquired during the year		1 36 64	0
	प्रस्तावित लाभांश पर कर / Tax on proposed dividend		28 98 37	55 90 76

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
प्रदत्त अंतरिम लाभांश / Interim dividend paid		198 29 05	0
अंतरिम लाभांश पर कर / Tax on Interim dividend		34 51 34	0
इसॉप पर लाभांश / Dividend on ESOPs		1 89	0
तुलन पत्र में ले जाई गई शेष राशि / Balance carried over to balance sheet		**325 49 80**	**290 71 65**
कुल / TOTAL		2308 85 81	1807 27 29
प्रति शेयर आय (₹)(अनुसूची 18 टिप्पणी 6 देखें) Earnings per share (₹) (Refer Schedule 18 Note 6)			
- मूल / Basic		20.29	17.40
- न्यूनीकृत /Diluted		20.29	17.40
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो लेखों के अभिन्न भाग के रूप में हैं. Significant Accounting Policies and Notes forming an integral part of the Profit and Loss Account	17 & 18		

बोर्ड के आदेशानुसार
BY ORDER OF THE BOARD

(सुभाष तुली) (Subhash Tuli) निदेशक Director	(पी. एस. शेनॉय) (P.S. Shenoy) निदेशक Director	(बी. के. बत्रा) (B.K.Batra) उप प्रबंध निदेशक Dy.Managing Director	(आर. एम. मल्ला) (R.M. Malla) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report attached of even date

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कं. For S. P. Chopra & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते चोकशी एंड चोकशी For Chokshi & Chokshi सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(पवन के. गुप्ता) (Pawan K. Gupta) साझेदार Partner	(निलेश आर. जोशी) (Nilesh R Joshi) साझेदार Partner
सदस्यता सं. / Membership No. 92529	सदस्यता सं. / Membership No. 114749
फर्म रजि. सं. Firm Regn.No. 000346N	फर्म रजि. सं. Firm Regn. No.101872W

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

मुंबई, 21 अप्रैल 2012
Mumbai, April 21, 2012

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 1 - पूंजी SCHEDULE 1 - CAPITAL	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
प्राधिकृत पूंजी **Authorised Capital**		
₹ 10 प्रत्येक के 200 00 00 000 ईक्विटी शेयर 200 00 00 000 Equity Shares of ₹ 10 each	2000 00 00	2000 00 00
	2000 00 00	2000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed and Paid-up Capital**		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 127 83 81 662 (98 45 68 099) ईक्विटी शेयर 127 83 81 662 (98 45 68 099) Equity Shares of ₹ -10/- each - fully paid up ..... (अनुसूची 18 टिप्पणी 12 (i) और (ii) देखें) (Refer Schedule 18 Note 12(i) & (ii))	1278 38 17	984 56 81
कुल / TOTAL	1278 38 17	984 56 81

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I. सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1541 26 81	1128 08 20
विलय के निमित्त परिवर्धन / Additions on account of merger	0	18 61
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	507 90 28	413 00 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	2049 17 09	1541 26 81
II. पूंजीगत रिज़र्व **Capital Reserve**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	362 26 78	360 71 78
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	17 04 72	1 55 00
सहायक संस्था के अभिग्रहण के निमित्त परिवर्धन Additions on account of subsidiary's acquisition	15 69 34	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	395 00 84	362 26 78
III. पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व / Revaluation Reserve		
प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी 1 देखें) Opening Balance (Refer Schedule 18 Note 1)	1895 77 17	1937 71 93
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	41 84 52	41 94 76
	1853 92 65	1895 77 17
IV. शेयर प्रीमियम / Share Premium		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	4622 63 32	1761 21 14
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	3025 92 46	2861 42 18
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	7648 55 78	4622 63 32

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
V राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserves		
क/a **सामान्य रिज़र्व / General Reserve**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	4254 74 71	3653 24 71
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	753 48 00	601 50 00
सहायक संस्था के अभिग्रहण के निमित्त कटौतियां Deduction on account of subsidiary's acquisition	(19 78 87)	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	4988 43 84	4254 74 71
ख/b **स्टाफ कल्याण निधि/ Staff Welfare Fund**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	29 01 11	29 01 11
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	29 01 11	29 01 11
ग/c **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6 35 04	6 35 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	6 35 04	6 35 04
घ/d **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	566 00 00	458 08 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	250 00 00	107 92 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	816 00 00	566 00 00
VI लाभ हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss Account		
वर्ष के लाभ हानि लेखे के अनुसार / As per Profit and loss Account for the year	325 49 80	290 71 65
विलय के निमित्त परिवर्धन / Addition on account of merger	0	14 88 31
लाभांश कर (2009-10) के निमित्त परिवर्धन / Addition on account of Dividend Tax (2009-10)	0	76 03
	325 49 80	306 35 99
कुल (I से VI) / TOTAL (I TO VI)	18111 96 15	13584 40 93

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 3 - जमाराशियां SCHEDULE 3 - DEPOSITS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
क A		
I मांग जमा राशियां **Demand Deposits**		
(i) बैंकों से / From banks	2538 11 93	1597 30 29
(ii) अन्य से / From others	29157 35 48	22136 19 71
	31695 47 41	23733 50 00
II बचत बैंक जमाराशियां / Saving Bank Deposits	19002 41 61	13935 79 82
III सावधि जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	20663 12 44	11525 59 50
(ii) अन्य से / From others	138883 15 44	131249 42 50
	159546 27 88	142775 02 00
कुल / TOTAL	210244 16 90	180444 31 82
ख B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	209166 59 69	180041 26 90
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	1077 57 21	403 04 92
कुल / TOTAL	210244 16 90	180444 31 82

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 4 - उधार राशियां SCHEDULE 4 - BORROWINGS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	0	0
(ii) अन्य बैंक / Other banks	69 55 00	671 30 00
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां / Other institutions and agencies		
क भारत सरकार से उधार		
(a) Government of India borrowings	0	0
ख भारत सरकार को जारी टीयर - I बांड (अनुसूची 18 टिप्पणी 12 (i) देखें)		
(b) Tier I bonds issued to Government of India (Refer Schedule 18 Note -12 (i))	0	2130 50 00
घ टीयर - I (आईपीडीआई)		
(c) Tier I (IPDI)	1708 80 00	1708 80 00
घ अपर टीयर - II बांड		
(d) Upper Tier II Bonds	4286 20 00	4286 20 00
(iv) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	9032 04 52	6836 68 03
(v) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड/ Bonds guaranteed by Government of India	0	1176 50 00
(vi) अन्य / Others	28016 95 43	26126 30 45
II भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	10364 09 18	8633 36 77
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	53477 64 13	51569 65 25

ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 136 62 00 26 हजार (₹ 9998 59 41 हजार)
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 136 62 00 26 Thousand (₹ 9998 59 41) Thousand)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I. देय बिल / Bills payable	949 84 71	1002 07 07
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter- office adjustments(net)	1 72 34	15 57 96
III. उपचित ब्याज / Interest accrued	2472 92 98	2104 59 75
IV. **अन्य / Others**		
(क) प्राप्त अग्रिम भुगतान		
(a) Advance payments received	641 89 79	630 81 31
(ख) विविध लेनदार		
(b) Sundry Creditors	342 21 16	410 43 51
(ग) विविध जमाराशियां		
(c) Sundry Deposits	24 79 39	26 37 22
(घ) विविध		
(d) Miscellaneous	403 11 06	582 05 41
V. **अन्य प्रावधान / Other Provisions**		
(क) मानक परिसंपत्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान		
(a) Prudential provisions against standard assets	892 23 52	660 36 25
(ख) ईक्विटी शेयरों पर देय लाभांश		
(b) Dividend and dividend tax payable	222 10 73	400 50 64
(ग) देय सेवा कर / टीडीएस /अन्य कर		
(c) Service tax/TDS/Other taxes payable	39 78 00	31 93 02
(घ) अन्य प्रावधान		
(d) Other Provisions	1563 19 38	1108 94 78
कुल / TOTAL	7553 83 06	6973 66 92

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1618 45 39	1239 39 06
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	13475 86 73	18324 36 63
(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	0	0
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	15094 32 12	19563 75 69

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICES	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I भारत में / In India		
(i) बैंकों के पास शेष / Balances with banks		
(क) चालू खातों में *		
(a) in Current Accounts*	386 52 24	351 06 25
(ख) अन्य जमा खातों में		
(b) in Other Deposit Accounts	334 50 00	163 38 80
(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice		
(क) बैंकों के पास		
(a) with banks	1066 37 94	0
(ख) अन्य संस्थाओं के पास		
(b) with other institutions	0	0
कुल I / Total I	1787 40 18	514 45 05
II भारत से बाहर / Outside India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	45 15 53	19 99 52
(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	885 22 50	753 65 55
(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	239 93 18	65 11 90
कुल II / Total II	1170 31 21	838 76 97
कुल योग (I और II) GRAND TOTAL (I and II)	2957 71 39	1353 22 02

इसमें गैर-संपर्ककर्ता बैंकों के माध्यम से शाखाओं द्वारा विप्रेषित ₹ 16 41 21 हजार (₹ 31 16 91 हजार) शामिल हैं.

* includes ₹ 16 41 21 Thousand (₹ 31 16 91 Thousand) remitted by branches through non correspondent banks.

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 8 - निवेश SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	64853 72 20	54053 24 39
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	63 39 60	2 79 90
(iii) शेयर / Shares	3418 07 49	3277 37 76
(iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	2546 44 98	2316 70 49
(v) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or joint ventures	27 58 00	39 08 05
(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट आदि) Others (CP's, units in MF's etc.)	11920 00 83	8344 65 08
कुल I / Total I	82829 23 10	68033 85 67

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 8 - निवेश SCHEDULE 8 - INVESTMENTS (Contd.)	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
II भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)		
Government securities (including local authorities)	0	0
(ii) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम		
Subsidiaries and / or joint ventures	0	0
(iii) अन्य निवेश (शेयर)		
Other investments (shares)	4 53	4 53
कुल II / TOTAL II	4 53	4 53
कुल योग (I और II) / GRAND TOTAL (I and II)	82829 27 63	68033 90 20
III. भारत में निवेश / Investments in India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	83940 19 18	69090 64 21
घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision for depreciation	1110 96 08	1056 78 54
निवल निवेश / Net investments	82829 23 10	68033 85 67
IV. भारत से बाहर / Investments outside India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	4 53	4 53
घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision for depreciation	0	0
निवल निवेश / Net investments	4 53	4 53

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 9 - अग्रिम SCHEDULE 9 - ADVANCES			यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
क	A			
	(i)	खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted / rediscounted	3278 48 19	2659 16 39
	(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	45922 99 56	33098 49 98
	(iii)	मीयादी ऋण* / Term Loans*	131956 95 57	121340 40 27
		कुल / TOTAL	181158 43 32	157098 06 64
ख	B			
	(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत** / Secured by tangible assets**	166736 32 64	145612 29 27
	(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित ** / Covered by Bank / Government guarantees***	1032 76 02	369 12 97
	(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	13389 34 66	11116 64 40
		कुल / TOTAL	181158 43 32	157098 06 64
ग	C			
	I	**भारत में अग्रिम / Advances in India**		
	(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority Sector	48450 20 40	42205 70 83
	(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	20515 07 23	15949 42 44
	(iii)	बैंक / Banks	186 74 26	368 97 97
	(iv)	अन्य / Others	106603 46 45	96733 54 15
		कुल / TOTAL	175755 48 34	155257 65 39
	II	**भारत से बाहर अग्रिम / Advances outside India**		
	(i)	बैंकों से प्राप्य / Due from banks	0	0
	(ii)	अन्य से प्राप्य / Due from others	0	0
		(क) खरीदे तथा भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल		
		(a) Bills purchased and discounted	204 91 36	61 55 21
		(ख) समूहित ऋण		
		(b) Syndicated loans	0	0
		(ग) अन्य		
		(c) Others	5198 03 62	1778 86 04
		कुल / TOTAL	5402 94 98	1840 41 25
		कुल योग (ग I और ग II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	181158 43 32	157098 06 64

अन्य

* अंतर बैंक सभागिता प्रमाण पत्र शामिल हैं.
includes Inter Bank Participatory Certificate

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं.
includes advances secured against book debts.

*** अन्य बैंकों द्वारा जारी साखपत्रों पर अग्रिम शामिल हैं.
includes advances secured against letters of credit issued by other banks.

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 10 - अचल परिसंपत्तियां SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी 1 देखें) / Premises (Refer Schedule 18 note 1)		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2740 85 99	2598 54 95
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	37 51 56	142 14 69
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year*	20 02 40	1 00 00
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	256 81 56	203 61 69
कुल / TOTAL	2501 53 59	2536 07 95
II अन्य अचल परिसंपत्तियां (फर्नीचर व फिक्सर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1058 72 11	896 91 25
विलय के निमित्त परिवर्धन Addition on account of merger	0	12 75 17
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	180 00 52	173 29 64
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	19 36 91	26 29 26
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	703 88 50	601 18 60
कुल / TOTAL	515 47 22	455 48 20
III पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां / Assets given on Lease		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	643 55 77	643 55 77
वर्ष कै दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	641 79 25	641 79 25
गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान / Provisions for Non-Performing assets	1 76 52	1 76 52
कुल / TOTAL	0	0
IV चालू पूंजीगत कार्य / Capital work-in-progess	25 82 62	68 28 75
कुल / TOTAL (I+II+III+IV)	3042 83 43	3059 84 90

* परिसर की बिक्री पर ₹ 33 हजार (₹ 1053 हजार) के पुनर्मुल्यांकन रिज़र्व शामिल हैं
Includes Revaluation Reserve of ₹ 33 Thousand (1053 Thousand) on sale of Premises

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 11 - अन्य परिसंपत्तियां SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter-office adjustment (net)	0	0
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2014 42 28	1699 87 04
III	अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance / tax deducted at source (net)	1530 98 99	1591 77 84
IV	लेखन सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and Stamps	11 94	13 27
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर - बैंकिंग परिसंपत्तियां Non Banking Assets acquired in satisfcation of claims	0	0
VI	दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilisation fund (SASF)	8 91	2 58 45
VII	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (a) Deferred Tax Asset (Net)	949 50 23	441 42 14
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares/ Bonds Pending allotment	191 76 80	25 00
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	85 04 06	91 66 03
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	337 68 15	364 17 61
	(ङ) विविध (e) Miscellaneous	504 48 91	256 93 48
	कुल / TOTAL (I to VII)	5614 10 27	4448 80 86

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		यथा 31 मार्च 2012 As at 31-03-2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	108 00 10	375 86 08
II	अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	0	0
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	36394 63 78	32057 70 75
IV	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) भारत में (a) in India	53836 63 61	46120 82 23
	(ख) भारत से बाहर (b) outside India	3845 37 44	2535 89 66
V	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	25954 96 45	25963 16 60
VI	मुद्रा स्वैप / Currency Swaps	8454 57 21	6034 10 97
VII	ऑप्शन / Options	2592 09 93	1530 54 65
VIII	ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps	16654 05 29	18501 11 10
IX	ऋण चूक स्वैप / Credit Default Swaps	10 00 00	0
X	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income tax, Interest Tax, penalty and interest demands	1082 94 35	1123 09 50
XI	अन्य / Others	1 06 45	37 82
	कुल / TOTAL (I to XI)	148934 34 61	134242 69 36

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा / Interest / discount on advances / bills	17971 48 76	13750 39 40
II	निवेशों से आय / Income on investments	5309 54 60	4826 18 09
III	रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	46 24 16	17 66 17
IV	अन्य / Others	61 78 44	22 28 47
	कुल / TOTAL	23389 05 96	18616 52 13

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 14 - अन्य आय SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1616 30 38	1489 69 04
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of investments (net)	193 58 98	150 45 87
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	(32 63 87)	(19 91 58)
IV	भूमि, भवन तथा अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	2 37 14	(2 69 44)
V	विनिमय लेन-देनों / व्युत्पन्नों पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	172 48 33	193 89 65
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	0	20 62 21
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	141 87 79	144 17 70
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	109 10 62	245 43 38
	कुल / TOTAL	2203 09 37	2221 66 83

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	14020 69 06	9987 16 93
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI/ inter-bank borrowings	1368 76 47	978 23 90
III	अन्य / Others	3428 61 19	3304 82 38
	कुल / TOTAL	18818 06 72	14270 23 21

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1362 49 89	1083 97 68
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	230 34 46	211 90 73
III	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	43 43 08	37 45 52
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	28 49 17	52 24 45
V	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on property *	120 42 02	130 50 44
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	34 70	41 77
VII	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय / Auditors' fees and expenses	2 46 23	1 93 96
VIII	विधि प्रभार / Law Charges	9 84 72	7 27 80
IX	डाक खर्च, तार, टेलीफोन, आदि / Postage, Telegram, Telephone, etc.	77 14 15	53 57 62
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	140 46 71	96 33 29
XI	बीमा / Insurance	164 49 31	151 70 20
XII	बैंकिंग व्यय / Banking expenses	41 34 67	56 95 32
XIII	कार्ड और एटीएम व्यय / Card & ATM expenses	191 29 18	99 08 01
XIV	परामर्श व्यय / Consultancy expenses	3 69 22	9 84 03
XV	बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय Expenses for recovery of write off cases	4 60 68	3 88 52
XVI	अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यय / International banking expenses	4 93	9 51
XVII	आउटसोर्सिंग व्यय / Outsourcing expenses	52 41 81	268 36 63
XVIII	आईटी व्यय / IT expenses	24 08 60	26 78 97
XIX	स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय / Staff training & other expenses	27 15 46	22 85 12
XX	यात्रा और वाहन प्रभार / Travelling and conveyance charges	42 69 65	26 91 36
XXI	ट्रेज़री व्यय / Treasury expenses	3 30 72	5 55 81
XXII	उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय / Fee and other expenses for borrowing	44 38 60	28 59 56
XXIII	अन्य व्यय / Other expenditure	96 20 48	115 60 88
	कुल / TOTAL	2711 18 44	2491 87 18

* ₹ 41 84 19 हजार (₹ 41 84 23 हजार) के पुनर्मूल्यन रिज़र्व को घटाकर
* Net of revluation reserve of ₹ 41 84 19 thousand (₹ 41 84 23 thousand)

अनुसूची - 17 समेकित प्रमुख लेखा नीतियां
Schedule 17: CONSOLIDATED PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार :

Basis of Preparation:

संलग्न वित्तीय विवरण परंपरागत आधार पर तैयार किए गए हैं और ये सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, लेखांकन मानक और संबंधित उद्योग में प्रचलित पद्धतियां शामिल हैं.

The accompanying financial statements have been prepared on historical basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Accounting Standards (AS) and prevailing practices in the respective industry.

2. अनुमानों का उपयोग

Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाये जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई परिसंपत्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. समेकन तैयार करना:

Preparation of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक (एएस) 21 'समेकित वित्तीय विवरण' और एएस 27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी- ''बैंक'') और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यम के लेखे शामिल हैं. समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक अर्थात् 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – "the Bank") and all its subsidiaries / Joint Venture as defined in Accounting Standard (AS)-21 'Consolidated Financial Statements' and AS-27 `Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'. The financial statements of the subsidiaries/joint venture used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2012.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है (क) इसकी सहायक संस्थाओं की परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर (ख) इसके संयुक्त उद्यम की परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर. समेकन पर अंतर-समूह लेन-देन हटा दिए गये हैं.

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income & expenses. Intra Group transactions have been eliminated on consolidation.

मूल संस्था के सहायक संस्थाओं में निवेश की लागत तथा सहायक संस्था की ईक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर का वित्तीय विवरणपत्रों में साख / पूँजी रिज़र्व के रूप में दर्शाया गया है.

The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the financial statements as goodwill/capital reserve.

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल परिसंपत्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं.

Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

(क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख़ को अल्पसंख्यक की मानी जा सकने वाली ईक्विटी राशि; तथा

(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

(ख) मूल संस्था - सहायक संस्था संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से ईक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरों का आवागमन

(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :

The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्रम सं. Sr. No.	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का प्रतिशत % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2012 March 31, 2012	31 मार्च 2011 March 31, 2011
क) A)	**सहायक वित्तीय संस्थाएं: Financial Subsidiaries:**			
	1) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Limited.	भारत India	100	100
	2) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IDBI Asset Management Company Limited.	भारत India	100	100
	3) आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited.	भारत India	100	100
ख) B)	**गैर-वित्तीय सहायक संस्था Non Financial Subsidiary:**			
	1) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited.	भारत India	100	100
	2) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.* IDBI Trusteeship Services Ltd*	भारत India	54.70	-
ख) C)	**जीवन बीमा संयुक्त उद्यम Life Insurance Joint Venture:**			
	1) आईडीबीआई फैडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited.	भारत India	48	48

* 1 अक्टूबर 2011 को बैंक द्वारा आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. (आईटीएसएल) की 14.92% अतिरिक्त शेयरधारिता हासिल करने से आईटीएसएल की कुल शेयरधारिता बढ़ कर 54.70% हो गई और 1 अक्टूबर 2011 से यह बैंक की सहायक संस्था हो गई.

* Consequent upon acquiring of 14.92% additional shareholding by the Bank in 'IDBI Trusteeship Services Ltd (ITSL)' on October 01, 2011 the Bank's total shareholding in ITSL increased to 54.70% and it became the subsidiary of the Bank

w.e.f. October 01, 2011.

यद्यपि कुछ संस्थाओं में बैंक के पास 20% से अधिक का मताधिकार है, तथापि इन्हें एएस 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' के अंतर्गत सहयोगी संस्था में निवेश नहीं माना जाता है. इसका मुख्य कारण या तो उल्लेखनीय प्रभाव की कमी है अथवा ऐसे निवेशों को समेकन करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश नहीं माना जाता है.

Though the Bank holds more than 20% of voting power in certain entities, the same are not treated as investment in an Associate under AS-23 `Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements', mainly either due to lack of significant influence or such investments are not considered as material investments requiring consolidation.

4. राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition:

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि आर्थिक फायदों का प्रवाह समूह को होगा तथा राजस्व का परिमाण विश्वस्त है.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

बैंक: / Bank:

(i) ब्याज आय तथा लीज किराये की गणना उपचित आधार पर की जाती है, जबकि गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.

Interest income and lease rentals are accrued except in the case of non performing assets where it is recognised upon realisation as per the prudential norms of RBI.

(ii) साख पत्र/गारंटी कमीशन की गणना उपचित आधार पर की जाती है तथा जिन मामलों में ₹ 1 लाख तक कमीशन है, उनमें अपफ्रंट और अन्य मामलों में यह साख पत्र /गारंटी की अवधि में उपचित आधार पर माना जाता है.

Commissions on LC/ guarantee are reckoned as accrued, upfront in cases where the commission does not exceed ₹ 1 lakh and, in other cases, accrued over the period of LC/ Guarantees.

(iii) शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक से हुए करार के अनुसार कार्य की प्रगति के आधार पर लिया जाता है.

Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

(iv) बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार माना जाता है.

Income on discounted instruments is recognised over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

(v) लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जब लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता है.

Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

सहायक वित्तीय संस्थाएं: / Financial Subsidiaries:

(i) कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मुख्य प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर निवल ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि को निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.

(ii) तुलन-पत्र की तारीख को धारित नियत कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों पर खंडित अवधि के लिए कूपन दर पर ब्याज उपचित होता है.

परिवर्तनीय दरवाली प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.

Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

(iii) हामीदारी निर्गमों के संबंध में ईक्विटी शेयरों के न्यागत होने को निवेश माना गया है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ एवं हानि लेखे में जमा कर निवेशों के मूल्य में से घटा दिया जाता है.

Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to the Profit and Loss Account and netted against the value of investments.

(iv) ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्युचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत परिसंपत्तियों के प्रतिशत पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्युचुअल फंड) विनियमन, 1996 (विनियमन) तथा तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से ज़्यादा न होने पाए.

Trusteeship fees are recognized on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations,1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.

(v) आईडीबीआई म्युचुअल फंड की योजनाओं के व्यय की भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्युचुअल फंड) विनियमन, 1996 में विनिर्दिष्ट की गई सीमा से अधिक होने पर अतिरिक्त व्यय की राशि कंपनी वहन करेगी तथा इसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा.

Expenses of the scheme of IDBI Mutual Fund in excess of the limits prescribed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations Act 1996 can be borne by the Company and as such are charged to the Profit and Loss account.

गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं: / Non Financial Subsidiary:

समय तथा तात्विक आधार पर मूल्य निर्धारित संविदाओं से प्राप्त राजस्व को उस समय हिसाब में लिया जाता है जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबंधित लागत की जाती हैं. उत्पादों की बिक्री से राजस्व को कार्य की प्रगति के आधार पर तथा सहमत शर्तों के अनुसार माल के स्वामित्व के अंतरण पर हिसाब में लिया जाता है. वार्षिक तकनीकी सेवा राजस्व को प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया जाता है. राष्ट्रीय संविदा केंद्र से प्राप्त राजस्व को बिक्री की पुष्टि प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है.

Revenue from contracts priced on time and material basis are recognized when services are rendered and related costs are incurred. Revenue from sale of products is recognised on achievement of milestone basis and transfer of property of goods as per agreed terms. Annual Technical Services revenue is recognised proportionately over the period in which the services are rendered. Revenue from National Contact Centre is recognised upon receipt of confirmation of sales.

स्वीकृत शुल्क, सेवा प्रभार, दस्तावेजीकरण प्रभार, लॉकर किराये सहित अन्य आय को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है.

Other Income including revenue from acceptance fees, service charges, documentation charges, locker rentals are accounted for an accrual basis.

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम: / Life Insurance Joint Venture:

(i) **प्रीमियम: / Premium:**

प्रीमियम (सेवा कर घटाकर) को देय होने पर आय के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. व्यपगत पॉलिसियों के प्रीमियम को इन पालिसियों के फिर से सक्रिय होने पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

Premium (net of service tax) is recognized as income when due. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated.

संराशीकृत प्रीमियम को संराशीकरण वर्ष में देय माना जाता है और उसे नवीकरण प्रीमियम माना जाता है.

Commuted premium is considered as due in the year of commutation and is considered as renewal premium.

टॉप अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है. / Top up premiums are considered as single premium.

संबद्ध कारोबार के लिए संबद्ध यूनिटों के सृजन पर प्रीमियम को आय माना जाता है.

For linked business, premium is recognized as income when the associated units are created.

(ii) **संबद्ध निधि से आय: / Income from Linked fund:**

संबद्ध निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंध शुल्क, नीति प्रशासन शुल्क, बीमा की लागत आदि शामिल हैं, को बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूला जाता है और उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, cost of insurance, etc. are recovered from the linked fund in accordance with terms and conditions of policy and are accounted on accrual basis.

5. अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions:

बैंक: / Bank:

(i) अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए किये गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

(ii) जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट / सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एक्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि पर प्रभार को 'मूर्त परिसंपत्तियां' नहीं माना जाता है.

Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as `Tangible Assets'.

6. निवेश: / Investments:

बैंक: / Bank:

वर्गीकरण: / Classification:

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है.

In terms of extant guidelines of the RBI, the entire investment portfolio is categorized as:

(i) परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity,

(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and

(iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को नियत रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है: / Investments under each category are further classified as:

(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities

(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities

(iii) शेयर / Shares

(iv) डिबेंचर तथा बांड Debentures and Bonds

(v) सहायक संस्थाएं /संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures

(vi) अन्य (वाणिजियक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट आदि) / Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, etc).

वर्गीकरण का आधार: / Basis of Classification:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री किए जाने के उद्देश्य से धारित निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारितट, 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और उसके बाद उन्हें विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणियों में अंतरित किया जाता है.

d) An investment is classified as 'Held to Maturity', 'Available for Sale' or 'Held for Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with regulatory guidelines.

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in subsidiaries and joint ventures are classified as 'Held to Maturity'.

च) अग्रिम स्वरूप के माने गए डिबेंचर/बांड/ अधिमान शेयर अग्रिमों के लिए लागू परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के सामान्य विवेकपूर्ण मानदंड के अधीन हैं.

f) The debentures/ bonds/ preference shares deemed to be in the nature of advance, are subject to the usual prudential norms of asset classification and provisioning that are applicable to advances.

मूल्यांकन / Valuation:

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में : / In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गये ईक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को राजस्व से प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to revenue.

ख) प्रतिभूतियों के अभिदान पर प्राप्त अपफ्रंट प्रोत्साहन राशि आय रूप में ली जाती है.

b) Upfront incentives received on subscription to securities are recognized as income.

ग) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में शामिल नहीं किया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय माना जाता है.

c) Broken period interest paid/ received is excluded from the acquisition cost/ sale and treated as interest expense/ income.

घ) लागत को भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

d) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किये गये निवेशों को 'परिवक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है. ऐसे निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हो, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामले में प्रीमियम को

परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है. इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है और वर्ष के अंत में पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री पर हानि को लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint ventures under this category is provided for each investment individually. Profits on sale of investments in this category are first credited to Profit and Loss account and thereafter appropriated net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year / period end. Loss on sale is recognized in the Profit and loss Account.

iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों को स्क्रिप-वार मार्कु-टू-मार्केट में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल ह्रास, यदि कोई हो, को लाभ - हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को छोड़ दिया जाता है.

Investments Held for Trading and Available For Sale are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss account, while the net appreciation, if any, is ignored.

क) ट्रेजरी बिल\ों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposits being discounted instruments are valued at carrying cost,

ख) क्रय -विक्रय/उद्धृत किये गये निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सूची से लिया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्यों अथवा भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges. Government Securities are valued at market prices or prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)

ग) अनुद्धृत शेयरों/यूनिटों का मूल्य विश्लेषित मूल्य/पुनर्खरीद मूल्य अथवा यदि तुलन पत्र उपलब्ध हो, तो निवल परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर अथवा रिज़र्व बैंक के तत्संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार 1 रुपये प्रति कंपनी की दर से निकाला जाता है, नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. इस प्रकार के सीमांकन व वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.

c) The unquoted shares/ units are valued at break-up value/ repurchase price or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available else at Rs 1 per company, as per relevant RBI guidelines. The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

घ) निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ और हानि को लाभ - हानि लेखे (निवेशों की बिक्री) में जमा/ नामे किया जाता है.

d) Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account (Sale of Investments).

ङ) निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शायी जाती है.

e) Investments are shown net of provisions.

च) निवेशों की राशि ऋण लेने के लिए दी गयी प्रतिभूतियों को घटाकर दर्शाई जाती है तथा इसमें क्रमशः रेपो/रिवर्स रेपो व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिये गये उधारों के प्रति प्राप्त प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है.

f) Investments are shown net of securities given against borrowing and include securities received against lending under Repo/ Reverse Repo arrangements respectively.

अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं: / Other Financial and non financial Subsidiaries:

निवेशों को दीर्घावधि निवेश और चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं और शासी प्राधिकरण और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी निवेशों के लेखांकन लिए लेखा मानक (एएस-13) के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है.

Investments are classified as Long Term Investment and Current Investments and are valued in accordance with Governing Authority and Accounting Standards on Accounting for Investments (AS-13), issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम: / Life Insurance Joint Venture:

बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 और आईआरडीए द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों / अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं.

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the IRDA (Investment) Regulations, 2000, and various other circulars/notifications issued by the IRDA in this context from time to time.

निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें उपचित ब्याज को छोड़ कर दलाली और कर, यदि कोई हों, शामिल किए जाते हैं.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and taxes, if any, and excludes accrued interest.

वर्गीकरण: / Classification:

तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन पत्र की तारीख से बारह महीनों में निपटाने के विशेष इरादे से किए गए निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं.

Investments maturing within twelve months from the balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the balance sheet date are classified as current investments.

अल्पकालिक निवेशों के अलावा अन्य निवेशों को दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments other than short-term investments are classified as long-term investments.

मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेश

Valuation – shareholders' investments and non-linked policyholders' investments

सभी ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और तदनुसार परंपरागत लागत अंकित की जाती हैं जो सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता / धारिता अवधि के दौरान या राजस्व खाते या लाभ-हानि लेखे में प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट पर वृद्धि के अधीन है.

All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount in the revenue account or the profit and loss account over the period of maturity/ holding on a straight line basis.

तुलन पत्र की तारीख को सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर अंकित किया जाता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई') पर अंतिम मूल्य (जो प्रतिभूतियां एनएसई में सूचीबद्ध नहीं हैं, उनके मामले में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई') पर अंतिम मूल्य) होते हैं. म्युचुअल फंड यूनिटों को तुलन पत्र की तारीख को पिछले दिन के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में ईक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी,यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the closing price on the National Stock Exchange ('NSE') (In case of securities not listed on NSE, the closing price on the Bombay Stock Exchange ('BSE') is used). Mutual fund units as at the balance sheet date are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision for diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों और म्युचुअल फंड यूनिट के न लिए गए लाभ / हानि के कारण हुए परिवर्तन को 'उचित मूल्य परिवर्तन खाते' में लिया जाता है और तुलनपत्र में आगे ले जाया जाता है.

Unrealized gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units are taken to "Fair Value Change Account" and carried forward in the balance sheet.

7. डेरिवेटिव लेन देन: / Derivative Transactions:

बैंक: / Bank:

(i) **'बचाव' (हेज) के रूप में नामित लेनदेनों में : / In Transactions designated as `Hedge':**

क. डेरिवेटिव लेनदेनों पर भुगतानयोग्य/प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a. Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख. हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/हानि को स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि या परिसंपत्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो; के आधार पर तय किया जाता है.

b. On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग. अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज लेनेदेनों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c. Redesignation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ. हेज करारों को तब तक बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता है जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए चिह्नित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है.

d. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

(ii) **'क्रय-विक्रय' के रूप में नामित लेनदेनों में : / In Transactions designated as 'Trading':**

क्रय-विक्रय के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेनदेनों में, जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्परमुद्रा स्वैप, परस्परमुद्रा विकल्प एवं वायदा दर करार शामिल हैं; की उनके उचित मूल्य पर गणना की जाती है. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है. ऑप्शनों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्ज किया जाता है और इसे परिपक्वता/निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and forward rate agreements, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

8. अचल परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास: / Fixed Assets and depreciation:

बैंक: / Bank:

अचल परिसंपत्तियों को जहां कहीं पुनर्मूल्यांकित किया गया हो, के अलावा परंपरागत लागत (संस्थापन लागत सहित) पर लिया जाता है. पुनर्मूल्यांकन पर यदि कोई वृद्धि हुई हो तो उसे 'पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व' खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के संबंध में

पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप हुए अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से लाभ - हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Fixed assets are carried at historical cost (inclusive of installation cost) except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the `Revaluation Reserve' Account. In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit and Loss account.

₹ 5000 से कम लागत की अचल परिसंपत्तियों पर उनके अर्जन के वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है.

Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

मूल्यह्रास का प्रावधान परिवर्धन की तारीख से सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) के आधार पर किया जाता है. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी मूल्यह्रास की दरों को न्यूनतम दरें माना जाता है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी परिसंपत्ति को अर्जित करते समय उस अचल परिसंपत्ति के अनुमानित जीवन काल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/बाकी उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है. इस नीति के चलते मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नलिखित दरों के अनुसार किया गया है :

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) from the date of addition. The rates of depreciation prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 are considered as the minimum rates. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/ remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

परिसंपत्ति **Asset**	**मूल्यह्रास की दर** **Depreciation Rate**
परिसर / Premises	1.63%
फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स / Furniture and fixtures	8.33%
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	8.33%
मोटर वाहन / Motor vehicles	20%
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) / Computers (including integral software)	33.33%
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	12.50%
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	10%
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	20%

वर्ष के दौरान परिवर्धित/बेची गयी अचल परिसंपत्तियों पर वास्तविक अवधि के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है.

Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the actual period.

लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

Leasehold land is amortised over the period of lease.

₹ 2.5 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष होती है.

Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 lakh is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 5 years.

बैंक की वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायक संस्था:

Bank's financial and non financial subsidiary

बैंक की सहायक संस्थाओं के मामले में मूल्यह्रास बट्टा खाता मूल्य विधि (डब्ल्यूडीवी) से किया जाता है. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी मूल्यह्रास दरों को न्यूनतम दरें माना जाता है.

In case of Bank's Subsidiaries, depreciation is provided on Written Down value (WDV) Method. The rates of depreciation prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 are considered as the minimum rates.

आईडीबीआई इंटेक लि. की अमूर्त परिसंपत्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) के मामले में पाँच वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाता है. आईडीबीआई कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज़ लि. और आईडीबीआई फैडरल इंश्योरेंस के मामले में अमूर्त परिसंपत्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को 3 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाता है. आईडीबीआई कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज़ लि. में वेब ट्रेडिंग पोर्टल में यह परिशोधन 3 वर्ष के लिए और स्टॉक एक्सचेंज सदस्यता कार्ड 4.75% वार्षिक की दर से किया जाता है.

In case of IDBI Intech Ltd Intangible Assets (computer software) are amortized over a period of five years. In case of IDBI Capital management Services Ltd. and IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. Intangible Assets (computer software) are amortized over a period of 3 years. In case of IDBI Capital management Services Ltd. Web Trading Portal amortized in 3 years and Stock Exchange membership card amortized at 4.75% PA.

नए निधि प्रस्तावों के विपणन व वितरण में हुए व्यय का परिशोधन निरंतर स्वरूप की निधियों में 36 माह की अवधि में और नियतकालिक निधियों में अवधि की समाप्ति पर किया जाता है.

Expenses incurred towards marketing and distribution of new fund offers are amortized over a period of 36 months in case of open ended funds and over the tenure of the close ended funds.

9. लीज पर दी गयी परिसंपत्तियां / Assets given on lease

बैंक / Bank:

(i) 31 मार्च 2001 को या इससे पूर्व बैंक द्वारा वित्त लीज पर दी गयी परिसंपत्तियों को 'अचल परिसंपत्तियों' के अंतर्गत 'लीज पर दी गयी परिसंपत्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इन पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है. 'लीज समकरण' राशि, जो वार्षिक लीज प्रभार और मूल्यह्रास के बीच के अंतर को दर्शाती है, को लाभ-हानि लेखे में समायोजित किया जाता है.

Assets given on finance lease by the Bank on or before March 31, 2001 are classified as "Leased Assets" under "Fixed Assets". Depreciation thereon is provided on SLM basis at the rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956. The amount of "Lease Equalization" representing the difference between the annual lease charge and the depreciation is adjusted in the Profit & Loss Account.

(ii) 31 मार्च 2001 के बाद वित्त लीज के अंतर्गत दी गयी परिसंपत्तियों को लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है और इन्हें 'अग्रिमों' के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Assets given under finance lease after March 31, 2001 are accounted in accordance with the provisions of AS 19 and included under "Advances".

10. प्रतिभूतीकरण लेन-देन / Securitization Transactions:

बैंक / Bank

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन परिसंपत्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसटीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतीकृत परिसंपत्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम के लिए एसपीवी द्वारा, जिन्हें परिसंपत्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

11. प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री

Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies:

बैंक / Bank:

प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के शोधन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली पर होने वाले लाभ को लाभ-हानि लेखे में दर्ज नहीं किया जाता बल्कि उन्हें एससी या आरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री अथवा अन्य एसआर/पीटीसी की वसूली से होने वाली हानि/कमी की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधानों के तौर पर अलग से दर्शाया जाता है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली से होने वाली हानियों को पूर्ववर्ती लाभों से सृजित प्रावधानों के शेष, यदि कोई हैं, में से समायोजित किया जाता है और हानि की शेष राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की जाती है. पीटीसी को उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार उनकी बिक्री अथवा वसूली तक लिया जाता है. प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को समग्र रूप में बही मूल्य अथवा एनएवी में से जो भी कम हो उस पर लिया जाता है.

Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset. Gains arising on such sale or realisation are not recognised in the profit and loss account but earmarked as provisions for meeting the losses/ shortfall arising on sale of other financial assets to SCs/ RCs or sale/ realisation of other SRs/ PTCs. Losses arising on such sale or realisation are first set off against balance of provisions, if any, created out of earlier gains and residual amount of losses are charged to profit and loss account. The PTCs are carried at the value as determined above, till their sale or realisation. The SRs are carried, in the aggregate, at book value or at latest NAV, whichever is lower.

12. विदेशी मुद्रा लेन-देन

Foreign Currency Transactions:

बैंक / Bank:

(i) विदेशी मुद्रा लेन-देनों का आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित अंतिम बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognised in the profit and loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognised as income or expense in the period in which they arise.

(ii) ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार या सट्टे के लिए नहीं की गई हैं, के शुरूआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading or speculation is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognised.

(iii) ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार या सट्टे के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading or speculation are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are revalued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are included in the profit and loss account.

(iv) वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.

Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognised on the date of termination.

(v) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

(vi) विदेशी शाखा के परिचालनों को एकीकृत विदेशी परिचालनों में वर्गीकृत किया जाता है तथा लेनदेनों को इस संबंध में बैंक के उन्हीं सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार लागू किया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as integral foreign operations' and the transactions are translated using the same principles and procedures as those of the bank.

बैंक की वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं तथा जीवन बीमा संयुक्त उद्यम:

Banks financial, non financial subsidiaries and life Insurance Joint Venture:

विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को विनिमय की अंतिम दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है. उस पर और संबंधित वर्ष में विदेशी मुद्रा की वसूली/ भुगतान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को आय अथवा व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

13. कर्मचारी लाभ: / Employee Benefits:

(i) **रोजगार-पश्चात् लाभ योजनाएं / Post-employment benefit plans**

क) निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान, देय होने के आधार पर खर्च के रूप में प्रभारित किया जाता है.

a) Payments to defined contribution schemes are charged as expense as they fall due.

ख) निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्वानुमानित यूनिट जमा विधि का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में पूरा दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है. गत सेवा लागत की उतनी राशि तत्काल हिसाब में ली जाती है जितने लाभ पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और अन्यथा सीधी रेखा आधार पर लाभों के निहित होने तक औसत अवधि में परिशोधित किया जाता है.

b) For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in full in the profit and loss account for the period in which they occur. Past Service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortized on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

(ii) अल्पावधि कर्मचारी लाभ: / Short-term employee Benefit:

कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

(iii) अंतर्वर्ती देयता / Transitional Liability

बैंक ने 1 अप्रैल 2007 से लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) - कर्मचारी लाभ (एएस 15) को अपनाया है. इसको अपनाने से उत्पन्न होने वाली अंतर्वर्ती देयता को एएस-15 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से आरंभ होने वाली पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जायेगा.

The Bank has adopted Accounting Standard-15 (Revised 2005), 'Employee Benefits' with effect from April 1, 2007. The transitional liability arising on such adoption is amortized over a period of five years commencing from the financial year 2007-08 in accordance with the provisions of AS-15.

(iv) कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (इसॉप) के अंतर्गत ऑप्शनों का आंतरिक मूल्य इसॉप की निहित अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर व्यय किया जाता है.

The intrinsic value of options under Employee Stock Option Plan (ESOP) is expensed on a straight-line basis over the vesting period of the ESOP.

14. आय कर / Income Tax

(i) कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं. / Tax expense comprises of current and deferred tax.

(ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मेट) क्रेडिट को केवल तभी एक परिसंपत्ति के रूप में और उस सीमा तक माना जाता है जब इस बात का पर्याप्त साक्ष्य हो कि बैंक विर्निदिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगा.

Minimum Alternate Tax (MAT) credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Bank will pay normal income tax during the specified period.

(iii) वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उचित निश्चितता हो कि इनकी भविष्य में वसूली हो जाएगी.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

(iv) अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर परिसंपत्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.

Deferred tax assets in case of unabsorbed losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

(v) विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

15. प्रति शेयर आय / Earnings Per Share:

(i) समूह लेखांकन मानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर आय की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Group reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

(ii) प्रति शेयर न्यूनीकृत आय उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या ईक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अन्त में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य ईक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

16. परिसंपत्तियों की अनर्जकता / Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन यदि इसका संकेत देते हैं कि किसी परिसंपत्ति की रखाव-लागत वसूलीयोग्य नहीं रही तो अचल परिसंपत्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों की वसूलीक्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूलीयोग्य मूल्य की तुलना परिसंपत्ति की रखाव राशि से कर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है. यदि ऐसी परिसंपत्तियां अनर्जक मानी गयी हों तो अनर्जकता को उस परिसंपत्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the estimated current realizable value.

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां / Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(i) एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों के मामले में समूह प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब समूह यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्व रूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Group recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(ii) प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

(iii) किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

(iv) आकस्मिक परिसंपत्तियों को हिसाब में नहीं लिया जाता है. / Contingent Assets are not recognized.

अनुसूची 18: 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां
SCHEDULE 18: NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2012

1. परिसर (एएस-10) / PREMISES(AS-10)

I. परिसर में ₹ 1339,70,11 हजार (₹ 1339,70,11 हजार) की लीज़ पर ली गई भूमि (पुनर्मूल्यांकित) शामिल है जिसका वर्ष 2006-07 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था.

Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 1339,70,11 Thousand (₹ 1339,70,11 Thousand) which was revalued in the year 2006-07.

II. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय /कार्यालय भवन का पुनर्मूल्यांकन व्यावसायिक रूप से योग्यताप्राप्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर बाजार मूल्य पर किया. पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल मूल्य वृद्धि ₹ 2063,91,00 हजार हुई हैं जो 31 मार्च 2007 को ₹ 529,02,00 हजार के निवल बही मूल्य और ₹ 25,92,9300 हजार की पुनर्मूल्यांकित राशि का अंतर है, जिसे पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा कर दिया गया है.

Bank has revalued its Freehold Land & Residential/ Office building based on valuations made by independent valuers during the financial year 2006-07. The net appreciation of ₹ 2063,91,00 Thousand arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 529,02,00 Thousand and revalued amount of ₹ 2592,93,00 Thousand as on March 31, 2007 was credited to Revaluation Reserve.

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित): / EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED):

i) अंतर्वर्ती देयता / Transitional Liability

आईडीबीआई बैंक के मामले में 'कर्मचारी लाभ' पर लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) के अपनाने के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली अंतर्वर्ती देयता- ₹ 63,22,00 हजार (पेंशन- ₹ 31,09,00 हजार, ग्रेच्यूटी - ₹ 16,41,00 हजार, अपंगता सहायता 13,28,00 हजार रुपये एवं छुट्टी नकदीकरण ₹ 2,44,00 हजार) (₹ 63,22,00 हजार) है, इस राशि को पाँच वर्षों की अवधि में राजस्व को प्रभारित किया जाना है. इसमें से ₹ 12,50,00 हजार (₹ 12,50,00 हजार) की शेष राशि वर्ष के दौरान लाभ - हानि लेखे में प्रभारित की गई है.

In case of IDBI Bank, the transitional liability arising on account of adoption of Accounting Standard-15 (Revised 2005) on "Employee Benefits" is ₹ 63,22,00 Thousand (Pension – ₹ 31,09,00 Thousand, Gratuity - ₹ 16,41,00 Thousand, Disability Assistance – ₹ 13,28,00 Thousand and Leave encashment – ₹ 2,44,00 Thousand) (₹ 63,22,00 Thousand) is to be charged to revenue over the period of five years. The remaining balance of ₹ 12,50,00 Thousand (₹ 12,50,00 Thousand) has been charged to Profit & Loss Account being the fifth year.

ii) निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Scheme

समूह के कर्मचारी भविष्य निधि/अधिवर्षिता निधि/ पेंशन योजना आदि के अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें समूह मूल वेतन के नियत प्रतिशत के रूप में निर्धारित अंशदान करता है. अंशदानों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है और उन्हें लाभ - हानि लेखे में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

The employees of the group are covered by Provident Fund/ Superannuation Fund/Pension Scheme etc. to which the group makes a defined contribution measured as a fixed percentage of salary. The contributions are accounted for on accrual basis and are recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

iii) निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes

सभी समूह संस्थाएं अलग-अलग ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाएं चलाती हैं जो निर्दिष्ट लाभ योजनाएं हैं. कुछ समूह संस्थाएं अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख़ को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित न्यासी/ भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा संचालित न्यास / निधियों का इन योजनाओं में अंशदान करती हैं. जिन समूह संस्थाओं में कोई न्यास / निधियां नहीं हैं, उन मामलों में ऐसी योजना के प्रति देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मूल्यांकनों पर होने वाले बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ व हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

The group entities operate separate gratuity and pension schemes, which are defined benefit schemes. Some of the group entities make the contributions towards these schemes in the Trust/Funds administered by the Trustee/Life Insurance Corporation of India (LIC) based on the actuarial valuation carried out at each balance sheet date using Projected Unit Credit Method. In the case of group entities where no Trust/Fund is maintained the liability towards such scheme is accounted for based on actuarial valuation. Actuarial gains/losses arising on such valuations are recognized in the Profit and Loss Account.

iv) अन्य दीर्घावधि लाभ / Other long term benefits

समूह के कर्मचारीगण अपनी अर्जित / साधारण छुट्टियों को एक निर्धारित सीमा तक संचित करने के लिए पात्र हैं जिन्हें वे भविष्य में आगे ले जा सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं या सेवाकाल के दौरान या सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र/ वियोजन के समय नक़द प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं. बैंक के कुछ कर्मचारीगण अशक्तता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन की जाने वाली अशक्तता सहायता के लिए पात्र हैं. ये लाभ दीर्घावधि लाभों की श्रेणी में आते हैं और इनका हिसाब अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख़ को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है तथा ऐसे मूल्यांकनों पर होने वाले बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ - हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

The employees of the group are entitled to accumulate their earned/privilege leave upto a specific limit, which they can carry forward in future and utilize or receive cash compensation during the service period or at the time of their retirement/resignation/separation. Some of the employees of the Bank are eligible for Disability Assistance and Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the disability /liability events occur. These benefits are considered as long term benefits and are accounted for based on actuarial valuation carried out at each balance sheet date using Projected Unit Credit Method and actuarial gains/losses on such valuations are recognized in the Profit and Loss Account.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2012 को समूह के वित्तीय विवरण में दर्शायी गईं राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो ए एस - 15 (संशोधित) के अनुसार है.

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Group's financial statements as at March 31, 2012 which is as per AS-15 (Revised).

		(₹ करोड़) (₹ In Crores)			
		पेंशन Pension	**ग्रैच्युटी Gratuity**	**पेंशन Pension**	**ग्रैच्युटी Gratuity**
		31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	**31 मार्च 2012 As at March 31, 2012**	**31 मार्च 2011 As at March 31, 2011**	**31 मार्च 2011 As at March 31, 2011**
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन : Change in benefit obligations:**				
	वर्ष के आरंभ में (1 अप्रैल 2011) अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year (April 1, 2011)	820.93	285.59	696.53	162.85
	अर्जन के फलस्वरूप परिवर्धन Addition on account of acquisition	0.00	0.26	0.00	0.00
	ब्याज लागत / Interest cost	67.73	23.54	57.46	13.38
	वर्तमान सेवा लागत / Current Service cost	45.84	19.22	9.63	20.52
	वर्ष के दौरान सीमा में वृद्धि के कारण उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	96.89

		(₹ करोड़) (₹ In Crores)			
		पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011
	अंतरित देयता आगम / (निर्गम) Liability Transferred In/(Out)	0.00	0.41	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(34.21)	(17.09)	(37.55)	(11.51)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (gain)/loss	63.49	61.02	94.86	3.46
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/obligation, end of the year	**963.78**	**372.94**	**820.93**	**285.59**
ख) b)	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में (1 अप्रैल 2011) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year (April 1, 2011)	764.65	276.79	685.5	157.45
	विलय के कारण परिवर्धन (आईएचएफएल) Addition on account of merger (IHFL)	0.00	0.00	0.00	0.00
	विलय के कारण परिवर्धन (आईजीएल) Addition on account of merger (IGL)	0.00	0.00	0.00	0.00
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	61.17	22.15	54.84	12.61
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	105.7	17.82	66.94	113.14
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other company	0.00	0.41	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(34.21)	(17.09)	(37.55)	(11.51)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial gain / (loss)	23.06	4.00	(5.08)	5.10
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**920.37**	**304.08**	**764.65**	**276.79**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान और योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	31 मार्च 2012 को लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at March 31, 2012	963.78	372.94	820.93	285.59

		(₹ करोड़) (₹ In Crores)			
		पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011
	भविष्य में अभिनिर्धारित /उपबंधित की जानेवाली अंतर्वर्ती (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/ provided in future	0.00	0.00	(6.15)	(3.24)
	31 मार्च 2012 को लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at March 31, 2012	963.78	372.94	814.78	282.35
	31 मार्च 2012 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at March 31, 2012	920.37	304.08	764.65	276.79
	अधिशेष / (घाटा) Surplus/(Deficit)	**(43.41)**	**(68.86)**	**(50.13)**	**(5.56)**
घ) d)	**31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year ended March 31, 2012**				
	सेवा लागत / Service cost	45.84	19.22	9.63	20.52
	ब्याज लागत / Interest cost	67.73	23.54	57.46	13.38
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(61.17)	(22.15)	(54.84)	(12.61)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/loss	40.43	57.01	99.94	(1.64)
	सीमा में वृद्धि के कारण अवधि के दौरान स्वीकार की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	96.89
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई अंतर्वर्ती देयता Transitional liability recognized during the year	6.15	3.24	6.15	3.25
	निवल लागत / Net cost	**98.98**	**80.86**	**118.34**	**119.79**
ङ) e)	**31 मार्च 2012 को परिसंपत्तियों की श्रेणी Category of Assets as at March 31, 2012**				
	भारत सरकार की परिसंपत्तियाँ Government of India Assets	504.01	0.00	382.85	0.00
	कॉरपोरेट बांड / एफडी / Corporate Bonds/FD	385.76	0.00	370.62	0.00

		(₹ करोड़) (₹ In Crores)			
		पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	31 मार्च 2012 As at March 31, 2012	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	0.00	302.77	0.00	275.35
	अन्य / Others	30.6	0.01	11.18	1.44
	कुल / Total	**920.37**	**302.78**	**764.65**	**276.79**
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर / Discount rate	9.00%	8.25% to 8.75%	8.25%	7.60 to 8.25%
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of return on plan assets	8.80%	8.80%	8.00%	8.00%
	वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate	5.00%	5.00% to 20.00%	5.00%	5.00% to 10.00%
	ह्रास दर / Attrition Rate	4.82%	4.82% to 80%	4.82%	4.82% to 80%
	मृत्यु दर / Mortality Rate	एलआईसी (1994-66) अंतिम / LIC (1994-66) Ultimate			

आईडीबीआई इंटेक लि. तथा आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. से कर्मचारी लाभ जानकारी उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा 31 मार्च 2012 के अनुसार परिसंपत्तियों की श्रेणी के विवरण केवल बैंक और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के ही उपलब्ध हैं.

Employee Benefit information from IDBI Intech Ltd. and IDBI Asset Management Ltd. is not available. Further, details of category of assets as at March 31, 2012 is available for the Bank and IDBI Capital Market Services Ltd. only.

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / SEGMENT REPORTING (AS-17)

i. समूह चार खंडों - थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, ट्रेज़री सेवाओं और संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनियों के परिचालनों सहित अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है. समूह की योजनाओं एवं सेवाओं का स्वरूप और जोखिम प्रोफाइल, ग्राहकों के लक्ष्य समूह की प्रोफाइल, संगठनात्मक ढांचा और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद खंड रिपोर्टिंग पर लेखा मानक 17 के अनुसार इन खंडों की पहचान की गई है. समूह ने कारोबार खंड का प्राथमिक खंड के रूप में प्रकटन किया है. चूंकि समूह भारत में परिचालन करता है, अतः समूह के बारे में यह माना गया है कि यह मुख्यतः केवल देशी खंड में परिचालन करता है और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.

The Group operates in four segments wholesale banking, retail banking, treasury services and other banking operations including operations of joint venture and subsidiaries. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Group. The Group has disclosed business segment as the primary segment. The Group primarily operates in India, hence the Group has been considered to operate predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

ii. खंड राजस्व, परिणामों, परिसंपत्तियों और देयताओं में वे राशियां शामिल हैं जो प्रत्येक खंड के लिए अभिनिर्धारित करने योग्य हैं, साथ ही प्रबंधन के अनुमान के अनुसार आबंटित हैं. ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनकी पहचान खंडवार रूप में नहीं की जा सकती, उन्हें अनाबंटित परिसंपत्तियों और देयताओं में समूहित किया जाता है.

Segment revenue, results, assets and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

समेकित खंडवार जानकारी / Consolidated Segment Information

(₹ करोड़) (₹ in '000s)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended Mar 31, 2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended Mar 31, 2011
		(लेखा-परीक्षित) (Audited)	(लेखा-परीक्षित) (Audited)
क. a.	**खंड राजस्व Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale banking	23712 66 40	19190 74 42
	खुदरा बैंकिंग Retail banking	15011 19 31	11086 04 11
	ट्रेजरी / Treasury	435 39 66	310 15 94
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	323 27 11	189 88 51
	कुल / TOTAL	**39482 52 48**	**30776 82 98**
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less : Inter-segment revenue	13890 37 15	9938 64 02
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय / Net sales / income from operations	**25592 15 33**	**20838 18 96**
ख. b.	**खंड परिणाम- कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results - Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट /थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	2448 62 32	1866 64 11
	खुदरा बैंकिंग/ Retail banking	47 58 60	273 63 34
	ट्रेजरी / Treasury	121 16 52	149 93 37
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	16 17 79	(91 22 32)
	कुल / TOTAL	**2633 55 23**	**2198 98 50**
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income		
	कर पूर्व कुल लाभ / Total profit before tax	**2633 55 23**	**2198 98 50**
	आय कर / Income taxes	620 43 53	635 47 52
	कुल / Net profit	**2013 11 70**	**1563 50 98**
ग. c.	**खंड परिसंपत्तियां Segment assets**		
	कॉरपोरेट /थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	197685 48 02	168776 86 84
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	84469 74 95	78369 05 14
	ट्रेजरी / Treasury	6653 34 68	4343 04 16
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	281 58 36	427 88 43
	अविनिधानित कॉरपोरेट परिसंपत्तिया / Unallocated corporate assets	1606 52 15	1640 75 74
	कुल परिसंपत्तियां / Total assets	**290696 68 16**	**253557 60 31**

(₹ करोड़) (₹ in '000s)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended Mar 31, 2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended Mar 31, 2011
		(लेखा-परीक्षित) (Audited)	(लेखा-परीक्षित) (Audited)
घ. d.	**खंड देयताएं Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	167865 19 55	158970 99 53
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	103121 03 82	78644 18 16
	ट्रेजरी /Treasury	170 55 00	732 39 14
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	149 55 49	228 10 35
	अविनिधानित कॉरपोरेट देयताएं / Unallocated corporate liabilities	1882 93 76	2337 73 67
	कुल देयताएं / Total liabilities	**273189 27 62**	**240913 40 85**

नोट : विदेशी परिचालन 10% की निर्दिष्ट अधिकतम सीमा से कम हैं ,अतः सेकडरी खंड से संबंधित जानकारी नहीं दी गई है.

Note: Overseas operations are less than the threshold limit of 10% and hence secondary segment information is not furnished.

4. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTIES DISCLOSURE (AS-18):

i) संस्था के प्रमुख प्रबंध कार्मिक / **Details of Key Management Personnel**

संस्था / Entity	प्रमुख प्रबंध कार्मिक/ Key Management Personnel
आईडीबीआई बैंक लि. / IDBI Bank Ltd.	क) श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक a) Shri R.M Malla, Chairman & Managing Director
	ख) श्री बी पी सिंह, उप प्रबंध निदेशक (31 जनवरी 2012 तक) b) Shri B.P. Singh , Deputy Managing Director (upto January 31,2012)
	ग) श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (13 जनवरी 2012 से) c) Shri B.K. Batra, Deputy Managing Director (w.e.f. January 13, 2012)
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	श्री अभय बोंगिरवार, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri. Abhay Bongirwar, Managing Director & C.E.O
आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.	श्री संजय शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Sanjay Sharma, Managing Director & C.E.O
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	श्री जी वी नागेश्वर राव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri G. V. Nageswara Rao, Managing Director & C.E.O
आईडीबीआई एम एफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	श्री देबाशीष मलिक, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Debashish Mallick, Managing Director & C.E.O
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd.	श्री देबाशीष मलिक, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Debashish Mallick, Managing Director & C.E.O.
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड IDBI Trusteeship Services Limited	श्री एस.के. मित्तर, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri S.K. Mitter, Managing Director & CEO

ii) **संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन / Transaction with related parties:**

(₹ करोड़) (₹ In '000s)

विवरण **Particulars**	**प्रमुख प्रबंध कार्मिक** **Key Management Personnel**	**कार्मिक प्रमुख प्रबंध कार्मिकों के संबंधी** **Relatives of key management personnel**	**कुल** **Total**
प्राप्त जमाराशिया Deposit Received	98,34 (138,32)	5,00 (226,18)	103,34 (364,50)
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	118,54 (182,68)	8,62 (245,08)	127,16 (427,76)
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	173,75 (232,66)	25,04 (254,17)	198,79 (486,83)
दिए गए अग्रिम / Advances given	7,40 (0.00)	2,88 (0.00)	10,28 (0.00)
बकाया अग्रिम / Advances outstanding	24,46 (35,67)	2,84 (0.00)	27,30 (35,67)
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advance due during the year	24,55 (37,90)	2,84 (11,53)	27,39 (49,43)
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on advances	39 (61)	2 (3)	41 (64)
अग्रिमों पर उपचित ब्याज Interest accrued on advances	16 (0.00)	3 (0.00)	19 (0.00)
जमाराशियों पर ब्याज / Interest on Deposits	12,48 (9,25)	1,04 (1,36)	13,52 (10,61)
पारिश्रमिक/प्रतिपूर्तियां Remuneration/Reimbursements	247,90 (374,00)	0.00 (0.00)	247,90 (374,00)
अन्य आय / Other income	98 (3,21)	0.00 (0.00)	98 (3,21)

5. परिचालनात्मक पट्टा (एएस-19) / Operating Lease,(AS-19)

वर्ष के दौरान निरसन योग्य परिचालनगत पट्टे पर प्रदत्त / देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ - हानि लेखे में ₹ 163,41,75 हज़ार (164,92,59 हज़ार) प्रभारित किए गए.

For the Group amount of ₹ 163,41,75 Thousand (₹ 164,92,59 Thousand) has been charged to Profit and Loss Account during the year towards lease charges paid/payable on cancellable operating lease.

6. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20): / EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण Particulars	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2011
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (₹ हजार) Net profit considered for EPS calculation (₹ in Thousands)	2002 49 82	1563 50 98
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिये गये ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for basic EPS	98,69,61,399	89,84,29,626
जोड़ें : मंजूर किए गए कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईसॉप) का न्यूनीकृत प्रभाव) Add : Dilutive impact of employee stock options granted	59,214	2,49,572
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिये गये ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for diluted	98,70,20,613	89,86,79,198
प्रति शेयर आय (मूल) (₹) / Earnings per share (Basic) (₹)	20.29	17.40
प्रति शेयर आय (न्यूनीकृत)(₹) / Earnings per share (Diluted) (₹)	20.29	17.40
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10	10

7. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22):

i) आस्थगित कर परिसंपत्तियां / देयताएं / Deferred Tax Assets/Liabilities

(₹ करोड़) (₹ in '000s)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31,2012	यथा 31 मार्च 2012 As at 31st March,2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31st March,2011
आस्थगित कर देयता / Deferred tax liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	(707,05)	47,45,55	54,49,28
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित एवं संचालित विशेष आरक्षित निधि Special Reserve created and maintained 36(1)(viii) of the Income -tax Act, 1961	(183,63,87)	0.00	183,63,87
विपणन एवं वितरण व्यय का परिशोधन Amortization of marketing & Distribution expenses	(130,15)	(8,62)	121,53
कुल (अ) / Total (A)	**(192,01,07)**	**47,36,93**	**239,34,68**
आस्थगित कर परिसंपत्ति / Deferred tax Asset			

(₹ करोड़) (₹ in '000s)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31,2012	यथा 31 मार्च 2012 As at 31st March,2012	यथा 31 मार्च 2011 As at 31st March,2011
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत न किए गए एनपीए प्रावधान NPA provisions not allowed under Income tax Act, 1961	214,68,14	569,17,54	353,98,56
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Advances			50,84
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए)(i ए) आदि के अंतर्गत अस्वीकृति Disallowance u/s 43b,40(a)(ia) etc. of the Income tax Act, 1961	16,13,88	121,10,84	104,96,95
आगे ले जाया गया घाटा / Carry Forward Loss	(14,39)	0.00	14,39
प्रारंभिक लाभ से घाटा पूर्ति Amortization of Preliminary Expenses	(11,53)	(2 ,11)	9,43
पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Restrucuted Advances	85,54,25	306,60,89	221,06,65
कुल (आ) / Total (B)	**316,10,35**	**996,87,16**	**680,76,82**
आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति)(निवल)(अ)-(आ) **Deferred tax liability/(asset)(net)(A)-(B)**	**(508,11,42)**	**(949,50,23)**	**(441,42,14)**

1. अब तक 'आय पर कर के लेखांकन' पर विचार करते समय लेखांकन मानक (एएस-22) के अंतर्गत नियत आस्थगित कर देयता (डीटीएल) 'आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व' (विशेष रिज़र्व) पर सृजित की जाती थी. तथापि बैंक के निदेशक मंडल ने यह संकल्प पारित किया है कि विशेष रिज़र्व से कोई राशि आहरित करने का कोई इरादा नहीं है. इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा बैंक द्वारा प्राप्त की गई विशेषज्ञों की राय के अनुसरण में विगत वर्षों में व चालू वर्ष में विशेष रिज़र्व की जिस राशि के लिए कटौती का दावा किया गया है तथा / अथवा करयोग्य आय के रूप में गणना करने की अनुमति दी गई है, उसे एएस-22 के तहत 'सामयिक अंतर' के बजाए 'स्थाई अंतर' माना जाएगा.

   Hitherto, Deferred Tax Liability (DTL) as stipulated under Accounting Standard (AS- 22) dealing with "Accounting for Taxes on Income" was created on "Special Reserve created and maintained under section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961" (Special Reserve). However the Board of Directors of the Bank has passed a resolution that there is no intention to withdraw any amount from the Special Reserve. Taking this into consideration, as well as an expert opinion obtained by the Bank, the amount of Special Reserve for which deduction has been claimed and/ or allowed in computing taxable income in the earlier years and the current year is considered as a "permanent difference" under AS 22.

   उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विगत वर्षों में विशेष रिज़र्व में डीटीएल के रूप में सृजित ₹183.64 करोड़ की राशि उलट दी गई है तथा चालू वर्ष के लाभ में से विनियोजित विशेष रिज़र्व में डीटीएल के रूप में ₹ 65 करोड़ की राशि का सृजन नहीं किया गया है.

   In view of the above, DTL of ₹ 183.64 crore created on such Special Reserve in the earlier years has been reversed and DTL of ₹ 65 crore has not been created in respect of Special Reserve appropriated out of the profits for the current year.

ii) **कराधान के लिए प्रावधान / Provision of Taxation**

(₹ करोड़) (₹ in '000s)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31,2012	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31,2011
क. / a.	आय कर / Income Tax	1128,54,29	737,33,91
ख. / b.	अनुषंगी लाभ कर / Fringe Benefit Tax	शून्य / NIL	शून्य / NIL
ग. / c.	धन - संपदा कर / Wealth Tax	66	11

8. बंद परिचालन (एएस-24) / DISCONTINUING OPERATION (AS-24):

क. आईसीएमएस के मामले में कंपनी की प्राथमिल डीलरशिप (पीडी) गतिविधियाँ 24 जुलाई 2007 से पूर्णतः बंद कर दी गई हैं. कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे जारी किए गए 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था' विषयक पंजीयन प्रमाणपत्र वापस कर दिया है और भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अगस्त 2007 के आदेश द्वारा पंजीयन प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है.

a. In case of ICMS the Primary Dealership (PD) activities of the company have been fully discontinued with effect from July 24, 2007. The Company surrendered the Certificate of Registration issued to it by Reserve Bank of India as it ceased to be a Non Banking Financial Institution and the Reserve Bank of India vide its order dated August 1, 2007 has cancelled the Certificate of Registration.

ख. पीडी की कारोबार गतिविधियाँ 24 जुलाई 2007 से पूर्णतः बंद कर दी गई हैं. उपर्युक्त बंद परिचालन की परिसंपत्तियां व देयताएं 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष की बहियों से निकाल दी गई हैं.

b. The business activities of PD have been discontinued with effect from July 24, 2007. All the Assets and liabilities of the above discontinued operation have been extinguished from the books in the financial year ended 31.03.2011.

9. आस्तियों की अनर्जकता (एएस- 28) / IMPAIRMENT OF ASSETS (AS-28):

समूह द्वारा अधिग्रहित अचल परिसंपत्तियों को 'कॉरपोरेट परिसंपत्तिट माना गया है तथा उन्हें एएस - 28 द्वारा परिभाषित 'नकदी सृजित करने वाली इकाईट नहीं माना जाता है. प्रबंधन के मतानुसार, बैंक की अचल परिसंपत्तियों में कोई परिसंपत्ति अनर्जक नहीं हुई है.

Fixed assets acquired by the Group are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Unit' as defined by AS-28. In the opinion of the management there is no impairment of any of the fixed assets.

10. इन लेखों में शामिल किए गए आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षकों के साथ उक्त कंपनी के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है, तथापि उनके बोर्ड की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जानेवाली है जहां लेखों को बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा.

Financial Statements of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd as incorporated in these accounts has been reviewed by the Audit Committee of the Board of the said Company. However, their Board meeting is scheduled to be held shortly where the accounts would be adopted by the Board.

11. रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए अपेक्षित गुणवत्तात्मक और मात्रात्मक दोनों समेकित बासेल II (पिलर III) प्रकटन संलग्न अनुबंध 'अ' के अनुसार हैं.

Consolidated Basel II (Pillar III) disclosures as required by RBI, both qualitative and quantitative for the year 2011-12 are as per attached Annexure 'A'.

12. (i) वर्ष के दौरान भारत सरकार व भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान्य आधार पर निम्नानुसार ईक्विटी शेयर आबंटित किए गए:

During the year Equity shares of the Bank were allotted to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis as under:

लाभार्थी **Beneficiary**	**आबंटन का प्रकार** **Type of allotment**	**राशि (₹ करोड़) Amount (₹ in Crore)**	**शेयरों की संख्या (₹ 10 का अंकित मूल्य) No. of Shares (Face value ₹ 10)**	**निर्गम मूल्य Issue Price**	**प्रति शेयर प्रीमियम Share premium per share**	**आबंटन की तारीख़ Date of Allotment**
भारत सरकार Government of India	टीयर I बाँडों के रूपांतरण के बाद अधिमान्य आबंटन आधार पर ईक्विटी शेयर Equity shares on preferential allotment basis upon conversion of Tier I Bonds	2,130.50	18,85,56,509	112.99	102.99	28 मार्च 2012 March 28, 2012
भारत सरकार Government of India	अधिमान्य आबंटन आधार पर ईक्विटी शेयर Equity Shares on preferential allotment basis	810.00	7,16,87,760	112.99	102.99	31 मार्च 2012 March 31, 2012
भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India (LIC)	अधिमान्य आबंटन आधार पर ईक्विटी शेयर Equity Shares on preferential allotment basis	378.52	3,35,00,000	112.99	102.99	31 मार्च 2012 March 31, 2012

(ii) वर्ष के दौरान ईसोप का प्रयोग कर 69 294 (1 97 068) ईक्विटी शेयरों का आबंटन किया गया.
69294 (197068) equity shares allotted during the year against ESOPs exercised by the Bank employees.

13. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत 31 मार्च 2011 को सहायक कंपनियों की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नलिखित है :

Summarized financial information of the subsidiaries under Section 212 of the Companies Act, 1956 as at March 31, 2012 are as under:

(₹ हजार) (₹ In '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.	आईडी बीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd
पूंजी / Capital	13 12 82	128 10 00	20 00	603 28	75 00 00
रिज़र्व / Reserves	12 66 11	181 74 49	23 69	59 84 75	(44 15 52)
कुल परिसंपत्तियां / Total Assets	51 03 66	322 52 21	57 83	81 40 60	36 08 47
कुल देयताएं (पूंजी एवं रिज़र्व को छोड़कर) Total Liabilities (excluding Capital & Reserves)	25 24 73	12 68 50	14 13	15 52 58	524 00
निवेश / Investments	0.00	97 63 08	30 00	1 01	13 65 81
कुल कारोबार / Turnover	185 43 62	94 21 77	46 24	39 17 80	10 51 02
कर पूर्व लाभ Profit before taxation	483 37	37 97 10	30 15	31 43 91	(18 87 34)
कर / Tax	85 18	12 39 40	9 11	10 23 93	(123 55)
कर पश्चात लाभ Profit after taxation	403 50	25 56 70	21 04	21 19 98	(17 63 79)
अंतरित लाभांश Interim Dividend	0.00	10%	0.00	50%	0.00
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend	5%	0.00	0.00	50%	0.00

टिप्पणी : उपर्युक्त किसी भी सहायक कंपनी की कोई सहायक कंपनी नही है.

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

14. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मूल, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के पृथक् वित्तीय विवरणों में प्रकटित ऐसी अतिरिक्त सांविधिक जानकारी जिसका समेकित वित्तीय विवरणों को सही और उचित रूप से दर्शाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और उन मदों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरण में नहीं किया गया है.

Additional statutory information disclosed in separate financial statements of parent, subsidiaries and joint ventures having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statement in the view of general clarification issued by ICAI.

15. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सदस्यता अधिकारों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसईएल) के क्रय-विक्रय अधिकारों तथा बीएसईएल के शेयरों में परिवर्तन के बाद, उक्त कंपनी ने परंपरागत लागत पर क्रय-विक्रय अधिकार और अंकित मूल्य पर शेयरों को जारी रखा. तथापि यह लेखांकन पद्धति इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार नहीं है. विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि लेखांकन मानक परिसंपत्तियों के विनिमय को शामिल करने वाले लेन-देनों के मामले में परंपरागत लागत आधारित लेखांकन प्रक्रिया की परिकल्पना नही करते हैं.

IDBI Capital Market Services Ltd., after conversion of their Bombay Stock Exchange (BSE) membership rights into trading rights of Bombay Stock Exchange Ltd (BSEL) and shares of BSEL, continues to carry trading rights at historic cost and shares at face value. However this accounting treatment is not in accordance with the Opinion given by Expert Advisory Committee (EAC) of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). EAC recommends that accounting standard does not envisage historical cost based accounting treatment in case of transactions involving exchange of assets.

16. चालू वर्ष के आँकड़ों में आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. (आईटीएसएल) के 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012 के आँकड़े शामिल हैं. अतः चालू वर्ष के आँकड़ों की पिछले वर्ष के आँकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती.

Current year figures include those for IDBI Trusteeship Services Ltd. (ITSL) for the period Oct 1, 2011 to March 31, 2012. Hence current year figures are strictly not comparable with previous year figures.

17. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया , पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित तथा पुनर्व्यवस्थित / समायोजित किया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सके.

Figures for the previous year have been regrouped and re arranged /adjusted wherever considered necessary to make them comparable with the current year figures.

18. कोष्ठकों मे दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं.

Figures in brackets pertain to the previous year.

'1' से '18' लेखा अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर
Signatures to schedules '1' to '18' of Accounts

लेखों की अनुसूची '1' से '18' के लिए हस्ताक्षर
Signatures to schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेशनुसार
BY ORDER OF THE BOARD

(सुभाष तुली)	(पी. एस. शेनॉय)	(बी.के. बत्रा)	(आर. एम. मल्ला)
(Subhash Tuli)	(P.S. Shenoy)	(B.K. Batra)	(R.M Malla)
निदेशक	निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Director	Director	Dy.Managing Director	Chairman & Managing Director

(पी. सीताराम)
(P.Sitaram)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

स्थानः मुंबई
Place: Mumbai

दिनांकः 21 अप्रैल, 2012
Date: April 21, 2012

(₹ हजार) (₹ in '000s)

		31-03-2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
क	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
A.	**Cash flow from Operating Activities**		
	(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ		
	Net Profit before tax and extra-ordinary items	2633 55 23	2198 98 50
	(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन		
	Adjustments for non cash items:		
	– अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से (लाभ) / हानि (निवल)		
	(Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	(2 37 14)	2 69 44
	– निवेश के पुनर्मूल्यांकनपर हानि		
	Loss on Revaluation of Investment	32 63 87	19 91 58
	– मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व घटाकर)		
	Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	120 42 02	130 50 44
	– ऋणों / निवेशों के लिए प्रावधान / बट्टे खाते डालना तथा अन्य प्रावधान		
	Provisions/Write off of Loans/Investments & other provisions	1504 56 33	1877 10 07
		4288 80 31	4229 20 03
	परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन		
	Adjustments for (increase)/decrease in operating assets:		
	– निवेश		
	Investments	(14869 67 67)	4675 67 53
	– अग्रिम		
	Advances	(25520 87 19)	(17844 51 45)
	– अन्य परिसंपत्तियां		
	Other Assets	(673 08 53)	340 76 29
	– कर वापसी / (भुगतान)		
	Refund/(payment) of taxes	(1067 75 44)	(731 80 85)
	परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन		
	Adjustments for increase/(decrease) in operating liabilities:		
	– उधार राशियां		
	Borrowings	4038 48 87	1581 93 83
	– जमाराशियां		
	Deposits	29844 35 08	12856 86 99
	– अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
	Other liabilities and provisions	714 84 97	(1598 36 68)
	परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी		
	Net Cash used in/generated from Operating activities	(3244 89 60)	3509 75 69
ख	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
B.	**Cash Flow from Investing activities**		
	– सहायक संस्था के अभिग्रहण के लिए अतिरिक्त प्रतिफल		
	Additional consideration for Acquisition of Subsidiary	(17 37 00)	-
	– अचल परिसंपत्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर)		
	Purchase (Net of Sales) of fixed assets	(159 58 53)	(213 87 60)
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी		
	Net cash used in / raised from Investing activities	(176 95 53)	(213 87 60)

(₹ हजार) (₹ in '000s)

		31-03-2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-11
ग C.	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Financing activities**		
	– ईक्विटी शेयरों का निर्गम Issue of Equity Shares	1189 11 13	3121 12 79
	– प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and dividend tax paid	(632 62 24)	(253 84 87)
	वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	556 48 89	2867 27 92
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	(2865 36 24)	6163 16 01
	प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	20916 97 71	14753 81 70
	निम्न से अंतरित नकदी व नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents transferred from :		
	– आईटीएसएल, अभिग्रहण के फलस्वरूप ITSL, pursuant to acquisition	42 04	-
	अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	18052 03 51	20916 97 71
	नकदी प्रवाह के लिए टिप्पणी: Note to Cash Flow Statement:		
	नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन-पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	15094 32 12	19563 75 69
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks & money at call and short notice	2957 71 39	1353 22 02
	कुल/ Total	18052 03 51	20916 97 71

टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.
Figures for the previous year have been regrouped, wherever considered necessary.

बोर्ड के आदेशानुसार
BY ORDER OF THE BOARD

सुभाष तुली (Subhash Tuli) निदेशक Director	पी. एस. शेनॉय (P.S. Shenoy) निदेशक Director	बी. के. बत्रा (B.K.Batra) उप प्रबंध निदेशक Dy.Managing Director	(आर. एम. मल्ला) (R.M. Malla) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report attached of even date

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कं. For S. P. Chopra & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (पवन के. गुप्ता) (Pawan K. Gupta) साझेदार Partner सदस्यता सं. 92529 Membership No.92529 फर्म रजि. सं. Firm Regn.No. 000346N	कृते चोकशी एंड चोकशी For Chokshi & Chokshi सनदी लेखाकार Chartered Accountants (निलेश आर. जोशी) (Nilesh R Joshi) साझेदार Partner सदस्यता सं. 114749 Membership No.114749 फर्म रजि. सं. Firm Regn. No.101872W	(पी. सीताराम) (P. Sitaram) मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer

मुंबई, 21 अप्रैल 2012
Mumbai, April 21, 2012

समेकित पिलर III प्रकटन
Consolidated Pillar III Disclosures

डीएफ - 1: प्रयोज्यता का क्षेत्र
DF-1: Scope of Application

(क) **समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है :** आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् बैंक रूप में निर्दिष्ट) मूल कंपनी है, जिस पर बासेल II रूपरेखा लागू है.

(a) **The name of the top bank in the group to which the Framework applies:** IDBI Bank Ltd (hereinafter referred to as the Bank) is the parent company to which the Basel II Framework applies.

(ख) **समूह की संस्थाओं का संक्षिप्त ब्योरा देते हुए लेखांकन व विनियामक प्रयोजन हेतु समेकन के आधार में होने वाले अंतर की रूपरेखा:** समेकन का कार्य सभी लेनदेनों व इसी प्रकार की परिस्थितियों की अन्य गतिविधियों के लिए समान लेखांकन नीतियों के आधार पर किया गया है. सांविधिक / विनियामक आवश्यकताओं के कारण जहां व्यावहारिक नहीं है, वहां संबंधित कानून / विनियामक प्राधिकारी द्वारा अधिदेशित लेखांकन नीतियां अपनाई गई हैं.

(b) **An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group.** The consolidation is done using uniform accounting policies for all transactions and other events in similar circumstances. Where it is not practical, due to statutory/ regulatory requirements, accounting policies as mandated by respective statutes/ regulatory authorities are followed.

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणपत्र भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधानों, रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को शामिल किया गया है.

The consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries confirm with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, RBI guidelines and Accounting Standards issued by the ICAI.

(i) पूर्णतः समेकित की गई संस्थाएं : / Entities that are fully consolidated:

क्र.सं. Sr. No.	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	कारोबार क्षेत्र Line of Business
1	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड IDBI Capital Market Services Ltd	कारोबार में स्टॉक ब्रोकिंग, वित्तीय योजनाओं का वितरण, मर्चेंट बैंकिंग, कॉरपोरेट सलाहकारी सेवाएं आदि शामिल हैं. Business includes stock broking, distribution of financial products, merchant banking, corporate advisory services etc.
2	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है. Manages Assets.
3	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited	म्यूच्युअल फंड कारोबार देखती है. Looks after Mutual Fund business

(ii) समानुपातिक आधार पर समेकित की गई संस्थाएं : कोई नहीं. **/ Entities that are pro-rata consolidated:** Nil

(iii) छोड़ दी गई संस्थाएं : / Entities that are given a deduction treatment:

क्र.सं. Sr. No.	सहायक संस्थाएं Entities	कारोबार क्षेत्र Lines of Business
1	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	जीवन बीमा के क्षेत्र में कारोबार करती है. Carry out business in the area of life insurance.

(iv) (iv) ऐसी संस्थाएं जो न तो समेकित की गई हैं, न ही छोड़ी गई हैं (अर्थात् जहां निवेश जोखिम भारित हों) :
Entities that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted):

क्र.सं. Sr. No.	संस्थाएं Entities	कारोबार क्षेत्र Lines of Business
1	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Ltd.	आईटी क्षेत्र की गतिविधियों में लगी है. Undertakes activities in the IT sector.
2	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड IDBI Trusteeship Services Ltd.	विभिन्न प्रकार की व्यापक कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवाएं उपलब्ध कराती है. Provides a wide spectrum of corporate trusteeship services.

(ग) सभी सहायक संस्थाओं में पूंजीगत कमियों की कुल राशि को समेकन में शामिल नहीं किया गया हो अर्थात् जो छोड़ दी गई हों, उनके नाम: कोई नहीं.

(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries : Nil

(घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (अर्थात् वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हों, साथ ही उनके नाम, उनके निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हित का अनुपात और हित, यदि अलग हो और उन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात. इसके अलावा इस पद्धति बनाम कटौती या वैकल्पिक समूह-वार पद्धति को अपनाने पर विनियामक पूंजी पर प्रभाव: कुछ नहीं.

(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, the impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction or alternate group-wide method: Nil

डीएफ 2 :पूंजी संरचना
DF 2: Capital structure

क) सारांश
a) Summary

रिज़र्व बैंक के पूंजी पर्याप्तता मानदंड पूंजीगत निधियों को टीयर I व टीयर II पूंजी में वर्गीकृत करते हैं.

The capital adequacy norms of RBI classify capital funds into Tier I and Tier II capital.

टीयर I पूंजी में निम्न घटक शामिल हैं: चुकता ईक्विटी पूंजी, सांविधिक रिज़र्व, अन्य प्रकटित निर्बंध रिज़र्व, पूंजी रिज़र्व तथा टीयर I में शामिल होने के पात्र नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत.

Elements of Tier I capital include; paid up equity capital, statutory reserves, other disclosed free reserves, capital reserves and Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) eligible for inclusion in Tier I capital.

टीयर II पूंजी में निम्न घटक शामिल है : पुनर्मूल्यन रिज़र्व, सामान्य प्रावधान एवं हानि रिज़र्व, मिश्रित ऋण पूंजी लिखत तथा पात्र गौण ऋण.

Elements of Tier II capital include; Revaluation reserves, general provisions and loss reserves, hybrid debt capital instruments and eligible subordinated debts.

31 मार्च 2012 के अनुसार बैंक की टीयर I पूंजी में निम्नलिखित शामिल है :

As on March 31, 2012 the Bank's Tier I capital includes :-

टीयर I बांड: वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान ऐसे लिखतों को जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किस्तों में ₹ 1,708.80 करोड़ के नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) जुटाये गये.

Tier I Bonds: Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) of ₹ 1,708.80 crore were raised in tranches between FYs 2008-09 and 2010-11 in compliance with RBI guidelines for issue of such instruments.

आईपीडीआई लिखत बेमीयादी स्वरूप के होते हैं, जिनमें रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से 10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन उपलब्ध होता है. बैंक का सीआरएआर सांविधिक आवश्यकताओं से कम होने पर इन बांडों पर ब्याज देय नहीं होता. इसके अलावा अप्रदत्त ब्याज संचयी नहीं होता. रिज़र्व बैंक के तत्कालीन दिशा-निर्देश के अनुसार इन बांडों पर ब्याज दर अधिकतम 100 आधार बिंदु की उत्तरोत्तर वृद्धि के विकल्प के साथ हो सकती थी तथा इस व्यवस्था का कॉल ऑप्शन के साथ केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था. तथापि रिज़र्व बैंक ने अपने 20 जनवरी 2011 के परिपत्र द्वारा इस प्रकार के उत्तरोत्तर वृद्धि विकल्प को बंद कर दिया है.

IPDI instruments are perpetual in nature, having a call option after 10 years, exercisable with the prior approval of RBI. Interest on these bonds is not payable if the Bank's CRAR is below the regulatory requirement and the unpaid interest is not cumulative. As per the then RBI guidelines, coupon on these bonds could carry a step-up option up to a maximum of 100 bps, which could be exercised only once, in conjunction with the call option. However, RBI vide its Circular dated January 20, 2011, has since disallowed such step-up option.

31 मार्च 2012 के अनुसार बैंक की टीयर II पूंजी में निम्नलिखित शामिल है:

As on March 31, 2012 the Bank's Tier II capital includes :-

(i) **अपर टीयर II बांड:** ऐसे लिखतों को जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न किस्तों में बैंक ने 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले अप्रतिभूत प्रतिदेय अपर टीयर II बांडों (रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से 10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन) के जरिए ₹ 4,286.20 करोड जुटाये थे. उक्त बांड टीयर II पूंजी के रूप में माने जाने के प्रयोजन से शेष परिपक्वता के अंतिम 5 वर्ष के दौरान क्रमिक रूप से बट्टे के अधीन होंगे. रिज़र्व बैंक के तत्कालीन दिशा-निर्देश के अनुसार इन बांडों पर ब्याज दर अधिकतम 100 आधार बिंदु की उत्तरोत्तर वृद्धि के विकल्प के साथ हो सकती थी तथा इस व्यवस्था का कॉल ऑप्शन के साथ केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था. तथापि रिज़र्व बैंक ने अपने 20 जनवरी 2011 के परिपत्र द्वारा इस प्रकार के उत्तरोत्तर वृद्धि विकल्प को बंद कर दिया है.

Upper Tier II Bonds: Unsecured, redeemable Upper Tier II bonds of ₹ 4,286.20 crore with a maturity of 15 years (call option after 10 years exercisable with the prior approval of RBI) were raised by the Bank in various tranches in adherence to the norms prescribed by RBI in this regard. These bonds are subject to progressive discounting during the last 5 years of residual maturity, for the purpose of treatment as Tier II capital. According to the then RBI guidelines, coupon on these bonds could carry a step-up option up to a maximum of 100 bps, which could be exercised only once, in conjunction with the call option. However, RBI vide its Circular dated January 20, 2011, has since disallowed such step-up option.

यदि बैंक की सीआरएआर विनियामक अपेक्षाओं से कम होती है तो इन बाँडों पर ब्याज देय नहीं होता. तथापि बाद के वर्षों में उपर्युक्त विनियामक अनुपालन होने पर उक्त अदत्त ब्याज अदा कर दिया जाता है.

Interest on these bonds is not payable if the bank's CRAR is below the regulatory requirement. The unpaid interest may, however, be paid in later years subject to the aforesaid regulatory compliance.

(ii) **गौण (निम्न) टीयर II बांड:** न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले अप्रतिभूत, प्रतिदेय, गौण (निम्न) टीयर II बांड विभिन्न किस्तों में जुटाए गए. 31 मार्च 2012 को ऐसे बांडों की कुल बकाया राशि ₹ 9032.05 करोड (₹ 7581.40 करोड़ के बट्टाकृत मूल्य के साथ) थी. इन लिखतों के संबंध में कम से कम 5 वर्ष तक प्रचलन के बाद रिज़र्व बैंक के पूर्व-अनुमोदन पर कॉल ऑप्शन का उपयोग, यदि कोई हो, किया जा सकता है. उक्त बांड भी टीयर II पूंजी के रूप में माने जाने के प्रयोजन से शेष परिपक्वता के अंतिम 5 वर्ष के दौरान क्रमिक रूप से बट्टे के अधीन होंगे. रिज़र्व बैंक के तत्कालीन दिशा-निर्देश के अनुसार इन बांडों पर ब्याज दर अधिकतम 50 आधार बिंदु की उत्तरोत्तर वृद्धि के विकल्प के साथ हो सकती थी तथा इस व्यवस्था का कॉल ऑप्शन के साथ केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था. तथापि रिज़र्व बैंक ने अपने 20 जनवरी 2011 के परिपत्र द्वारा इस प्रकार के उत्तरोत्तर वृद्धि विकल्प को बंद कर दिया है.

Subordinated (lower) Tier II Bonds: Unsecured, redeemable, subordinated (lower) Tier II Bonds with a minimum maturity of 5 years have been raised in various tranches. Outstanding balance of such bonds aggregated ₹ 9,032.05 crore as on March 31, 2012 (Discounted value of ₹ 7581.40 crore). Call option, if any, may be exercised for these bonds only with the prior approval of RBI, after the instrument has run for at least 5 years. These bonds are also subject to progressive discounting during the last 5 years of residual maturity, for the purpose of treatment as Tier II capital. As per the then RBI guidelines, coupon on these bonds could carry a step-up option up to a maximum of 50 bps, which could be exercised only once, in conjunction with the call option. However, RBI vide its Circular dated January 20. 2011 has since disallowed such step-up option.

बैंक की टीयर I और टीयर II पूंजी के रूप में शामिल होने के लिए पात्र लिखत धारकों की पहल पर या रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होंगे.

Instruments eligible for inclusion as Tier I & Tier II capital of the Bank are not redeemable at the initiative of the holders or without the consent of RBI.

ख) टीयर I व टीयर II पूंजी के रूप में गणना किए जाने वाले लिखतों की प्रमुख विशेषताएं

b) Main features of the instruments being reckoned as Tier I and Tier II capital

विवरण Particulars	जारी करने की तारीख Date of Issue	31.3.2012 को बकाया राशि (₹ करोड़) Amount Out-standing as on 31.3.12 (₹ Crore)	औसत अवधि (वर्षों में) Average Tenor (years)	भारित औसत कूपन (% वार्षिक) Weighted average Coupon (% p.a.)	वर्तमान Present Rating
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत Innovative Perpetual Debt Instruments	2008-09 व 2010-11 के दौरान विभिन्न तारीख़ों को On various dates between 2008-09 & 2010-11	1,708.80	बेमीयादी (10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन) Perpetual (Call option after 10 years)	9.40 #	क्रिसिल द्वारा 'एए/स्टेबल' इक्रा द्वारा 'एलएए' (स्टेबल आउटलुक के साथ) 'AA/Stable' by CRISIL 'LAA' by ICRA (with stable outlook)
अपर टीयर II बांड Upper Tier II Bonds	2008-09 व 2010-11 के दौरान विभिन्न तारीख़ों को On various dates between 2008-09 & 2010-11	4,286.20	15 (10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन) 15 (Call option after 10 years)	9.69 #	क्रिसिल द्वारा 'एए/स्टेबल' इक्रा द्वारा 'एलएए' (स्टेबल आउटलुक के साथ) 'AA/Stable' by CRISIL 'LAA' by ICRA (with stable outlook)
गौण (निम्न) Subordinated (lower)	विभिन्न तारीख़ों को On various dates	9,032.05*	9.71	9.06 @	क्रिसिल द्वारा 'एए+/स्टेबल' इक्रा द्वारा 'एलएए+' (स्टेबल आउटलुक के साथ) 'AA+/Stable' by CRISIL 'LAA+' by ICRA (with stable outlook)

कॉल ऑप्शन के संयोजन के साथ अधिकांश बॉंड श्रृंखलाओं में 50 आधार बिंदु की उत्तरोत्तर वृद्धि
With step up of 50 bps in most of the bond series, in conjunction with the call option

@ प्रयोज्य मामलों में कॉल ऑप्शन के संयोजन के साथ 25 आधार बिंदु की उत्तरोत्तर वृद्धि
With step up of 25 bps, in conjunction with the call option, in applicable cases

* ₹ 7581.40 करोड़ का बट्टाकृत मूल्य
Discounted value of ₹ 7581.40 crore

ग) पूंजी संरचना

c) Composition of capital

यथा मार्च 2012 / As on March 31, 2012 (₹ करोड़) (₹ Crore)

टीयर I पूंजी की राशि / Amount of Tier I Capital	
टीयर I पूंजी / Tier I Capital	
प्रदत्त शेयर पूंजी / Paid up share capital	1278.38
रिज़र्व / Reserves	16403.57
नवोन्मेषी लिखत / Innovative instruments	1708.80
सकल टीयर I पूंजी / Gross Tier I Capital	19390.75
कटौतियां: / Deductions:	
सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेश / Investments in subsidiaries / JVs	192.00
अमूर्त परिसंपत्तियां / Intangible assets	22.88
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred Tax asset	949.76
अन्य / Others	18.14
निवल टीयर I पूंजी (क) / Net Tier I Capital (a)	18207.97
टीयर II पूंजी की राशि / Amount of Tier II Capital	
टीयर II पूंजी / Tier II Capital	
पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व / Revaluation reserve	834.26
अपर टीयर II निवेश / Upper Tier II instruments	4286.20
लोअर टीयर II निवेश / Lower Tier II instruments	7581.40
सामान्य प्रावधान / General Provisions	892.24
सकल टीयर II पूंजी / Gross Tier II Capital	**13594.10**
कटौतियां: / Deductions:	
सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेश / Investments in subsidiaries / JVs	192.00
अन्य कटौतियां / Other deductions	18.14
निवल टीयर II पूंजी (ख) / Net Tier II Capital (b)	**13383.96**
कुल पात्र पूंजी (क + ख) / Total Eligible capital (a+b)	**31591.93**
वर्ष 2010-11 के दौरान जुटायी गई पूंजी / Capital raised during the year 2011-12:	
टीयर I / Tier I	1189.24
अपर टीयर II / Upper Tier II	0.00
लोअर टीयर II / Lower Tier II	2834.40
कुल / Total	**4023.64**

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

डीएफ-3: पूंजी पर्याप्तता / DF-3: Capital Adequacy:

बैंक ऋण निवेश के मूल्य में हानि जोखिम के विरूद्ध कुशन के रूप में तथा जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों को हानियों से बचाने के लिए पूंजी रखता है. बैंक अपनी पूंजी आवश्यकता और पूंजी की भावी ज़रूरत को कारोबार रणनीति के तहत अपनी वार्षिक कारोबार योजना में रखता है. बैंक की पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में तुलन पत्र विन्यास, पोर्टफोलियो मिश्र तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार करता है. इसके अलावा ब्याज दर और नकदी स्थिति के संबंध में बाजार की हलचल पर भी विचार किया जाता है. साथ ही पूर्वानुमानों में सुस्पष्टता दर्शाने के लिए ऋण विन्यास और रेटिंग मैट्रिक्स का भी उपादान किया जाता है.

Capital is maintained by the Bank as a cushion against risk of loss in the value of exposures and to protect the depositors and general creditors against probable losses. The Bank projects its capital requirement and its future need for capital as a part of its annual business plan, in accordance with the business strategy of the Bank. In calculating the capital requirements of the Bank, broad parameters viz. balance sheet composition, portfolio mix and relevant discounting are considered. In addition, views regarding market behaviour with regard to interest rate and liquidity positions are also taken into account. Further, the loan composition and rating matrix is factored in to reflect precision in projections.

बैंक में वर्तमान व भावी जोखिमों को निर्धारित करने व उनके बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता और आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू है. इस नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा अनुभूत किए जानेवाले कई भावी व वास्तविक जोखिमों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव तथा जोखिम पर अंकुश लगाने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने व पूँजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखने की प्रक्रिया शामिल है. आईसीएएपी कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से किया जाता है कि बैंक के पास चालू तथा भावी आवश्यकताओं के साथ अपनी विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूँजी का पर्याप्त स्तर है. इस कार्य में विभिन्न दबाव परिदृश्य भी शामिल किए जाते हैं, जो बैंक की जोखिम रूपरेखा तथा पूँजी की स्थिति पर ऐसे गंभीर किंतु सत्याभासी परिदृश्य के प्रभाव में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं. बैंक में संचालित आईसीएएपी कार्य यह दर्शाता है कि बैंक विनियामक आवश्यकताओं से कहीं अधिक कार्य कर रहा है.

To quantify and project current and future risks, the Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy. The policy covers the process for addressing various potential and actual risks faced by the Bank, measuring their impact on the financial position and formulating appropriate strategies for risk containment and maintaining adequate levels of capital. The ICAAP exercise is conducted periodically to determine that the Bank has adequate level of capital to meet its regulatory requirements along with current and future business needs. Various stress scenarios are also incorporated in the exercise which provide an insight into the impact of such severe but plausible scenarios on the Bank's risk profile and capital position. The ICAAP exercises conducted at the Bank indicate that the Bank is operating well above the regulatory requirements.

पूँजी पर्याप्तता ढांचे के बारे में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने बासेल II दिशा निर्देशों के पिलर I के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता का आकलन करने के लिए ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाज़ार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया है. रिज़र्व बैंक के दिशा - निर्देशों के अनुसार बैंक को जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में कुल पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम 9% (समेकित आधार पर) रखना अपेक्षित है, जिसमें से टीयर I पूंजी का अनुपात न्यूनतम 6% होना चाहिए. बैंक की सीआरएआर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर से अधिक अनुमानित की गई है. 31 मार्च 2012 को बैंक की सीआरएआर 14.58% थी तथा टीयर I अनुपात 8.38% था. 31 मार्च 2012 को समूह (समेकित) की सीआरएआर 14.70% थी तथा समूह के लिए टीयर I अनुपात 8.47% था. 31 मार्च 2012 को विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए न्यूनतम 9% की पूंजी आवश्यकताओं और बैंक की सीआरएआर की समेकित स्थिति निम्नानुसार है:

As per the RBI guidelines on New Capital Adequacy Framework, the Bank has adopted the standardised approach for Credit Risk, the basic indicator approach for Operational Risk and the standardised duration approach for Market Risk for calculating the Bank's capital adequacy under Pillar I of RBI guidelines on Basel II. The Bank is required to maintain a minimum Total Capital to Risk weighted assets (CRAR) ratio of 9% (on consolidated basis) comprising a minimum Tier I capital ratio of 6%. CRAR of the Bank is well above the minimum capital as stipulated by RBI. At a standalone level, the CRAR of the Bank as on March 31, 2012 is 14.58 % and the Tier I ratio is 8.38%. The total CRAR of the Group (consolidated) as on March 31, 2012, 14.70% and the Tier I for the group is 8.47%. The position of the Minimum Capital required (at 9%) for different types of risks and the CRAR of the Bank on a consolidated basis as on March 31, 2012 is as follows:

(₹ करोड) (₹ Crore)

(क) **ऋण जोखिम पूंजी:** (a) **Credit risk Capital:**	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो / Portfolios subject to standardised approach	17415.44
प्रतिभूतिकरण / Securitisation	1.01
(ख) **बाजार जोखिम पूंजी :** (b) **Market risk Capital:**	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण / Standardised duration approach	
ब्याज दर जोखिम / Interest Rate Risk	435.06
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) / Foreign exchange Risk (including Gold)	9.00
ईक्विटी जोखिम / Equity Risk	799.57
(ग) **परिचालन जोखिम पूंजी** (c) **Operational risk Capital:**	
मूल संकेतक दृष्टिकोण / Basic indicator approach	686.37
कुल अपेक्षित न्यूनतम पूंजी / Total Minimum Capital required	**19346.45**
कुल एवं टीयर I पूंजी का अनुपात / Total and Tier 1 capital ratio:	
टीयर I (%) / Tier I (%)	8.47%
कुल (%) / Total (%)	14.70%

डीएफ 4 : ऋण जोखिम-सामान्य प्रकटन / DF 4: Credit Risk - General Disclosures

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा के अंतर्गत देयताओं को पूरा न करने और शर्तों का पालन न कर पाने के कारण उत्पन्न होता है. इस तरह की किसी भी चूक का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. बैंक में ऋण जोखिम उसके उधार और निवेश परिचालनों के जरिए उत्पन्न होता है. बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंध ढाँचा बनाया गया है.

Credit risk is the risk of loss that may occur from failure of the counterparty to meet its obligations and to abide by the terms of the financial contract. Any such failure has an adverse effect on the financial performance of the Bank. The Bank faces credit risk through its lending and investment operations. To counter the effect of the credit risks faced by the Bank, a robust risk management framework has been set up.

क. बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

a. Bank's Credit risk management policy

बैंक के पास एक ऋण नीति है जो ऋण सहायता के परिमापन, निगरानी और नियंत्रण द्वारा एक उच्च गुणवत्तापूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है. यह नीति स्वीकार्य जोखिम समायोजित प्रतिफल के साथ अधिक कणिक कारकों जैसे कंपनियों, कारोबार समूह, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा ऋण उत्पादों में पोर्टफोलियो के विशाखन पर भी ध्यान देती है. मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में यह नीति ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है. ऋण नीति की बोर्ड द्वारा हर वर्ष समीक्षा की जाती है और उसे अनुमोदित किया जाता है.

The Bank has a Credit Policy which is guided by the objective to build, sustain and maintain a high quality credit portfolio by measurement, monitoring and control of the credit exposures. The policy also addresses more granular factors such as diversification of the portfolio across companies, business groups, industries, geographies and credit products with an acceptable risk-adjusted yield. The policy reflects the Bank's approach towards lending to corporate clients in the light of prevailing business environment and regulatory stipulations. The Credit policy is reviewed annually and approved by the Board of Directors.

ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए और ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूह कंपनियों के संबंध में ऋण सहायता मानदंड, संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण, उद्योग को ऋण सहायता और अप्रतिभूत ऋण सहायता के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किये हैं. नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किये गये हैं. बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, पूंजी बाजार तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा विशिष्ट रूप से जारी किये गये निदेशों का पालन करता है. इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं.

To measure credit risk and to avoid concentration of credit risk, the Bank has in place internal guidelines on exposure norms in respect of single borrower, group companies, exposure to sensitive sector, industry exposure and unsecured exposures. Norms have also been detailed for soliciting new business as well as for preliminary scrutiny of new clients. The Bank abides by the directives specifically issued by RBI, SEBI and other regulatory bodies in respect of lending to any industry including NBFCs, Commercial Real Estate, Capital markets, and Infrastructure. In addition, internal limits have been prescribed for certain specific segments based on prudential considerations.

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में ऋण-निवेश से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर और विभिन्न देशों में ऋण-निवेश से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट नीतियाँ हैं.

The Bank has a specific policy on Counter Party Risk pertaining to exposure on domestic & international banks and a specific policy on Country Risk Management pertaining to exposure on various countries.

बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत बैंक की खुदरा परिसंपत्तियों को बढ़ाने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए मानक, प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां निर्दिष्ट की गयी हैं. यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है. इस नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गतिकी की प्रत्याशा में या के प्रत्युत्तर में समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा में परिवर्तन करता है या जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है.

The Bank's Credit Policy also details the standards, processes and systems for growing and maintaining the Retail Assets of the Bank. The policy also guides the formulation of Individual Product Program Guidelines for various retail products. The policy is reviewed either in anticipation of or in response to the dynamics of the environment (regulatory and market) in which the Bank operates or change in strategic direction or change in risk tolerance, etc.

ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया: / Credit risk assessment process:

ऋण जोखिम संबंधी सभी पहलू बैंक की ऋण नीति द्वारा संचालित होते हैं. निदेशक मंडल ने ऋण प्रस्तावों की मंजूरी हेतु प्रत्यायोजन संरचना अनुमोदित की है.

All credit risk related aspects are governed by the Credit Policy of the Bank. The Board of Directors has approved the delegation structure for sanction of credit proposals.

बैंक परिसंपत्ति पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ऋण जोखिम रेटिंग को एक प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल करता है. सभी ऋण प्रस्तावों की बैंक ऋण रेटिंग मॉडल के ज़रिए रेटिंग करता है. प्रारंभिक राशि से अधिक के प्रस्तावों का बैंक के ऋण जोखिम समूह द्वारा केंद्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है. प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि ऋणी की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके. प्रस्ताव की रेटिंग में कई मानदंड शामिल होते हैं जैसे कि वित्तीय जोखिम, कारोबार जोखिम, प्रबंधन जोखिम व उद्योग जोखिम. बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की उपयुक्त रेटिंग समिति आंतरिक ऋण रेटिंग को वैधता प्रदान करती है. खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक खुदरा उत्पाद दिशा-निर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव को मूल्यांकन के अंक दिए जाते हैं. ऋणों की समीक्षा हेतु ऋण लेखा-परीक्षा ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी का एक प्रमुख साधन है.

The Bank utilizes credit risk rating as one of the key tools to assist in monitoring quality of asset portfolio. All credit proposals are rated by the Bank through a credit rating model. Proposals over a certain threshold amount are rated centrally by the Credit risk group of the Bank. Qualitative and quantitative information of the proposal is evaluated by

the credit risk analyst to ascertain the credit rating of the borrower. Rating of the proposal involves analysis of various parameters such as financial risk, business risk, management risk and industry risk. The appropriate rating committee of senior officials of the Bank validate the internal credit ratings. Approval of credit for retail products are guided by the individual retail product paper guidelines and each proposal is appraised through the scoring model. The Credit audit, which aims at reviewing the loans is also used as an effective tool to evaluate the effectiveness of credit evaluation and credit monitoring process.

ख) अनर्जक परिसंपत्तियों की परिभाषाएं

b. Definitions of non-performing assets

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में करता है. इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) को ऐसे ऋण या अग्रिम के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां:

The Bank classifies its advances into performing and non-performing advances in accordance with extant RBI guidelines. The guidelines inter-alia, define a non performing asset (NPA) as a loan or an advance where;

- मीयादी ऋण में ब्याज और / अथवा मूलधन की किस्तें 90 से अधिक दिन से अतिदेय हों

  Interest and/ or installment of principal remains overdue for more than 90 days for a term loan,

- बैंक द्वारा क्रय किए गए या बट्टाकृत बिल को 90 दिन बाद 'अतिदेय' माना जाता है.

  A bill purchased or discounted by the Bank remains 'overdue' for more than 90 days.

- कृषि ऋण के संबंध में अल्पावधि फसलों के मामले में ब्याज तथा / अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय होने और दीर्घावधि फसलों में एक फसल मौसम से अतिदेय होने पर.

  In respect of an agricultural loan, the interest and / or installment of principal remains overdue for two crop seasons for short duration crops and for one crop season for long duration crops.

- खाते में लगातार 90 से अधिक दिन तक ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट चलते रहने पर खाता 'अनियमितट माना जाता है. यदि खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हों तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है. जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से कम हैं, किंतु उनमें यथा तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 से अधिक दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जो जमाराशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है.

  The account remains 'out of order' in respect of overdraft / cash credit continuously for 90 days. An account would be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

  इसके अलावा रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए को अवमानक, संदिग्ध एवं हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

  Further, NPAs are classified into substandard, doubtful and loss assets based on the criteria stipulated by RBI.

  प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज / मूलधन बकाया है, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण प्रावधानों के अनुसार उचित प्रावधान करता है.

  In respect of investments in securities, where interest / principal is in arrears, the Bank does not reckon income on such securities and makes provisions as per provisioning norms prescribed by RBI for the depreciation in the value of investments.

ग. 31 मार्च 2012 के अनुसार ऋण सहायता

c. Credit Exposures as on March 31, 2012

i. ऋण जोखिम न्यूनीकरण कारकों के लिए लाभ पर विचार किए बिना कुल ऋण सहायता:

Total credit exposures without taking into account benefit for credit risk mitigants:

(₹ करोड़) (₹ Crore)

श्रेणी / Category	बकाया राशि / Amount Outstanding	
	देशी / Domestic	विदेशी / Overseas
निधि आधारित* / Fund Based*	175755.48	5402.95
गैर-निधि आधारित# / Non Fund Based#	85649.05	1059.63

* अग्रिमों से संबंधित / refers to advances

एलसी, बीजी, एलईआर और स्वीकृतियों सहित / includes LC, BG, LER and acceptances

ii. सर्वाधिक सहायता प्राप्त 20 उद्योग / Top 20 Industry wise exposure

(₹ करोड) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	उद्योग Industry	निधि आधारित Fund based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल ऋण सहायता Total exposure
1	बिजली / Power	24475.39	15037.56	39512.95
2	आवास ऋण / Home Loans	26089.90	0	26089.90
3	लोहा एवं इस्पात / Iron and Steel	13960.49	8476.43	22436.92
4	कृषि एवं संबद्ध सेवा कार्यकलाप / Agriculture and related activities	18827.48	576.6	19404.08
5	तेल और गैस / पेट्रोलियम पदार्थ / Oil & Gas / Petroleum products	9225.13	10118.81	19343.94
6	सड़क तथा पुल / पोर्ट / Roads and bridges / Ports	9363.69	8586.54	17950.23
7	एनबीएफसी / NBFC	15295.00	872.61	16167.61
8	दूरसंचार सेवाएं / Telecom	11206.66	3600.02	14806.68
9	बैंकिंग / Banking	8698.15	5861.65	14559.80
10	निर्माण / Construction	3859.51	9047.56	12907.07
11	टेक्सटाइल्स / Textiles	9339.69	2277.63	11617.32
12	इंफ्रास्ट्रक्चर (अन्य) / Infrastructures (Others)	4130.72	6993.73	11124.45
13	सामान्य मशीनरी एवं उपस्कर General machinery and equipments	3620.48	7125	10745.48
14	व्यापार / Trading	6106.75	3823.92	9930.67
15	सीमेंट / Cement	6462.33	1583.33	8045.66
16	धातु एवं धातु उत्पाद (लोहा व इस्पात को छोड़कर) Metals and metal products (other than iron and steel)	3101.34	4509.94	7611.28
17	उर्वरक / Fertilizers	2526.76	4180.39	6707.15
18	रसायन और रसायन उत्पाद Chemical and Chemical products	3004.57	2718.67	5723.24
19	बिजली मशीनरी एवं उपस्कर Electrical machinery and equipments	2085.57	3618.9	5704.47
20	वाणिज्यिक रियल इस्टेट Commercial real estate	4586.25	742.93	5329.18
	कुल / Total	**185965.86**	**99752.22**	**285718.08**

iii. 31 मार्च 2012 के अनुसार बैंक की एकल आधार पर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण
Residual contractual maturity breakdown of assets of the Bank on a standalone basis as on March 31, 2012

(₹ करोड़) (₹ Crore)

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	परिसंपत्तियां Assets				
	नकदी एवं रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास जमा शेष Cash & Balances with RBI and Other Banks	निवेश Investments	अग्रिम Advances	अचल परिसंपत्तियां एवं अन्य परिसंपत्तियां Fixed Assets & Other Assets	कुल परिसंपत्तियां Total Assets
1 दिन / Day 1	6,335.87	0.52	1,300.87	411.27	8,048.53
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	2,552.87	19,987.06	2,776.01	76.66	25,392.60
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	366.72	250.69	2,817.83	202.97	3,638.21
15 से 28 दिन / 15 to 28 days	298.28	24.84	4,643.84	164.11	5,131.07
29 दिन से 3 माह 29 days & upto 3 months	743.70	3,163.95	9,328.68	1,041.81	14,278.14
3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	1,044.95	608.79	10,289.25	471.20	12,414.19
6 माह से अधिक व 12 माह तक Over 6 months & upto 1 year	3,629.80	1,652.02	14,253.47	166.88	19,702.17
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	2,738.76	6,639.37	76,896.57	6.15	86,280.85
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	229.68	9,579.62	23,013.69	2,455.29	35,278.28
5 वर्ष से अधिक / Over 5 yrs	117.02	41,268.50	35,838.22	3,449.45	80,673.19
कुल / Total	**18,057.65**	**83,175.36**	**1,81,158.43**	**8,445.79**	**2,90,837.23**

घ) 31 मार्च 2012 के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियां
d) Non Performing Assets as on March 31, 2012

(₹ करोड़) (₹ Crore)

एनपीए की राशि (सकल) / Amount of NPAs (Gross)	4551.37
क) अवमानक a) Substandard	2449.88
ख) संदिग्ध 1 b) Doubtful 1	1431.15
ग) संदिग्ध 2 c) Doubtful 2	446.11

(₹ करोड़) (₹ Crore)

घ) संदिग्ध 3 d) Doubtful 3	104.12
ङ) हानि e) Loss	120.11
च) निवल एनपीए f) Net NPAs	2910.93
छ) एनपीए अनुपात g) NPA Ratios	
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए / Gross NPAs to Gross Advances	2.49%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए / Net NPAs to Net Advances	1.61%
ज) एनपीए में घट-बढ़ (सकल) h. Movement of NPAs (Gross)	
• आरंभिक शेष / Opening Balance	2784.73
• परिवर्धन / Additions	2560.24
• कटौतियां / Reductions	793.60
• अंतिम शेष / Closing Balances	4551.37
झ) एनपीए के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ i. Movement of Provisions for NPAs	
• आरंभिक शेष / Opening Balance	1106.83
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period	1187.08
• घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफ़र में अंतरित Less : Transferred to Counter-Cyclical Provisioning Buffer	111.93
• बट्टे खाते डाली गई राशि/अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन Write off/ Write back of excess provisions	541.54
• अंतिम शेष / Closing Balances	1640.44
ञ) अनर्जक निवेशों की राशि (j) Amount of Non-performing Investments	950.88
ट) अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि (k) Amount of provisions held for Non- performing Investments	301.39
ठ) निवेशों (बांड व डिबेंचर सहित) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (l) Movement of provisions for depreciation on investments (including bonds and debentures)	
आरंभिक शेष / Opening Balance	314.42
अवधि के दौरान प्रावधान / Provisions made during the period	182.32
बट्टे खाते डाली गई राशि/अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन Write offs / Write Back of excess provisions	195.35
अंतिम शेष / Closing Balance	301.39

डीएफ-5: ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन:

DF-5: Credit Risk- Disclosures of Portfolios subject to the Standardised Approach.

बैंक पूंजी गणना के लिए अपनी ऋण सहायता पर धारित जोखिम की गणना करने के लिए रिज़र्व बैंक के दिशा - निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है. रिज़र्व बैंक ने बासेल II के संबंध में अपने दिशा-निर्देशों में यह विनिर्दिष्ट किया है कि बैंक अपनी देशी

ऋण सहायताओं का मूल्यांकन करने के लिए केयर, क्रिसिल, इक्रा और फिच (इंडिया) तथा विदेशी ऋण निवेशों के लिए फिच, मूडीज़ तथा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग का उपयोग कर सकते हैं.

The Bank uses the solicited ratings assigned by the rating agencies specified by RBI for calculating the risk weights on its exposures for capital calculations. In its guidelines on Basel II, the RBI has specified that banks may use the external ratings assigned by CARE, CRISIL, ICRA and FITCH (India) for their domestic exposures and by Fitch, Moodys and Standard and Poor's for overseas exposures.

प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग तुलन-पत्र में तथा तुलन-पत्र से इतर ; अल्पावधि व दीर्घावधि; सभी प्रकार की ऋण सहायता के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत रीति से किया जाता है. केवल उन्हीं रेटिंगों पर विचार किया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों तथा जो एजेंसी के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित होकर लागू हों.

The ratings assigned are used for all eligible exposures; on balance sheet and off balance sheet; short term and long term in the manner permitted by the RBI guidelines. Only those ratings that are publically available and in force as per the monthly bulletin of the rating agency are considered.

जोखिम भारित प्रयोजन के लिए पात्र होने के लिए बाह्य ऋण आकलन हेतु बैंक की ऋण जोखिम सहायता की संपूर्ण राशि को हिसाब में लिया जाता है. बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाली ऋण सहायता के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाली ऋण सहायता के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है.

To be eligible for risk weighting purposes, the entire amount of credit risk exposure to the Bank is taken into account for external credit assessment. The Bank uses short term ratings for exposures with contractual maturity of less than or equal to one year and long term ratings for those exposures which have a contractual maturity of over one year.

किसी कॉरपोरेट को प्रदान की गई रेटिंग को उस कॉरपोरेट की ऋण सहायता में अंतरित करने तथा उस ऋण सहायता में उचित जोखिम भारिता लागू करने की प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाती है. जहाँ प्रदत्त सहायता के लिए एक से अधिक रेटिंग उपलब्ध हैं, वहाँ दो रेटिंग उपलब्ध होने पर निम्नतर रेटिंग तथा तीन या अधिक रेटिंग होने पर द्वितीय निम्नतर रेटिंग लागू की जाती है.

The process used to transfer the ratings assigned to a corporate to the exposure of that corporate and apply the appropriate risk weight to that exposure is as per the regulatory guidelines prescribed by RBI. In cases where multiple ratings are available for a given facility, the lower rating, where there are two ratings and the second lowest rating where there are three or more ratings is applied.

बैंकिंग बही में परिसंपत्तियों की बकाया राशि और विभिन्न ऋण जोखिम न्यूनीकरण कारकों के अंतर्गत जोखिम समूहों में निधि आधारित सुविधाओं की बकाया राशि निम्नानुसार है:

The amount of outstanding of Assets in banking book and non fund based non market related facilities in various risk buckets net of credit risk mitigants is stated below.

(₹ करोड) (₹ Crore)

जोखिम-भार / Risk Weight	**कुल बकाया राशि / Total Outstanding**
100% से कम / Less than 100%	184766.29
100%	111923.87
100 % से अधिक / More than 100%	23020.39
पूंजी से कटौती / Deduction from Capital	36.27
कुल / Total	**319746.82**

डीएफ-6 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

DF-6: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach

संपार्श्विक प्रतिभूति उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा को सुरक्षित करने के लिए उधारदाता को प्रदान की गई एक परिसंपत्ति या अधिकार है. बैंकों द्वारा संपार्श्विक पर अपनी पूर्णत: या अंशत: ऋण सहायता की बचाव व्यवस्था करने (हेजिंग) के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों संपार्श्विक प्रतिभूतियों

का इस्तेमाल किया जाता है. मुख्य वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में नकदी, बैंक की स्वयं की सावधि जमा राशि, स्वर्ण, घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियां, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां शामिल हैं. गैर-वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में भूमि व भवन, संयंत्र एवं मशीनरी तथा स्टॉक शामिल हैं.

A collateral is an asset or a right provided to the lender to secure a credit facility by the borrower. Both financial as well as non financial collaterals are used by the Bank to hedge its credit exposures in whole or in part against the collateral. The main financial collaterals include cash, Bank's own FDs, gold, Life Insurance Policies with a declared surrender value, Kisan Vikas Patra, National Saving Certificate and securities issued by Central and State Governments. The non financial collaterals include Land and Building, Plant and Machinery and Stock.

बैंक में ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक तथा संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंध के संबंध में बोर्ड अनुमोदित नीति लागू है जिसमें स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बारे में दिशा-निर्देश और ऐसी संपार्श्विक प्रतिभूतियों के वर्गीकरण तथा मूल्यांकन के लिए पद्धतियां एवं प्रक्रियाएं दी गयी हैं.

The Bank has a Board approved policy on Credit Risk Mitigation Techniques and Collateral Management of the Bank, which includes guidelines on acceptable collaterals and procedures and processes to enable classification and valuation of such collaterals.

बैंक संभावित ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं तथा तकनीकों का प्रयोग करता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण एक ऐसा साधन है जिसे रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट रूप में पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रदान किये गये जोखिम न्यूनीकरण की सीमा तक पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय प्रतिपक्षी को बैंक के ऋण के जोखिम को कम करने के लिए तैयार किया गया है. संपार्श्विक प्रतिभूति के जोखिम न्यूनीकरण प्रभाव को हिसाब में लेने के लिए उपयुक्त मार्जिन लगाने के बाद प्रतिपक्षी की ऋण सहायता में विनिर्दिष्ट वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य के आधार पर कमी की जाती है. मार्जिन का प्रयोग ऋण सहायता तथा संपार्श्विक प्रतिभूति दोनों के लिए अस्थिरता समायोजित राशि प्रदान करेगा.

The Bank utilizes various processes and techniques to reduce the impact of the credit risk to which it is exposed. Credit Risk Mitigation is one such tool designed to reduce the Bank's credit exposure to the counterparty while calculating its capital requirement to the extent of the risk mitigation provided by the eligible collateral as specified in the RBI guidelines. The credit exposure to a counter party is reduced by the value of specified financial collaterals after applying appropriate haircuts to take account of risk mitigating effect of the collateral. The application of the haircuts will provide volatility adjusted amounts for both the exposure and the collateral.

उत्पाद के लिए उपयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति का निर्धारण उधारकर्ता के प्रकार, जोखिम रूपरेखा तथा सुविधा को हिसाब में लेने के बाद किया जाता है. बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में बैंक की स्वयं की जमाराशियां, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, किसान विकास-पत्र तथा बीमा पॉलिसियां शामिल हैं, अधिकांश पात्र वित्तीय संपांर्श्विक प्रतिभूतियां जहां बैंक ने सीआरएम तकनीक के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त किया है, बैंक की स्वयं की सावधि जमाराशियों के रूप में हैं और अतएव ऋण या बाजार जोखिम के अधीन नहीं हैं. रिटेल पोर्टफोलियो के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को योजना के प्रकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसे आवास ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवासीय बंधक होगी.

The appropriate collateral for a product is determined after taking into account the type of borrower, the risk profile and the facility. The main types of eligible financial collaterals accepted by the Bank are Bank's own deposits, gold, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patra and insurance policies. Most of the eligible financial collaterals where the Bank has availed capital benefits under CRM techniques are in the form of Bank's own FDs and hence not subjected to credit or market risk. Under the retail portfolio the collaterals are defined as per the type of product e.g. collateral for housing loan would be residential mortgage.

बैंक सिर्फ उन्हीं गारंटियों पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, स्पष्ट तथा अशर्त होती हैं, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए गारंटी का संरक्षित हिस्सा गारंटीकर्ता का समनुदेशित जोखिम भार होता है.

The Bank only considers those guarantees which are direct, explicit and unconditional. For availing benefits under Credit Risk Mitigation, the protected portion of the guarantee is assigned the risk weight of the guarantor.

संप्रभु सरकारों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों तथा उच्च रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेट संस्थाओं को रिजर्व बैंक के बासेल II संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा पात्र गारंटीकर्ता माना जाता है.

Sovereigns, sovereign entities, banks and highly rated corporate entities are considered as eligible guarantors by the Bank for availing capital benefits as stipulated in the RBI guidelines on Basel II.

सीआरएम तकनीक में शामिल बैंक की ऋण सहायता निम्नानुसार है :

The bank exposure where CRM techniques were applied are as follows:

(₹ करोड) (₹ Crore)

विवरण Particulars	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित * Non Fund Based *
पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति में शामिल कुल ऋण सहायता Total Exposures covered by eligible financial collateral	15784.71	13492.18
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति का लाभ लेने के बाद ऋण सहायता Exposure after taking benefit of eligible collateral	5158.96	10081.33

* गैर-बाज़ार संबद्ध / Non Market related

जहां रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार सीआरएम तकनीक के रूप में कॉरपोरेट गारंटियों का प्रयोग किया गया वहां ऋण सहायता की राशि ₹ 573.47 करोड़ थी.

The exposure covered by corporate guarantees where CRM techniques as per RBI guidelines were applied amounted to ₹ 573.47 crores.

डीएफ-7 : प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटन

DF-7: Securitization exposure-Disclosure for Standardized Approach

बैंक अपनी जोखिम प्रबंध रणनीति एक हिस्से के रूप में पूंजी के प्रभावी उपयोग, चलनिधि में वृद्धि और परिसंपत्तियों से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप करता है. बैंक के मुख्य प्रतिभूतिकृत ऋण-निवेश पास थ्रु सर्टीफिकेटों (पीटीसी) के रूप में प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों में किये गये निवेश और द्वितीय हानि तथा चलनिधि सुविधा के रूप में ऋण वृद्धि प्रदान करना है. बैंक कॉरपोरेट ऋणों, खुदरा ऋण समूहों और प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों का क्रय-विक्रय करता है. इन ऋणों/ प्राप्य राशियों को रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण मार्ग से प्राप्त किया जाता है.

The Bank takes up securitization activity for efficient use of capital, enhancing liquidity and churning of assets as part of the risk management strategy. The main securitized exposures of the Bank are the investments made in securitized papers in the form of Pass Through Certificates (PTCs) and the providing of credit enhancements in the form of Second Loss and Liquidity facility. The Bank enters into purchase /sale of corporate loans, pool of retail loans and securitized paper. These loans/ receivables are acquired through the Securitization route in accordance with the prevalent RBI guidelines.

बैंक प्रतिभूतिकरण लेन-देनों में निम्नलिखित में से कुछ या सभी भूमिकाएं अदा करता है:

The Bank plays either some or all of the following roles in securitization transactions:

1. **निवेशक:** निवेशक जो विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा जारी प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों अर्थात् पास थ्रु सर्टीफिकेटों (पीटीसी) में निवेश करता है.

   Investor: As an investor who invests in the securitized papers viz. Pass Through Certificates (PTCs) issued by the Special Purpose Vehicle (SPV).

2. **ऋण वृद्धि प्रदाता:** भारत में खुदरा ऋणों के प्रतिभूतिकरण लेन-देन, जिसकी शुरुआत फरवरी 2006 में रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के लागू होने के बाद हुई, सामान्यतः चलनिधि सुविधा (एलएफ), प्रथम हानि ऋण सुविधा (एफएलसीएफ) तथा द्वितीय हानि ऋण सुविधा (एसएलसीएफ) द्वारा समर्थित हैं. इन सुविधाओं को सामूहिक रूप से ऋण वृद्धि कहा जाता है. चलनिधि सुविधा का प्रयोग समूहन अंतर्वाहों में अस्थायी असंतुलन को पूरा करने के लिए किया जाता है जबकि प्रथम हानि ऋण सुविधा और द्वितीय हानि ऋण सुविधा समूहन ऋण में कमियों को पूरा करने के लिए हैं.

   Provider of Credit Enhancement (CE): Securitization transactions of retail loans in India, originated after introduction of extant RBI guidelines in February 2006, are generally backed by Liquidity Facility (LF), First Loss Credit Facility (FLCF) and Second Loss Credit Facility (SLCF), collectively known as Credit Enhancement. While LF is used for meeting temporary mismatch in pool inflows, FLCF and SLCF are meant for meeting pool delinquencies.

3. **प्रवर्तक :** एक प्रवर्तक के रूप में बैंक प्रतिभूतिकरण मार्ग के जरिए एसपीवी को अपने ऋण पोर्टफोलियों की या तो एकल परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह की बिक्री करता है.

Originator: As an originator the Bank sells its loan portfolios either a single asset or a pool of assets to an SPV through the securitization route.

4. **सेवा प्रदाता:** प्रतिभूतिकृत समूहों के लिए, बैंक एसपीवी की ओर से प्रशासनिक कार्य करता है, एसपीवी की निधियों का प्रबंध करता है और निवेशकों को सेवाएं प्रदान करता है. भारत में, प्रवर्तक सामान्यतः अधिकांश लेन-देनों में सेवा प्रदाता की भूमिका अदा करता है.

Servicer: For pools securitized, the Bank carries out administrative functions on behalf of the SPV, manages the SPV's funds and services the investors. In India, the originator generally plays the role of the servicer in most transactions.

क. बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं :
a. The general qualitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank are as follows:

• प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य, उस सीमा सहित जिस तक ये कार्यकलाप अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत ऋणों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग अन्य संस्थाओं को अंतरित करते हैं. The Bank's objectives in relation to securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitized exposures away from the bank to other entities.	शुल्क आधारित आय व पूंजीगत अभिलाभ अर्जित करने तथा प्रतिभूतिकृत कागजात प्राप्त करने / बेचने के लिए. ऋणों को दायित्व-रहित आधार पर प्रतिभूतिकृत किया जाता है जिसके द्वारा अंतर्निहित ऋणों का ऋण जोखिम प्राप्तकर्ता को अंतरित हो जाता है. To generate fee based income and capital gains and acquisition/sale of securitized papers. The loans are securitized on non-recourse basis whereby the credit risk of the underlying loans is fully transferred to the acquirers.
• अन्य जोखिमों का स्वरूप. The nature of other risks.	कुछ नहीं Nil
प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभायी जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं और इनमें से हरेक में बैंक की सहभागिता की सीमा का संकेत. The various roles played by the Bank in the securitisation process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;	वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान बैंक ने निवेशक, ऋण वृद्धि तथा चलनिधि सुविधा प्रदाता के रूप में निम्नलिखित भूमिकाएं अदा की हैं: During FY 2012, the Bank has played the roles of an Investor, Provider of Credit Enhancement and Liquidity Facility in Securitisation exposures as per the following details:

(₹ करोड) (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No	अदा की गई भूमिका Role played	लेन-देनों की संख्या No. of transactions	अंतर्निहित राशि Amount involved
1	निवेशक / Investor	1	19.91
2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा) Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility)	1	36.27
3	चलनिधि सुविधा प्रदाता Provider of Liquidity Facility	2	# 33.25

इसके अलावा 7 लेनदेनों के लिए कुल ₹ 32.14 करोड़ की चलनिधि सुविधा प्रत्यक्ष समनुदेशन लेनदेन हेतु उपलब्ध कराई गई, जिसमें से ₹ 9.07 करोड (1 लेनदेन) गारंटी के रूप में है.
In addition, Liquidity Facility aggregating ₹ 32.14 crore for 7 transactions provided for Direct Assignment transactions, of which ₹ 9.07 crore (1 transaction) is in the form of a guarantee.

	• प्रतिभूतिकरण ऋण निवेशों के ऋण तथा बाज़ार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए लागू प्रक्रियाओं का विवरण a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures.	प्रतिभूतिकरण ऋण-निवेश उन प्रतिभूतिकृत खुदरा ऋणों को समूहित करना है जहां प्रवर्तक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं. समूह को एएए(एसओ) रेटिंग दी जाती है और उन्हें पर्याप्त ऋण वृद्धि (सीई) द्वारा समर्थन दिया जाता है. बैंक वसूली निष्पादन, चुकौती, समय-पूर्व भुगतान, ऋण वृद्धि के उपयोग तथा रेटिंग पूल की आवधिक निगरानी करता है. The securitisation exposure is to Pools of secured retail loans where the originators are acting as servicers. The pools are rated AAA(SO) and supported by adequate credit enhancement (CE). The Bank periodically monitors the collection performance, repayments, prepayments, utilization of CE and rating of the pools.
	• प्रतिभूतिकरण ऋण-निवेशों के जरिए प्रतिधारित जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी बैंक की नीति का विवरण. a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;	बैंक मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में रिज़र्व बैंक के 1 फरवरी 2006 के परिपत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों का अनुसरण करता है. बैंक रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रूप में पर्याप्त ऋण वृद्धि के साथ प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों को अर्जित करता है. बैंक पर्याप्त ऋण वृद्धि वाले एएए (एसओ) रेटिंग प्राप्त प्रतिभूतिकृत समूहों में ही निवेश करता है. The Bank meticulously follows extant RBI guidelines on Securitisation of Standard Assets as outlined in RBI circular dated February 1, 2006. The Bank acquires securitized assets with adequate CE as stipulated by the rating agencies. The Bank's securitisation exposure is to AAA(SO) rated pools, where adequate credit enhancement have been provided.
ख **b**	**प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश, निम्नलिखित सहित:** **Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:**	
	• लेन-देनों को बिक्री माना जाता है या वित्तपोषण. whether the transactions are treated as sales or financings;	• प्रतिभूतिकरण को बिक्री माना जाता है. Securitisation is treated as Sales. • प्रतिभूतिकृत कागजात का अर्जन निवेश माना जाता है. Acquisition of securitized papers are treated as investments.
	• प्रतिधारित या क्रय की गई स्थितियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त विधियां तथा मुख्य धारणाएं (निविष्टियों सहित) methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased	प्रतिभूतिकृत कागजात (पीटीसी) को रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार फिम्मडा मूल्यांकन के आधार पर मार्क-टु-मार्केट किया जाता है. The securitized papers (PTCs) are marked to market based on FIMMDA valuations as per extant RBI guidelines.
	• गत अवधि से विधियों तथा मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	शून्य NIL
	• उन व्यवस्थाओं के लिए तुलन- पत्र में देयताओं को दर्शाने के लिए नीतियां जो बैंक से प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकती हैं. policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets.	रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार देयताएं तुलन-पत्र में दर्शायी जाती हैं. Liabilities are recognized on the balance sheet in terms of RBI guidelines.

	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश का प्रकार जिसके लिए हर एजेंसी का प्रयोग किया जाता है. In the banking book, the names of External Credit Assessment Institutions (ECAIs) used for securitization and the types of securitization exposure for which each agency is used.	बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में किसी ऋण का प्रतिभूतिकरण नहीं किया. The Bank has not securitized any loan in FY 2011-12.
ग. c.	**बैंकिंग बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं : Quantitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank in the Banking book are as follows:**	
	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि The total amount of exposures securitized by the bank	शून्य NIL
	वर्तमान अवधि के दौरान प्रतिभूतिकृत हानियों के लिए बैंक द्वारा हिसाब में ली गई ऋण सहायता For exposures securitized, losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type.	शून्य NIL
	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली परिसंपत्तियों की राशि Amount of assets intended to be securitized within a year	शून्य NIL
	इनमें से प्रतिभूतिकरण से एक वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई परिसंपत्तियों की राशि. Of the above, the amount of assets originated within a year before securitization.	शून्य NIL
	प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि (ऋण के प्रकार के अनुसार) और ऋण प्रकार के अनुसार बिक्री पर अभिलाभ या हानि न माने गये. The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	शून्य NIL
	निम्न की कुल राशि : Aggregate amount of: • ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल किये गये प्रतिभूतिकरण ऋण on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and	(₹ करोड़) (₹ Crore)

प्रतिधारित / खरीदे गए / Retained/purchased	शून्य / NIL
द्वितीय हानि सुविधा (1 प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए) Second Loss Facility (for 1 securitization transaction)	36.27
चलनिधि सुविधा (2 प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए) Liquidity Facility (for 2 securitization transactions)	33.25
कुल / Total	69.52

<table>
<tr><td></td><td>• ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण.
off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type</td><td>शून्य

NIL</td></tr>
<tr><td></td><td>• प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणों की कुल राशि और संबद्ध पूंजी प्रभार, ऋणों में विभक्त और हरेक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए अलग-अलग जोखिम भार दायरे में पुनः विभक्त
Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach</td><td>(₹ करोड) (₹ Crore)<table><tr><td>सुविधा
Facility</td><td>100% सीसीआर पर राशि
Amt. At 100% CCR</td><td>रेटिंग
Rating</td><td>जोखिम भार
Risk Weight</td></tr><tr><td>चलनिधि सुविधा
Liquidity Facility</td><td>33.25</td><td>फिच्च द्वारा समुह रेटिंग एएए (एसओ)
Pool Rating AAA (SO) by Fitch</td><td>20%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>• ऋण जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.</td><td>द्वितीय हानि सुविधाः ₹ 36.27 करोड़
Second Loss Facility ₹ 36.27 crore.

(टीयर I तथा टीयर II , प्रत्येक से 18.135 करोड़ रुपये की कटौती)
(₹18.135 crore. deducted from Tier I and Tier II each)</td></tr>
<tr><td colspan="3">घ. व्यापारिक बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं :
d. Quantitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank in the Trading book are as follows:</td></tr>
<tr><td></td><td>बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिमों को अपने पास रखा है और जो ऋण के प्रकार के अनुसार बाज़ार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन है.
Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.</td><td>शून्य

NIL</td></tr>
<tr><td></td><td>निम्न की कुल राशिः
Aggregate amount of:
• ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल किये गये प्रतिभूतिकरण ऋण; तथा
on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type; and</td><td>क्रय किए गए (बकाया निवेश) - ₹ 19.91 करोड़
Purchased (Investments Outstanding) - ₹ 19.91 crore.</td></tr>
<tr><td></td><td>• ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त तुलन-पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण.
off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.</td><td>शून्य

NIL</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>निम्न के लिए अलग-अलग प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणों की कुल राशि :
Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:
• विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण ; तथा
securitization exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and
• विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण ऋण
securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.</td><td>शून्य
NIL

बकाया निवेश: ₹ 19.91 करोड़
Investments Outstanding - ₹ 19.91 crore.</td></tr>
<tr><td></td><td>निम्न की कुल राशि :
Aggregate amount of:
• प्रतिभूतिकरण ऋणों के लिए पूंजी अपेक्षाएं, अलग-अलग जोखिम भार दायरे में विभक्त प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन
the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands.</td><td>(₹ करोड़) (₹ Crore)
<table><tr><td>सुविधा
Facility</td><td>100% सीसीआर पर राशि
Amt. At 100% CCR</td><td>रेटिंग
Rating</td><td>जोखिम भार
Risk Weight</td></tr><tr><td>बकाया निवेश
Investment Outstanding</td><td>19.91</td><td>एएए (एसओ) (क्रिसिल, केयर एवं फिच्च)
AAA(SO) (CRISIL, CARE & FITCH)</td><td>20%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>• ऋण जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण
securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.</td><td>शून्य
NIL</td></tr>
</table>

डीएफ-8: व्यापार बही में बाजार जोखिम: / DF-8: Market Risk in Trading Book

बाजार जोखिम ब्याज दरों, ईक्विटी दरों, विनिमय दरों और पण्य दरों जैसे बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों में उतार-चढ़ाव तथा अस्थिरता के कारण निवेश के मूल्य में होने हानि जोखिम है. बैंक को स्वयं के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से भी किए जाने वाले कारोबारी कार्यकलापों के कारण बाजार जोखिमों का सामना करना पड़ता है. बैंक इन कार्यकलापों से होने वाली वित्तीय ऋण सहायता पर अपनी जोखिम प्रबंध व्यवस्था के तहत निगरानी व प्रबंधन रखता है, जिसके तहत वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति पर नजर रखने के साथ-साथ शेयरधारकों की पूंजी पर पड़ने वाले किसी विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयत्न किया जाता है.

IDBI BANK LIMITED

Market Risk is the risk of loss in the value of an investment due to adverse movements in the level of the market variables such as interest rates, equity rates, exchange rates and commodity rates, as well as volatilities in them. The Bank is exposed to market risk through its trading activities, which are carried out on its own account as well as those undertaken on behalf of its customers. The Bank monitors and manages the financial exposures arising out of these activities as an integral part of its overall risk management system, which takes cognizance of the unpredictable nature of the financial markets and is striving in minimizing any adverse impact on the Shareholders wealth.

बैंक ने परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति जैसी नीतियां तैयार की हैं. ये नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं. इन नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव के परिचालन स्वस्थ व मान्य कारोबार प्रथा के अनुरूप तथा विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएं. इन नीतियों में वित्तीय लिखतों के लेन-देन के संबंध में सीमाएं तय की गई हैं. कारोबार आवश्यकताओं व आर्थिक परिवेश में होने वाले परिवर्तनों और संशोधित नीति-निर्देशों को देखते हुए इनमें आवश्यक परिवर्तन के लिए इन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा भी की जाती है.

The Bank has formulated an Asset Liabilities Management (ALM) Policy, a Market Risk Policy, an Investment Policy and Derivative Policy, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines. The policies contain the limit structure that governs transactions in financial instruments. The policies are reviewed periodically to incorporate changed business requirements, economic environment and revised policy guidelines.

बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) में वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं और इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं ताकि तुलन-पत्र जोखिमों का समन्वित तरीके से प्रबंधन किया जा सके. एल्को चलनिधि, ब्याज दर व विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम जैसे बाज़ार जोखिमों के प्रबंध पर विशेष ध्यान देती है. ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) से ब्याज दरों में घट-बढ़ के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है.

The Asset Liability Management Committee (ALCO) comprising top executives of the Bank meets regularly to manage balance sheet risks in a coordinated manner. ALCO focuses on the management of market risks viz., liquidity, interest rate and foreign exchange risks. Interest rate sensitivity analysis measures the impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) of the Bank.

बाज़ार जोखिम नीति बैंक द्वारा प्रबंध किये जाने वाले व्यापारिक जोखिमों की पहचान करता है. इस नीति के अंतर्गत लेखा बही में जोखिम प्रबंध के उपयुक्त स्तर के लिए आवश्यक संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न साधनों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि को भी निर्धारित किया गया है. बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधनों में ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का मार्क टु मार्केट (एमटीएम) प्रबंध, संभाव्य भावी ऋण सहायता, स्ट्रेस टेस्टिंग आदि शामिल हैं.

The Market Risk Policy identifies the trading risks to be managed by the Bank. It also lays down the organizational structure, tools, systems, processes, etc., necessary for appropriate levels of risk management in the trading book. The major risk management tools employed by the Bank are Marked to Market (MTM) of trading portfolio, Potential Future Exposure, stress testing etc.

निवेश एवं डेरिवेटिव नीति का प्रारूपण रिज़र्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों के आधार पर किया गया है. इस नीति के अंतर्गत लिखतों में निवेश के मानदंडों के अलावा ऐसे निवेश के प्रयोजन तथा बैंक से लेन-देन के लिए पात्र ग्राहकों के बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं.

The Investment and Derivative policies have been drafted keeping in view the various circulars issued by RBI. The policy lays down the parameters for investments in instruments, the purpose for such investments and the eligible customers with whom Bank can transact.

बैंक अपनी बाजार जोखिम का निम्न व्यापक उद्देश्यों से प्रबंध करता है:

The Bank manages its market risk with the broad objectives of :

1. निवेशों, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम व ईक्विटी जोखिम का प्रबंध.

   Management of interest rate risk, currency risk and equity risk arising from the investments and foreign exchange and derivatives portfolio.

2. विभिन्न पोर्टफोलियो में लेन-देनों के संबंध में उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन व लेखांकन.
   Proper classification, valuation and accounting of the transactions in various portfolios.

3. डेरिवेटिव, निवेश और विदेशी मुद्रा विनिमय उत्पादों से संबंधित लेन-देनों की पर्याप्त व उचित रिपोर्टिंग.
   Adequate and proper reporting of the transactions related to derivative, investment and foreign exchange products.

4. बाजार से संबंधित लेन-देनों के परिचालन व निष्पादन पर प्रभावी नियंत्रण.
   Effective control over the operation and execution of market related transactions.

5. विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन.
   Compliance with regulatory requirements.

ट्रेज़री परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान करने, मूल्यांकन करने, निगरानी रखने व रिपोर्टिंग का कार्य बाजार जोखिम समूह (एमआरजी) देखता है. यह समूह बाजार जोखिम का आकलन करने के लिए नीतियों व प्रक्रियाओं में संशोधन सुझाता है. इस समूह की प्रमुख रणनीतियां व प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

The Market Risk Group (MRG), is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of market risk in Treasury operations. The group also recommends changes in policies and methodologies for measuring market risk. The main strategies and processes of the group are

1. **प्रत्यायोजन:** ट्रेज़री परिचालनों के लिए अधिकारों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है. निवेश संबंधी निर्णय बोर्ड की निवेश समिति करती है. एमआरजी नीतियों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई विभिन्न सीमाओं की निगरानी करता हैं.

   Delegation: Appropriate delegation of powers has been put in place for treasury operations. Investment decisions are vested with Investment Committee of the Board. MRG monitors the various limits, which have been laid down in the policies.

2. **नियंत्रण:** सिस्टम में समुचित डाटा एकीकरण नियंत्रण हैं. इन नियंत्रणों का लेखापरीक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है.

   Controls: The systems have adequate data integrity controls. The controls are used for audit purpose.

3. **अपवर्जन संचलन प्रक्रिया:** नीतियों के अंतर्गत तय की गई सीमाएं सिस्टम में शामिल कर ली गई हैं ताकि इन्हें अपवर्जन को न्यूनतम करने के लिए लागू किया जा सके. यदि कोई उल्लंघन / अपवर्जन हो, तो उसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा तुरंत दूर किया जाता है.

   Exception handling processes: The limits set in the policies have been inserted in the system for ensuring that the same is being enforced to minimize exceptions. The limit breaches/exceptions, if any, are ratified immediately from the concerned authorities.

एमआरजी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की समिति के सदस्यों को फॉरेक्स, निवेश व डेरिवेटिव उत्पाद संबंधी जोखिमों के बारे में आवधिक रूप से रिपोर्ट देता है. बैंक विनियामकों को भी रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुरूप करता है.

The MRG periodically reports on the forex, investment and derivative product related risk measures to the senior management and the committees of the Board. The Bank also reports to regulators as per the reporting requirements.

बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग जोखिम मानदंड तय किए हैं. इन जोखिम मानदंडों के बारे में एमआरजी स्वतंत्र रूप से आकलन व वरिष्ठ प्रबंध को रिपोर्टिंग करता है.

The Bank has devised various risk parameters for different products in line with the guidelines issued by RBI from time to time. These risk parameters are measured and reported to the senior management independently by MRG.

बैंक द्वारा अपनी जोखिमों पर निगरानी रखने के लिए अपनाए जाने वाले जोखिम मानदंडों में संशोधित अवधि, आधार बिंदु का मूल्य (पीवी 01), हानि रोको, अंतर सीमा, निवल आरंभिक स्थिति की सीमा, ऑप्शन आदि शामिल हैं. बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर जोखिम मैट्रिक्स पर सीमाएं रखी जाती हैं तथा उन पर आवधिक आधार पर निगरानी रखी जाती है.

The risk parameters adopted by the Bank for monitoring its risks are modified duration, price value of basis point (PV01), stop loss, gap limits, net open position limits, option greeks etc. Based on the risk appetite of the Bank, limits are placed on the risk metrics which are monitored on a periodic basis.

ख) बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार का समूहन

b) Aggregation of capital charge for market risks

(₹ करोड) (₹ Crore)

	जोखिम श्रेणी Risk Category	पूंजी प्रभार Capital charge
क. a.	**जोखिम विशेष के कारण पूंजी प्रभार Capital Charge on account of specific risk**	**638.03**
	i) ब्याज दर संबंधी लिखतों पर On interest rate related	222.46
	ii) ईक्विटी पर On equities	415.57
	iii) डेरिवेटिव पर On derivatives	0.00
ख. b.	**सामान्य बाजार जोखिम के कारण पूंजी प्रभार Capital charge on account of general market risk**	**605.60**
	i) ब्याज दर संबंधी लिखतों पर On interest rate related instruments	210.78
	ii) ईक्विटी पर On equities	384.00
	iii) विदेशी मुद्रा विनिमय पर On Foreign exchange	9.00
	iv) बहुमूल्य धातुओं पर On precious metals	0.00
	v) डेरिवेटिव पर (एफएक्स विकल्प) On derivatives (FX Options)	1.82
	व्यापारिक बही पर कुल पूंजी प्रभार (क + ख) Total Capital Charge on Trading Book (a+b)	1243.63
	व्यापारिक बही पर कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां Total Risk Weighted Assets on Trading Book	**13818.05**

डीएफ-9 : परिचालन संबंधी जोखिम:

DF-9: Operational Risk

परिचालन संबंधी जोखिम प्रत्यक्ष या परोक्ष हानि का जोखिम है, जो आंतरिक कार्यकलापों, व्यक्तियों और पद्धतियों में खामियों या असफलताओं के कारण या बाहरी घटनाओं के कारण होता है और बैंक के कारोबारी कार्यकलापों में अंतर्निहित है. इसके अंतर्गत विधिक जोखिम शामिल है लेकिन सामरिक व प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं. विधिक जोखिम परिचालन जोखिम का एक हिस्सा है तथा यह असफल प्रणालियों, व्यक्तियों, प्रक्रियाओं अथवा बाह्य घटनाओं से होता है.

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events and is inherent in Bank's business activities. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks. Legal Risk, an integral part of Operational Risk, arises out of the legal implications of failed systems, people, processes or external events.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

इन जोखिमों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से बैंक ने अपने वरिष्ठ एवं कनिष्ठ प्रबंधन को परिचालन संबंधी जोखिम को समझने व उनका प्रबंध करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से परिचालन जोखिम प्रबंध ढांचा तैयार किया है. बैंक ने प्रभावी परिचालन जोखिम प्रबंधन को समर्थ करने व सशक्त परिचालन प्रक्रिया हेतु एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है. बैंक ने परिचालन संबंधी जोखिम से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए उच्च प्रबंधन स्तर पर परिचालन जोखिम समूह (ओआरजी) का गठन किया है. परिचालन जोखिम विश्लेषण तथा इसकी स्थिति के संबंध में बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) को आवधिक रूप से अवगत कराया जाता है.

To keep a check on these risks, the Bank has developed an Operational risk management framework to support its senior and line management in better understanding and managing operational risk. The Bank has created an enabling organizational structure for effective operational risk management and adherence to sound operating procedures. In order to monitor the various aspects of operational risk at the apex level, the Bank has constituted a top- management level committee called the Operational Risk Group (ORG). Operational risk analysis and status are periodically presented to the Risk Management Committee (RMC) of the Board.

बैंक में एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम तथा कारोबार निरंतरता (ओआर एवं बीसी) नीति है, जिसका उद्देश्य परिचालन संबंधी जोखिमों की पहचान व मूल्यांकन कर उन्हें न्यूनतम करना है. इस नीति का उद्देश्य बैंकिंग परिचालनों से संबंधित जोखिमों की पहचान कर उनका मूल्यांकन करना तथा इस पर निगरानी व न्यूनीकरण हेतु साधन, सिस्टम व प्रक्रिया तैयार करना है.

The Bank has a well-defined Operational Risk and Business Continuity (OR & BC) Policy which aims to identify, measure and mitigate operational risks. The main objectives of the policy are identifying and assessing operational risks pertaining to banking operations and developing tools, systems and processes to monitor and mitigate these risks.

बैंक के विभिन्न कार्यों में परिचालनगत जोखिम को समय पर ही न्यूनतम करने के लिए बैंक मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) का उपयोग करता है तथा संवेदनशील पाए गए चुनिंदा कार्यों के लिए जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) संचालित करता है. केआरआई बैंक के परिचालनों के लिए मुख्य जोखिम संकेतक हैं तथा प्रत्येक केआरआई के लिए ट्रिगर सीमाएं तय की गई हैं. आरसीएसए एक प्रणाली है, जो बैंक को परिचालन जोखिम का आकलन व मूल्यांकन करने तथा प्रत्येक कारोबार प्रक्रिया के लिए प्रभावी नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करती है. इससे बैंक को जोखिम स्तरों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है और इस प्रकार प्रभावी नयिंत्रण से परिचालन जोखिम का सशक्त प्रबंधन होता है. बैंक रिज़र्व बैंक के बासेल II संबंधी दिशा-निर्देशों में परिभाषित किए अनुसार विभिन्न कारोबार क्षेत्रों के लिए परिचालन हानि संबंधी आँकड़े भी संग्रहित करता है.

To ensure timely mitigation of operational risk at various functions of the Bank, the Bank uses Key Risk Indicators (KRIs) and conducts Risk and Control Self Assessment (RCSA) exercise periodically for select functions which have been seen as critical. KRIs are the prime risk indicators in the operations of the Bank and trigger limits are set for each KRI. Further, KRIs are also used for risk profiling and rating of branches. RCSA is a methodology which helps the Bank to assess and examine the operational risks faced and the effectiveness of the controls used for each business process. It enables the Bank to have a clear understanding of the risk levels and the effectiveness of controls thus ensuring sound operational risk management. In addition to implementing KRI and RCSA, the Bank has also initiated the process for collecting Operational loss data for various business lines as defined by RBI guidelines on Basel II.

परिचालन संबंधी जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना के लिए बैंक बासेल-II दिशा-निर्देशों के अनुसार फिलहाल मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) अपना रहा है. उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंक ने अपने सिस्टम को उन्नत किया है और एक नया परिचालन जोखिम सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें आरसीएसए, केआरआई, हानि आँकड़ा संग्रहण और हानि आँकड़ा मॉडलिंग नामक चार मॉड्युल शामिल हैं.

The Bank currently follows the Basic Indicator Approach (BIA) as per RBI guidelines on Basel II for calculation of capital charge for operational risk. To migrate to advanced approaches the Bank has upgraded its systems and implemented a new operational risk software which comprises of four modules namely RCSA, KRI, Loss data collection and Loss data modeling.

बैंक ने अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए एक कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) भी शुरूकी है, जो कोई आपदा होने पर कम-से-कम व्यवधान के साथ ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है.

The Bank also has in place a Business Continuity Plan (BCP) for all its critical functions, which is framed to ensure customer service with minimal interruptions in the event of a disaster.

डीएफ-10: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

DF-10: Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम से आशय ब्याज दर में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के अर्जन तथा परिसंपत्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य में पड़नेवाले संभाव्य प्रभाव से है. ब्याज दर में सामान्य परिवर्तन के अलावा विभिन्न उत्पादों / लिखतों में ब्याज दरों में घट-बढ़ (अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ, मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर, अग्रिमों पर उधार दर आदि) भी ब्याज दर जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं. ब्याज दरों में परिवर्तन से निवल ब्याज आय (ब्याज आय में से ब्याज व्यय घटाकर) में घट-बढ़ के माध्यम से बैंक की अर्जन पर तथा इसके साथ ही परिसंपत्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य में निवल अंतर के माध्यम से ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भी असर पड़ता है. अर्जन और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन का परिमाण मुख्यतः परिपक्वता के आकार तथा बैंक की परिसंपत्तियों व देयताओं के पुनर्मूल्यन असंतुलन पर निर्भर करता है.

Interest rate risk in the banking book refers to the potential impact on the Bank's earning and economic value of assets and liabilities due to adverse movement in interest rates. Besides the general change in interest rate, variation in the magnitude of interest rate change among the different products/ instruments (e.g., yield on Government securities, interest rate on term deposits, lending rate on advances etc.,) is also a significant source of interest rate risk. Changes in interest rates affect the Bank's earning through variation in its net interest income (interest income minus interest expenses) and as well as economic value of equity through net variation in economic value of assets and liabilities. The extent of change in earning and economic value of equity primarily depends on the nature and magnitude of maturity and re-pricing mismatches between the Bank's assets and liabilities.

ब्याज दर जोखिम प्रबंध के महत्व को समझते हुए बैंक ने एक उचित परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) सिस्टम तैयार किया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर जोखिम प्रबंध नीति तथा इस सिस्टम के लिए रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया व सीमा संरचना शामिल की गई है. ब्याज दर जोखिम प्रबंध का उद्देश्य जोखिम के स्रोतों की पहचान कर उपयुक्त प्रणाली से उनका परिमाण मापना तथा परिपक्वता संरचना, मूल्यन, उत्पाद व ग्राहक समूह मिश्र के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र ब्याज दर जोखिम क्षमता के तहत उचित निधियन करना, उधार देना व तुलन-पत्र से परे रणनीतियां बनाना है. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के लिए बैंक की गुंजाइश निवल ब्याज आय और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भावी असर के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई है. ब्याज दर जोखिम प्रबंध के लिए बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) जोखिम के मापन, निगरानी व जोखिम नियंत्रण पहल कार्य के लिए उत्तरदायी है. एएलएम असंतुलन के नियमित आकलन व निगरानी और इसके प्रभावी प्रबंध के लिए एल्को को रणनीति की सिफारिश करने के लिए एक पृथक तुलन-पत्र प्रबंध समूह (बीएसएमजी) बनाया गया है. दैनिक आधार पर एएलएम रिपोर्ट जनरेशन के लिए पर्याप्त सूचना प्रणाली स्थापित की गई है.

Recognizing the importance of interest rate risk management, the Bank has put in place appropriate Asset Liability Management (ALM) system which includes Board approved interest rate risk management policy, procedures and limit structure in line with the RBI guidelines for ALM system. The objectives of interest rate risk management are to identify the sources of risks and measure their magnitude in terms of appropriate methods, and follow appropriate funding, lending and off-balance sheet strategies with respect to maturity structure, pricing, product and customer group mix within the overall interest rate risk exposure appetite approved by the Board. The Bank's tolerance level for interest rate risk in the banking book is specified in terms of potential impact of net interest income and economic value of equity. Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible to ensure regular measurement, monitoring and risk control initiatives for the Bank's interest rate risk management. A separate Balance Sheet Management Group (BSMG) has been created to regularly measure and monitor ALM mismatches and recommend strategies to ALCO for effective management. Adequate information system has been put in place for system based ALM report generation on a daily basis.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमों के मापन व निगरानी का कार्य ब्याज दर संवेदनशीलता (मूल्य का पुनर्निर्धारण) अंतर, अवधि अंतर पद्धितयों द्वारा तथा अर्जन (निवल ब्याज आय पर असर) एवं आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य (ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर) जैसे दोनों ही परिदृश्य आधारित विश्लेषणों के जरिए किया जाता है. ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर रिपोर्ट की तैयारी करते समय विभिन्न मूल्य-समूह की ब्याज दर जोखिम की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों व देयताओं को उनकी परिपक्वता की शेष रही अवधि या मूल्य पुनर्निर्धारण की अगली तारीख़, जो भी पहले हो, के आधार पर रखा जाता है. इस रिपोर्ट के लिए अपनाई जानेवाली धारणाओं में से सबसे प्रमुख कोर बचत बैंक जमाराशियों को '3 माह से 6 माह तक' के समूह में डालना, कोर करंट अकाउंट जमाराशियों को '1 वर्ष से 3 वर्ष तक' के समूह में डालना तथा बीपीएलआर या आधार दर से संबद्ध अग्रिमों को '3 माह से 6 माह तक' के समूह में डालना है, क्योंकि इन परिसंपत्तियों व देयताओं के मूल्य के पुनर्निर्धारण की कोई पूर्व-विनिर्दिष्ट तारीख़ नहीं होती. अवधि अंतर विश्लेषण ब्याज दर की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों व देयताओं की अवधि व भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना के आधार पर किया जाता है. परिदृश्य विश्लेषण निवल ब्याज आय तथा विभिन्न ब्याज दर परिदृश्य के अंतर्गत पूंजी के आर्थिक मूल्य पर होनेवाले असर का मापन करने के लिए किया जाता है.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

Measurement and monitoring of interest rate risks in the banking book are carried out through the methods of Interest Rate Sensitivity (repricing) gap, Duration gap and Scenario based analysis covering both earning (impact on net interest income) and economic value perspective (impact on economic value of equity). Preparation of interest rate sensitivity gap report involves bucketing of all interest rate sensitive assets and liabilities into different time buckets based on their respective remaining term to maturity or next repricing date, whichever is earlier. Major assumptions made for this report are for bucketing of core saving bank deposits into 'over 3 months to 6 months', core current account deposits into 'over 1 year to 3 years' and advances linked to BPLR or Base Rate into 'over 3 months – 6 months' as these liabilities and assets do not have prior-specified repricing date. Duration gap analysis is done based on computation of duration and present value of future cash flows of the interest rate sensitive assets and liabilities. Scenario analysis is done to measure impact on net interest income and economic value of capital under different interest rate scenario.

एल्को अपनी मासिक बैठकों में ब्याज दर जोखिम की नियमित रूप से निगरानी करती है तथा जमाराशियों व अग्रिमों के संयोजन व वृद्धि, जमाराशियों व अग्रिमों के मूल्य-निर्धारण तथा मुद्रा बाजार परिचालन व निवेश बहियों आदि के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाती है / निर्देश देती है, ताकि बैंकिंग बही में आंतरिक सीमाओं के भीतर ही ब्याज दर जोखिम का प्रबंध किया जा सके. ब्याज दर जोखिम की स्थिति से नियमित रूप से बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति तथा रिज़र्व बैंक को अवगत कराया जाता है.

ALCO regularly monitors the interest rate risk exposures at its monthly meeting and takes appropriate steps/ provides directions on composition and growth of deposits and advances, pricing of deposits and advances and management of money market operations and investment books etc., to control interest rate risks of the banking book within the internal limits. Interest rate risk position is periodically reported to Risk Management Committee of the Board and also to RBI.

31 मार्च 2012 के अनुसार अर्जन में भावी गिरावट (वृद्धि) तथा ऊर्द्धमुखी (अधोमुखी) ब्याज दर आघात के संबंध में सामान्य पद्धति से बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का परिमाण निम्नानुसार है.

Magnitude of interest rate risks in the banking book in terms of the potential decline (increase) in earnings and economic value for upward (downward) interest rate shocks as per usual methods as on March 31, 2012 is given below:

ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव **Impact of parallel shift in Interest Rate by 100 basis points**	
	(₹ करोड) (₹ Crore)
ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता (जोखिम पर अर्जन) (समयावधि : 1 वर्ष) Sensitivity of Net Interest Income to Interest rate change (Earning at Risk) (Time Horizon: 1 year)	ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) की संवेदनशीलता (जोखिम पर आर्थिक मूल्य) Sensitivity of Economic Value of Equity (EVE) to Interest rate change (Economic Value at Risk)
एनआईआई पर प्रभाव Impact on NII	ईवीई पर प्रभाव Impact on EVE
28.92	1482.67

IDBI Bank celebrates a year of firsts.

IDBI Bank is a customer-centric bank. Everything your Bank does is directed towards delivering a better product, building a lasting relationship or improving its service. Each initiative, therefore, that your Bank undertakes is a pioneering effort that gives it a first mover advantage. While the list of offerings by your Bank is long and distinguished the most recent ones merit mention.

- Bank lockers have been around for ages. But it took your Bank to create a facility that operates around-the-clock around-the-year with a feature of biometric access. This service at your Cuffe Parade branch in Mumbai is, incidentally, a world first.

- That your Bank thinks out of the box can be ascertained from IDBI Bank's Magic Card launch. The Magic Card is a debit card with a credit limit. This novel product is the first of its kind in India.

- The Dim Sum bond from your Bank, too, was the first such issue from emerging markets. It was a fine testimony to the faith reposed by global fixed income investors in your bank's credit story.

- Your Bank also became the first PSU bank to underwrite a credit default swap transaction in the domestic market for managing credit risks associated with Indian corporate bonds.

- India's first online retail G-sec portal, another IDBI Bank offering, provides an opportunity for retail investors to invest in government securities as an alternate investment avenue.

- To connect with the youth, your Bank and Itz cash in association with MasterCard launched the Freedom Prepaid Card – the first such re-loadable multi-purpose advantage card for the youth.

- Your Bank's syndication team has also concluded more than 100 deals across varied industries like power, telecom, roads, ports, petrochemicals, fertilisers, steel etc, with an aggregate debt amount of over Rs.2 lakh crore within a short span of about 6 years from the date of inception.

- Your Bank is a major conduit for central tax collections. While a number of banks were authorised to collect on behalf of the government your Bank was amongst the few to cross the Rs.100,000 crore (US$ 20.50 billion) mark in 2011/12 – comprising over 16% of the government's revised target for direct taxes.

- Not many banks are in the digital media space. Your Bank is not just there it has a following of more than half a million fans on Facebook and a further 10,000 on Twitter. It's also the first Indian bank to be on Google+.

पहले का मतलब वह नहीं, जो दूसरे से पहले आता है, बल्कि वह जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है. आईडीबीआई बैंक 'पहली पहल का साल' मनाते हुए उन विशिष्ट हस्तियों को सादर नमन करता है जिनसे उसे ऐसा करने की प्रेरणा मिली.

First is not what comes before second, it's what paves the way for it. And as IDBI Bank celebrates its year of firsts, it humbly acknowledges and pays tribute to the exemplary personalities that have inspired them to do so.

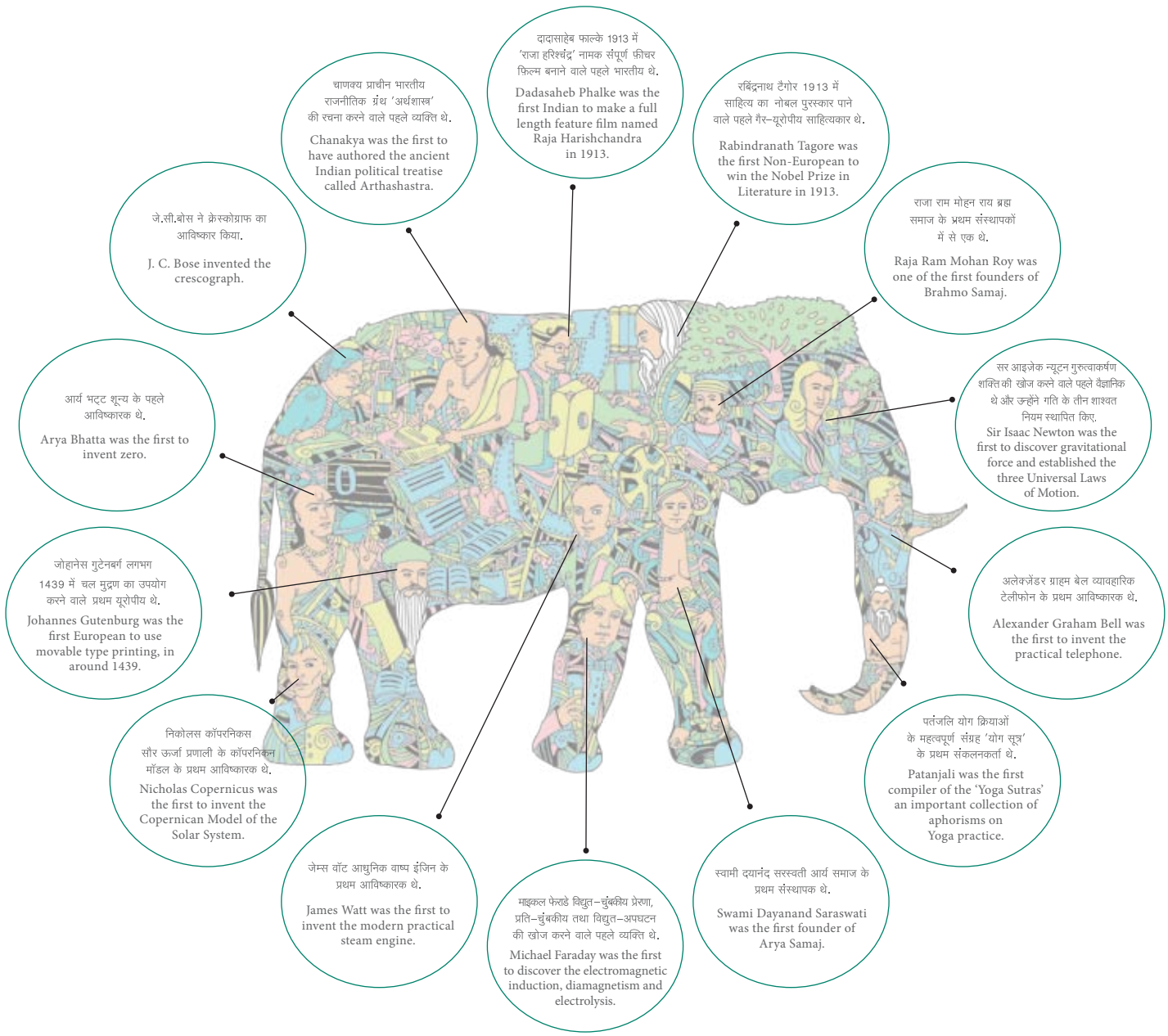

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई–400 005. वेबसाइटः www.idbi.com.

IDBI Bank Limited. Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005. Toll Free No: 1800-22-1070 (MTNL/BSNL) and 1800-200-1947 (Others). www.idbi.com.
Follow us on http://www.twitter.com/idbi_bank and http://www.facebook.com/IDBIBank.

www.sapprints.com